खण्ड-417, अंक-9
बुधवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1917
(23 अगस्त, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
प्रश्नोत्तर	1–93
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्णदत्त उर्फ बाल राज के निधन पर शोकोद्गार	93–97
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	97–101
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	101–104
जनपद देहरादून में देहरादून ऋषीकेश मार्ग पर डोईवाला में सोमनदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद हरिद्वार के कबूलपुर रायखाटी एवं गंगपुरी सोपरी में गंगा नदी में बाढ़ से हुए कटाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	105
जनपद देहरादून में डोईवाला विकास खण्ड में डिग्री कालेज खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	106
सीतापुर रोड लखनऊ स्थित नवीन गल्ला मण्डी के बगल में बनने वाले पक्के नाले का उचित निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा में गम्भीर वित्तीय अनियमितातयें एवं शासनादेशों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106–107
राज्य सिविल सेवा 1994 की प्रारम्भिक परीक्षा हेतु लगभग 20,000 अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र वापस कर दिये जाने एवं उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट में पंचायत निर्वाचन 1995 में अनुसूचित जाति की महिला के लिये आरक्षित सीट पर पुरुष अभ्यर्थी के चुनाव लड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
जनपद रायबरेली के महराजगंज पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पुरासी ग्राम में अर्धनिर्मित प्राइमरी पाठशाला का फर्जी शिलान्यास दिखाकर विभाग के हजारों रुपये हड़पने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108–109
जनपद बांदा में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारियों के द्वारा मनमाने ढंग से भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	109

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रतापगढ़ के अन्तू थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109–110
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, मसकनवा की कक्षाओं का उच्चीकरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जिला बिजनौर के कादरगंज नं—8 के घुटनातोड़ नाले पर चेक डेम बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110–111
पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जपहरी में बाघ एवं भालू द्वारा जनजीवन को नुकसान पहुंचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत शक्तिनगर, कूर्मांचलनगर में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
जिला हरदोई के श्री देव दरवार आश्रम इण्टर कालेज साण्डी के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही कथित अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद ललितपुर में भारी वर्षा एवं बाढ़ से सामान्य जनजीवन के अस्त व्यस्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद सिद्धार्थनगर में सिंचाई की सुविधा न होने से किसानों की हालत खराब होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113–114
जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी के विकास खण्ड खेसरहा में ग्राम बेलोहा में खसरा नं० 156 को विकास इण्टर कालेज खेसरहा के नाम आवंटित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
साधन सहकारी समिति लि० पर साबेनी जनपद महराजगंज के पांच सदस्यों को कृषि ऋण राहत उपलब्ध कराने एवं विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों को घोषित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114–115
जनपद मुजफ्फरनगर के गांव काजीखेड़ा थाना-तितावी के पिछड़े जाति के युवक महपाल की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद आगरा की लाखों जनसंख्या वाले यमुनापार के क्षेत्र में इण्टर कालेज न होने से छात्रों की कठिनाइयों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115–116

विषय	पृष्ठ-संख्या
गिलट, लोहा, आभूषण एवं चैन पर लगे व्यापार कर हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर–16 में सफाई की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116–117
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के कार्यवाहक पूर्व कुलपति प्रो० के० पी० नौटियाल द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	117
प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	117–118
जनपद बांदा के ग्राम जमरेही, थाना गिरवा के मुन्नू उर्फ सधवा पुत्र श्री राम आसरे अनुसूचित जाति का अपहरण कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद फतेहपुर के ग्राम दुगरेई के भू-माफिया द्वारा अवैध ढंग से ग्राम समाज की भूमि हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद बांदा के भूमाफियाओं द्वारा हजारों एकड़ सरकारी भूमि का अभिलेखों में हेराफेरी करके सेहद खुराकर हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119–120
जनपद सहारनपुर के मुस्लिम इमदादी सोसाइटी द्वारा गरीबों की जमा पूंजी को लेकर फरार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	120–121
जनपद आगरा के किरावली टाउन एरिया में जल एवं वायु प्रदूषण से फैले रोगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	121
जनपद बहराईच में सहकारिता विभाग की कार्यदायी संस्था फैक्सपैड के प्रभारी सहायक अभियन्ता श्री बजाज द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121–122
जनपद गाजियाबाद के प्रमुख महाविद्यालय महानन्द मिशन हरिजन कालेज को शासन द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद अनुदान न दिये जाने के संबंध में नियन 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	122
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोत्री हाट के क्षेत्र तेलपट्टी में सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	122–123

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बांदा के फतेहपुर अतर्रा बांदा मार्ग पर पेन्टून पुल के निर्माण कराने हेतु धन का आवंटन कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
जनपद देवरिया में गोरयाघाट छोटी गण्डक नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123–124
जनपद महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत महराजगंज सदर के सैकड़ों गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद पीलीभीत में लगभग 150 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	124–125
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रही विभिन्न अनियमितताओं एवं ध्वस्त कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
जनपद वाराणसी के लंका रोड से सामने घाट तक के रोड जर्जर होने एवं जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज के ग्राम मस्तेमऊ में एक अधिकारी द्वारा ग्रामसमाज कब्रिस्तान तथा हरिजन एवं निर्वल वर्ग की भूमि हड़पे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126–127
जनपद वाराणसी के औराई विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद फतेहपुर में बिन्दकी रोड रेलवे स्टेशन बकेवर बड़ी सड़क की मरम्मत करवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद बांदा के जिले के अधिकारियों द्वारा शिलान्यास/उद्घाटनों को जन प्रतिनिधियों से न कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
जनपद बांदा में पर्याप्त पुलिस बल न होने से बढ़ रही अराजकता की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128
इटवा सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कटरिया बाबू से साहिजवार सड़क मार्ग बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	128–129
जनपद शाहजहांपुर के आर्गेनिक एण्ड कैमिकल्स फैक्ट्री लगवाये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि किसानों को वापस किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129

विषय	पृष्ठ-संख्या
बांदा जिले के चित्रकूट धाम कर्वी स्थित उपसेवायोजन कार्यालय को बांदा स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	129–130
जनपद सीतापुर की लिफ्ट नहरों के फेल हो जाने के कारण सिंचाई कार्य में बाधा पड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद टिहरी गढ़वाल के कार्यालय को जनपद सीमा के अन्तर्गत खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद मथुरा में स्टाम्पों का अभाव हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद कानपुर देहात के थाना रूरा अन्तर्गत लाल जी सिंह भदौरिया की हत्या ग्राम अम्बरपुर के समीप के जिले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	131–132
जनपद प्रतापगढ़ के सईं नदी के कादीपुर घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद हरदोई के तहसील शाहाबाद के गांव कुमायूंपुर के एक सार्वजनिक कुएं को प्रदूषित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	132–133
जनपद बांदा के बढ़ते तापमान से जलस्तर नीचे गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	133
जनपद शाहजहांपुर की नगर परिषद् द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से बड़ी मात्रा में व्यवसाय कर आरोपित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	133–134
जनपद कानपुर देहात के थाना रूरा अन्तर्गत श्री लाल जी सिंह भदौरिया की हत्या अम्बरपुर गांव के समीप किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद बाराबंकी के रामनगर के पंचायत मुख्यालय सूरतगंज में विद्युत फीडर ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	134–135
गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान सेवरही (पडरौना) के निदेशक द्वारा किये गये अनियमित कार्यों से मजदूरों के भुखमरी के कगार पर पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	135
पुलिस विभाग मुरादाबाद में कार्यरत श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल प्रतिसार निरीक्षक द्वारा किये जा रहे गम्भीर भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	135–136

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के थाना माखी अन्तर्गत चकलवंशी चौराहे पर पुलिस बैरियर लगाकर अवैध वसूली एवं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद बुलन्दशहर के जेवर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	136–137
फैजाबाद नगर में व्याप्त पेयजल के गम्भीर संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत पत्थर से कुटे हुए मार्गों का डामरीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	137–138
के० जी० मेडिकल कालेज लखनऊ के मेडिसिन विभाग में आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	138
बांदा नगर में विभिन्न गतियों में खण्डंजा/नाली निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138–139
कर्णप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत बारह वर्षों से अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्रान्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे बसे लगभग 50 बाढ़ग्रस्त ग्रामों में शीघ्र चकबन्दी कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	139–140
जनपद बिजनौर में गंगा बैराज पुल का टोल टैक्स ठेका दिये जाने में की गयी लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	140
श्री डी० एन० द्विवेदी सहायक अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद बांदा में कार्यरत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को धन उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य न कराने से भारी जनाक्रोश उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	140–141
जिले के विकास कार्यों में विधायकों की संस्तुति माने जाने के संबंध में सरकार द्वारा की गयी घोषणा का वाराणसी तथा भदोही जिले में हैण्डपम्पों के लगाये जाने में अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	141–144

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिले में डी० आर० डी० ए० योजनान्तर्गत आवंटित धन को विधायकों की संस्तुति पर खर्च किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	144–154
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–1 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	155
वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1993-94 उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखे गये)	155
नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–3 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रखा गया)	155
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन 1988-89 (सदन के पटल पर रखा गया)	155
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन 1989-90, 90-91, 91-92 एवं 92-93 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	155
शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना दिनांक 5 मई, 1995 (सदन के पटल पर रखी गयी)	156
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियां और (पेंशन) (नौंवा संशोधन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	156
उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली 1994, विधान परिषद् से वापसी की सूचना	156–157
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	157
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	157–160
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ...	161–165
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न ...	165–167
वित्तीय वर्ष 1995-96 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (प्रस्तुत किया गया)	168–170
अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	170
अनुदान संख्या–2 आवास विभाग (स्वीकृत)	170
अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	170

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) (स्वीकृत)	...	171
अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत)	...	171
अनुदान संख्या–6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	...	171
अनुदान संख्या–7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	...	171–172
अनुदान संख्या–8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण) (स्वीकृत)	...	172
अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ...	...	172
अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	...	172
अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)	...	172–173
अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	...	173
अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	...	173
अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...	173
अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)		174
अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	...	174
अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	...	174
अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	174–175
अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)	...	175
अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	..	175
अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत) ...	...	175
अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)...	...	176
अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	...	176
अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ...	...	176
अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ...	...	176–177
अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	...	177
अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	177
अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय (स्वीकृत)	...	177
अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	...	178
अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (ऐलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...	178

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)) (स्वीकृत)			178
अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...		178–179
अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	...		179
अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	...		179
अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	179
अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग(स्वीकृत)	...	...	180
अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	...	180
अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	180
अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	180–181
अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	181
अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	181
अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	...	181
अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	...	...	181–182
अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	...	...	182
अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)		...	182
अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)		...	182
अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) (स्वीकृत)			183
अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय) (स्वीकृत)		...	183
अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)		...	183
अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) (स्वीकृत)		...	183–184
अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) (स्वीकृत)		...	184
अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)		...	184
अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)		...	184
अनुदान संख्या–60 वन विभाग (स्वीकृत)	...	...	185
अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)		...	185
अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	...	...	185
अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)(स्वीकृत)		...	185–186
अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)		...	186

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ...	...	186
अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ...	...	186
अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ...	...	187
अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ...	...	187
अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) (स्वीकृत)	...	187
अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) (स्वीकृत) ...	...	187–188
अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	...	188
अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग (स्वीकृत) ...	...	188
अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	...	188
अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग व्यापार कर (स्वीकृत)	...	189
अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	...	189
अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ...	...	189
अनुदान संख्या–94 सिचाई विभाग (निर्माण कार्य) स्वीकृत ...	...	189
अनुदान संख्या–95 उत्तराखण्ड विकास विभाग (स्वीकृत) ...	...	190
उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 (पारित)	...	190–197
जनपद ललितपुर में श्रीमती सुषमा सिंह की हत्या करके जलाने का प्रयास किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	...	197–198
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी) ...	...	199–206
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में जानकारी ...	...	206
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	..	206–210
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	..	210–211
बाराबंकी जिले के निजी नलकूपों तथा उद्योगों को समुचित विद्युत आपूर्ति न होने विषयक श्री सुन्दरलाल दीक्षित द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	...	211–212
उन्नाव जिले के अजगैन थानान्तर्गत रैनापुर निवासी श्री सुधीर जाटव की हत्या किये जाने विषयक श्री किरन पाल सिंह द्वारा नियम 51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	...	212–213

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में दस्तावेजों के निबन्धन के समय मूल्यांकन पर लगाये गये 2 प्रतिशत हस्तान्तरण कर को संस्थागत वित्त विभाग द्वारा नगर विकास विभाग की स्थानीय नगर क्षेत्र की इकाईयों को नियमित रूप से उपलब्ध न कराये जाने विषयक श्री राम सरन वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	213–215
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण की योजनाओं को ठप्प हो जाने विषयक श्री चेतराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य	215–216
लखनऊ नगर के ठाकुरगंज मोहल्ले में लोधी कुटी के समीप निकलने वाले रास्ते को नाले का रूप दिये जाने से जन धन की हानि विषयक श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	216–217
पौड़ी गढ़वाल के भरसार फल उद्यान में शीतोष्ण अनुसंधान केन्द्र व माली प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना विषयक डा० रमेश पोखरियाल (निशंक) द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उद्यान राज्य मंत्री का वक्तव्य ...	217–218
जनपद पीलीभीत में नैपाली महिलाओं की नीलामी विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	218
विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं ...	218–219
जिलाधिकारी महराजगंज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	219–220
तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री बाबू राम यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	220–222
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन के अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	222–223
श्री सिंहासन प्रसाद, वनराजि अधिकारी, कुआना रेंज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	223–224
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	224–225
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	226–227
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	227–228

विषय	पृष्ठ-संख्या
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	228
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	229
श्री राम अधार सचिव, टाऊन एरिया, रुद्रपुर जनपद देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	229–230
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर श्री पचौरी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	230–232
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर तथा प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	232
जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	233–234
देहरादून प्रशासन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	234–235
श्री बाबूराम तत्कालीन आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	235–236
सचिव राज्य विद्युत परिषद् के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	236–237
श्री विजय कुमार पुलिस अधीक्षक, बांदा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	237–238
तत्कालीन शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	238–239
बरेली से प्रकाशित "दैनिक जागरण" एवं "अमर उजाला" समाचार पत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	239–240
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति आदि समितियों में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	240–241
सत्र की समाप्ति पर सदन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन।	241–159
सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव। ...	259
राष्ट्रगान	259–260
नत्थियां	261–282

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
अखलाख, श्री	मेरठ	करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश, श्री	महराजगंज	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	कोकब हमीद, श्री	मेर०
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
		गनपत सिंह, श्री	महराजगंज
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	जगराम सिंह,	कानपुर नगर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	दया सिन्ध शंखधार, श्री	बदायूं
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
उदयभान सिंह, श्री	आगरा	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	धर्मपाल यादव उर्फ डी०पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर		

नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बशीर उद्दीन, श्री	हमीरपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमता	सहारनपुर
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दवर, अधिवक्ता, श्री	जौनपुर
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम प्रसाद, श्री	बस्ती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां	
उर्फ बिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विक्रम सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिव सागर लाल डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
संत बख्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिशंकर माहौर, श्री	अलीगढ़
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है । एक हस्ताक्षर कराने के ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी प्रश्न प्रहर हो जाने दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 311 में नोटिस दे रखा है इसे सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

10-10 हजार रुपया वसूला जा रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें इसके बाद समय आने पर आप उठायें अभी तक आप लोगों का पूरा सहयोग रहा है आज भी सहयोग करें ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के नये ग्राम प्रधानों को चार्ज दिलाये जाने की जानकारी

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नये ग्राम प्रधानों को अभी तक चार्ज नहीं मिला है ? यदि हां, तो ग्राम प्रधानों को चार्ज दिलाने हेतु सरकार क्या उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

प्रदेश के 51,979 नव निर्वाचित प्रधानों में से दिनांक 17-7-95 तक 51,585 प्रधानों को चार्ज दिलाया जा चुका है ।

शेष ग्राम प्रधानों को चार्ज दिलाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके पास पंचायत राज विभाग भी है जैसा उन्होंने बताया कि प्रदेश के 51,979 नव निर्वाचित प्रधानों में से लगभग 51585 प्रधानों को चार्ज दिलाया जा चुका है इस प्रयास के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता

हूं । लेकिन जानना चाहता हूं कि जो प्रधानों के विगत दिनों में पूरे प्रदेश में चुनाव हुए तो क्या सरकार की तरफ से इन प्रधानों को चार्ज दिलाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित हुई थी यदि उस समय सीमा के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रधानों को चार्ज नहीं दिया गया तो क्या उन जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी या संबंधित अधिकारी जो उसके लिए जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जिन जनपदों में समय पर चार्ज नहीं दिये जाने की शिकायतें आयी हैं वहां पंचायत राज अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी गयी । एक सूचना अभी जो मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में दी थी मैं माननीय पाल साहब को इसके आगे की सूचना देना चाहता हूं । मैंने बताया था कि 17-7-95 तक 51,585 प्रधानों को चार्ज दिया गया अब 26-7-95 तक 51,649 प्रधानों को चार्ज दिलाया जा चुका है । यह कुल संख्या का 99.37 प्रतिशत होता है तो इससे और सराहनीय कार्य क्या हो सकता है ? हमें उनको बधाई देनी चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया हैं उसके अनुसार 99.37 प्रतिशत प्रधानों को चार्ज दिला चुके हैं, तो क्या मंत्री जी जिन प्रधानों को चार्ज मिला है उनसे पुष्टि करा लेंगे कि वास्तव में उन्हें चार्ज मिला है कि नहीं ? मान्यवर, ब्लाकों से फर्जी लिखवाकर कागज का पेट भरा गया है और हर ब्लाक में यह चीज मिलेगी । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत से ऊपर प्रधानों को चार्ज अभी तक नहीं दिलाया जा सका है । इसलिए मंत्री जी क्या स्वयं जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिन अधिकारियों ने फर्जी चार्ज दिलाने का कार्य किया है, जैसा कि ब्लाक मल्लावां प्रधान का चार्ज नहीं मिला है ऐसे ही और जगहों पर भी हुआ है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जिन प्रधानों को चार्ज दिया गया है उन्हें पूरा-पूरा चार्ज दिया गया है । यदि इस प्रकार की सूचना हमारे पास आती है कि कहीं से फर्जी चार्ज दिया गया है तो वहां हम कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना को सही मानकर जो चिन्ता माननीय राम आसरे वर्मा ने व्यक्त किया है कि कुछ प्रधानों को कागज पर चार्ज मिल जाता है लेकिन वास्तव में नहीं मिलता है । तो क्या मंत्री जी इसको भी देखेंगे कि ऐसे प्रधानों की संख्या कितनी है जिनको चार्ज कागज पर मिल गया है लेकिन सम्पत्ति रजिस्टर उन्हें मिला है कि नहीं ? मान्यवर, पूर्व के प्रधानों ने जो गड़बड़ियां भूमि आवंटन एवं अन्य मामलों में की है उन्हें पकड़ पाना तब तक सम्भव नहीं है जब तक सम्पत्ति रजिस्टर उन्हें न मिल जाय ।

मान्यवर, दूसरी बात प्रश्नकर्ता की मूल भावना है कि प्रधानों को यदि पूरा चार्ज नहीं मिलेगा तो ग्राम सभा के विकास संबंधी कार्यों में पूरी भागीदारी नहीं होगी । इसके अतिरिक्त 2/3 पंचों का निर्वाचन नहीं हुआ है जिससे ग्राम सभा का गठन पूरा नहीं होता है . ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य का प्रस्ताव वह नहीं कर सकते हैं । इसलिए क्या जहां 2\3 पंचों के न चुनने के कारण ग्राम सभा अधूरी रह गयी हैं वहां कोई तिथि सुनिश्चित करेंगे 2/3 पंचों का चुनाव हो जाय ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस बारे में दो निवेदन हैं । पहला जहां तक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने बताया कि 2\3 पंच जहां चुनकर नहीं आये हैं वहां ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो प्रधान निर्वाचित हुए हैं वही बतौर प्रशासक कार्य कर रहे हैं और ऐसे बहुत कम स्थान हैं लेकिन फिर भी हम वहां अतिशीघ्र चुनाव करा देंगे । इसके अलावा जहां जहां प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव रह गये हैं और वह पूरे के पूरे छूटे हैं वहां चुनाव अतिशीघ्र कराने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया है जिसमें मैं जानना चाहता हूं कि जिन प्रधानों का चार्ज मिल गया है उन्हें रजिस्टर मिल गया है कि नहीं इसमें क्या आप जांच करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस संबंध में यदि कहीं से शिकायत आयेगी तो जांच करा लेंगे और जैसा कि श्री वर्मा जी ने और अन्य सदस्यों ने कहा और यदि ऐसी शिकायत आती है कि फर्जी तरीके से प्रधानों को चार्ज दिया गया है । तो जिस अधिकारी ने भी इस प्रकार की सूचना शासन को उपलब्ध करायी होगी, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है आप बैठ जायं ।

श्री इन्द्रभद्र सिंह

मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि और जानना चाहूंगा हूं कि मेरे जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड धनपत गंज की ग्राम सभा केकड़ी के प्रधान को वहां के पुराने प्रधान ने चार्ज नहीं दिया है और इसके बहाने में उन्होंने एक दिन पहले कहा है कि हमारे घर में आग लग गयी थी जिसकी वजह से सारे कागजात जल गये हैं । यह उनका फर्जी बहाना है । तो क्या आप उस संबंध में जांच की कार्यवाही कर कठोर कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस बारे में अलग से हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन जहां से भी ऐसी सूचनायें मिली हैं कि पूर्व प्रधानों ने चार्ज देने में आनाकानी की है, ऐसे 103 प्रधानों पर मुकदमें भी करा दिये गये हैं ।

श्री इन्द्रभद्र सिंह–

हमारे यहां के मामले में मुकदमा अभी कायम नहीं हुआ है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं आप वाले में नहीं कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं। आप वाले को दिखवा लूंगा।

"व्यवधान"

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, किसी दल के नेता खड़े होंगे तो मैं किसको वरीयता दूं यह मेरे विचार के लिए बड़ा कठिन प्रश्न है।

श्री किरन पाल सिंह–

(व्यवधान) मान्यवर, कांग्रेस के नेता हमेशा खड़े रहते हैं। मान्यवर, यह बात सही है कि जिन प्रधानों को चार्ज दिये गये हैं उनमें अधिसंख्यक ऐसे हैं जिनमें रजिस्टर दे दिया गया है लेकिन कैश बुक सम्पत्ति रजिस्टर नहीं दिया गया है। तो क्या मंत्री जी पुनः एक सख्त आदेश प्रत्येक जनपद में भिजवाने का कष्ट करेंगे कि बराबर ऐसी शिकायतें आ रहीं हैं कि चार्ज में सम्पत्ति रजिस्टर नहीं दिये गये हैं उनकी शीघ्र जांच करकार कार्यवाही करने का कष्ट करें क्योंकि जे० आर० वाई० के धन में हर जगह बड़ा घपला है। आप लिखें कि अविलम्ब पुराने प्रधानों से जो हार गये हैं सम्पत्ति रजिस्टर दिलवाये जाने की कार्यवाही की जाय। नहीं तो उन्हीं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्री किरनपाल जी का सुझाव अच्छा है और उसके साथ जो सम्पत्ति रजिस्टर के बारे में सुझाव हैं, यह फिर से सुनिश्चित करा लिए जाने के लिए अलग से निर्देश हमारी ओर से अधिकारियों को चले जायेंगे। इस संबंध में फिर से समीक्षा करा ली जायगी, इसको फिर से देख लिया जायगा कि अधिकारी स्थानीय स्तर पर इसे सुनिश्चित करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां समय से चुनाव हो सकें वहां पर आज प्रधान और ब्लाक प्रमुखों की क्या स्थिति है ? क्या इनकी मान्यता आज तक की है। अगर शासन ने आदेश निर्गत करके कोई तिथि निर्धारित की और वह तिथि आज समाप्त हो गयी तो क्या इनका कार्य समाप्त समझा जायेगा या बरकरार रहेगा ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न चार्ज दिलाने के बारे में था। आपका प्रश्न कहीं से भी इस परिधि में आता है ? न ही इसके बारे में कोई सूचना माननीय मंत्री जी के पास होगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पर्वतीय क्षेत्रों में अति शीघ्र चुनाव करवा दिये जायेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या इनकी तिथि बढ़ाई गयी और बढ़ाई गयी तो कब तक ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न किससे संबंधित पूछेंगे ? कुछ तो ध्यान रखिये ।

(व्यवधान)

इन्जी० राम लोटन सिंह पटेल–

जिनको चार्ज नहीं मिला है । उनको कब तक चार्ज दिला दिया जायगा ?

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय सदस्य ने एक सवाल किया है कि जिन शेष प्रधानों को चार्ज नहीं मिला है । उनको चार्ज कब तक दिला दिया जायेगा । इसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि जो शेष रह गये हैं उसमें से चार प्रधान जेल में हैं, दो अपने गांव में नहीं हैं, दो में माननीय न्यायालय का स्थगन है और चार की मृत्यु हो गयी है । इन भिन्न-भिन्न कारणों से चार्ज नहीं मिला है । जिनके बारे में ठोस में कारण नहीं है उनको चार्ज दे दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, गोण्डा में कागज में चार्ज दिया दिखाया गया है और वास्तव में उन्हें चार्ज नहीं मिला है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर बतायें कि गोसपुर सिधौली, सिरौली, हैदरगढ़ में प्रधानों को चार्ज दिलाने का कार्य पूरा नहीं किया गया है । दूसरी बात यह है कि प्रदेश के जिन जिलों में प्रधानों को चार्ज दिलाने की सूचना जिन अधिकारियों ने दी है क्या उसके बारे में पंचायत विभाग के लखनऊ के किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेंगे कि अगर उन्होंने चार्ज मिलने की गलत सूचना दी है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जो सुझाव माननीय दीक्षित जी ने अपने ब्लाक के बारे में और अन्य सदस्यों ने पूरे प्रदेश के बारे में दी है उसके संबंध में मैं स्पष्ट आश्वासन दे चुका हूं कि इस बात के सत्यापन का कार्य करवायेंगे और अलग से एक आदेश भी जारी कर देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप क्या चाहते हैं एक ही प्रश्न का उत्तर हो । सब सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रभद्र सिंह–

इसमें जांच करा दें ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसमें पूरे प्रदेश में जांच कराने की कृपा करें । पूरे प्रदेश में पर्वतीय अंचल में चुनाव नहीं हुए हैं । (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जब चुनाव नहीं हुए हैं तो चार्ज का सवाल नहीं उठता है । वहां चुनाव करा दिया जायगा ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 7 पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

पर्वतीय क्षेत्र के प्रधानों का चुनाव नहीं हुआ है कार्यकाल समाप्त हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न से संबंध नहीं है ।

(श्री राम विशुन आजाद एवं महेन्द्र सिंह माहरा सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण जिस पर आप पूछ रहे हैं, यह है चुनाव नहीं हुए हैं और प्रश्न यह किया गया है कि प्रदेश के नये ग्राम प्रधानों को अभी तक चार्ज नहीं मिला है यदि हां, तो ग्राम प्रधानों को चार्ज दिलाने हेतु सरकार क्या उपाय करेगी ? तो जो चार्ज नहीं मिला है उसे संबंधित यह सवाल है । पर्वतीय क्षेत्र में चुनाव नहीं हुए हैं इस पर पूछा है ।

(श्री राम विशुन आजाद एवं महेन्द्र सिंह माहरा तथा श्री जगदम्बिका पाल के समझाने पर वापस अपने स्थान पर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में ३० अप्रैल को प्रधानों के चुनाव का समय समाप्त हो गया है, चुनाव नहीं हुए हैं, तो जिन प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया है वह प्रधान बने रहेंगे या हटाये जायेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जो नया अधिनियम बना हुआ है उसमें यह व्यवस्था है कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक पुरानी संस्थाएं रहेंगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप इस बात की घोषणा कर दें कि नए एक्ट के अनुसार सरकार काम करेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप इतना कह दें कि नए ऐक्ट के मुताबिक जब तक नए प्रधान चुनकर नहीं आ जाते हैं पुराने प्रधान काम करते रहेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यही तो मैं कहने जा रहा था । मुझे नहीं मालूम था कि माननीय सदस्य को नए एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है । अधिनियम में तो लिखा हुआ है कि जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते पुरानी संस्थाएं काम करती रहेगी ।

श्री अध्यक्ष–

और भी कोई माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं ? आप दिन भर यही चलाते रहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आज अन्तिम दिन है आज आप बिल्कुल नाराज न हों ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने 20 मिनट इसी प्रश्न पर दिया फिर भी अभी पूरा नहीं हुआ था ।

जनपद बहराइच के तहसील भिन्गा में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की जानकारी

**2–श्री मयंकर सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के तहसील भिन्गा में मुंसिफ कोर्ट खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक खुलेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय ने अपने अभिमत में यह सूचित किया है कि तहसील भिन्गा में न्यायालय कक्ष, आवासीय भवन, हवालात एवं नजूल की भूमि उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में वहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करना संभव नहीं है ।

श्री मयंकर सिंह–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारा प्रश्न है कि जनपद बहराइच की भिन्गा में मुंसिफ कोर्ट खोलने की कोई योजना है । उत्तर आया जी नहीं । यहां बताया गया है कि वहां न तो नजूल की जमीन है न ही भवन है । मेरी जानकारी को सत्य मानते हुए क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां तहसील का जो भवन बना हुआ है वह तीन तल का है । जो भूतल है उसमें ही तहसील का कार्यालय और हवालात सब पूर्ण पर्याप्त है । ऊपर के प्रथम तल और द्वितीय तल यह दोनों खाली पड़े हुए हैं । तहसील परिसर के पास बहुत बड़ा भूखण्ड सामने पड़ा हुआ है । अलग भी भवन बनवाना चाहें तो जमीन पड़ी है । जो तहसील का भवन है उसमें दो तल 25 कमरे और हवालात बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है । न तो भवन की कमी मै न भूमि की कमी है । अगर कोई दूसरा कारण हो तो वह कौन सा कारण है जिसके कारण मुंसिफ कोर्ट नहीं खोला जा सकता है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस प्रश्न पर विचार बहुत पहले हुआ था और जब इसकी जांच कराई गयी थी बहराइच के जिलाधिकारी ने 17 दिसम्बर, 1982 को जनपद बहराइच के ही न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर अवगत कराया था कि वहां पर भूमि व भवन उपलब्ध नहीं हैं । और इसी आधार पर श्री एस० के० भार्गव रजिस्ट्रार हाईकार्ट ने उसको निरस्त कर दिया था । उसके बाद इस पर कोई विचार नहीं हुआ । अगर कोई नया प्रस्ताव आता है तो उस पर पुनः विचार करके माननीय उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया जाएगा ।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, यह सन् 1982 की बात है आज तो वहां पर भवन भी उपलब्ध है, भूखण्ड भी उपलब्ध है । उस समय वाकई भवन उपलब्ध नहीं था । आज तो 25 कमरे बने हुए हैं वह खाली हैं, दो तल खाली हैं, दो तल खाली पड़े हैं । तो क्या आज की परिस्थितियों में मंत्री जी उस जगह मुंसिफ कोर्ट खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जब कभी उत्तर प्रदेश में नए मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी तो इस प्रस्ताव को भी उसमें समाहित कर लिया जाएगा । इसको भी सूची में रख लिया जाएगा ।

श्री स्वयंवर चौधरी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कई ऐसी तहसीलें हैं जहां मुंसिफ कोर्ट नहीं खोले गए हैं। जहां पर जनता को बहुत दूर जाना पड़ता है न्याय पाने के लिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन तहसीलों पर मुंसिफ कोर्ट नहीं खुले हुए हैं वहां पर मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की कोई योजना है, और अगर कोई योजना नहीं है तो क्या कोई योजना सरकार बनाएगी और कब तक वह मुंसिफ कोर्ट खोलेगी ? साथ ही यह भी बता दें कि मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के मानक क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न तो पर्टीकुलर एक जगह के लिये है, अगर आपके पास सूचना हो, तो जवाब दे दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, प्रत्येक तहसील पर मुंसिफ कोर्ट खोला जाय, ऐसी कोई नीति नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं आवश्यकता समझी जाती है, जब नई अदालतों के सृजन के प्रस्ताव आते हैं तो कोशिश यह की जाती है जहां तक हो, तहसील पर ही खोला जाय। जिस केन्द्र के संबंध में माननीय सदस्य ने कहा है, उसके बारे में अभी कोई उत्तर देना समीचीन नहीं है।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी, मुझे फिर मजबूर होना पड़ेगा। मेरी चाहत आज यह थी कि जितने प्रश्न है, सभी उत्तरित हो जायें, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं एक-दो प्रश्नों को ही उत्तरित करा रहा हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि वर्ष 1991 में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ ने बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने का निर्देश दिया था, मैंने इस मामले को सदन में कई बार उठाया है ? मेरी सूचना को सही मानकर और माननीय उच्चन्यायालय के निर्देशानुसार तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने का आदेश माननीय मंत्री जी निर्गत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जो मूल प्रश्न है उसको पढ़ लिया करें, यह इससे बिल्कुल अलग है। मुख्य प्रश्न जनपद बहराइच के संबंध में है, इतना तो ध्यान रखा करें, आपके प्रश्न का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयंवर चौधरी ने थोड़ी देर पहले मानक पूछे थे, वह मैं बता रहा हूं। उन्होंने पूछा था कि मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के मानक क्या हैं ?

मान्यवर, एक चिठ्ठी श्री नरेन्द्र सिंह गहलौत, रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट इलाहाबाद की है, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे जनपद के माननीय न्यायाधीशों को मानक बतलाये हैं। इसमें है कि किसी स्थान पर कोर्ट खोले जाने के लिये विचार करते समय वहां पर कम दो न्यायालयों के लिये काम हो, पर्याप्त भवन हो, वहां पर विद्वान अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चेम्बर आदि की व्यवस्था की जा सकती हो, सम्मानित न्यायाधीशों के रहने और जो कर्मचारी वहां कार्य करेंगे, उनके रहने के लिये आवास की व्यवस्था हो, भूमि उपलब्ध हो, यह सभी शर्तें पूरी हों तो कोर्ट खोले जाने पर विचार सम्भव होता है।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो शर्तें बताई हैं वह तहसील भिन्गा में सब पूरी हैं, तो माननीय मंत्री जी बता दें कि वहां कब तक कोर्ट खुलवा देंगे ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में प्रशिक्षित बी० एस० डब्लू० की नियुक्ति तथा नई भर्ती के प्रशिक्षण पर लगी रोक को हटाये जाने की जानकारी

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राम कुमार वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रशिक्षित बी० एस० डब्लू० की नियुक्ति तथा नई भर्ती हेतु प्रशिक्षण पर लगी रोक कब से है ? क्या सरकार रोक हटा कर नई नियुक्तियां खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो नियुक्तियां कब से प्रारम्भ हो जायेंगी ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग राज्य मंत्री (श्री प्रवीण सिंह ऐरन)–

बी० एस० डब्लू नाम का पद उपलब्ध नहीं हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों पर वर्ष 1991 से भर्ती तथा वर्ष 1990 से प्रशिक्षण बन्द है।

प्रश्नगत पदों की सेवा निमावली बनायी जा रही है, सेवा नियमावली प्रख्यापित होने के पश्चात् ही नियुक्तियां संभव हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने सदन को जानकारी दी कि पिछले 5 वर्षों से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) की न तो नियुक्ति हो रही है और न ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इनको शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिया गया और इस शर्त पर दिया गया है कि उनको निर्धारित अवधि तक सेवा करनी पड़ेगी। विभाग में पद रिक्त हैं और नियुक्त न करने के लिये बहाना लिया गया है कि सेवा नियमावली नहीं बनी है। मेरी जानकारी में है कि बहुत से संवर्ग ऐसे हैं जिनकी सेवा नियमावली नहीं बनी है लेकिन नियुक्ति हुयी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनकी नियुक्ति के बारे में सरकार पुनर्विचार करने की कृपा करेगी।

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मान्यवर, सेवा नियमावली के अतिरिक्त कुछ और मामले भी विचाराधीन चल रहे हैं । माननीय गुप्त जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के बारे में एक अध्यादेश अभी जारी हुआ है और अभी जल्दी ही यहां सदन में पारित हुआ है । करीब 6 संवर्गों के लोग इसमे शामिल हैं और इसमें सेवा नियमावली की बड़ी आवश्यकता है उसके बाद ही इनकी नियुक्ति की जा सकती है । यह जो पद रिक्त हैं तो 764 पद कुल रिक्त हैं जिसमें से 514 महिला वर्ग के हैं और 250 पुरुष वर्ग के हैं । जैसे ही नियमावली पूरी होती है नियुक्तियां की जायगी । 6,000 प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो इनको एक दम से नहीं भरा जा सकता है । जैसे -जैसे जगहें खाली होंगी नियुक्तियां की जायंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अध्यादेश का हवाला दिया यह सही है कि यहां पर विधेयक पास हुआ है लेकिन वह अध्यादेश वेतन आदि के बारे में हैं नियमावली का उसमें संदर्भ नहीं है । आपने बताया नियमावली बनने के बाद करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार सिद्धान्तः इस बात से सहमत है कि पद रिक्त हैं तो नियमावली तत्काल न बनवा पाने का क्या कारण है ? मेरा प्रश्न है कि जो पद रिक्त हैं वह कब तक भर लिये जायेंगे और नियमावली कब तक बना ली जायगी ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मान्यवर, नियमावली तैयार करने की व्यवस्था तेजी से जारी है । जैसा मैंने बताया कि जैसे-जैसे जगहें खाली होती जायेंगी हम लोग भर्ती की कार्यवाही पूरी करेंगे । नियमावली तैयार करने की कार्यवाही बहुत तेजी से पूरी करा रहे हैं ।

लखनऊ स्थित एन० डी० गैस सर्विस, रामनगर, आलमबाग, लखनऊ के प्रेमनगर उपभोक्ताओं को आर० डी० गैस सर्विस, बंगला बाजार, लखनऊ से सम्बद्ध किये जाने की जानकारी

*2–श्री अक्षवर लाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित एन० डी० गैस सर्विस, रामनगर, आलमबाग, लखनऊ के प्रेमनगर उपभोक्ताओं को आर० डी० गैस सर्विस, बंगला बाजार, लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया है जो कि लगभग गैस एजेन्सी की दूरी 10 कि०मी० तथा गैस एजेन्सी के गोदाम की दूरी लगभग 27 कि०मी० है ? यदि हां; तो इन उभोक्ताओं को आर० डी० गैस सर्विस, बंगला बाज़ार से सम्बद्ध करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार पुनः प्रेमनगर गैस उपभोक्ताओं को एन० डी० गैस सर्विस, रामनगर, लखनऊ से सम्बद्ध करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

सम्बद्ध करने की कार्यवाही इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा की जाती है । एन० डी० गैस सर्विस, आलमबाग, लखनऊ की औसत मासिक रिफिल सेल वर्ष 1994-95 में 9795 सिलेन्डर की थी । कारपोरेशन की नीति के अनुसार यदि किसी वितरक की बिक्री प्रतिमाह 6,000 से अधिक होती है तो

उस एजेन्सी के उपभोक्ताओं को उसी क्षेत्र की दूसरी गैस एजेन्सी से सम्बद्ध कर दिया जाता है जिसकी औसत मासिक रिफिल सेल की बिक्री निर्धारित सीमा से कम है।

प्रेमनगर गैस उपभोक्ताओं को एन०डी० गैस सर्विस, रामनगर, लखनऊ से सम्बद्ध करने के प्रश्न पर विचार हेतु इन्डियन आयल कारपोरेशन को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रदेश में आंत्रशोथ एवं हैजा फैलने से माह जून एवं जुलाई, 1995 में हुई लोगों की मृत्यु व सरकार द्वारा किये गये उपायों की जानकारी

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंत्रशोथ एवं हैजा फैलने से माह जून एवं जुलाई, 1995 में लोगों की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो इस प्रकार कितने लोगों की मृत्यु गत दो माह में हुई और इसको रोकने का सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

माह जून एवं जुलाई, 1995 में हैजा से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। आंत्रशोथ से मृत्यु हुई है।

आंत्रशोथ से 259 लोगों की मृत्यु हुई है तथा हैजा से कोई भी मृतक सूचित नहीं हुआ है।

इनको रोकने के लिए 13 मार्च, 1995 को एक कार्ययोजना बना कर प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा रही है। सभी जनपदों को आवश्यक मात्रा में औषधियां प्रदान कर दी गयी है। ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरीन टेबलेट, ओ०आर०एस० के पैकेट मुख्य चिकित्साधिकारियों के अतिरिक्त ग्राम प्रधानों को भी उपलब्ध कराया गया है। मुख्यालय से जिन जनपदों में संक्रामक रोगों का प्रसार आदि है उसकी रोकथाम दल भेजे जा रहे हैं तथा विशेषज्ञ राय प्रदान की जा रही है। पेयजल में क्लोरीनेशन की जांच की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यालय तथा जनपदों में नियंत्रण कक्ष खोले गये हैं। प्राप्त सूचनाओं का दैनिक अनुश्रवण कर उस पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर देखने की कृपा करें। मैंने उनसे पूछा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ, गैस्ट्रो से माह जून एवं जुलाई, 1995 में कितने लोगों की मृत्यु हुई है इस पर माननीय मंत्री जी ने 259 लोगों की मृत्यु की सूचना दी है। सम्भवतः 259 तो प्रत्येक जनपद में मृत्यु हुई होगी लेकिन आप देखिये मैंने उनसे पूछा है कि आंत्रशोथ और हैजा से कितने मृत्यु हुई है और उसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है तो यह मैंने माह जून और जुलाई के संबंध में पूछा है तो अब माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि इसको रोकने के लिए 13 मार्च, 95 को एक कार्ययोजना बनाई गयी है, तो इस उत्तर में विरोधाभास है। अगर इन्होंने मार्च में योजना बना ली थी तो फिर मई और जून जुलाई में मृत्यु होने का क्या कारण है, उस कार्ययोजना के अन्तर्गत इन्होंने पूरे प्रदेश में विभिन्न चिकित्सालयों में उस कार्ययोजना के अन्तर्गत क्या कार्यवाही किया है ? तो एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आंत्रशोथ को रोकने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रिवेन्टिव क्या किया और जब महामारी

राजधानी में भी फैल गयी और ऐसा कोई अस्पताल नहीं रहा होगा जहां सैकड़ों की संख्या में मृत्यु न हुई हो, तो ट्रीटमेन्ट क्या हुआ ?

(कुछ सदस्यों द्वारा आपस में बात करने पर)

एक सदस्य–

मान्यवर, इससे व्यवधान हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी आदरणीय सदस्यों से सदन के अन्दर उत्तम आचरण की अपेक्षा की जाती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जब मान्यवर, जून और जुलाई, 1995 में आंत्रशोथ से मृत्यु हुई है तो उसके पूर्व इन्होंने 13 मार्च, 1995 को एक कार्ययोजना बनाई थी तो वह 13 मार्च, 1995 की कार्ययोजना क्या थी और उस कार्ययोजना के तहत पूरे प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में या पीएससी में कौन से उपाय किये गये ? वह कार्ययोजना और उसके उपाय बताने की कृपा करें ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मान्यवर, यह कार्य योजना मार्च में जरूर बनी है लेकिन सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक संक्रामक रोग प्रदेश में अपना प्रकोप दिखाते हैं और वही वर्ष समस्या आई है तो कार्ययोजना बनाने के बाद यह योजना अपना असर दिखा रही है जैसा माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल ने जानना चाहा है । इसमें जिले में नोडल अधिकारी बनाए गये हैं । जो भी प्रिवेन्टिव लेने होते हैं वह लिए गये हैं इसके अलावा मुख्य मंत्री स्तर पर केन्द्र से बात हुयी है और 2 करोड़ की औषधियां आयीं हैं थोड़ी सी बाकी रह गयी हैं । हम लोगों ने मंत्री के स्तर पर मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह कार्य योजना बता दें और उसको प्रदेश में कहां तक लागू किया गया मैं पहले यह जानना चाहता हूं क्योंकि इसमें केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 से 5 हजार के बीच मृत्यु हुई ? अब यह सूचना जनपदों से आई । माननीय मंत्री जी के पास पूरी सूचना नहीं है यह सूचना छिपाई गई है । पूरे प्रदेश में हजारों लोगों की मृत्यु गेस्ट्रो और हैजा से हुई है । अब अगर सही ढंग से सूचना सदन में नहीं आयेगी तो वस्तुस्थिति सही कैसे पता चलेगी ? यदि सदन को सही सूचना न लेने की नियत बनाई गई है तो इनकी कार्य योजना ही मालूम हो जाय कि रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं ? यहां तो अधिकारियों को डिफेन्ड करने के लिए क्यों खड़े हुए हैं ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मान्यवर, न तो अधिकारियों को बताने की कोई कोशिश न फीगर्स को न बताने की कोई कोशिश है । मान्यवर, जो डायरिया से हैं जिसे आंत्रशोथ समझ लेते हैं इसमें मैं बताना चाह रहा था कि

29 सूचना के संबंध में सभी सी०एस०ओ० को निर्देश दिये गये हैं कि पीलिया के बारे में जो कहा जा रहा है उसके साथ डायरिया से जो मृत्यु हुई है उसको भी सामने लाया जाय । 29 तारीख तक प्रदेश सरकार को फीगर्स मिल जायेंगी किसी अधिकारी को बचाने का प्रयास नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

यह जनरली फीगर है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय पाल जी यह जानना चाह रहे थे कि जो आपने लिखा है इनको रोकने के लिए 14 मार्च, 95 को योजना बनाई गई है तो क्या-क्या आपने कार्य करने के लिए योजना बनाई इसकी रोकथाम के लिए और क्या-क्या लागू की गयी ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मैं मान्यवर, उसी पर आ रहा था । संक्रामक रोगों को रोकने के लिए, मैं बता रहा हूं आप सुन तो लें । मार्च, 95 में जो योजना बनाई गई इसमें प्रदेश स्तर पर प्रत्येक बृस्पतिवार को .....

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

आप नियंत्रण के लिए बताएं ।

श्री अध्यक्ष–

जो कार्य योजना है उसके बिन्दु तो आप जान लें । आप लोग बैठ जायं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हमारे मनकापुर क्षेत्र में हैजे से 13 लोगों की मृत्यु हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो आ जाने दें ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, गोण्डा जनपद में 200 लोगों की मृत्यु हुई मैंने इसमें लिखकर दिया है सूची बनाकर दी लेकिन उन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं उन पर सरकार कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष–

आपने इसकी जांच की है या कोई अधिकारी ने की है ?

(व्यवधान)

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैंने खुद लिख करके दिया है ।

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, जो संख्या माननीय मंत्री जी ने बताई है, 259 लोगों की मृत्यु हुई है, तो क्या इस संख्या में पर्वतीय अंचल में होने वाली मृत्युओं की भी संख्या जुड़ी है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिथौरागढ़ में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

क्या पर्वतीय अंचल प्रदेश से बाहर है ?

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अप्रैल से सितम्बर तक यह बीमारी होती है और इसके लिये वह कार्ययोजना बनायी, अगर संक्रामक रोग फैले तो उसकी रोक थाम की जा सके, तो यह साबित हो गया कि कार्य योजना में कहीं कोई कमी थी या अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो क्या जिन अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे ? आपने 259 मृत्युओं को स्वीकार किया है, तो प्रदेश में किन-किन जिलों में कितनी मृत्युयें हुई हैं, माननीय मंत्री जी की सूचना का आधार क्या है और इस समय स्थिति क्या है ?

(श्री घनश्याम शुक्ल के खड़े होने पर एवं कुछ जानकारी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शुक्ल जी, कम से कम उत्तर तो आ जाने दें । आप इस प्रकार से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आने देना चाहते हैं । जो विकल जी ने प्रश्न पूछा है, उसी को आप दोहराना चाहते हैं, आप धैर्य तो रखें । विकल जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है । क्या आप नहीं चाहते हैं कि उत्तर आये ?

(व्यवधान)

माननीय विकल जी ने दो सवाल किये हैं, एक तो यह कि जो कार्य योजना बनायी है, उसके बावजूद भी इतनी मृत्युयें हो गयीं, तो कार्य योजना में क्या कमी थी या उसको लागू करने वाले अधिकारियों की लापरवाही के कारण इतनी मृत्युयें हो गयीं तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे और किस-किस जिले में कितनी मृत्युयें हुई हैं ? मंत्री जी यह आप बता दें ।

श्री प्रदीप सिंह ऐरन–

मान्यवर, विकल जी का जो सवाल है कि कितनी मृत्युयें हुई हैं और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है, उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की

लापरवाही से संक्रामक रोग फैला है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी है। तीन जिलों में सी० एम० ओ० को सस्पेंड किया गया है और दूसरे जिलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है, महत्वपूर्ण जिलों से हटाकर कम महत्वपूर्ण जिलों में स्थानान्तरण किया गया है। स्थानान्तरण करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया है। यह सभी को जानकारी है, अखबारों में भी छपा है। मान्यवर, जहां तक जिलेवार सूची का प्रश्न है, उस सूची को मंगवा लिया जायगा। यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और यह जानकारी दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी जिलेवार सूची आपके पास है कि नहीं। आपने पूरे प्रदेश भर में 259 मृत्यु हुई यह बताया। यह बतायें कि किस जिले में कितनी मृत्यु हुई ?

श्री प्रतीप सिंह ऐरन–

मान्यवर, सूची इस समय सदन में नहीं है यह मैं स्वीकार करता हूं। जानकारी विभाग में है।

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा सरकारी आंकड़ों में यह आया कि प्रदेश भर में 259 लोगों की मृत्यु हुई लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है मेरे क्षेत्र में 14 लोगों की कालरा से मृत्यु हुई और जिन डाक्टरों की लापरवाही से यह हुई उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैंने नियम–51 में भी इस मामले को उठाया था लेकिन उत्तर यह आया कि मेरे क्षेत्र में हैजे से कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो जिन अधिकारियों की लापरवाही से मृत्यु हुई क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे और यह कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कितने लोगों की मृत्यु हुई यह उत्तर तो आ गया अब जिलेवार सूची मांगी जा रही है। मूल उत्तर में यह आया है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और इसकी रोकथाम की कार्यवाही की जा रही है। राम विशुन आजाद जी की चिन्ता सही है आंत्रशोध और कालरा इनके लक्षण एक समान होते हैं। इसको सिर्फ चिकित्सक ही जान पाता है सामान्य आदमी नहीं पहचान पाता है इसलिए माननीय सदस्य को ऐसा लगा होगा। जो माननीय सदस्य ने सूचना दे दी है उसके बारे में जांच करा ली जायेगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह बात सही है कि आंत्रशोध और कालरा के लक्षण एक जैसे होते हैं। लेकिन बहुत से माननीय सदस्य जो यहां पर बैठे हैं उनको जानकारी हो जाती है कि कौन सा कालरा है, कौन सा आंत्रशोध है ? मैं माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे बुलन्दशहर जनपद में मैंने खुद दौरा किया। मैंने हैजे से मरीजों को खुद अपनी आंखों से पीड़ित देखा और वह मर गये। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानते हुए आप बुलन्दशहर में हैजा फैला या नहीं इसकी जांच करायेंगे और जो इसमें दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय किरनपाल सिंह जी और मैं एक साथ विधायक की हैसियत से यहां पर बैठते हैं और कई अस्पतालों और संस्थाओं में एक साथ दौरा भी किया है जिसे हम लोग उसी दिन या दूसरे दिन पत्र में लिख देते हैं।

माननीय किरनपाल सिंह जी से ऐसी कोई चूक हो गयी है तो आज ही पत्र दे दें और जिस अधिकारी से चाहेंगे, जांच करवा दी जायगी और यदि दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्यवाही करा दी जायेगी।

श्री घनश्याम शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास जिलेवार सूची उपलब्ध नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे अधिकारियों ने ए० सी० कमरों में बैठकर मंत्री जी को गुमराह किया है और गलत तरीके से सदन में जवाब दिया गया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन के पास जिलेवार सूची उपलब्ध होनी चाहिए कि किस जिले में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60–70 लोगों की मृत्यु हुई है, यह मेरी निश्चित जानकारी है। मैंने इसके पहले भी इस सवाल को उठाया था और सदन को अवगत कराया था लेकिन आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी ? जिन अधिकारियों ने विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई मौतों के बारे में शासन को गलत सूचना दी, क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मा० किरन पाल सिंह और शुक्ला जी दोनों का एक साथ उत्तर दे दीजिये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय किरनपाल सिह जी ने अपने क्षेत्र के एक दौरे के बारे में बताया था कि वह किसी अस्पताल में गये और उनको जानकारी हुई कि कुछ लोगों की हैजे से मृत्यु हुई, उसकी सरकार जांच करायेगी या नहीं। उनका उत्तर दे दिया था। मैंने उनसे यह प्रार्थना की थी कि वह सहयोग करें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को निश्चित जानकारी दी, फिर लिखने की बात कहां आती है ?

श्री ऊदल–

मान्यवर, संक्रामक रोगों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। समाचार-पत्रों में रोज निकल रहा है सरकार समुचित ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अभी अपना पूरा उत्तर नहीं दे पाये। शायद मंत्री जी का पूरा उत्तर सुनने के बाद आपको अनुपूरक सवाल करने की आवश्यकता न पड़े।

श्री राजबली यादव–

मान्यवर, पता नहीं क्यों माननीय मंत्री जी अधिकारियों को बचा रहे हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय किरनपाल सिह जी और ऊदल जी पहले आप हमारा उत्तर सुन तो लीजिये । अगर आप संतुष्ट न हों तब बोलियेगा ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं कोई अपने व्यक्तिगत हित की बात नहीं कर रहा हूं ? मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, क्या जितने विधायक पत्र लिखते हैं वह सब व्यक्तिगत हित की होती है । मैंने किरनपाल सिंह जी से सहयोग मांगा था कि जिस जनपद के अस्पताल का उन्होंने दौरा किया है, वह लिखकर दे दें, अगर नहीं लिख रहे हैं तो जो आप बोले हैं उस पर सरकार जांच करवा लेगी ।

मान्यवर, शुक्ल जी एवं अन्य साथियों ने कहा कि सरकार के पास जनपदवार मृत्यु की सूचना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सरकार के पास जनपदवार सूचना है लेकिन जो प्रश्न किया गया वह पूरे प्रदेश का किया गया था । अगर यहां पर कदाचित व्यौरेवार सूचना देना आवश्यक होता तो विस्तार से बताया गया होता । मैंने कहा यहां पर । अगर माननीय सदस्यगण वह सूची देखना चाहते हैं तो सरकार के पास वह है ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है और जो जानकारी चाही है, उसके परिपेक्ष्य में मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि हैजा और गैस्ट्रो से जो मृत्यु हुई हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय और जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जाते हैं, उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही की जाय ।

[बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 1995 के लिए निर्धारित ता० प्रश्न]

आगरा मेडिकल कालेज के वरिष्ठ शिक्षक चिकित्सकों के रिक्त पदों की जानकारी व भर्ती की मांग

*1–श्री उदयभान सिंह–(अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में आगरा मेडिकल कालेज के कितने वरिष्ठ शिक्षक चिकित्सकों के स्थान रिक्त पड़े हैं ? क्या यह सत्य है कि खाली पड़े वरिष्ठ शिक्षक चिकित्सकों के अभाव में मेडिकल कालेज आगरा में शिक्षण कार्य और चिकित्सा सेवा अवरुद्ध हो रही है ? यदि हां, तो कब तक रिक्त स्थान भर दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

मेडिकल कालेज, आगरा में 15 आचार्य तथा 6 सह-आचार्य के पद रिक्त हैं ।

यह कहना सही नहीं है कि इन रिक्त पदों के कारण शिक्षण कार्य और चिकित्सा सेवा अवरुद्ध है परन्तु उक्त रिक्त पदों के कारण शिक्षण एवं चिकित्सा सेवा में आंशिक रूप से कठिनाई हो सकती है ।

रिक्त स्थान भरने के लिये शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पर किये जाने वाले व्यय की जानकारी

*2-डा० सरजीत सिंह डंग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे उ० प्र० शासन की स्वास्थ्य नीति क्या है ? प्रदेश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पर कितना व्यय किया जा रहा है और सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रति व्यक्ति को औसतन रोज कितने पैसे की औषधि दी जाती है ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन-

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से सन् 2000 ई० तक सबको स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने की नीति तैयार की है ।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति (रोगी) पर प्रतिवर्ष औसतन रु० 134.02 व्यय किया जा रहा है ।

यह मानते हुए कि औसतन एक मरीज को तीन दिन की औषधि दी जाती है, सरकारी चिकित्सालयों में प्रति व्यक्ति (रोगी) प्रतिदिन औसतन रु० 2.95 की औषधि दी जाती है ।

डाक्टर सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से सन् 2000 ई० तक सबको स्वास्थ्य सेवायें सुलभ कराने की नीति तैयार की है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस स्तर की स्वास्थ्य सेवायें इस समय उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्या इसी तरह की स्वास्थ्य सेवायें सन् 2000 ई० तक उपलब्ध कराने की योजना सरकार की है ? दूसरा, माननीय मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति (रोगी) पर प्रतिवर्ष औसतन 134.02 व्यय किया जा रहा है । क्या इसमें पट्टी, बिस्तर, सुई आदि चीजें शामिल हैं या फिर कौन सी चीज इसमें शामिल है ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन-

अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह नीति तय की है । माननीय श्री डंग जी ने जो प्रश्न किया है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह केवल औषधि के लिए है ।

डाक्टर सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे पहले भाग का उत्तर नहीं दिया । मैंने पूछा था कि जिस स्तर स्वास्थ्य सेवायें जो आप आज दे रहे हैं, क्या उसी तरह की स्वास्थ्य सेवायें आप 2000 ई० तक देंगे या उससे बदतर देंगे या फिर इससे अच्छी सेवायें देंगे ? दूसरे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 134.02 रुपए केवल औषधि के लिए खर्च किया जाता है । तीसरे हिस्से में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि रु०- 2.95 प्रति व्यक्ति (रोगी) प्रति दिन औसतन खर्च किया जाता है ? ऐसा लगता है कि उत्तर बनाने वाले अधिकारी की गणित कुछ ज्यादा ही अच्छी है । 2.95 रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय 1080 आता है । मान्यवर, प्रतिवर्ष औसतन 134.02 पैसा सब मिलाकर खर्च है तो क्या इन आंकड़ों की जांच कराने की कृपा करेंगे, किस अधिकारी ने यह आकड़े बनाये हैं ?

श्री प्रवीन सिंह ऐरन–

मान्यवर, यह प्रति व्यक्ति (रोगी) पर प्रतिवर्ष औसतन 134.02 व्यय किया जा रहा है। यह मानते हुए कि औसतन एक मरीज को तीन दिन की औषधि दी जाती है तो चिकित्सालयों में प्रति रोगी प्रति दिन औसतन 2.95 की औषधि आती है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यह जो आपने लिखा है प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसतन 2.59 की औषधि दी जाती है। क्या इतनी औषधि प्रति दिन प्रति रोगी को दी जाती है ? साल भर में औसतन 134.02 व्यय किया जाता है उसका स्पष्टीकरण माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री प्रवीन सिंह ऐरन–

मान्यवर, पिछले तीन वर्षों का है हमारे डंग साहब भी स्वयं मंत्री थे उस समय जो धनराशि व्यय की जा रही थी उसके अनुपात में हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह खर्च का सवाल नहीं है सरकारी दस्तावेज है यह आंकड़ों का खेल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय, सदस्य बैठ जाए। माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण करें और इसको भी ध्यान में रख लें प्रति वर्ष, प्रति रोगी 134.02 रुपया खर्च होने की बात कही गयी है इसमें आउटडोर रोगी भी होते हैं क्या उनकी संख्या भी इनक्लूड की गयी है ?

श्री प्रवीन सिंह ऐरन–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है और उस पर औसत निकाला है। इसमें सभी चीजें शामिल है आउट डोर और इन डोर दोनों इसमें हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

तब तो आंकड़े और भी गलत हो जाते हैं। प्रश्न का दूसरा हिस्सा देख लें, उसके अनुसार केवल 37 पैसा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्च होना चाहिए इसमें उत्तर आ रहा है 2.95 पैसा तो यह जनता के आंख में धूल झोकने के लिए आंकड़े दिये हैं जो केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार का औसतन खर्च है वह पैसे में आता है और यहां 2.95 पैसे औसत दे रहे हैं। इस प्रकार एक गैर जिम्मेदाराना उत्तर देने से क्या स्थिति बनेगी ?

(व्यवधान)

मैं सपष्ट रूप में जानना चाहता हूं मूक रहने से काम नहीं चलेगा इस प्रकार के आंकड़े देकर माननीय विधान सभा को धोखा देने की चेष्टा की गयी है तो जिन अधिकारियों ने यह आंकड़े दिये हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

जो इस वर्ष बजट पेश हुआ उसमें एक फीसदी स्वास्थ्य विभाग के लिए किया जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उससे सारा बजट इन आंकड़ों के हिसाब से खर्च हो जायेगा और मामूली सा बजट और कामों के लिए बचेगा ।

मान्यवर, क्या यह बात सही है कि इस वर्ष के स्वास्थ्य विभाग के बजट में से आपके इन आंकड़ों में 20 प्रतिशत बजट अन्य कार्यों के लिए नहीं बचेगा ?

श्री प्रवीन सिंह ऐरन–

मान्यवर, जो 134.02 रुपये पर बार-बार गलत फहमी हो रही है उसके सम्बन्ध में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा पर प्रति रोगी पर प्रतिवर्ष औसतन रुपये 134.02 खर्च किया जा रहा है । सरकारी चिकित्सालयों में प्रतिरोगी प्रतिदिन औसतन रु० 2.95 की औषधि दी जा रही है । इस लिए इसमें अधिकारियों का कोई दोष नहीं है । चूंकि 134.02 रुपये पहले से जो संसाधन हैं उसके हिसाब से खर्च किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, दो-दो, चार होते हैं, यह गणित है, इसलिए इसमें गलती नहीं हो सकती है । इसलिए आप मान्यवर, मंत्री जी से कहें कि ठीक से उत्तर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं आ रहा है इसलिए इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आप सौंप दें)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस प्रश्न को मैं प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं ।

सरकार द्वारा बढ़ी हुई चीनी की कीमतों को घटाये जाने की मांग

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार चीनी की बढ़ी हुई कीमतों को घटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

चीनी के मूल्यों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई विचार सम्भव नहीं है।

*4–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

[दिनांक 22-8-95 को तारांकित प्रश्न सं०–15 द्वारा उत्तरित]

कृषि उत्पादन मण्डी समिति का लाईसेन्स प्राप्त करने की अनिवार्यता से व्यापारियों को मुक्त किए जाने की मांग

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति का लाइसेन्स प्राप्त करने की अनिवार्यता से किराना, परचूनी, आटा चक्की, हलवाई, देशी घी आदि के फुटकर व्यापारियों को मुक्त न करने का क्या कारण है जबकि इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता है ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश मण्डी अधिनियम–1964 की धारा–9 के अनुसार विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय, संग्रह करने, तौलने या प्रक्रिया करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता है। ऐसे व्यक्ति, जो निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्य नहीं करते, ही केवल लाइसेंस लेने से मुक्त रह सकते हैं।

प्रत्येक विनिर्दिष्ट उत्पाद के फुटकर संग्रह तथा क्रय-विक्रय की सीमा मण्डी नियमावली के अन्तर्गत बनाई गई उपविधि में निर्धारित है। व्यापारियों द्वारा फुटकर व्यापार की आड़ में थोक व्यापार करके मण्डी शुल्क का अपवंचन न किया जा सके, इसके लिये उनके द्वारा मण्डी समिति से लाइसेंस लेना आवश्यक है।

वर्ष 1994 में हैजा, आंत्रशोथ तथा अन्य संक्रामक रोगों से प्रभावित हुये लोगों के विषय में जानकारी

*6–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 94 में हैजा, आंत्रशोध तथा अन्य संक्रामक रोगों से राज्य में कितने लोग प्रभावित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई ? सरकार द्वारा इनके रोकथाम हेतु कौन से कदम उठाये गये ? क्या यह भी बतायेंगे कि प्लेग से कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

श्री प्रवीन सिंह ऐरन–

वर्ष 1994 में हैजा से 559 लोग प्रभावित हुए और 3 लोगों की मृत्यु हुई, आंत्रशोध (गैस्ट्रो) से 27,874 लोग प्रभावित हुए तथा 1205 लोगों की मृत्यु हुई तथा अन्य संक्रमक रोग से 1871 लोग प्रभावित हुए और 76 लोगों की मृत्यु हुई।

सरकार द्वारा इनकी रोकथाम हेतु निम्न लिखित कदम उठाये गये :–

1–शासन स्तर पर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की गई।

2–मुख्य चिकित्साधिकारियों/जिला अधिकारियों तथा आयुक्तों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश भेजे गए तथा राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना कर, दैनिक अनुश्रवण किया गया।

3–जनपदों की मांग के अनुसार औषधियों विसंक्रमकों आदि की आपूर्ति जनपदों में की गई।

4–प्रदेश के सभी जनपदों में उनकी मांग के अनुसार 53.78.896 हैज़ा निरोधक टीके लगाये गये, 32.63.678 कुएं (संख्या चक्रों में) विसंक्रमित किये गये।

5–मुख्यालय से विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी राय उपलब्ध कराई गई।

6–ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण पेयजल योजना बनाई गई थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोकथाम हेतु बृहद प्रचार प्रसार किया गया।

वर्ष 1994 में प्लेग से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, अभी इसी से सम्बन्धित प्रश्न आया था और मुझे दुख है कि जो लोग हैजे और आंत्रशोध से मर जाते हैं और उन मौतों से जो यह स्वास्थ्य विभाग खिलवाड़ कर रहा है और जो आंकड़े मेरे प्रश्न के उत्तर में दिए गये हैं इसमें भी हेरा-फेरी है। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पतालों में जो मौतें हुई हैं यह आंकड़े उसी से सम्बन्धित हैं जबकि सरकारी अस्पतालों के अलावा भी लोग उपचार कराते हैं और वहां जो मौतें होती हैं इसमें शामिल नहीं हैं। मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में अभी बताया कि मुख्यालय से लिखा गया है कि, विशेषज्ञों से तकनीकी राय उपलब्ध कराई गई, तो मैं जानना चाहता हूं कि तकनीकी राय क्या है और इस राय के प्राप्त करने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर के नं० 6 में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण पेयजल योजना बनाई गयी थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोकथाम हेतु बृहद प्रचार प्रसार किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी योजना लागू की गयी और उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री प्रवीन सिंह ऐरन–

मान्यवर, तकनीकी राय और क्या कदम उठाए गये थे सम्बन्ध में सदन को बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की राय के बाद जानकारी प्राप्त हुई थी कि दूसरे विभागों द्वारा दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही थी इसलिए उसमें नगर विकास विभाग और दूसरे विभागों से समन्वय बनाया गया जिससे कि संक्रामक रोगों की बढ़ोत्तरी न हो सके। उसके अतिरिक्त हेतु उत्तर में नं० 6 में जैसा बताया गया है कि रोकथाम हेतु बृहद प्रचार किया गया था और सी० एम० ओ० व नोडल अधिकारियों द्वारा जनता में जागरूकता लाने के लिए और दूषित खाद्य सामग्री का उपयोग न करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य किया गया था। साथ ही स्वास्थ्य निरीक्षकों को भेजा गया था।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न प्रहर समाप्त।

नोटः–नत्थी 'ग' के ता० प्र० सं० 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत लिए जाने की मांग

*7–श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों को शासन स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत लेने पर विचार कर रहा हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य के वित्तीय संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत लेने का विचार नहीं है ।

प्रदेश में मण्डी शुल्क की दरों में भारी वृद्धि को जनहित में वापस लिए जाने की मांग

*8–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मण्डी शुल्क की दरों में भारी वृद्धि की गयी है ? क्या यह सही है कि इससे किसानों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की कठिनाइयां बढ़ गयी हैं एवं खाद्यान्नों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इसे जनहित में वापस लेने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । प्रदेश में मण्डी शुल्क की दरों में मात्र आधा प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 15-12-94 से की गयी है ।

जी नहीं । किसानों एवं व्यापारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । उपभोक्ताओं पर भी इस वृद्धि का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है ?

जी नहीं ।

मण्डी शुल्क से नये मण्डी स्थलों का विकास सम्पर्क मार्गों का निर्माण, पेयजल सुविधा, खलिहान दुर्घटना एवं व्यक्तिगत क्षति बीमा योजना, किसानों के कृषि अध्ययनरत प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति आदि अनेक लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं । इस प्रकार से यह पूरी धनराशि ग्रामीण विकास एवं कल्याण के हित एवं किसानों, व्यापारियों, श्रमिकों तथा जन सामान्य की सुख-सुविधाओं में व्यय की जाती है । ग्रामीण विकास के हित में इसे वापस लेना शासन की कल्याणकारी योजना के अनुकूल नहीं है ।

*0–श्री राजाराम त्यागी–

[दिनांक 1-8-95 को अतारांकित प्रश्न संख्या–18 द्वारा उत्तरित]

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 में श्रीमती पुष्पा देवी को किसी उपयुक्त पद पर नियुक्त करने व न्यायालय के निर्णय का अनुपालक सुनिश्चित किये जाने की जानकारी

*10–श्री तीरथ राज–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991 के रिट पिटीशन नं० 23638 श्रीमती पुष्पा देवी बनाम उ० प्र० सरकार एवं अन्य के मामले में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 में श्रीमती पुष्पा देवी को किसी उपयुक्त पद पर नियुक्त करने अथवा 6 सप्ताह के भीतर कारण स्पष्ट करने के आदेश पारित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी कौन है और उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं, माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय का प्रतिवाद किया गया ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11–श्री नन्द लाल पटेल–

[मंत्रि-परिषद में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

शाहजहांपुर में चार माह से सफाई कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न समस्या व उसके समाधान की जानकारी

*12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में 4 माह से सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण पीलिया व वायरल बुखार जैसे रोगों के फैलने की जानकारी उनको है ? यदि हां, उक्त समस्या का क्या समाधान सरकार के पास है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मई, 95 के प्रथम पक्ष में समाप्त हो गयी थी । सफाई की नगर पालिका ने व्यवस्था की थी । पीलिया तथा अन्य वायरल बुखार की कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर 60 वर्ष से ऊपर के काश्तकारों को पेंशन सुविधा से वंचित किए जाने की जानकारी

*13–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर 60 वर्ष से ऊपर के काश्तकारों को पेंशन देने की योजना स्वीकृत की है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत नगरपंचायत क्षेत्रों में निवास करने वाले 60 वर्ष से ऊपर के काश्तकारों को कृषक पेंशन सुविधा से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत तथा भिकियासैंण में पेयजल के स्रोत सूख जाने से उत्पन्न स्थिति से जनता को राहत प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जानकारी

*14–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के तहसील रानीखेत तथा तहसील भिकियासैंण में पेयजल के स्रोत सूख जाने तथा पेयजल योजनाओं की मरम्मत न होने से पेयजल के लिये भारी संकट उत्पन्न हो गया है ? क्या सरकार इस भीषण पेयजल संकट से जनता को राहत प्रदान करने के लिये कोई त्वरित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्रीष्म ऋतु में पेयजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने व स्रोत में पानी की कमी हो जाने के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई ।

वर्षा ऋतु में रिचार्जिंग से पेयजल योजनाओं में पानी उपलब्ध होने लगा है । पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष 1995-96 मे 5.60 लाख रु० की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

उपरोक्तानुसार ।

सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता पदों पर वर्ष 1992 में प्रोन्नत किये गये सामान्य वर्ग के अधीक्षण अभियन्ताओं को हटाकर आरक्षित वर्ग के अभियन्ताओं को प्रोन्नति दिये जाने की मांग

*15–श्री जवाहर लाल दिवाकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माह जून, 1992 में सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के समय कितने आरक्षित पदों के विरुद्ध सामान्य अधीक्षण अभियन्ता की प्रोन्नति की गयी थी ? क्या शासनादेश संख्या 1261/40-1–93–13(3)92, दिनांक 29 जून, 1993 में यह प्राविधान है कि आरक्षित पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों की, की गयी नियुक्ति आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर सामान्य अभ्यर्थी हटा कर आरक्षित वर्ग को नियुक्त कर दिया जायगा ? यदि हां, तो क्या सरकार

सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियन्ता पदों पर वर्ष 1992 में प्रोन्नत किये गये सामान्य वर्ग के अधीक्षण अभियन्ताओं को हटाकर आरक्षित वर्ग के अभियन्ताओं की प्रोन्नति करेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी शाखा की दोनों पटरियो को पक्की न कराये जाने से फतेहपुर सीकरी ब्रांच में जमा सिल्ट को निकलवाने में बरती जा रही लापरवाही की जानकारी

1–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी ब्रांच ग्राम दौलताबाद के निकट कुलावा नम्बर 70, 72 और 74 के पास कमजोर पटरी होने के कारण वर्ष 86, 90, 91-92 और 93 में टूटी थी और किसानों की लाखों रुपये की फसल नष्ट हो गयी थी ? यदि हां, तो फतेहपुर सीकरी शाखा की दोनों पटरियों को उक्त स्थान पर पक्की न कराने के कारण क्या हैं ? क्या यह भी सही है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम दौराताबाद के आसपास फतेहपुर सीकरी ब्रांच में सिल्ट जमा होने के कारण चार फिट से अधिक पानी चलाये जाने पर पानी ऊपर उफनकर पटरियों को प्रायः तोड़ता रहता है ? यदि हां, तो शासन प्रतिवर्ष इस स्थान पर ब्रांच का सिल्ट निकलवाने में लापरवाही क्यों बरतता है ?

सुश्री मायावती–

फतेहपुर सीकरी शाखा ग्राम दौलताबाद के पास पानी पीने के लिए पशुओं के निरन्तर आवागमन से पटरी कमजोर पड़ने के कारण वर्ष 90-91 में ही टूटी थी, जबकि वर्ष 86-87 एवं 93-94 में इस नहर में कृषकों द्वारा कटिंग की गयी थी । इन कटिंग/खांदियों से फसलों को नुकसान नहीं हुआ था ।

दोनों पटरियों को अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित धन से पक्का करना सम्भव नहीं है ।

परन्तु इनका प्रस्ताव राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी शाखा की दक्षता वृद्धि की प्रस्तावित परियोजना में किया गया है ।

जी नहीं, नहर को सुरक्षित पंसाल से परीक्षण करके ही चलाया जाता है ।

प्रति वर्ष रबी की सिंचाई से पूर्व नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य धन की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है । वर्ष 1994-95 में अतिरिक्त आवंटित धनराशि से इसी रीच में सिल्ट सफाई कराकर पटरियों को सुदृढ़ किया गया है ।

सरकारी अस्पतालों में निर्धन मरीजों को निःशुल्क भोजन, दवा वितरण में की गयी कटौती व इलाज सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की जानकारी

2–श्री बच्ची सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी अस्पतालों में निर्धन मरीजों को निःशुल्क भोजन, दवा वितरण पर खर्च की जाने वाली धनराशि में भारी कटौती की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ? क्या सरकार प्रदेश में गरीब रोगियों के इलाज में सहायता हेतु इस कटौती को वापस लेकर निःशुल्क इलाज की सुविधाओं में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां । कुछ कटौती की गयी है ।

प्रदेश के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण धनराशि में कटौती की गई है, किन्तु गरीब रोगियों को निःशुल्क इलाज की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यकतानुसार यथासमय अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

3–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[दिनांक 2-8-95 को अतारांकित प्रश्न संख्या–28 द्वारा उत्तरित]

4–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[विस्तीर्णता एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद टिहरी गढ़वाल में रतनगढ़, भरदार (जखोली) गुजराड़ा चन्द्र भागा नदी (नरेन्द्र नगर) जाजल हिलाऊ नदी, बग्वा का सेरा (गूलरगाड) दोगी में आर० सी० सी० के पैदल पुलों के निर्माण की मांग

5–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद टिहरी गढ़वाल में रतनगढ़ भरदार (जखोली), गुजराड़ा, चन्द्र भागा नदी (नरेन्द्र नगर) जाजल हिलाऊ नदी, बग्वा का सेरा (गूलर गाड) दोगी में आर० सी० सी० पैदल पुलों के निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित पड़ा हुआ है ? क्या सरकार इन पुलों का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधन ।

विकास खण्ड जखोली (टिहरी गढ़वाल) के ब्लाक मुख्यालय में सरकार द्वारा पर्यटन आवास गृह खोले जाने की घोषणा व पर्यटन आवास गृह निर्माण के विषय में जानकारी

6–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जखोली (टिहरी गढ़वाल) के ब्लाक मुख्यालय में सरकार ने पर्यटन आवास गृह को खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त पर्यटन आवास गृह का निर्माण अभी तक नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त पर्यटन आवास गृह का निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

सुश्री मायावती–

माननीय पर्यटन मंत्री जी ने जखोली में पर्यटक आवास गृह बनाने की घोषणा नहीं की थी लेकिन क्षेत्रीय युवा समिति, विकास खण्ड जखोली का एक पर्यटन विकास विषयक माननीय पर्यटन मंत्री जी को सम्बोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । जखोली में पर्यटक आवास गृह स्थापित करना वायबिल नहीं माना गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में सबसे ज्यादा बाढ़ से होने वाले भूस्खलन व भूमि संरक्षण इकाई खोले जाने की जानकारी

7–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली में सबसे ज्यादा बाढ़ से भूस्खलन होता है ? यदि हां,तो क्या भूमि संरक्षण इकाई को खोलने का प्रस्ताव विकास खण्ड जखोली के लिये शासन स्तर पर लम्बित पड़ा है ? क्या सरकार उक्त भूमि संरक्षण की इकाई खोलने पर विचार कर रही है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं, क्योंकि विकास खण्ड जखोली का समस्या ग्रस्त क्षेत्र भूमि संरक्षण इकाई, कीर्तिनगर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है और भूमि संरक्षण इकाई कीर्तिनगर द्वारा ही जखोली के समस्या ग्रस्त क्षेत्र का उपचार कार्य कराया जा रहा है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली के अन्तर्गत धमातोली पट्टी हिन्दान में मिनी स्टेडियम के निर्माण न कराये जाने की जानकारी

8–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास काण्ड जखोली के अन्तर्गत धमातोली पट्टी हिन्दान में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा सरकार द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि धमातोली हिन्दान में अभी तक मिनी स्टेडियम नहीं बनवाया गया है ? क्या सरकार उक्त मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने जा रही है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के धमातोली हिन्दान में मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

सिंचाई विभाग में आशुलिपिकों के स्थानान्तण निर्धारित नीति एवं वर्गीकरण के आधार पर न किये जाने तथा वर्ग–1 में (अकार्यकारी) में यवास्थापित किये जाने की जानकारी

9–श्री लाजकृष्ण गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग में आशुलिपिकों के स्थानान्तरण कार्यालय-ज्ञाप सं० 4798/ई-4क/स्था० नीति दिनांक 31-5-92 द्वारा निर्धारित नीति एवं वर्गीकरण के आधार पर किये जाते हैं ? यदि हां, तो प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई–1) के शिविर में कितने ऐसे आशुलिपिक कार्यरत हैं जो उक्त निर्धारित नीति एवं

वर्गीकरण के आधार पर स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं और 10 वर्ष की अवधि से वर्ग–2 (कार्यकारी) में ही कार्यरत हैं ? क्या अब उन्हें तत्काल वर्ग–I (अकार्यकारी) में पदास्थापित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

कोई नहीं ।

सम्प्रति इस प्रकार का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नही उठता ।

10–श्री अजय कुमार पोइया–

[6ठें बुधवार के लिए स्थगित]

जिला अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत ग्राम पालपुर कोट सारी में पिछले पांच वर्षों से पेयजल का गम्भीर संकट होने व पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

11–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि जिला अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत ग्राम-पालपुर कोटसारी में पेयजल का गम्भीर संकट पिछले पांच वर्षों से बना हुआ है ? क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । स्रोत का स्राव सूख जाने के कारण वर्तमान में पेयजल आपूर्ति बन्द है ।

मेहरगांव पम्पिंग पेयजल पुर्नगठन योजना के प्राक्कलन विरचन हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है । उक्त योजना में प्रश्नगत ग्राम सम्मिलित है ।

समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

लागू नहीं होता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धारचूला, जिला पिथौरागढ़ में सेवारत ए० एन० एम० की सेवाकाल में हुई मृत्यु का सामूहिक बीमा राशि भुगतान न किए जाने की जानकारी

12–श्री बची सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारचूला, जिला पिथौरागढ़ में सेवारत ए० एन० एम० की मृत्यु दिनांक 24 मार्च, 1990 को सेवाकाल के दौरान हुई थी ? क्या उक्त मृतका की सामूहिक बीमा राशि का भुगतान उसकी माता श्रीमती मनादेवी पत्नी सुदान सिंह ग्राम कोटसारी, पो० देघाट, जिला अल्मोड़ा को अब तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार मृतका की बीमा राशि का भुगतान करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

स्व० श्रीमती शान्ती रावत पूर्व ए० एन० एम० के सामूहिक बीमे की धनराशि का भुगतान बीमा निदेशालय द्वारा किया जा चुका है , किन्तु उनकी माता श्रीमती मनादेवी को धनराशि वास्तव में कब प्राप्त हुई, की पुष्टि करायी जा रही है ।

प्रश्न नही उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ प्रखण्ड, लखनऊ में माह मार्च 1988 से अप्रैल 1989 की अवधि में वर्कचार्ज/मस्टररोल पर कार्यरत व्यक्तियों के नामों की जानकारी

13–श्री इन्द्रभद्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लखनऊ प्रखण्ड, लखनऊ में माह मार्च, 1988 से अप्रैल, 1989 की अवधि में कितने व्यक्ति मेट के पद पर कार्यरत थे ? उनके नाम क्या हैं ? क्या उनमें से कुछ को सेवा से बाहर कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सेवा से बाहर किये गये व्यक्तियों को पुनः सेवा में लिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री चैनसुख भारती)–

माह मार्च, 1988 से अप्रैल, 1989 की अवधि में कुल 144 व्यक्ति वर्कचार्ज/मस्टररोल में कार्यरत थे । विभाग में मेट का पद स्वीकृत नहीं है ।

सूची संलग्न है ।

माह मार्च, 1988 से अप्रैल, 1989 तक की अवधि में कार्यरत वर्कचार्ज/मस्टररोल कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया गया था क्योंकि विभाग में वर्कचार्ज/मस्टररोल कर्मचारी को संबंधित निर्माण कार्यों पर आवश्यकतानुसार रखा जाता है तथा कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जाती है ।

जी नहीं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 261–265 पर)

स्वास्थ्य निदेशालय की प्रयोगशाला द्वारा लिये गये पेयजल के नमूनों की जांच की जानकारी

14–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय की प्रयोगशाला जहां पेयजल के नमूनों की जांच की जाती है, क्या उसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से पेयजल के नमूनों की जांच की जाती है अथवा मात्र कुछ ही जिलों की जांच कराने का अधिकार है ? यदि सभी जिलों से प्राप्त नमूनों की जांच कराई जाती है तो वर्ष 1994-95 में सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई से कितने नमूने लिये गये तथा उनकी जांच रिपोर्ट क्या रही ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां, स्वास्थ्य निदेशालय की प्रयोगशाला में प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त पेयजल के नमूनों की जांच की जाती है।

वर्ष 1994-95 में हरदोई एवं सीतापुर से क्रमशः चार एवं तीन नमूने लिये गये। जिसमें हरदोई से लिए गये चार नमूनों में दो सन्तोषजनक एवं दो असन्तोषजनक तथा सीतापुर से लिये गये तीनों नमूने असन्तोषजनक पाये गये। जनपद लखीमपुर से कोई भी नमूना जांच हेतु प्राप्त नहीं हुआ।

15–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मुन्ना"–

[दिनांक 16-8-95 को अतारांकित प्रश्न संख्या–112 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में माह जनवरी, 1995 से अप्रैल 1995 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालाबाद व अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की गयी फर्जी नसबन्दियों की जांच

16–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में माह जनवरी, 1995 से अप्रैल, 1995 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलान, मिर्जापुर, सिधौली जैतीपुर, खुदागंज में व्यापक स्तर पर फर्जी नसबन्दियां की गयीं ? क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर में हुयी फर्जी नसबन्दियों की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जांच करायी जा रही है।

जी हां, मण्डलीय अपर निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय तथा महिला चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में पुताई, बिजली फिटिंग तथा बिल्डिंग मरम्मत व निर्माण कार्यों हेतु दी गयी धनराशि की जानकारी

17–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय तथा जिला महिला चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, में वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में पुताई, बिजली फिटिंग तथा बिल्डिंग तथा बिल्डिंग मरम्मत तथा निर्माण कार्यों में कितना-कितना रुपया कब-कब सरकार से प्राप्त हुआ ? क्या उपरोक्त कार्य रजिस्टर्ड ठेकेदारों से कराया गया ? क्या उपरोक्त कार्य करने के टेन्डर डाले गये या दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया ? यदि टेण्डर डाल गये तो कुल कितने टेन्डर प्राप्त हुए ? उपरोक्त सभी ठेके क्या एक ही ठेकेदार को दिये गये या अलग-अलग ठेकेदारों को दिये गये ? कुल कितने रुपये के उपरोक्त 2 वर्षों में ठेके दिये गये तथा किन-किन ठेकेदारों को दिये गये ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि निर्माण कार्यों में घटिया किस्म

की सामग्री लगायी गयी तथा सरकार के धन का दुरुपयोग भी हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जनपद शाहजहांपुर के प्रश्नगत कार्यालयों को प्रश्नगत मदों में निम्नानुसार धनराशि प्राप्त हुई :–

कार्यालय का नाम	1993-94	1994-95
	रु०	रु०
1–मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।	4,18,000	10,14,000
2–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय ।	2,62,000	8,22,000
3–मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका महिला चिकित्सालय ।	1,03,000	3,53,000

जी हां ।

दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर टेन्डर आमंत्रित किये गये ।

वर्ष 1993-94 में लघु निर्माण हेतु छः टेन्डर एवं वर्ष 1994-95 में तीन टेण्डर तथा विद्युत रिवायरिंग हेतु तीन टेन्डर प्राप्त हुए ।

ठेके अलग-अलग ठेकेदारों को दिये गये ।

कुल रु० 23,72,306.65 पैसे के ठेके श्री विनोद कुमार, श्री अंजय कुमार शर्मा, दुर्गा पावर कान्स्ट्रक्शन वर्क्स शाहजहांपुर तथा आदित्य इलेक्ट्रिकल्स हरदोई को दिये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर के कम्प्यूटर कार्यालय में कार्यरत श्री पंकज बाजपेयी के स्थानान्तरण के विषय में जानकारी

18–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पंकज बाजपेयी पद कम्प्यूटर कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर इनका वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में कितनी बार स्थानान्तरण हुआ तथा उपरोक्त 2 वर्षों में कितनी बार इनका स्थानान्तरण रोका गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि श्री पंकज बाजपेयी जनपद शाहजहांपुर के निवासी हैं तथा 10 वर्षों से ज्यादा एक ही कार्यालय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण जनपद शाहजहांपुर के बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

श्री पंकज बाजपेयी, कम्प्यूटर कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को स्थानान्तरण केवल एक बार वर्ष 1994-95 में किया गया ।

एक बार (वर्ष 1994-95 में) रोका गया ।

जी नहीं, सेवा अभिलेखों के आधार पर, ये हरदोई के मूल निवासी हैं तथा वर्ष 1984 से शाहजहांपुर में कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

वर्ष 1995-96 की विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार ये स्थानान्तरण की परिधि में नहीं आते हैं ।

19–श्री घनश्याम शुक्ल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

युवा कल्याण निदेशालय के ट्रक चालक द्वारा किये गये एक्सीडेन्ट की जानकारी

20–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवा कल्याण निदेशालय का ट्रक नम्बर यू० पी०–32/ए० 0345 को निदेशालय में कार्यरत क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ने अवैधानिक रूप से चलाते हुए उसका एक्सीडेन्ट कर दिया था, जिससे राजकीय क्षति हुई ? उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

निदेशालय में कार्यरत क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ने यह एक्सीडेन्ट नहीं किया, अपितु इस ट्रक के चालक ने यह एक्सीडेन्ट किया ।

संबंधित चालक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रादेशिक विकास दल मुख्यालय पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी का पद न होते हुए भी नियुक्ति की जानकारी

21–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि प्रादेशिक विकास दल मुख्यालय पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी का पद न होते हुये भी श्री विजय शंकर सिंह को तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये शासन से अनुमति ली गयी ? यदि नहीं, तो किसके आदेशों से नियुक्ति की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । प्रादेशिक विकास दल मुख्यालय में रिक्त सहायक जिला संगठनकर्ता के पद के विपरीत इनकी तैनाती की गयी है ।

जी नहीं ।

विभागाध्यक्ष के आदेश से ।

ग्राम सभा मालगड़ी बड़ियार, टिहरी गढ़वाल को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

22–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजना कांडा मालगडी, टिहरी गढ़वाल पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि ग्राम सभा मालगडी बडियार, टिहरी गढ़वाल को पेयजल सुविधा नहीं दी गयी है ? क्या सरकार मालगडी को पेयजल की सुविधा प्रदान करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

पेयजल योजना अपूर्ण होने के कारण पेयजल सुविधा दिया जाना संभव नहीं हो सका है । कार्य पूर्ण करा लिये जाने पर पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायगी ।

जिला टिहरी गढ़वाल में भूकम्प से क्षतिग्रस्त बेसिक पाठशालाओं के भवनों के निर्माण की मांग

23–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूकम्प से क्षतिग्रस्त बेसिक पाठशाला जखोली सिलगढ़ बे० पा० सिसों सिलगढ़, बे० पा० कण्डाली, बे० पा० धारी चौरास, बे० पा० जखमाली नेलचामी टिहरी गढ़वाल का नव निर्माण आज तक नहीं हुआ है ? क्या सरकार इन भवनों का निर्माण कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद टिहरी गढ़वाल के बेसिक पाठशाला धारी चौरास का भवन निर्माणाधीन है तथा शेष अन्य प्रश्नगत बेसिक पाठशालाओं के भवन मरम्मत/नवनिर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की कार्यवाही गतिमान है ।

जी हां ।

कार्यवाही गतिमान है जिस पर एक वर्ष में कार्यवाही पूर्ण होने की संभावना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल में एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने की मांग

24–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में कब से एलोपैथिक अस्पताल नहीं खोले गये हैं ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार निकट भविष्य में कोई ऐलोपैथिक अस्पताल खोलने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1994-95 में तीन सचल चिकित्सा इकाइयां व जानकीचट्टी खरसाली में सीजनल राजकीय एलोपैथिक औषधालय की स्थापना की गई है ।

उपरोक्तानुसार ।

भविष्य में जिला योजना में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायगा ।

उपरोक्तानुसार ।

उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर योग्यताओं को परिवर्तन किए जाने की जांच की मांग

25–श्री बदन सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–292/म०नि०उ०स०/92, दिनांक 11-6-92 की मांग के अनुसार टंकक पद की अपेक्षित योग्यताओं को पत्र संख्या 14/म०नि०अ०स०/93, दिनांक 14-1-1993 द्वारा परिवर्तन करके टंकक अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त किये जाने का क्या कारण था ? टंकक पद की निर्धारित अपेक्षित योग्यता टंकण हिन्दी के अनुसार पत्र दिनांक 11-6-92 में वांछित टंककों की सूची सेवायोजन कार्यालय से क्यों नहीं मांगी गयी ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या–292/म०नि०उ०स/92, दिनांक 11-6-92 के द्वारा क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ से 25 जून, 1992 को प्रातः 11 बजे उपयुक्त अभ्यर्थियों को भेजने का अनुरोध किया गया था । परन्तु क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्रांक सी०/221–222/92/1647, दिनांक 23-6-92 द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों को बुलाकर भेजने में असमर्थता प्रकट कर दी । उसके बाद निदेशालय के पत्रांक 14/म०नि०उ०स०/93, दिनांक 14 जनवरी, 1993 द्वारा अभ्यर्थी भेजने का पुनः अनुरोध किया गया ।

पद की अर्हता के अन्तर्गत टंकण का ज्ञान आवश्यक था । अतः अर्हता में परिवर्तन नहीं किया गया अपितु इलेक्ट्रानिक टंकण की उपयोगिता एवं कार्यालयों में आधुनिक पत्रों के प्रचलन के दृष्टिगत इलेक्ट्रानिक टाइप में ज्ञान तथा अनुभव की भी अपेक्षा की गई थी ।

महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय ने अपने पत्र दिनांक 11-6-92 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे थे । कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु टंकण कार्य का ज्ञान अनिवार्य होता है । अतः मांग पत्र में हिन्दी टंकण की प्रति 30 मिनट की गति की योग्यता का उल्लेख किया गया था ।

राज्य आयोग लखनऊ कार्यालय के लिए स्वीकृत वरिष्ठ सहायक पद की नियुक्ति शर्तों से बाहर की गयी नियुक्ति की जानकारी व वरिष्ठतम कर्मचारी को लाभान्वित किए जाने की मांग

26–श्री बदन सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या सी० पी० 244/29-8-94–सी०पी०–15/93, दिनांक 22-10-94 में राज्य आयोग लखनऊ कार्यालय के लिये स्वीकृत हुए वरिष्ठ

सहायक पद की नियुक्ति शर्तों से बाहर कहीं कनिष्ठतम कम वेतनमान वाले किसी कर्मचारी को सम्बद्ध कर के पद समायोजन के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस व्यवस्था को उचित और सक्षम कर्मचारियों के हितों के लिये उक्त शासनादेश को निरस्त करके वरिष्ठतम कर्मचारी, को लाभान्वित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अध्यक्ष, राज्य आयोग की विशिष्ठ मांग पर एक कर्मचारी को राज्य आयोग कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर इससे निम्न मूल वेतनमान में ही, संबद्ध करने के आदेश दिये गये थे । परन्तु कतिपय विधिक कठिनाइयों के कारण इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ तथा इस पर पुनर्विचार किया गया ।

तदुपरान्त संबंधित कर्मचारी को वरिष्ठ सहायक के पद पर संबद्ध एवं तैनात करने संबंधी प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 22-12-94 निरस्त कर दिया गया है । वरिष्ठतम कर्मचारी को लाभान्वित कराने-का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि शासनादेश संख्या सी० पी० 244/29-8-94 सी० पी० 15/93, दिनांक 22-10-94 में वरिष्ठ सहायक के स्वीकृत पद पर नई नियुक्ति न करके खाद्य विभाग या अन्य विभाग या निगमों के फालतू कर्मचारियों से भरे जाने की शर्त रखी गयी है ।

अब वरिष्ठ सहायक के उक्त पद को समाप्त कर उसके स्थान पर रीडर का एक पद सृजित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

27–श्री बदन सिंह–

[पांचवें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई के राजबहा बरबन में पानी न छोड़े जाने की जानकारी व शासन की नीति की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

28–श्री छोटे लाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 28 कि० मी० लम्बा राजबहा बरबन में 13 वर्ष से पानी अब तक नहीं छोड़ा गया है ? जिन अधिकारियों ने शासन की नीति की अवहेलना की है, क्या उन्हें दण्डित किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । 110 कि० मी० लंबी शाहजहांपुर शाखा नहर की टेल से हरदोई में निकलने वाली 33-91 कि० मी० लम्बे बरबन राजबहा में प्रति वर्ष पानी दिया जाता है ।

किसी अधिकारी ने शासन की नीति की अवहेलना नहीं की है, अतः दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद एवं लखनऊ मण्डल के जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से राजकीय होम्यो चिकित्सालयों का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण समाप्त कर अधिकार दिये जाने की जानकारी

29–श्री रामपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 758 सेक–15/5-95/505/94, दिनांक 10 मार्च, 1995 द्वारा प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद एवं लखनऊ मण्डल के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से राजकीय होम्यो चिकित्सालयों का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण समाप्त करके अधिकार जिला होम्योपैथिक जिला अधिकारियों एवं जिला चिकित्सालयों में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त मंडल के किन-किन जनपदों में अभी तक उक्त शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया गया है ? क्या इन शासनादेशों का उल्लंघन करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भूमि संरक्षण योजना में कार्यरत वर्ग 1, 2 व 3 के सदस्यों की वरिष्ठता सूची की जानकारी व नीति विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों की अनियमितता को रोकने की मांग

30–श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण योजना में कार्यरत वर्ग 1, 2, 3 के सदस्यों की वरिष्ठता सूची है ? यदि हां, तो क्या वरिष्ठता क्रम के आधार पर स्थानान्तरण वर्ष 1994 में हुए हैं ? यदि नहीं, तो इस प्रकार के अनियमित तथा नीति विरुद्ध स्थानान्तरणों का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इन अनियमितताओं को रोकने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अध्यक्ष अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उ० प्र० द्वारा स्थानान्तरणों में की गयी अनियमितताओं की शिकायत की जानकारी

31–श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उ० प्र० के अध्यक्ष के अपने पत्रांक–2091, दिनांक 26-7-94 द्वारा स्थानान्तरणों में की गयी अनियमितताओं की शिकायत शासन से की है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अध्यक्ष अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उ० प्र० का पत्रांक–2091, दिनांक 26-7-94 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

अप्रशिक्षित कर्मचारियों को भूमि संरक्षण अनुभाग में स्थानान्तरित करने की जानकारी

32–श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994 में अप्रशिक्षित वर्ग–1, 2 व 3 के कर्मचारियों को भूमि संरक्षण योजना में स्थानान्तरित किया गया है जबकि सरकार के धन से प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अन्य अनुभागों में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो अप्रशिक्षित कर्मचारियों को भूमि संरक्षण अनुभाग में स्थानान्तरित करने का औचित्य क्या है ? क्या इससे भूमि संरक्षण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होगी ? यदि हां, तो इन अनियमित स्थानान्तरणों पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि एवं जल संरक्षण प्राविधिक एसोसियेशन उ० प्र० को शासन द्वारा मान्यता दिये जाने की जानकारी

33–श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि एवं जल संरक्षण प्राविधिक एसोसियेशन, उ० प्र० को शासन द्वारा मान्यता दिये जाने के उपरान्त अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उ० प्र० द्वारा उठायी गयी आपत्ति के क्रम में शासन ने अपने पत्रांक–735/दिनांक 12-9-94/999/70/81, नवम्बर 22 सन् 1994 द्वारा कृषि निदेशक, उ० प्र० से कोई जानकारी चाही है ? यदि हां, तो क्या वह प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। शासन के पत्रांक–735/12-9-94/999(70)/81, दिनांक 22-11-94 के द्वारा जानकारी चाही गयी है।

जी हां।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के कृषि सांख्यिकी अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की जानकारी

34–श्री बदन सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के कृषि सांख्यिकी अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के सांख्यिकी शाखा के संवर्गों की ज्येष्ठता सूचियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बालेश्वर दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सिविल अपील संख्या 1217/18-76, डाब्लू०पी० संख्या 864/79 एवं 215/80 के निर्णय दिनांक 19-8-82 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 5060/23-

सि०1/42डब्लू०पी०/80, दिनांक 12-7-82 के अनुसार बनायी गयी है और उनका स्थायीकरण तथा पदोन्नति भी उसी के अनुसार की गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि कृषि सांख्यिकी में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों (अनुसूचित जातियों) को आरक्षण उनके निर्धारित कोटे के अनुसार नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

बालेश्वर दास बनाम राज्य सरकार में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमित नियुक्ति की तिथि से ही ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आरक्षण निर्धारित कोटे के अनुसार दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के सीकरी क्षेत्र में स्थित न्यायपालिका मण्डी मिर्जाखा और सामरा को सिंचाई साधन उपलब्ध कराने की मांग

35–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री, जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में स्थित न्यायपालिका मण्डी मिर्जाखा और सामरा के सिंचाई साधन विहीन क्षेत्र में ऊदंगन नदी से कोई पलेवा चैनल ग्राम सिरौली रो निकलवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक पलेवा चैनल निकलवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

36–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में जिला फैजाबाद के कितने लोगों को किस आधार पर थोक दवा विक्रेता के लाइसेंस दिये जाने की जानकारी

37–श्री परशुराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस दिये जाने पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है और यह प्रतिबन्ध अब भी प्रभावी है ? यदि हां, तो मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में जिला फैजाबाद के कितने लोगों को किस आधार पर थोक दवा विक्रेता के लाइसेंस जारी किये गये हैं ? क्या जिन लोगों को लाइसेंस जारी किये गये हैं वह विभाग द्वारा बनायी गयी प्रतीक्षा सूची के अनुसार वरीयता के क्रम में थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

थोक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस दिये जाने पर शासन द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है अपितु शासनादेश दिनांक 26-2-91 द्वारा फुटकर/थोक लाइसेंस का अनुपात 10:1 सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं, जो अभी भी प्रभावी हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा वर्ष 1993-94 में 25 तथा वर्ष 1994-95 में 20 थोक औषधि विक्रय लाइसेंस जारी किये गये हैं।

प्रतीक्षा सूची का कोई प्राविधान नहीं है।

38–श्री परशुराम यादव–

[दिनांक 16-8-95 को अता० प्र० सं०–108 द्वारा उत्तरित]

इलाहाबाद मेडिकल कालेज को हेमो डायलिसिस एवं सी० टी० स्केन यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

39–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश के कितने मेडिकल कालेजों में हेमो डायलिसिस एवं सी० टी० स्केन यूनिट की सुविधा उपलब्ध है ? क्या यह सुविधायें इलाहाबाद मेडिकल कालेज में भी उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों एवं के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में हेमो डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है लेकिन सी० टी० स्केन की सुविधा केवल के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में ही उपलब्ध है। इलाहाबाद मेडिकल कालेज में सी० टी० स्केन की सुविधा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

नलकूप डिवीजन सिद्धार्थनगर की सरकारी गाड़ी से हुई दुर्घटना से संबंधित मृतक व्यक्ति के आश्रित को प्रतिकर भुगतान कराये जाने की मांग

40–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नलकूप डिवीजन सिद्धार्थनगर की सरकारी गाड़ी से दिनांक 31-5-94 को मोहना थाना निवासी टिमालू पुत्र स्वामीनाथ की मृत्यु दुर्घटना में हो गयी ? क्या प्रश्नगत दुर्घटना से संबंधित मुकदमा जिला न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर के यहां चला जिसमें मृतक के आश्रित/संरक्षक को प्रतिकर भुगतान के लिए निर्णय दिया गया है ? यदि हां, तो प्रतिकर धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

नलकूप खण्ड सिद्धार्थनगर की सरकारी गाड़ी से दिनांक 31-5-94 को दुर्घटना से संबंधित कोई मुकदमा जिला न्यायाधीश सिद्धार्थनगर के यहां नहीं चला है।

इसका प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद देवरिया में गण्डक नहर निर्माण खण्ड–3 द्वारा रणछोरकुटी नाले पर पुल निर्माण की मांग

41–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में गण्डक नहर निर्माण खण्ड–3 द्वारा रणछोरकुटी नाले में एक पुल के रहते हुए इसी स्थान पर दूसरे पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था ? क्या वर्ष 1992 में मुख्य अभियन्ता एवं अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण कर उक्त पुल निर्माण के औचित्य की जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। एक बैरल रेगुलेटर के अपस्ट्रीम में पुल का निर्माण प्रारम्भ किया गया।

जी हां। डिवीजन का परीक्षण किया जा रहा है।

उक्त पुल के परिकल्पन हेतु वास्तविक आंकड़े बाढ़ के समय एकत्र किये जा रहे हैं, उसके उपरान्त निर्माण के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद में स्वीकृत नलकूप लगाये जाने की मांग

42–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992 में देवरिया जनपद में अनेकों राजकीय नलकूपों के लगाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उन राजकीय ट्यूबवेलों का निर्माण कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1992 में देवरिया जनपद में कुल 5 नये नलकूपों के लगाने की स्वीकृतियां प्रदान की गयी थीं।

उक्त नलकूपों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के ग्राम प्रधान हरिहरपुर के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना में धन के दुरुपयोग की शिकायत की जांच कराये जाने की मांग

43–श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश पासवान, सदस्य, विधान सभा, जनपद गोरखपुर के दिनांक 21 मार्च, 1995 का ग्राम प्रधान हरिहरपुर, जनपद गोरखपुर द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग विषयक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या इस ग्राम सभा के आय-व्यय का विगत 5 वर्षों का आडिट करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां, जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 266-267 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में गृह जनपद में नियुक्त अवर अभियन्ताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

44–श्री धनराज यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वतमान समय में जनपद सिद्धार्थनगर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? और उनके गृह जनपद क्या-क्या हैं ? क्या यह सही है कि ऐसे अवर अभियन्ता हैं, जो अपने गृह जनपद (सिद्धार्थनगर) में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनके स्थानान्तरण किये जाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत वर्तमान में 25 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं । कार्यरत अवर अभियन्ताओं के गृह जनपद की सूची संलग्न है ।

जी हां ।

जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री जवाहर प्रसाद चौधरी का गृह जनपद पूर्व में बस्ती था किन्तु सिद्धार्थनगर नया जनपद बनने पर श्री चौधरी का स्थानान्तरण गोण्डा किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 268-269 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड चम्पावत के ग्राम गढ़कोट के निवासियों को सप्तेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना से विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

45–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के खण्ड चम्पावत के ग्राम गढ़कोट के निवासियों को उसी ग्राम सभा में निर्मित "सप्तेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना" से लाभन्वित होने से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक ग्राम सभा गढ़कोट को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कर दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । सप्तेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत राज्य विद्युत परिषद् के समीपस्थ 11 के० वी० खेतीखान फीडर को दी जा रही है, तथा उक्त फीडर के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड चम्पावत के ग्राम गढकोट की विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोली हाट में बनकोट नामक अस्पताल के भवन निर्माण में शिथिलता व अनियमितता बरतने वाले अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

46–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में बनकोट नामक स्थान में अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कब व किन अधिकारियों की देखरेख में ? क्या भवन का हस्तान्तरण स्वास्थ्य विभाग को हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? क्या यह सही है कि उक्त भवन इस समय जर्जर हो गया है ? क्या सरकार इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराते हुए कार्य में शिथिलता व अनियमितता बरतने वाले अभियन्ता को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

लागू नहीं होता ।

जी नहीं ।

लागू नहीं होता ।

जी नहीं ।

लागू नहीं होता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सिद्धार्थनगर में मदरहवा से मुहचौरवा घाट बांध से गांवों को हटाने वाले अधूरे बंधे को पूरा किये जाने की मांग

47–श्री स्वयंबर चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर में मदरहवा से मुहचौरवा घाट बांध से गांवों को हटाने वाला बंधा अधूरा है ? यदि हां, तो क्या शासन इसको पूरा करने की कोई योजना बना रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद सिद्धार्थनगर में मदरहवा से मुहचौरवा घाट तक किसी भी बांध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा न तो कराया गया है, न ही कराया जा रहा है । अतः बांध के अधूरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदरहवा से मुहचौरवा घाट तक बांध बनाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खुनियाव का ग्राम पंचायत गौरा बाजार राप्ती नदी के कटानों से बचाये जाने की मांग

48–श्री स्वयंबर चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खुनियाव का ग्राम पंचायत गौरा बाजार राप्ती नदी के कटाने से नदी में विलीन होता जा रहा है ? सरकार इसको बचाने का क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खुनियाव में ग्राम पंचायत गौरा बाजार राप्ती नदी के बायें किनारे पर निर्माणाधीन बांसी-डुमरियागंज बांध एवं नदी के बीच फ्लड प्लेन जोन (डूब क्षेत्र) में स्थित है ।

वर्तमान में शासन की नीति नदियों के बाढ़ क्षेत्र (डूब क्षेत्र) में स्थित ग्रामों की सुरक्षा हेतु कोई बाढ़ सुरक्षा कार्य न कराकर उनको अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाने की है ।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ में खरीदी गयी बस व एम्बुलेंस के उपयोग किये जाने की जानकारी

49–श्री राम गोपाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में पिछले वित्तीय वर्ष में एक बस तथा एक एम्बुलेंस खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो क्या ये दोनों वाहन चालू हालत में हैं ? इनको किस उपयोग में लाया गया है ? एम्बुलेंस से अब तक कितने रोगियों को लाया व ले जाया गया है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

एम्बुलेन्स का उपयोग मरीजों के लाने/ले जाने में होता है । बस को (रजिस्ट्रेशन न होने के कारण) प्रयोग में नहीं लाया जा सका है ।

वांछित सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं है ।

आगरा जिला योजना के अन्तर्गत अकोला ब्लाक के ग्राम अकोला में स्टेडियम निर्माण की जानकारी

50–श्री उदयभान सिंह–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिला योजना के अन्तर्गत अकोला ब्लाक के ग्राम अकोला में स्टेडियम एक वर्ष पूर्व से स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि उक्त स्टेडियम के लिये भूमि का आवंटन नियमानुसार होकर धन भी सम्बन्धित विभाग को आवंटित किया जा चुका है लेकिन एक वर्ष बीत जाने पर भी काम प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो काम कब शुरू किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अध्यापनरत चिकित्सक छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान व पुस्तकीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग

51–श्री मोलई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चिकित्सक छात्र जो अध्ययनरत हैं क्या उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान समय से किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकीय सहायता भी गत वर्ष से बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार उक्त पुस्तकीय सहायता पुनः अ० जा० छात्रों को प्रदान करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चयनित मेडिकल छात्रों का परीक्षा शुल्क वापस किये जाने में विलम्ब की जानकारी

52–श्री मोलई–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि गत वर्ष के चयनित मेडिकल छात्रों का परीक्षा शुल्क अब तक वापस नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ? इसका दोषी कौन है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

परीक्षा शुल्क वापस नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53–श्री परशुराम यादव–

[दि० 2-8-95 को अता० प्र० सं० 119 द्वारा उत्तरित]

जिला चिकित्सालय फैजाबाद व राजकीय महिला चिकित्सालय फैजाबाद में क्रय किये गये एयर कन्डीशन मशीनें, कूलर व अन्य उपकरणों व निष्प्रयोज्य घोषित सामानों की नीलामी की जानकारी

54–श्री परशुराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय फैजाबाद व राजकीय महिला चिकित्सालय फैजाबाद में वित्तीय वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 कुल पांच साल में कितनी एयर कन्डीशन मशीनें कूलर व अन्य उपकरण क्रय किए गये हैं, तथा वर्तमान समय में यह एयर कन्डीशन मशीनें, कूलर व उपकरण चिकित्सालयों में कहां-कहां लगे हैं और किस-किस प्रयोजन में लाए जा रहे हैं ? इनमें से कितने सामानों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया ? निष्प्रयोज्य हुए सामानों की नीलामी कब और कितने में करायी गयी तथा प्राप्त धनराशि किस तिथि में राजकीय कोषागार में जमा करायी गयी है ?

श्री आर० के० चौधरी–

सूची ''क'' संलग्न है ।

सूची ''ख'' संलग्न है ।

निष्प्रयोज्य उपकरणों में से 200 एम० ए० एक्स-रे मशीन की नीलामी दिनांक 25-2-94 को रु० 55,230.00 में की गयी । शेष उपकरणों की नीलामी अभी नहीं हुई है ।

प्राप्त धनराशि राजकीय कोषागार में चालान संख्या–ए/44, दिनांक 30 मार्च, 1994 को जमा कर दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृ० 270-271 पर)

जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर के विकास खण्ड तारुन अन्तर्गत ग्राम ओदी रतनाथपुर में हैजे से हुई चार मौतों के विषय में भेजे गये फैक्स पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

55–श्री परशुराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर, विकास खण्ड तारुन अन्तर्गत ग्राम ओदी रतनाथपुर में हैजा से हुई चार मौतों के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 5-5-95 को भेजा गया फैक्स प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस फैक्स सन्देश/पत्र का विवरण क्या है ? इस मामले में शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

उपलब्ध नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम गुमान का पुरवा मजरे दक्खिनगांव क्यार ब्लाक शुक्लबाजार में नाली खड़ंजा तथा मिट्टी कार्य कराये जाने की जानकारी

56–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा सदस्य श्री मदन गोपाल वर्मा का पत्र दिनांक 24-5-1995 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, और जिसमें जनपद सुल्तानपुर के ग्राम गुमान का पुरवा मजरे दक्खिनगांव क्यार ब्लाक शुक्लबाजार में नाली खड़ंजा तथा मिट्टी कार्य कराये जाने का उल्लेख था, उनको प्राप्त हुआ है ? उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्रों पर राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को क्या आदेश दिये गये थे ? उन आदेशों के अनुपालन में माह मई, 1995 तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं, अपितु प्रश्नगत विषय पर मा० सदस्य, श्री मो० अरशद खान, जौनपुर का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक 1-6-1995 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ श्री नन्द लाल, विधान सभा सदस्य, विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर का मा० ग्राम्य विकास मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक 20-8-94 का पत्र संलग्नक के रूप में प्राप्त हुआ है ।

मा० ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, उ० प्र० शासन द्वारा जिलाधिकारी के लिये "कृपया मा० विधायक जी की इच्छानुसार ग्राम गुमान का पुरवा में नाली खड़ंजा आदि की व्यवस्था कराने का कष्ट करें तथा स्थिति से मा० विधायक जी को भी अवगत करावें", के आदेश अंकित है ।

ग्राम सभा गुमान का पुरवा में इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प स्थापित करा दिया गया है । अन्य के लिये स्थापित सर्वेक्षण कराकर परियोजना प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है । कार्य का सम्पादन शासी निकाय के अनुमोदन प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

काशीपुर नैनीताल के अन्तर्गत जसपुर ब्लाक के करनपुर ग्राम सभा में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता करायी गयी भूमि पर भवन निर्माण की जानकारी

57–श्री राजीव कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि काशीपुर नैनीताल के अन्तर्गत जसपुर ब्लाक के करनपुर ग्राम सभा में पिछले 10 वर्ष से स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के लिये ग्राम सभा द्वारा एक एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को दी गयी है ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कब तक पूर्ण हो जोगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विकास खण्ड जसपुर के करनपुर में राजकीय एलौपैथिक औषधालय स्थापित है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

भवन निर्माण के आंगणनों के तैयार कार्य कराने के बाद उपलब्ध वित्तीय सहायता के आधार पर निर्माण कार्य आरम्भ कराना सम्भव होगा । अभी कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

काशीपुर नैनीताल के अन्तर्गत कोसी नदी एवं अर्जुन नाले में आई बाढ़ से हुए नुकसान की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये शासन द्वारा किए गये उपायों की जानकारी

58–श्री राजीव कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि काशीपुर नैनीताल के अन्तर्गत कोसी नदी एवं अर्जुन नाले में वर्ष 1993 में आई भीषण बाढ़ से हजारों एकड़ फसल एवं जान-माल की हानि हुई थी ? यदि हां, तो भविष्य में नुकसान की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये शासन ने क्या सुरक्षा उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वर्ष 1993 में आई इस शताब्दी की भीषणतम बाढ़ से जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कोसी नदी एवं उसके सहायक अर्जुन नाले से, राजस्व विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 271 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई, लगभग 49 हेक्टेयर भूमि में कटाव हुआ तथा 3 संख्या में मकानों की क्षति हुई थी ।

वर्तमान में तत्काल स्थानीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत, पम्पापुरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 1.59 लाख रुपये के कार्य, अर्जुन नाला बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 10.00 लाख रुपये के कार्य एवं इसके दक्षिण में काशीपुर के निकट नूरपुर गांव के समीप 3.70 लाख के कार्य तथा बाजपुर बांध के उत्तर में जोगीपुरा क्षेत्र में 8.92 लाख रु० के कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड चम्पावत में दुर्गा पीपल पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की मांग

59–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड चम्पावत में दुर्गा पीपल पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कितने ग्राम इस योजना से लाभान्वित हुये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त निर्माण कार्य पूरा होगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

एक राजस्व ग्राम ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री घनश्याम पाठक की नियुक्ति टी०वी० डिमोंट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर आगरा के स्थानान्तरण व नियुक्ति की अवधि का वेतन भुगतान किए जाने की मांग

60–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घनश्याम पाठक की नियुक्ति टी०वी० डिमोंट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर आगरा में लैव टेक्नीशियन के पद पर 25 अक्टूबर, 1986 को हुई थी, उसके बाद मथुरा तथा अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण जहां उक्त पद नहीं था तब स्थानान्तरण करने का क्या औचित्य था तथा वर्तमान मेडिकल लैव केमिस्ट मेडिकल कालेज झांसी तक का वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

श्री घनश्याम पाठक को जनहित में मथुरा तथा अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया था ।

श्री घनश्याम पाठक को मेडिकल कालेज झांसी में ड्यूटी की अवधि का वेतन नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया । इस हेतु इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तरांचल एवं मैदानी क्षेत्रों की असमान भौगोलिक स्थिति होने पर भी नहर निर्माण हेतु शासन द्वारा दोनों के लिये समान मानक रखे जाने की जानकारी व उत्तरांचल के लिए अलग मानक निर्धारित किये जाने की मांग

61–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल एवं मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है ? क्या यह सत्य है कि नहर निर्माण की लागत का मानक पहाड़ एवं मैदानी इलाकों के लिये शासन द्वारा समान रखा गया है ? क्या यह मानक दोनों के लिए न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो क्या उत्तरांचल के लिये सरकार अलग से मानक निर्धारित करेगी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

62–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[दि० 19-7-95 को अता० प्र० सं० 142 द्वारा उत्तरित]

63–श्री मोलई प्रसाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद सिंचाई विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

64–डा० मामचन्द्र लाम्बा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद, सिंचाई विभाग में ऐसे अनेकों अवर अभियन्ता हैं जिन्हें स्थानान्तरण के बावजूद कई-कई वर्षों से वहीं बनाये रखा गया है ? यदि हां, तो क्या विभागीय नीति की अवहेलना नहीं है ? ऐसे अवर अभियन्ताओं को कब तक वहां से हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में नलकूप खंड फर्रुखाबाद में ऐसा कोई भी अवर अभियन्ता कार्यरत नहीं है, जिसे स्थानान्तरण के बावजूद बनाये रखा गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में नहरों व नलकूपों के द्वारा उत्पन्न सिंचाई की समस्या के निदान हेतु की गयी कार्यवाही की जानकारी

65–श्री शिवदानी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में नहरों व नलकूपों के द्वारा उत्पन्न सिंचाई की समस्या के निदान हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-2-94 जो मुख्य मंत्री को भेजा गया था तथा जिसमें जनपद के वि०ख० नेवदा में ग्राम मोहम्मदाबाद उर्फ केवट पुरवा तथा खण्ड पूरतगंज के इब्राहिमपुर नौगिरा में एक-एक नलकूप निर्माण हेतु निवेदन किया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों नलकूप निर्माण हेतु उनके द्वारा संस्तुति जिले को भेज दी गयी थीं ? यदि हां, तो उक्त दोनों क्षेत्रों में नलकूप निर्माण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उक्त नलकूपों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण करा लिया गया है । वर्ष 1994-95 में स्थल चयन समिति द्वारा अनुमोदित न होने के कारण निर्माण नहीं कराया जा सका ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत किया जाता है । प्रस्तावित ग्राम में नलकूप लगाने की कार्यवाही जनपद स्तर पर जनपदीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति जिसमें मा० जन प्रतिनिधि सदस्य हैं, के अनुमोदन व स्थल चयन समिति द्वारा ग्रामों का चयन करने के पश्चात् की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

66–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

कार्यवाहक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ० प्र० द्वारा की गयी वित्तीय, अनियमितता की जांच कराये जाने की मांग

67–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यवाहक निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० तत्कालीन जियोहाइड्रोलिजिस्ट भू-भौतिक सर्वे खण्ड द्वितीय ने दिनांक 8-12-1979 से 1-3-1984 तक कुल रुपया 40 लाख का भुगतान कार्यादेश आपूर्ति आदेश/पेपर आदेश के माध्यम से सेल्स टैक्स एवं इन्कम टैक्स के बिना पंजीकृत फर्मों को अनियमित ढंग से किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र० को प्रान्तीय अध्यक्ष, उ० प्र० डी० आर० डी० ए० इम्प्लाईज यूनियन द्वारा प्रेषित मांग-पत्र को पूरा किए जाने की मांग

68–श्री राजेश कुमार यादव–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र० ने अपने पत्रांक 3188/स्था-3/डी० आर० डी० ए०/संघ/94-95, लखनऊ दिनांक 13 सितम्बर, 1994 द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को श्री सलमान जमीन, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ० प्र० डी० आर० डी० ए० इम्पलाइज यूनियन का मांग-पत्र प्रेषित किया था ? मांग-पत्र में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कर्मियों की मुख्य मांगे क्या थीं ? क्या शासन स्तर से मांगों को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्वाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं, परन्तु आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ० प्र० का पत्रांक–3188/स्था–3/डी० आर० डी० ए०/संघ/94-95, दिनांक 17 सितम्बर, 1994 सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है । मांग पत्र में उल्लिखित मांगे संलग्न हैं ।

परीक्षणोपरान्त उचित मांगों पर कार्यवाही की गई है ।

[देखिये नत्थी (ङ) आगे पृ० 273 पर]

बदायूं, बरेली, अल्मोड़ा, मिर्जापुर और नैनीताल में डी०आर०डी०ए० में प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस भेजे जाने की मांग

69–श्री जुगेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बदायूं, बरेली, अल्मोड़ा, मिर्जापुर और नैनीताल में डी०आर०डी०ए० में किस पद और कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्षों से अधिक अवधि से तैनात हैं ? इन प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस भेजने की क्या कार्वाही शासन व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला अस्पताल, सहारनपुर के कुछ चिकित्सकों द्वारा स्थानान्तरण उपरान्त भी सरकारी आवासों का कब्जा न छोड़े जाने की जानकारी व उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

70–श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला अस्पताल, सहारनपुर के कुछ चिकित्सक, जिनके स्थानान्तरण माह जून, 1994 में जनपद से बाहर किये गये थे, आज भी अस्पताल परिसर में बने सरकारी आवास पर कब्जा किये हुये हैं तथा अपने नये कार्य स्थान पर योगदान भी नहीं कर रहे हैं ? क्या ऐसे स्थानान्तरित चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

केवल एक डा० आर० डी० मित्तल, बाल रोग विशेषज्ञ ने आवास खाली नहीं किया है । क्योंकि डा० मित्तल का स्थानान्तरण इसी जनपद में जिला महिला चिकित्सालय में हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 में सिंचाई खण्ड, गोण्डा को विभिन्न कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के भौतिक सत्यापन हेतु टी०ए०सी० द्वारा जांच की मांग

71–घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94, 94-95 में सिंचाई खण्ड, गोण्डा को उपखण्ड प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अन्तर्गत किस-किस जलाशय को कितनी धनराशि चैनल निर्माण, नहरों की सफाई, गूल निर्माण, बोल्डर पिचिंग हेतु आवंटित की गयी ? कार्य ठेके पर कराया गया अथवा अन्य किसी एजेन्सी से कराया गया ? क्या सरकार टी० ए० सी० द्वारा भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उपखण्डों को वर्षवार एवं कार्यवार धनावंटन निम्नवत् किया गया

वर्ष	उपखण्ड	जलाशय का नाम	धनावंटन			
			चैनल निर्माण हेतु	नहरों की सफाई (रखरखाव)	गुलकुल निर्माण हेतु	बोल्डर पिचिंग हेतु
1	2	3	4	5	6	7
92–93	प्रथम	भगवानपुर	शून्य	15000/-	शून्य	शून्य
	द्वितीय	गिरगिटही	शून्य	24000/-	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
	तृतीय	वनघोघवा	शून्य	13000/-	शून्य	शून्य
93–94	प्रथम	कोहरगड्डी	शून्य	45000/-	शून्य	शून्य
	द्वितीय	खैरमान	शून्य	55000/-	शून्य	शून्य
	तृतीय	रामपुर/वनघोंघवा	शून्य	शून्य	9.71 लाख (जिला योजना) से	शून्य
94–95	प्रथम	भगवानपुर/ कोहरगड्डी	शून्य	100000/-	शून्य	शून्य
	द्वितीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	तृतीय	रामपुर/ वनघोंघवा	शून्य	शून्य	7.78 लाख (जिला योजना) से	शून्य

विभागीय कार्य ठेके एवं अमानी पर कराये गये एवं जिला योजना कार्य अमानी से कराये गये।

टी०ए०सी० द्वारा सिंचाई खण्ड, गोण्डा के कार्यों की विशेष जांच जुलाई, 1994 में की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई खण्ड, गोण्डा को बेलहा-गोरा मार्ग को राप्ती नदी के कटान हेतु सुरक्षा बांध हेतु आवंटित धनराशि के अपव्यय किये जाने की जांच व दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

72–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से 1991 तक सिंचाई खण्ड, गोण्डा को बेलहा-गोरा मार्ग को राप्ती नदी के कटान हेतु सुरक्षा बांध के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उसमें कितनी धनराशि का जरवा बोल्डर क्रय किया गया ? क्या आज भी बेलहा-गोरा लोक निर्माण मार्ग को बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया और सम्पूर्ण धनराशि अपव्यय कर दी गयी ? क्या सरकार टी० ए० सी०/विजिलेंस भेजकर भौतिक सत्यापन करायेगी और दोषी अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

46.50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी तथा 2.77 लाख रुपये जरवा बोल्डर क्रय किया गया।

बाढ़ नियन्त्रण परिषद् द्वारा जनवरी, 1989 में स्वीकृत योजनानुसार उपाय किया गया।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

73–श्री घनश्याम शुक्ला–

[दिनांक 2-8-95 को अता० प्र० सं० 125 द्वारा उत्तरित]

कृषि निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

74–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ में कितने दैनिक वेतन भोगी टंकक/लिपिक कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त दैनिक वेतन भोगी लिपिकों को नियमित करते हेतु वर्ष 1988 में शासन द्वारा स्पष्ट आवश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में कब तक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

कृषि निदेशालय में वर्तमान में 58 दैनिक वेतन भोगी टंकक/लिपिक कार्यरत हैं ।

जी हां ।

कृषि निदेशालय में जैसे-जैसे पद रिक्त होते जायेंगे वैसे-वैसे आवश्वासन की परिधि में आने वाले दैनिक वेतन भोगी टंककों को समोजित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

होम्योपैथिक लेबोरेटरीज के लम्बित बिलों के भुगतान की मांग

75–श्री यशपाल आर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-3-92 तथा दिनांक 6-8-94 के पत्र द्वारा कितने होम्योपैथिक निर्माता फैक्ट्री या लेबोरेटरीज द्वारा बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ को सप्लाई किये गये होम्योपैथिक दवाओं से संबंधित लम्बित बिलों के भुगताने का अनुरोध विभाग को प्राप्त हुआ है ? क्या इन लम्बित बिलों के भुगतान हेतु शासन द्वारा निदेशक, होम्योपैथी एवं बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ को आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक लम्बित बिलों के भुगतान न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? लम्बित बिलों का भुगतान बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा अथवा संबंधित विभगाध्यक्ष द्वारा कब तक करा दिया जायगा ? क्या सरकार ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करने का कष्ट करेगी कि होम्योपैथिक लेबोरेटरीज के लम्बित बिलों का भुगतान अधिक से अधिक तीन माह में अवश्य कर दिये जायें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट में तड़ीगांव नहर की खुदाई समयबद्ध प्रोग्राम के अन्तर्गत कराये जाने की मांग

76–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट में तड़ीगांव नहर 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी ? इसकी खुदाई टेल तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी खुदाई समयबद्ध प्रोग्राम के अन्तर्गत करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। 5.5 कि०मी० लम्बी तड़ीगांव नहर 1985 में स्वीकृत हुई थी।

प्रश्नगत नहर के समरेखन के लगभग 700 मीटर में स्थित खड़ी कठोर चट्टानों की लम्बाई को छोड़कर नहर खुदाई एवं निर्माण का हेड से टेल तक पूर्ण किया जा चुका है। कठोर चट्टानों वाले भाग में नहर निर्माण कार्य हेतु वर्ष 90-91 में आमंत्रित निविदाओं के समक्ष कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई तथा वर्ष 92-93 में प्राप्त निविदाओं की दरें विभागी दरों से अधिक थीं। वर्ष 94-95 व 95-96 में धनाभाव के कारण कोई कार्य नहीं कराया जा सका।

उपरोक्त अवशेष भाग को वर्ष 96-97 से आगे तीन वर्ष में पूर्ण किये जाने का समयबद्ध कार्यक्रम है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में दसाईथल खिरमाण्डे, गनाई मोटर मार्ग का निर्माण समयबद्ध प्रोग्राम के अन्तर्गत कराये जाने की मांग

77–श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में दसाईथल खिरमाण्डे, गनाई मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त मार्ग के निर्माण के उपरान्त कण्डारीछीना, दुर्गई, आगर खिरमाण्डे, नैनोली, पिखली एवं ग्वासीकोट के हजारों परिवारों को तहसील मुख्यालय गगोलीहाट जाने में प्रतिमाह हजारों रुपयों की किराये भाड़े की बचत होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण समयबद्ध प्रोग्राम के अन्तर्गत करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

तीन चरणों में स्वीकृत प्रश्नगत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य निम्नलिखित वर्षों में प्रारम्भ किया गया और बन्द किया गया :–

स्वीकृत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	कार्य कब बन्द हुआ
प्रथम भाग कि०मी० 1 से 5	फरवरी, 1981	मार्च, 87 में मार्ग कार्य पूर्ण तथा यातायात हेतु उपलब्ध।

द्वितीय भाग कि०मी० 6 से 15	मार्च, 1983	वन भूमि हस्तान्तरित न होने के कारण अप्रैल, 92 में कार्य बन्द करना पड़ा ।
तृतीय भाग कि०मी० 16 से 20	फरवरी, 1993	द्वितीय भाग का कार्य पूर्ण न होने के कारण तृतीय चरण का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका ।

जी हां ।

वन भूमि हस्तान्तरण की लम्बी एवं जटिल प्रक्रियाओं के कारण समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जनपद की रोजा, पुवायां, तिलहर व जलालाबाद मण्डी परिषद् द्वारा प्रस्तावित मार्गों का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने की मांग

78–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद की रोजा, पुवायां, तिलहर व जलालाबाद मण्डी परिषद् के द्वारा जो मार्ग पर पत्थर डलवाकर 2-3 वर्ष से छोड़ दिये गये हैं, उसका क्या कारण है ? क्या जनहित में इन मण्डियों के द्वारा उक्त मार्गों का निर्माण कार्य पूरा किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मण्डी समिति, शाहजहांपुर (रौजा) तिलहर व पुवायां मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत 17 नग सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य मण्डी समितियों के पास धनाभाव एवं समयानुसार मैक्सफाल्ट की अपूर्ति न मिलने के कारण पूर्ण नहीं कराये जा सके हैं । मण्डी समिति, जलालाबाद के क्षेत्रान्तर्गत किसी मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा नहीं छोड़ा गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सिंचाई विभाग कुण्डा प्रतापगढ़ के खण्डीय कार्यालय में तैनात कर्मचारी के विरुद्ध जांच कर स्थानान्तरण कर कार्यवाही किये जाने की मांग

80–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, कुण्डा प्रतापगढ़ के खण्डी कार्यालय में तैनात श्री भानुकर प्रताप सिंह, मुख्य लिपिक कितने वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? इनके विरुद्ध

वर्ष 1992-93 में कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? उनका स्थानान्तरण न किये जाने का कारण क्या है ? क्या उक्त कर्मचारी के विरुद्ध जांच करके स्थानान्तरण के उपरान्त कठोर कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

श्री भानुकर प्रताप सिंह, वरिष्ट लिपिक, सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत चतुर्थ उपखण्ड कुण्डा में उपखण्डीय लिपिक के पद पर अगस्त, 90 से कार्यरत थे ।

वर्ष 1992-93 में विभागीय अभिलेखों के अनुसार शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

उनका स्थानान्तरण वर्तमान सत्र में कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता

जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने की मांग

81–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का जिला कुष्ठ अधिकारी, शाजहांपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 16-8-94 को या इसके आस-पास उन्हें तथा मा० स्वास्थ्य राज्य मंत्री, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ तथा अपर स्वास्थ्य निदेशक, बरेली तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को भेजे थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार जिला कुष्ठ अधिकारी, शाहजहांपुर के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराकर उन्हें निलम्बित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

दिनांक 18-8-94 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

जिला कुष्ट अधिकारी, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद महराजगंज के गौरा माइनर का टेल जिसकी मरम्मत के लिए अधिकारियों द्वारा मरम्मत के नाम पर लाखों का भुगतान किये जाने की जांच की मांग

82–श्री शारदा प्रसाद जासवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के गौरा माइनर का टेल वर्ष 1992 में टूट चुका है ? क्या टेल के कास्तकारों को सिंचाई सुविधा हेतु माइनर से पानी नहीं मिल पा रहा है ? क्या माइनर का पूरा पानी टेल से ड्रेन में बह जा रहा है ? क्या बिना सिंचाई सुविधा कास्तकारों को दिये ही सिंचाई शुल्क की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि गौरा माइनर का टेल जिसकी मरम्मत कम पैसों में करायी जा सकती है, उसकी मरम्मत के लिए अधिकारियों द्वारा धनाभाव की बात की जा रही है ? क्या मरम्मत के नाम पर लाखों का भुगतान हर वर्ष किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं । सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जी नहीं । सिंचाई शुल्क उन्हीं कास्तकारों से लिया जा रहा है जिन्हें पानी उपलब्ध कराया जाता है ।

जी नहीं । कोई धनाभाव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक में ''मलेहा'' गांव में सिंचाई हेतु लगाया गया ट्यूबवेल जनता के उपयोग हेतु चालू किये जाने की मांग

83–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लाक में ''मलैहा'' गांव में सिंचाई हेतु लगाया गया ट्यूबवेल किस वर्ष पूरा हुआ है ? उक्त ट्यूबवेल अभी तक जनता के उपयोग हेतु चालू न होने का क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनधन की इस हानि को रोकने के लिए तत्काल उसे चालू करोगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यह नलकूप दिनांक 26-2-95 को चालू हुआ ।

नलकूप चालू है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

भूमि परीक्षण प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में कृषि अधीनस्थ सेवा श्रेणी–3 के कर्मचारियों को 16 वर्ष की सेवा के पश्चात् अनुमन्य प्रोन्नति वेतनमान प्रदान किये जाने की मांग

84–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, मुजफ्फरनगर में कृषि अधीनस्थ सेवा श्रेणी–3 के कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें नियमित सेवा करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो गया है ? क्या उक्त कर्मचारियों को सेवा के 10 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् समयमान वेतनमान तथा 16 वर्ष की सेवा के पश्चात् मिलने वाला अनुमन्य प्रोन्नत वेतन प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के लिये कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, दो कर्मचारी हैं ।

जी हां , दोनों कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया गया । 16 वर्ष की सेवा के पश्चात् अनुमन्य एक कर्मचारी को प्रोन्नत वेतन दिया गया । दूसरा कर्मचारी निर्धारित अवधि पूर्ण नहीं करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरीराम गांव अदमापुर, पो० मिर्जामुराद, जिला वाराणसी परिवार कल्याण विभाग उ० प्र० में कार्यरत कर्मचारी को सेवा बहाली की मांग

85–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरीराम गांव अदमापुर, पो० मिर्जामुराद, जिला वाराणसी परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में कार्य करते थे ? क्या इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया ? इन्होंने लोक सेवा अधिकरण नं० 2 जवाहर भवन, लखनऊ में क्लेम पेटीशन नं० 65/11/1983, दिनांक 10-8-92 के निर्णय की कापी के साथ प्रार्थना-पत्र निदेशक को दिनांक 16-9-92 को दिया है ? यदि हां, तो क्या लोक सेवा अधिकरण नं० 2 लखनऊ ने वर्ष 1973 से वेतन देने तथा हरीराम को नौकरी में रखने का आदेश दिया है ? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

मा० अधिकरण द्वारा केवल अप्रैल, 1973 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक नियमों के अन्तर्गत 12% ब्याज के साथ वेतन का भुगतान करने के आदेश दिये गये थे ।

मा० लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 10-8-92 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में रिट याचिका दायर करने की कार्यवाही की जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर मेरीस्टोप्स क्लीनिक पर वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में हुई फर्जी नसबन्दी की जांच की मांग

86–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती पत्र दिनांक 27-3-95 को या इसके आसपास फर्जी नसबन्दी तथा महिलाओं की नसबन्दी पुरुष द्वारा कराने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर मेरीस्टोप्स क्लीनिक पर वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में हुई फर्जी नसबन्दी की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जांच करायी गयी ।

जी हां ।

मण्डलीय अपर निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली को जांच के आदेश दिये जा चुके हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज की नगर पंचायत सिसवा बाजार के नागरिकों को सस्ता चीनी व मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने हेतु कार्ड धारकों के यूनिट व गुमशुदा कार्डों के यूनिटों के उपलब्ध चीनी एवं तेल के उपयोग किये जाने की जानकारी

87–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद महराजगंज की नगर पंचायत सिसवा बाजार के नागरिकों को सस्ता चीनी एवं मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिये राशन कार्ड की व्यवस्था है ? क्या दुकान पर लगे राशन कार्ड की यूनिटों पर हर माह चीनी एवं तेल आवंटित किया जाता है ? यदि हां,तो क्या जिन कार्ड धारकों का राशन कार्ड गुम, कटा फटा तथा जल गया है उन कार्ड धारकों को चीनी एवं तेल आदि नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो उन कार्डों की यूनिटों की चीनी तेल का उपयोग कहां कैसे किया जाता है ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति जनपद महराजगंज की नगर पंचायत सिसवा बाजार के नागरिकों को सस्ता चीनी एवं मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने हेतु राशन कार्ड की व्यवस्था है जिन पर हर माह उपलब्धता के अनुसार चीनी एवं तेल का आवंटन किया जाता है । जिन कार्ड धारकों का राशन कार्ड, गुम, कटा फटा तथा जल गया है उनको उक्त आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु डुप्लीकेट कार्ड, उनके आवेदन के आधार पर जारी किये जाने की व्यवस्था है ।

88–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[दि० 19-7-95 को अता० प्र० सं० 55 द्वारा उत्तरित]

निदेशक, युवा कल्याण को श्री सुशील कुमार शर्मा, चौकीदार द्वारा श्री विजय शंकर सिंह क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी को डीजल चोरी में पकड़े जाने पर दी गयी सूचना पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि दिनांक 1-10-1993 की रात्रि 11 बजे श्री विजय शंकर सिंह, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ट्रक नं०–यू० पी० जे०- 9172 से चोरी से डीजल निकाल रहे थे ? क्या रात्रि की ड्यूटी में तैनात श्री सुशील कुमार शर्मा, चौकीदार, प्रा०वि० द० (स्वयं सेवक) ने पकड़ा था और निदेशक, युवा कल्याण को लिखित सूचना दिनांक 2-10-93 को दी थी ? यदि हां, तो उक्त श्री सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

श्री सुशील कुमार शर्मा ने इस संबंध में 12-10-93 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था ।

श्री विजय शंकर सिंह के विपरीत कार्यवाही करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

श्रीमती शारदा देवी के कार्य प्रबन्धक सिंचाई कार्यशाला खण्ड गोरखपुर को दिये गये आवेदन पर कार्यवाही न किये जाने के विरुद्ध दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने की मांग

90-डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शारदा देवी के पति श्री सिंहासन जो सिंचाई कार्यशाला खण्ड गोरखपुर में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में हैल्पर के पद पर कार्यरत थे, का आकस्मिक निधन दिनांक 18-6-1993 को हो गया है ? क्या सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजित करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो श्रीमती शारदा देवी के कार्य प्रबन्धक सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर को दिये गये दिनांक 16-10-93, 23-3-94 तथा 23-4-94 के आवेदन पत्र पर अभी तक कोई समुचित कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या सरकार इस लापरवाही के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां,तो क्या ? यदि नहीं,तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

श्रीमती शारदा देवी, मृतक आश्रित के ऊपर विभाग के श्रमिकों/कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर सेवायोजित करने के नियम/शासनादेश लागू नहीं होते हैं ।

जी नहीं ।

औद्योगिक अधिष्ठान में कार्यरत ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों जिनकी कुल निरन्तर सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो, के सेवाकाल में असामयिक निधन हो जाने पर उनके एक आश्रित पत्नी या पति, पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को मानवीय आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर औद्योगिक अधिष्ठान में ही ऐसे पदों पर जो लोक सेवा आयोग की परिधि में न हो, सेवायोजन प्रदान किया जाता है ।

मलेरिया विभाग के वाराणसी जनपद के सहायक निदेशक तथा कुछ निलम्बित कर्मचारियों की बहाली की मांग

91–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग के वाराणसी जनपद के सहायक निदेशक तथा कुछ कर्मचारीगण दिनांक 9-6-91 को निलम्बित किये गये थे ? यदि हां,तो वे कौन हैं और निलम्बन के कारण क्या हैं ? यदि उक्त में से कुछ कर्मचारी बहाल हो गये हैं ? यदि हां,तो शेष की बहाली के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री आर० के० चौधरी–

प्रश्नगत मामले में निलम्बन के संबंध में शासन स्तर से दिनांक 9-6-91 को कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जनपद को पूर्ण सिंचित जिला घोषित किये जाने की मांग

92–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में कुल कृषियुक्त भूमि कितने हेक्टेयर है ? उसका कितना प्रतिशत सिंचित है ? बाकी असिंचित भूमि के सिंचन हेतु सरकार के पास क्या कोई योजना है ? यदि हां,तो वाराणसी जिला कब तक पूर्ण सिंचित हो जायगा ?

सुश्री मायावती–

वाराणसी जनपद की कुल कृषियुक्त भूमि 2.77 लाख हेक्टेयर है ।

उक्त में से 73.6 प्रतिशत सिंचित है ।

वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत ड्रेनों में खुदाई व सफाई कार्य करने वाले श्रमिकों को भुगतान की गयी मजदूरी की दर की जानकारी

93–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत हैदरगढ़, इन्नौहा, बिच्वा अहिरगांव, हरपालपुर, खसहा, पत्तिया, चिलला रामपुर, नरायनपुर आदि ड्रेनों में खुदाई एवं सफाई कार्य करने वाले श्रमिकों को किस दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है तथा प्रत्येक ड्रेनवार कितना पैसा शासन का व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी इसका विवरण सहित सदन के पटल पर रखेंगे ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आगरा में स्थित खारी नदी पर ग्राम खेड़ावाकन्दा में बनाये जा रहे रपटे की तरह अन्य जगहों पर रपटे बनाये जाने की मांग

94– श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में स्थित खारी नदी पर ग्राम खड़वाकन्दा में रपटा बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार के रपटे जैगारावसइया के घाट पर तथा रेठौरा ग्राम के घाट पर भी बनाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद आगरा में स्थित खारी नदी पर ग्रामखेड़ा वाकन्दा में सिंचाई विभाग द्वारा रपटा नहीं बनाया जा रहा है ।

सिंचाई विभाग द्वारा रपटों का निर्माण नहीं कराया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में हजारों हेक्टेयर शुष्क भूमि को सिंचाई साधन दिये जाने की मांग

95–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में स्थित न्याय पंचायत मण्डी मिर्जा खां सामरा और रसूलपुर में कोई भी सिंचाई साधन नहीं है ? यदि हां,तो क्या इस क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर शुष्क भूमि को सिंचाई का साधन देने पर सरकार विचार कर रही है ?

सुश्री मायावती–

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विकास खण्ड में स्थित न्याय पंचायत मण्डी मिर्जा खां क्षेत्र राजकीय सिंचाई साधन से वंचित है । परन्तु ग्राम सामरा और रसूलपुर का क्षेत्र क्रमशः सहनपुर बांध और सेरामोरी बांध से सिंचित होता है ।

इस क्षेत्र की सिंचाई के लिये वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जिला चिकित्सालय बलिया में लागू शासनादेश के मानक के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

96–श्री मारकण्डेय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय बलिया में लागू शासनादेश के मानक के अनुसार कितने पद किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त है ? यदि पद रिक्त हैं, तो रिक्त पदों पर सरकार कब तक नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

मानक के अनुसार जिला पुरुष चिकित्सालय बलिया में कुल 154 पद होने चाहिये जिसके विरुद्ध 92 पद स्वीकृत हैं । इसी प्रकार जिला महिला चिकित्सालय, बलिया में मनकानुसार अपेक्षित कुल 57 पदों के विरुद्ध 37 पद स्वीकृत हैं ।

जिला योजना से परिव्यय एवं उसके अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् अवशेष पदों का सृजन एवं उन पर नियुक्ति संभव होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय बलिया में कार्यरत एक्सरे मशीन को चलाये जाने हेतु टेक्निशियन व डार्करूम असिस्टेन्ट की नियुक्ति की मांग

97–श्री मारकण्डेय सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय बलिया में कितनी एक्सरे मशीन कार्य कर रही हैं ? क्या एक्सरे मशीन को चलाने हेतु एक्सरे टेक्निशियन व डार्करूम असिस्टेन्ट की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं,तो कब तक नियुक्ति की जायगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जिला चिकित्सालय, बलिया में एक 300 एम० ए० की एक्सरे मशीन कार्यरत है ।

जी नहीं ।

जिला योजना से परिव्यय एवं उसके अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् पद का सृजन एवं नियुक्ति संभव होगी ।

जनपद बलिया में सुरहाताल पम्प कैनाल से चांदपुर माइनर पर मरम्मत हेतु खर्च हुआ रुपया एवं इस माइनर से की गयी सिंचाई से प्राप्त राजस्व की जानकारी

98–श्री मारकण्डेय सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में सुरहाताल पम्प कैनाल से चांदपुर माइनर को बने हुए कितने साल हुए हैं ? जब से चांदपुर माइनर बना है, उस माइनर पर मरम्मत हेतु आज तक कितना रुपया खर्च हुआ है तथा इस माइनर से कितनी भूमि की सिंचाई की गयी एवं उससे कितने रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जनपद के विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना लागू कराये जाने की मांग

99–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना लागू करने के आधार एवं मानक क्या हैं ? क्या देवरिया जनपद के देवरिया सदर, रामपुर कारखाना एवं पथरदेवा विकास खण्डों में भी इसे लागू करायेंगे ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

सुनिश्चित रोजगार योजना से आच्छादित विकास खण्डों का चयन भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित आधार पर किया गया :–

1–प्रदेश के जिन 20 जनपदों के 145 विकास खण्डों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है उनमें वर्ष 1993-94 में सुनिश्चित रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गयी । बाद में भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर एस० आर० हाशिम की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर 3 अन्य विकास खंडों का चयन किया गया, उक्त के फलस्वरूप प्रदेश के 20 जनपदों के 148 विकास खण्डों में उक्त योजना कार्यान्वित की गयी ।

2–प्रदेश सरकार की संस्तुति पर 18 अन्य पिछड़े उच्च जनसंख्या घनत्व वाले, बाढ़ ग्रसित तथा प्रति श्रमिक कम कृषि उपज वाले क्षेत्र में मजदूरों के अधिक पलायन वाले जनपदों के 100 विकास खण्डों में इस योजना का विस्तार फरवरी, 1995 में किया गया, जिसमें जनपद देवरिया के 5 विकास खण्डों रुद्रपुर, देसई देवरिया, गौरीबाजार, बनकटा तथा बैतालपुर का भारत सरकार द्वारा चयन किया गया ।

यदि भारत सरकार इस योजना के संचालन हेतु उक्त विकास खण्डों के लिये धनराशि उपलब्ध करायेंगे तो इसे लागू किया जायेगा ।

लघु डाल सिंचाई प्रखण्ड, बांदा को चिल्ली पम्प कैनाल हेतु रिलीज की गयी धनराशि की जानकारी

100–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लघु डाल सिंचाई प्रखण्ड, बांदा को चिल्ली मल्ल पम्प कैनाल हेतु पूर्व के वर्षों में बाजें बदलवाने हेतु शासन से 35 लाख रुपये स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उसमें से कितना रुपया रिलीज हुआ एवं खर्च हुआ ? बाकी पैसा कब तक रिलीज हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के आदेश की जानकारी व उसे लागू न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

101–श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री अब्दुल रईस–

क्या उद्यान मंत्री संयुक्त सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1, के अ० शा० प० सं०–82 एम/58-1-94-1081/90, दि० 12-4-94 जो निदेशक, उद्यान (मै०) उ० प्र० को सम्बोधित है, मूल रूप से सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेश के मूल बिन्दु क्या हैं ? उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं,तो क्यों ?इस आदेश का अनुपालन अब तक न किये जाने हेतु क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं,तो क्यों ?

उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री फौजदार प्रसाद)–

संदर्भित शासनादेश दि० 12-4-94 की छाया प्रति संलग्न है । उक्त पत्र में श्री राम नाथ वर्मा व श्री वी० पी० गुप्ता, अध्यक्ष चन्द्र भानु गुप्त नगर वार्ड कैंट क्षेत्र, लखनऊ, कांग्रेस कैडर कार्यक्रम, लखनऊ के पत्र में उल्लिखित शिकायतों के संदर्भ में जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये थे ।

विभाग द्वारा शिकायतों की जांच कराई गई जिसमें कोई दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृ० 274 पर)

संयुक्त सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के आदेश को लागू न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

102–श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री अब्दुल रईस–

क्या उद्यान मंत्री संयुक्त सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1, के अ० शा० प० सं०–5158/58-1-94वि० स० 24/92, दि० 12-1-94 जो निदेशक, उद्यान (मै० क्षे०) उ० प्र० को सम्बोधित है, मूल रूप से सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेश के आधार पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं,तो क्यों ? शासन के उक्त आदेशों का अनुपालन अब तक नहीं किये जाने के कारण क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फौजदार प्रसाद–

शासन के अ० शा० प० सं०–5158/अट्ठावन-1–94–वि० स०–24/92, दिनांक 12-1-94 की छाया प्रति संलग्न है । जिसके संलग्नक में माननीय सदस्यगण सर्वश्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा अब्दुल रईस के पत्रों के अनुरूप ही प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 275–277 पर)

विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के आदेश के मूल बिन्दुओं पर विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने की जानकारी व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

103–श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री अब्दुल रईस–

क्या उद्यान मंत्री संयुक्त सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1. के अ० शा० प० सं०–8333/58-1-91-681/90. दि० 27-12-91 जो निदेशक, उद्यान (मै० क्षे०) उ० प्र० को सम्बोधित है, मूल रूप से सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेश में उल्लिखित मूल बिन्दुओं के आधार पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं,तो क्यों ? शासन के उक्त आदेश का अनुपालन अब तक न किये जाने के कारण क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फौजदार प्रसाद–

मूल पत्र की छाया प्रति संलग्न है । उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्रकरण की विभाग द्वारा गठित समिति से जांच कराई गई, जिसमें कोई अनियमितता होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 278–279 पर)

104–श्री अब्दुल रईस–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

निदेशक, उद्यान (मै० क्षे०) उ० प्र० के आदेश के अनुरूप अधिकारियों द्वारा किये गये प्रचार प्रसार कार्य व धन आवंटन की जानकारी व अनियमितताओं हेतु दोषी अधिकारियों को दंडित किये जाने की मांग

105–श्री अब्दुल रईस–

क्या उद्यान मंत्री, निदेशक उद्यान (मै० क्षे०) उ० प्र० के कार्यालय ज्ञाप सं०–1168/प्र० प्र०/सं० दिनांक 18-12-92, जो विभागीय अधिकारियों को सम्बोधित है, मूल रूप से सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के अनुरूप अधिकारियों ने गत वर्षों में प्रचार-प्रसार तकनीकी कर्मचारियों के सहमति से प्रकाशन व प्रचार-प्रसार का कार्य व धन का आवंटन करवाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन अनियमितताओं हेतु दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फौजदार प्रसाद–

जी हां, छाया प्रति संलग्न है । कार्यालय ज्ञाप के अनुरूप प्रचार-प्रसार का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृ० 280–281 पर)

106–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[चौथे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

डी० आर० डी० ए० (ग्राम विकास अभिकरण) के कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

107–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि डी० आर० डी० ए० (ग्राम्य विकास अभिकरण) के कर्मचारी आज भी अस्थाई चल रहे हैं और अनेक लोग सेवानिवृत्त के आस-पास हैं जिन्हें सेवानिवृत्त के बाद पेंशन तक प्राप्त नहीं होगी ? यदि हां, तो उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री चैन सुख भारती–

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1861 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है । अतः इनके कार्मिकों को पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है । डी० आर० डी० ए० एक अस्थायी विभाग है । अतः इसके समस्त पद अस्थायी हैं और इन्हें स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

108–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

[दि० 21-8-95 को अता० प्र० सं०–93 द्वारा उत्तरित]

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कनाकोट पेयजल योजना बनाने में व्यय की गयी धनराशि व पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी

109–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कनाकोट पेयजल योजना बनाने के बाद से आज तक ग्रामीणों को बिल्कुल पानी उपलब्ध नहीं करा पाई ? यदि हां,तो कब तक प्रारम्भिक आंगणन के अनुसार सरकार ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करायेगी ? इस योजना पर कुल कितना धन अब तक व्यय हुआ ? पेयजल की आपूर्ति न होने का क्या कारण है ? योजना बनाने से पहले ही क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है ।

योजना को पूर्ण रूप से चालू करने के लिये प्राक्कलन बनाया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 1995-96 के अन्त तक योजना पूर्ण रूप से चालू जायेगी ।

जल निगम द्वारा कनाकोट पेयजल योजना के स्वीकृत प्राक्कलन रु० 14.62 लाख के विरुद्ध रु० 13.05 लाख व्यय किया गया ।

योजना क्षतिग्रस्त होने के कारण पूर्ण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है ।

योजना निर्माणकाल के दौरान क्षतिग्रस्त नहीं हुयी है ।

110–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

[विस्तार्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थलीसैंण में जल संस्थान विभाग द्वारा कराये गये कार्य की जांच की मांग

111–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड थलीसैंण में माह मार्च, 95 में जल संस्थान विभाग द्वारा कराये गये कार्य बहुत ही घटिया किस्म के हुए हैं ? क्या उक्त कार्यों की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करवायी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

112–श्री मयंकर सिंह तथा श्री अखिलेश–

[दि० 17-8-95 को अता० प्र० सं० 31 द्वारा उत्तरित]

113–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दि० 16-8-95 को अता० प्र० सं०–112 द्वारा उत्तरित]

डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में उप जिलाधिकारी आवास के पीछे स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय भवन को खाली कराये जाने की मांग

114–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर में उप जिलाधिकारी आवास के पीछे स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय भवन को किसी संस्था के नाम आवंटित करके समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन को आवंटन करने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग से कोई आख्या मांगी गयी थी ? यदि नहीं,तो क्यों ? कया सरकार उक्त भवन का आवंटन निरस्त करके उसे खाली कराने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा प्रश्नगत भवन का आवंटन "सिद्धार्थ चेतना एवं कौमी एकता संस्थान" जिसके अध्यक्ष श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ हैं, को सन्त कबीर पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलने हेतु किया गया है । उक्त भवन में समाजवादी पार्टी का कार्यालय स्थापित नहीं है । शेष सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर खाद्य व पूर्ति अधिकारी द्वारा नीति के अनुसार दुकानों का आवंटन न किये जाने की जानकारी

115–श्री सतीश महाना–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राशन दुकानों के आवंटन में क्या नीति बनाई गई है और क्या इस नीति के अन्तर्गत कानपुर खाद्य पूर्ति अधिकारी द्वारा दुकानों का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

नगरीय क्षेत्रों में राशन दुकानों का चयन शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 85 के प्राविधानों के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयनसमिति द्वारा किया जाता है । उक्त चयन समिति द्वारा राशन की दुकानों के आवंटन में 50 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षण से तथा शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां निर्धारित की गयी वरीयता के आधार पर आवंटित की जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों के चयन का अधिकार शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 90 में निर्धारित प्रादिधानों के अन्तर्गत ग्राम सभा को दिया गया है, जिसकी खुली बैठक में सर्वसम्मत/बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर चुने गये राशन विक्रेता की नियुक्ति की जाती है । उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत कानपुर में भी दुकानों का आवंटन किया गया है ।

गूलर घाटी टिहरी गढ़वाल में पर्यटन विभाग नरेन्द्र नगर द्वारा पर्यटक हेतु झील बनाये जाने की मांग

116–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गूलर घाटी टिहरी गढ़वाल में पर्यटन विभाग नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल द्वारा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वितीय खण्ड नरेन्द्र नगर के झील बनाने का आगणन तैयार करवाकर शासन को भिजवाया था ? यदि हां,तो उक्त झील न बनाये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार इस झील को पर्यटक हेतु तत्काल बनाने पर विचार करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

टिहरी गढ़वाल में चिरवटिया से पटागणियां हल्का वाहन या पैदल मार्ग हेतु स्वीकृत धनराशि को वन विभाग को निर्माण हेतु दिये जाने की मांग

117–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल में चिरवटिया पटागणियां हल्का वाहन या पैदल मार्ग शासन से स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि इसका निर्माण नहीं किया जा रहा है ? क्या वन विभाग इस मार्ग को बनाने में वन भूमि नहीं देना चाहता है ? यदि हां,तो क्या वन विभाग टिहरी गढ़वाल इस मार्ग को स्वयं बना सकता है ? यदि हां, तो क्या लोक निर्माण विभाग टिहरी गढ़वाल इस मार्ग के लिये स्वीकृत धनराशि को वन विभाग को निर्माण हेतु देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । पैदल मार्ग स्वीकृत है । वन विभाग का पैदल मार्ग पूर्व से ही निर्मित होने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है ।

उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के पर्यटक स्थल कुञ्जीपुरी के लिये तपोवन से रज्जू मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

118–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में अनेकों रमणीक पर्यटक स्थल है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर्यटक स्थलों को मोटर मार्गों से जोड़ने हेतु रज्जू मार्गों का निर्माण करने जा रही है ? यदि हां,तो क्या सरकार जनपद टिहरी गढ़वाल के पर्यटक स्थल कुंज्जीपुरी के लिये तपोवन से रज्जू मार्ग का निर्माण करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

लक्ष्मण झूला से कुञ्जीपुरी के लिये रज्जूमार्ग की योजना के लिये वर्ष 1990-91 में टेक्नो इकोनोमिक फीजिविलिटी रिपोर्ट मैसर्स राइट्स द्वारा तैयार की गयी थी जिस पर तत्समय करीब रु० 24.62 करोड़ की लागत अनुमानित की गयी । अधिक वित्त साध्य होने के कारण योजना नहीं ली गयी है ।

119–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

120–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

[दि० 7-8-95 को अता० प्र० सं० 89 द्वारा उत्तरित]

काशीपुर नैनीताल के अन्तर्गत जीर्णशीर्ण राज्य मार्ग के सुधार हेतु आगणन स्वीकृत किये जाने की जानकारी

121–श्री राजीव कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर नैनीताल के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण पड़े टिहरी मुरादाबाद तथा पानीपत खटीमा राज्य मार्ग के सुधार के लिये कोई आगणन शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? यदि हां,तो वह कब तक स्वीकृत होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

122–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प० क० पत्रांक–4फ/अ/68/84/7677 दिनांक 17-11-88 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या

बिन्दु है ? उन पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में स्टोरकीपर व स्टोर कीपर कम क्लर्क पद हेतु स्वीकृत वेतनमानों में विषमता को दूर किये जाने की मांग

123–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर एवं स्टोर कीपर कम क्लर्क पद पर विभिन्न कार्यालयों में अलग-अलग वेतनमान स्वीकृत है ? यदि हां, तो वेतनमान क्या-क्या है ? इस विषमता आधार क्या है ? क्या उक्त विषमता सरकार दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां । स्टोर कीपर तथा स्टोर कीपर कम क्लर्क के वेतनमान क्रमशः निम्नलिखित हैं :–

(1) स्टोर कीपर रु० 975–1600

(2) स्टोर कीपर कम क्लर्क रु० 950–1500

उक्त दोनों पद अलग-अलग कार्यक्रम के अधीन सृजित हैं ।

जी नहीं । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में हेड स्टाक का मिलान न किये जाने की जानकारी

124–श्री हरीश कुमार गंगवार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1994 के पहले बुधवार दिनांक 24-8-94 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 44 के उत्तर के क्रम में या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डेडस्टाक का मिलान किस अधिकारी ने किस तिथि को किया है ? क्या यह भी सत्य है कि केवल गाज वेण्डेड काटन की स्टाक बुक ही स्थानान्तरित की गयी थी तथा उसमें 155 पौण्ड काटन कम पाई गयी थी ? स्टाक बुक मिलान न करने का औचित्य क्या है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुश्री कुसुम श्रीवास्तव रियासत परवरपारा जनपद बस्ती के शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

125–श्री जगदम्बा सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुश्री कुसुम श्रीवास्तव, रियासत परवरपारा जनपद–बस्ती की कोई शिकायत दिनांक 1-8-94, 20-10-94 एवं 29-11-94 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायत का विषय क्या है तथा उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चैनसुख भारती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मानसिक चिकित्सालय, आगरा में कार्यरत सहायक अधीक्षक की पदोन्नति का आधार व इन्हें लिपिकीय संवर्ग में वापस किये जाने की जानकारी

126–श्री रमापति शास्त्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्टोर कीपर कम क्लर्क की पदोन्नति स्टीवर्ड तथा सहायक अधीक्षक पद पर एवं लिपिकों की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक एवं मुख्य लिपिक पद पर होती है ? यदि हां, तो मानसिक चिकित्सालय, आगरा में कार्यरत सहायक अधीक्षक जिनकी मूल नियुक्ति लिपिकीय संवर्ग में हुई थी की स्टोर कीपर संवर्ग में वर्ष 1991 में पदोन्नति का आधार क्या है ? क्या इनको लिपिकीय संवर्ग में वापस किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं । स्टोर कीपर कम क्लर्क की पदोन्नति स्टीवर्ड तथा सहायक अधीक्षक के पद नहीं होती है । स्टोर कीपर कम क्लर्क की पदोन्नति स्टोर कीपर तथा कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक एवं मुख्य लिपिक के पद पर होती है ।

मानसिक चिकित्सालय, आगरा में कार्यरत सहायक अधीक्षक की मूल नियुक्ति लिपिकीय संवर्ग में नहीं वरन् स्टीवर्ड क्लर्क के रूप में हुई थी किन्तु तत्समय स्टीवर्ड क्लर्क एवं लिपिक का वेतनमान एक होने के कारण उक्त अधीक्षक को वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात किया गया, परन्तु उनके निजी अनुरोध पर उन्हें पुनः उनके मूल संवर्ग स्टोर कीपर में वापस कर दिया गया जिसमें वह कार्यरत हैं ।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1994 का प्राख्यापन हो चुका है । अतः अब संबंधित सहायक अधीक्षक को लिपिकीय संवर्ग में वापस किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के ग्रामों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जल निकासी हेतु तत्काल व्यवस्था किये जाने की मांग

127–श्री प्रेम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के ग्राम भनेडा, पतला, पूठडी, निवाडी, सुहाना, उजेडा, डबाना, ढिहार, काकड़ा, खिभावती, सार, कादराबाद, बिशोखर, सिखेडा में वर्षा समय वर्ष 1994 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी ? क्या जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण भी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थिति को देखते हुए जल निकासी हेतु बने नालों की सफाई/खुदाई की गयी ? यदि नहीं, तो यों ? क्या सरकार समुचित जल निकासी हेतु तत्काल व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

निरन्तर अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप वर्ष 1994 में इन ग्रामों के क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी ।

जी हां ।

सीमित विभागीय संसाधनो के अन्तर्गत प्राप्त अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार व आवश्यकतानुसार सफाई का कार्य कराया गया था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों के अन्तर्गत ग्राम भनेड़ा को छोड़कर अन्य ग्रामों में जल निकासी की आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त कृषि निदेशक मण्डल फैजाबाद द्वारा अप्रशिक्षित किसान सहायकं का भूमि संरक्षण में किये गये स्थानान्तरण की जानकारी व अनियमित स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने की मांग

128–श्री मोहर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सचिव, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रां 1544 अगस्त, 9. 1994 प्रस्तर–1 द्वारा मंडल स्तर पर अनुभागीय स्थानान्तरणों पर रोक लगाई है तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण करने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो क्या श्री भोलानाथ पाल किसान सहायक सदर-फैजाबाद का स्थानान्तरण भूमि संरक्षण अनुभाग में राष्ट्रीय जलागम इकाई बलराम-गोण्डा, संयुक्त कृषि निदेशक मण्डल फैजाबाद वर्ष 1994 द्वारा किया गया है ? यदि हां,तो अप्रशिक्षित किसान सहायक का भूमि संरक्षण में स्थानान्तरण का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर अनियमित स्थानान्तरण को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के मंडी विभाग द्वारा मंडी स्थलों के निर्माण में मानक का पालन न कराये जाने वाले अधिकारियों को दंडित किये जाने की मांग

129–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी विभाग द्वारा सड़कों/हैण्ड पम्पों/मण्डी स्थलों के निर्माण कराये जाने का मानक क्या है ? क्या उसका पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारी दण्डित किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों/हैण्डपम्पों/मंडी स्थलों के निर्माण लोक निर्माण विभाग एवं उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रचलित विशिष्टियों एवम् मानकों के अनुसार कराया जा रहा है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

130–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि योग्य कितनी भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित है ? उसके लिये कौन सी प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिले में जवाहर रोजगार योजना के व्यय को स्वीकृति के लिये शाषी निकाय की उपयोगिता की जानकारी

131–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिले में जवाहर रोजगार योजना के व्यय को स्वीकृति के लिये एक शाषी निकाय होता है ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य होते हैं ? क्या इस शाषी निकाय की पूर्व स्वीकृति के भी कोई अधिकारी व्यय कर सकता है ? यदि हां, तो शाषी निकाय की क्या उपयोगिता है ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

सदस्यों की सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृ० 282 पर)

उ० प्र० में खराब नलकूपों को ठीक कराये जाने की योजना की जानकारी

132–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार की वह योजना क्या है ।

सुश्री मायावती–

जी हां ।

राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण हेतु आय-व्ययक में आयोजनेत्तर मद में धनराशि के प्राविधान से चलते-चलते अस्थाई रूप से यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराया जाता है ।

अस्थाई रूप से विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ठीक कराया जाता है ।

फेल नलकूपों का पुनः निर्माण जनपद योजना के अर्न्तगत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से कराया जाता है ।

विकास खण्ड शंकरगढ़ जनपद इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

133–श्री राम सेवक सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि वि० खण्ड शंकरगढ़ जनपद–इलाहाबाद में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत किन-किन विभागों द्वारा कहां-कहां कार्य कराये गये ? कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं ? कितने अपूर्ण है ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

विकास खण्ड शंकरगढ़ जनपद इलाहाबाद में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में सुनिश्चित रोजगार योज़नान्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, भूमि संरक्षण अधिकारी फूलपुर, लघु सिंचाई विभाग, टोंस नहर प्रखण्ड, भूमि संरक्षण अधिकारी डी० पी० ए० पी० वन प्रभाग पश्चिमी मिर्जापुर, लघु डाल नहर प्रखण्ड खण्ड विकास अधिकारी शंकरगढ़ तथा बाघला नहर प्रखण्ड द्वारा संलग्न सूची में उल्लिखित स्थानों में कार्य कराये गये हैं ।

कुल 54 कार्यों में से 17 कार्य पूर्ण है । शेष अपूर्ण अथवा प्रगति पर है ।

विवरण संलग्न है ।†

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आयुर्वेदिक विभाग के बरेली तथा बदायूं के स्टाफ को वेतन न दिये जाने की जानकारी व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

134–श्री दया सिन्धु शंखधार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० आयुर्वेदिक विभाग के बरेली तथा बदायूं के स्टाफ को किन-किन महीनों का वेतन रोका गया है ? वेतन न देने का क्या कारण है ? क्या इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बरेली जनपद के आयुर्वेदिक विभाग के एक कर्मी का दिनांक 19-5-94 से 10-6-94 तथा 16-6-94 से 14-7-94 तक बदायूं जनपद में एक कर्मी का माह जुलाई, 1994 का वेतन चिकित्सा अवकाश स्वीकृत न होने के कारण रुका हुआ है । इसके भुगतान के लिये निदेशक, आयुर्वेद को समुचित निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापा नहीं गया ।

जनपद शाहजहांपुर में सी० एम० ओ० शाहजहांपुर द्वारा नसबन्दी की धनराशि में भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने की जांच व कार्यवाही किये जाने की मांग

135–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में सी० एम० ओ० शाहजहांपुर ने मोहन नर्सिंग होम डा० वसीम नर्सिंग होम दीपा नर्सिंग होम तथा मेरी स्टोप्स क्लीनिक नसबन्दी के लिये अधिकृत किये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सी० एम० ओ० शाहजहांपुर के द्वारा मोहन नर्सिंग, दीपा नर्सिंग होम तथा डा० वसीम के यहां हुए नसबन्दी लाभार्थी तथा प्रेरक को सरकारी धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है ? यदि हां,तो क्यों ? यह भी सच है कि मेरी स्टोप्स क्लीनिक पर हुए नसबन्दी लाभार्थी तथा प्रेरक का भुगतान किया जाता है ? यदि हां,तो क्यों ? सी० एम० ओ० शाहजहांपुर ने चार क्लीनिक प्राइवेट नसबन्दी के लिये अधिकृत किये तो तीन प्राइवेट क्लीनिक पर सरकारी धनराशि लाभार्थी को नहीं दी जाती है केवल मेरी स्टोप्स पर ही क्यों लाभार्थी को सरकारी धनराशि दी जाती है ? यह भेदभाव क्यों ? क्या सरकार अपने स्तर से इसकी जांच कराकर दोषी सी० एम० ओ० शाहजहांपुर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

गैर सरकारी चिकित्सकों, नर्सिंग होम इत्यादि को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहयोग देने हेतु नसबन्दी, लूप निवेशन कार्य करने की अनुमति वित्तीय वर्ष वार भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद दी जाती है । पूर्व में शासन द्वारा 31-3-92 तक की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तत्पश्चात् वर्ष 1992-93, 1993-94 हेतु शासन द्वारा उक्त कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी । चूंकि मार्च, 1992 के बाद स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी अतः अवधि समाप्त हो जाने के कारण इन नर्सिंग होम में होने वाले नसबन्दी केसों को भुगतान बन्द कर दिया गया । इसकी सूचना संबंधित नर्सिंग होम के प्रभारी अधिकारी को पूर्व में ही दी जा चुकी है ।

मेरी स्टोप्स क्लीनिक में क्लीनिक का कोई चिकित्सा अधिकारी नसबन्दी आपरेशन नहीं करता है । मेरी स्टोप्स क्लीनिक को शिविर स्थल की भांति प्रयोग किया जाता है । जिला अस्पताल का सर्जन एवं टीम जाकर वहां नसबन्दी आपरेशन करती है । चूंकि मेरी स्टोप्स क्लीनिक पर जो नसबन्दी आपरेशन किये जाने हैं, वे सरकारी अस्पतालों के शल्यकों द्वारा वहां जाकर किये जाते हैं इस कारण वहां हुए नसबन्दी केसों के लाभार्थियों एवं प्रेरकों को भुगतान किया जाता है । अतएव किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विपणन कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा कार्यालय में हाजिरी लगाकर जुर्म से बचने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

136–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विपणन कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय धारा 379 आई पी० सी० चोरी के आरोप में थाना बेवाना जिला फैजाबाद द्वारा दिनांक 3-12-86 को हुई इस तरह यह कर्मचारी 21 दिन जेल में रहा है ? विभाग को इस कर्मचारी ने क्या

लिखकर दिया कि निलम्बन नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि इस कर्मचारी पर दिनांक 5-11-94 को मारपीट फौजदारी का मुकदमा कायम है जिसमें यह कार्यालय आकर हाजिरी बनाकर जुर्म से बचने का प्रयास किया है ? क्या सरकार सरकारी नौकरी की आड़ में हाजिरी बना कर जुर्म से बचने वाले इस कर्मचारी पर कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

कर्मचारी के किसी लिखित कथन के आधार पर निलम्बन न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला राजकीय अधिवक्ता (सिविल) फैजाबाद की राय के अनुसार "मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही वांछित नहीं" बताई गई ।

जी हां ।

श्री पांडेय को प्रशासनिक आधार पर फैजाबाद से बहराइच के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा रही है ।

137–श्री अब्दुल रईस–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बदायूं में जवाहर रोजगार योजना तथा भू-राजस्व के मद में प्राप्त धन के व्यय की जानकारी व जांच कराकर दोषी व्यक्तियों से धन वसूली की मांग

138–श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में ग्राम सभा रौली विकास खण्ड उझानी-बदायूं में जवाहर रोजगार योजना तथा भूराजस्व के मद में कितना धन प्राप्त हुआ । उक्त धन को किन-किन कार्यों (मदों) पर व्यय किया गया ? क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन टेक्निकल आडिट सेल अथवा किसी उच्चस्तरीय अधिकारी द्वारा कराया जायगा ? उक्त धन के दुरुपयोग के लिये दोषी व्यक्तियों से धन की वसूली की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

ग्राम सभा रौली की वर्ष 1994-95 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अंकन 21806.00 की धनराशि प्राप्त हुई तथा भूराजस्व मद के अन्तर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई ।

उक्त धनराशि ग्राम प्रधान द्वारा तीन खड़न्जा कार्यों पर व्यय की गयी ।

कराये गये कार्यों की जांच सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रावि०) द्वारा करायी गयी ।

जांच/मूल्यांकन में कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मनकापुर जनपद गोण्डा के अम्बेडकर ग्रामों में चयनित लाभार्थियों को इन्दिरा आवास निर्माण को मानक के अनुसार कराये जाने की मांग

139–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में वर्ष 1993 से 95 तक कितने अम्बेडकर ग्रामों को चयनित किया गया है ? क्या चयनित ग्रामों में सरकार द्वारा विकास की सभी योजनाओं हेतु धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब तक अम्बेडकर ग्रामों में

विकास की सभी योजनाओं को पूर्ण कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि अम्बेडकर ग्रामों में चयनित लाभार्थियों के इन्दिरा आवास का निर्माण मानक के अनुसार कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

वर्ष 1993-95 तक कुल 11 ग्रामों को अम्बेडकर योजना में चयनित किया गया है।

जिला प्लान के अन्तर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं में यथा सम्भव कम से कम 20 प्रतिशत राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है। चयनित ग्रामों को दो वर्षों में संतृप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन्दिरा आवासों का निर्माण निर्धारित मानक एवं लाभार्थियों की सुविधानुसार कराया जा रहा है।

विकास खण्ड छपिया नवाबगंज, वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा आवासीय निर्माण के कार्य में स्वीकृत धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने व कार्यवाही किये जाने की मांग

140–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड छपिया नवाबगंज, वजीरगंज जनपद गोण्डा में वर्ष 1993 से 1995 तक कितने आवासों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत कराया गया है ? क्या यह सही है कि आवासीय निर्माण का कार्य लाभार्थियों को सीधे न देकर खण्ड विकास अधिकारी छपिया द्वारा स्वीकृत धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां,तो क्या सरकार जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

विकास खण्ड छपिया, नबावगंज, वजीरगंज जनपद गोण्डा में वर्ष 1993-94 में कुल 161 आवासों का लक्ष्य आवंटित था, जिसमें से 158 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं, 3 आवास निर्माणाधीन है। इन तीनों विकास खण्डों में वर्ष 1994-95 में कुल 126 आवासों का लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें से अब तक 82 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 44 आवास निर्माणाधीन है।

इसकी जांच कराई जा रही है।

अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारी गोण्डा को निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के तालाब में खुदाई कार्य की गयी अनियमितता की जांच व विकास खण्ड मनिकापुर में सजोई नाले का नाम बदल कर फर्जी कार्य दिखाकर, शासकीय धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने की मांग

141–श्री राम् विशुन आजाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत खाले गांव और भवाजित पुर के तालाब में खुदाई कार्य में अनियमितता, जांच के दौरान पायी गयी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि विकास खण्ड मनिकापुर में प्रकरण से संबंधित खिसरी ड्रेन जिसका वास्तविक नाम अभिलेखों में सजोई नाला है परन्तु वर्ष 1991-92 में सजोई नाले का नाम बदलकर खेसरी में करौदी ड्रेन के नाम पर फर्जी तरीके से कार्य दिखाकर और फर्जी मस्टर रोल बनाकर शासकीय धन

का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति में है ।

इसकी जांच विभागीय समिति द्वारा करवायी जा रही है ।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

ड्रेनेज खण्ड नौगढ़ (सिद्धार्थनगर) की नौगढ़ माइनर की मरम्मत के लिये प्राप्त धन के व्यय व मरम्मत कार्य की जांच कराकर खेतों की सिंचाई सुनिश्चित किये जाने की मांग

142–श्री धनराज यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड नौगढ़ (सिद्धार्थनगर) के बानगंगा सिस्टम के नवगढ़ माइनर की मरम्मत के लिये वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में कितना-कितना धन प्रत्येक वर्ष में व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष में प्रश्नगत माइनर पर मरम्मत कार्य में धन व्यय किये जाने के बावजूद ग्राम जगदीशपुर, पिपरा नायक, बसौली, कसारी, बसौना, रेहरा, वर्गों, सेनमरननार तथा भीमापार गांव के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या कराये गये मरम्मत कार्य की जांच कराकर प्रश्नगत गांव के खेतों की सिंचाई सुनिश्चित की जायगी ?

सुश्री मायावती–

ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के बानगंगा सिस्टम के नौगढ़ माइनर की मरम्मत के लिये वर्ष 1992-93, 93-94 एवं 94-95 में क्रमशः रुपया शून्य रु० 25.976/- एवं क्रमशः रुपया 21.641/- व्यय किया गया है ।

प्रश्नगत नहर से ग्राम जगदीशपुर, पिपरा नायक, केसारी, रेखरा, सेमरनार, भीमापार के खेतों की सिंचाई बनगंगा नदी/प्रणाली में जल उपलब्धता के अनुरूप करायी जा रही है । ग्राम बलौली, बहौना एवं बग नहर कमाण्ड के बाहर है ।

चूंकि प्रश्नगत गांवों के खेतों की सिंचाई उपरोक्तानुसार कराई जा रही है । अतः जांच कराने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

बिन्दकी फतेहपुर के खराब नलकूपों को शीघ्र चालू किये जाने की मांग

143–श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी जनपद फतेहपुर मे कितनी सरकारी नलकूप लगे ? उसमें कितने चालू हैं और कितने बीमार हैं ? क्या बीमार नलकूप शीघ्र चालू कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

53 चलित राजकीय नलकूप है ।

46 राजकीय नलकूप ।

7 चलित राजकीय नलकूप विद्युत व यांत्रिक दोष के कारण अस्थाई रूप से बन्द है।

खराब नलकूपों को तुरन्त ठीक कराया जाता है।

राज्य प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली व्यवस्था व अनुदान की जानकारी

144–श्री लल्लू सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय राज्य टीमों का चयन उस खेल विशेष की राज्य प्रतियोगिता में से खेल संघों के द्वारा किया जाता है जो खेल विशेष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य की ओर से भाग लेती है ? यदि हां, तो क्या विभिन्न खेलों की राज्य प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु खेल मैदान, उपकरण, साज-सज्जा, खिलाड़ियों के आवास, भोजन, पारितोषिक, रेल/बस किराये आदि अन्य मदों पर होने वाले व्यय के लिये राज्य सरकार के द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी तथा किस प्रकार सहायता, अंशदान, अनुदान आदि दिया जाता है और सहायता की नीति क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

राज्य प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिये तथा प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को उनको वार्षिक कार्यकलापों हेतु अनुदान दिया जाता है जो प्रदेशीय क्रीड़ा संघ खेल मैदान उपकरण, साजसज्जा, खिलाड़ियों के आवास की मांग करते हैं उनको नियमानुसार व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। एथलेटिक्स, बाक्सिंग, क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, कबड्डी व कुश्ती में बालक तथा बालीबाल में बालक/बालिकाओं के प्रदेशीय स्तर की जूनियर, सब-जूनियर प्रतियोगितायें खेल निदेशालय एवं प्रदेशीय क्रीड़ा संघों के समन्वय से की जाती है जिस पर होने वाले समस्त व्यय, जिला/राज्य सेक्टर की प्रतियोगिता मद से वहन किया जाता है। भोजन रु० 40/- प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से देय होता है तथा द्वितीय श्रेणी का रेल किराया दोनों तरफ का दिया जाता है इसके अतिरिक्त रुपये 35/- प्रति खिलाड़ी अनुषांगिक व्यय भी दिया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलेलनगर बरेली को आवंटित सरकारी जीप की जानकारी

145–श्री भगवत सरन गंगवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलेलनगर बरेली को सरकारी जीप आवंटित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दलेलनगर, बरेली को एक मेटाडोर आवंटित की गयी है जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन है। इसके अतिरिक्त सोशल सेक्टीनेट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दलेलनगर को एक ओंमिनी अम्बुलेन्स की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके समस्त प्रपत्रों की आपूर्ति करके दिनांक 29-7-1995 को प्राप्त करा दी गई है।

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में प्रस्तावित मंडी स्थल को बनाये जाने की मांग

146–श्री भगवत सरन गंगवार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में जो कृषकों का एक बड़ा बाजार है ? वहां पर मंडी स्थल बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो मण्डी कब तक बन जायगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है ।उपयुक्त भूमि के प्राप्त होने के पश्चात् मण्डी स्थल के निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी ।

ग्राम गुमान का पुरवा, ब्लाक शुक्ल बाजार जनपद सुल्तानपुर मे विकास कार्य संबंधी प्राप्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

147–श्री छोटे लाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मो० सिद्दीक खां व अन्य ग्रामवासी गुमान का पुरवा, ब्लाक शुक्ल बाजार, जनपद सुल्तानपुर का पत्र व मा० सदस्य श्री नन्द लाल जगदीशपुर सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 20-8-94 तथा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी का पत्र दिनांक 10-2-95 जो ग्राम गुमान का पुरवा, ब्लाक शुक्ल बाजार, जनपद सुल्तानपुर में विकास कार्य संबंधी था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

इंडिया मार्का–II हैण्डपम्प गुमान का पुरवा में स्थापित कर क्र०–1 पर अंकित समस्या का समाधान कर दिया गया है । शेष के लिये स्थलीय सर्वेक्षण कराकर प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है । निर्माण कार्य शासी निकाय के अनुमोदन पर निर्भर करेगा ।

अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बांदा को प्राप्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

148–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-426055 दिनांक 13-4-95 के साथ श्री सन्त कुमार निवासी ग्राम पुल्हरी ब्लाक बबेरू जनपद बांदा का संलग्न प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

149–श्री राज कुमार शिवहरे–

[पांचवें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 92–के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी मण्डल में फर्जी फर्मों द्वारा उत्पादित गुट का जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पर जांचोपरान्त प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

150–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान समय में झांसी मण्डल में अनेक फर्जी फर्में गुटका (तम्बाकू जदी) आदि का उत्पादन कर रही है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी फर्में है तथा कौन सा गुटका बना रही है ? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने पर क्या सरकार जांचोपरान्त इन पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

झांसी मण्डल में निम्नलिखित फर्में उनके सम्मुख उल्लिखित गुटका बना रही है:–

क्र०सं०	फर्म का नाम	गुटका का नाम
1–	मौनी गुटका कम्पनी, उरई	मौनी गुटका
2–	सांई गुटका भण्डार, उरई	सांई व कृष्णा गुटका
3–	निगोतिया एण्ड कम्पनी उरई	गुरू एवं मुगल गुटया
4–	तैमुर प्रोडक्ट्स झांसी	झण्डू गुटया व त्रिशुल तथा छैला गुटका
5–	नरेश एण्ड कं० झांसी	जमुना गुटया
6–	इन्डोपान टैबैको कम्पनी, झांसी	विक्रम गुटका
7–	भैरव गुटका भण्डार उरई	भैरव गुटका
8–	प्रिन्स प्रोडक्ट्स, उरई,	वंशी गुटका

जांचोपरान्त अपमिश्रित पाये जाने पर खाद्य अपमिश्रित पाये जाने पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माता फर्मों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अरूण चन्द्र श्रीवास्तव की सेवा समाप्त किए जाने की जानकारी

151–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 135 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अरूण चन्द्र श्रीवास्तव की सेवा समाप्त किये जाने के पूर्व तद्विषयक नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी गयी थी जैसा कि श्री डी० के० पाठक तथा किशोर मेहरोत्रा व मामले में अपट्रान इण्डिया लि० के द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1992 तथा 18-4-92 को प्रकाशित कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 11-6-91 का जो रजिस्टर्ड पत्र श्री अरूण चन्द्र श्रीवास्तव को डाक द्वारा प्रेषित किया गया था, के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई प्रमाण है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उक्त पत्र श्री श्रीवास्तव को हस्तगत कराया गया है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर श्री श्रीवास्तव की सेवायें समाप्ति की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

कम्पनी के अनुशासनिक नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति से पूर्व समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन कराया जाना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 11-6-91 श्री अरूण चन्द्र श्रीवास्तव को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था जिसकी रसीद अपट्रान इण्डिया लि० के कार्यालय में उपलब्ध है ।

बिना अवकाश के लम्बी अवधि के लिये अनुपस्थित रहने के कारण निगम के अनुशासनिक नियम 12 (जी) के अनुसार उनकी सेवा समाप्त की गई । उक्त नियम में किसी कर्मचारी के बिना अवकाश या अनुमति के सात दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप स्वतः सेवा समाप्ति का प्राविधान है । श्री श्रीवास्तव ने सेवा समाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में रिट याचिका दायर की है जो अभी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में धरमौली नाम की ग्राम सभा की जानकारी व जिला ग्राम्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि के गबन में लिप्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने की मांग

152–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल को वर्ष 1991-92 में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा बैदाली, वाली, धरमौली, शिकारपुर के ग्राम सभा की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु रुपया 5.40 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी तथा वर्ष 1992-93 में विकास खण्ड मिठौरा को रुपया 4.60 लाख की धनराशि जिला योजना से अवमुक्त की गयी थी ? क्या उक्त धनराशि से वृक्षारोपण के नाम पर फर्जी भुगतान मस्टर रोल द्वारा श्री बाबूनन्दन सिंह बी० डी० ओ० द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गबन में लिप्त अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने एवं गबन हुई धनराशि की वापसी लेने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में धरमौली नाम की कोई ग्राम सभा नहीं है । ग्राम सभा बाली, बेदौली, शिकारपुर की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत क्रमशः 17.440/- रु०, 1.21.060/- तथा रु० 50.272/- विकास काण्ड निचलौल को वर्ष 1991-92 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया ।

विकास खण्ड मिठौरा को जिला योजना से 4.60 लाख की धनराशि सीधे नहीं दी गई बल्कि मु० रु० 2.95.294.00/- की धनराशि सामाजिक वानिकी हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी ।

जी नहीं ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

153–श्री परशुराम यादव–

[दि० 16-8-95 को अता० प्र० सं०–179 द्वारा उत्तरित]

हथिवार से बावतपुर मार्ग जो 56 वां राष्ट्रीयकृत वाराणसी मार्ग स्थान बावतपुर में मिलिट्री कम्पाउण्ड के पश्चिम व दक्षिण छूटे हुए 400 मीटर मार्ग बनाये जाने व मेटेरियल की जांच कराये जाने की मांग

154–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हथिवार से बावतपुर में मिलता है उसका निर्माण मंत्री समिति वाराणसी के द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम बावतपुर में मिलिट्री कम्पाउण्ड के पश्चिम व दक्षिण 65वां मार्ग में 400 मीटर छोड़ दिया गया और गांव सभा चिउरापुर के प्रधान के दरवाजे तक तीन सौ मीटर से ऊपर मार्ग को डामर का वर्ष 1993-94 में व 1994-95 में बना दिया गया है ? क्या यह योजना में नहीं था ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी और छूटे हुये 400 मीटर मार्ग को बनवाकर 56वां मार्ग में मिलाने का आदेश देगी और मेटीरियल व ईटों की भी जांच कराकर कार्यवाही की जायगी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मार्ग के बीच लगभग 400 मीटर लम्बाई में सेना की जमीन आ जाने के कारण यह राष्ट्रीय मार्ग में नहीं मिलाया जा सका । इसका निर्माण मण्डी समिति, वाराणसी के धन से परिषद् द्वारा कराया गया है ।

छोड़ा नहीं गया अपितु भूमि व मिट्टी उपलब्ध न होने के कारण शेष मार्ग के स्थान एवं जनप्रतिनिधियों के विशेष अनुरोध पर चिउरापुर ग्राम तक वर्ष 1993-94 में जोड़ दिया गया है ।

मूल योजना में नहीं था परन्तु बाद में सम्मिलित किया गया ।

जांच करई जा चुकी है । जांच आख्या की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर ली गई है । चहारदीवारी से पश्चिम दक्षिण में भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त मिट्टी का कार्य किसी अन्य संस्था द्वारा कराये जाने के पश्चात् ही राष्ट्रीय मार्ग से सड़क मिलाने पर विचार किया जा सकेगा ।

अपट्रान इण्डिया लि० के फैक्ट्री कर्मियों में मकान किराया भत्ता वेतन से काटे जाने से उत्पन्न आक्रोश को दूर किये जाने की मांग

155–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अपट्रान इण्डिया लि० के फैक्ट्री कर्मियों में इस बात को लेकर आक्रोश उत्पन्न हो गया है कि फैक्ट्री कर्मी के पति/पत्नी राज्य सरकार की सेवा में हैं उनके वेतन से मकान किराया भत्ता काटे जाने के आदेश किये हैं ? क्या फैक्ट्री कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारी होने का दर्जा प्रदान कर दिया गया है ? क्या उन्हें भी (राज्य कर्मचारियों के समान) सेवानिवृत्त के बाद पेंशन/समस्त राजपत्रित अवकाश/अर्जित/चिकित्सा अवकाश/कार्य के घण्टे राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा मिलने वाली सुविधाएं इत्यादि भी दिये जाने के आदेश मकान किराया भत्ता वेतन से काटे

जाने के दिनांक से कम्पनी प्रबन्धकों द्वारा किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? मकान किराया भत्ता वेतन से काटे जाने में समानता न करने के क्या कारण हैं ? क्या राज्य कर्मचारियों को अन्य मिलने वाली सुविधाओं में समानता अपट्रान फैक्ट्री के कर्मियों को दी जायगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 20 अप्रैल, 1987 जो सभी सार्वजनिक उद्यमों को सम्बोधित है, के अनुसार एक ही स्थान पर तैनात पति तथा पत्नी में से एक को ही मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा और उन्हें अलग-अलग मकान किराया भत्ता अनुमन्य न होगा, भले ही वे अलग-अलग मकान में रहते हों । तद्नुसार अपट्रान इण्डिया लि० द्वारा भी कार्यवाही की गयी है ।

जी नहीं ।

जी, नहीं ।

सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या 797/44–1–1990 दिनांक 10 अगस्त, 1990 के अनुसार अपट्रान इण्डिया लि० के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा अन्य सुविधाएं अनुमन्य है । इस शासनादेश द्वारा देय मकान किराया भत्ता उक्त शासनादेश दिनांक 20-4-1987 के अनुसार एक ही स्थान पर तैनात पति तथा पत्नी में से एक को ही अनुमन्य है । दिनांक 15-10-90 को प्रबन्धन तथा अपट्रान कर्मचारियों के प्रतिनिधियों /यूनियनों के मध्य हुये समझौते के अनुसार अन्य के अतिरिक्त इस बिन्दु पर सहमति हुई थी कि उक्त शासनादेश दिनांक 10-8-1990 को यथावत उक्त समझौते में उल्लिखित विवरण के साथ लागू किया जाय । फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत देय सुविधाएं भी अपट्रान कर्मचारियों को अनुमन्य हैं ।

राजकीय इण्टर कालेज पौड़ीखाल एवं राजकीय इण्टर कालेज जाजल टिहरी गढ़वाल में इण्टर कक्षा के लिए विज्ञान विषयों के पदों के सृजन किए जाने की मांग

156–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का० पौड़ीखाल एवं स० ह० का० जाजल, टिहरी गढ़वाल में इण्टर कक्षा के लिये विज्ञान विषय की मान्यता कब मिल गयी थी ? क्या लम्बे अर्से के बाद भी विज्ञान विषयों के पद सृजित नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेजों में विज्ञान विषयों के पद सृजन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय इण्टर कालेज, पौड़ीखाल एवं राजकीय इण्टर कालेज, जाजल, टिहरी गढ़वाल में इण्टर कक्षा के लिए विज्ञान विषय की मान्यता वर्ष 1990-91 में प्रदान की गयी थी । उक्त विद्यालयों में पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही पद सृजित कर दिये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी की सबसे अच्छी संस्था को विज्ञान विषय की मान्यता दिये जाने की मांग

157–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्णानन्द जनता इण्टर कालेज मुनि की रेति टि० ग० ने इण्टर कक्षाओं के विज्ञान विषय की मान्यता के लिये आवेदन किया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जनपद टिहरी गढ़वाल की सबसे अच्छी उक्त संस्था को विज्ञान विषय की मान्यता नहीं दी गयी है ? कालेज में भवन एवं प्रयोगशाला होने पर भी आपत्तियां क्यों लगायी जा रही है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय को विज्ञान विषय की मान्यता दिलायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

संस्था द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित मानक के प्रतिबन्धों की पूर्ति न होने के कारण संस्था द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित माप के कक्षों एवं प्रयोगशालाओं के उपलब्ध न होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड के आठों जिलों में शिक्षा के कितने अनोपचारिक केन्द्र संचालित केन्द्रों पर कतिपय स्वयं सेवी अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किये जाने की मांग

158–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तराकाण्ड के आठों जिलों में शिक्षा के कितने अनौपचारिक केन्द्र संचालित है ? इन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अनुदेशकों की कुल कितनी-कितनी संख्या है ? क्या सरकार द्वारा उन केन्द्रों में कार्यरत स्वयं सेवी अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों को मानदेय का भुगतान नियमति रूप से किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो मानदेय के भुगतान के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1994-95 में 3262 केन्द्र संचालित थे ।

इन केन्द्रों में 3262 केन्द्र अनुदेशक तथा एक अंशकालिक पर्यवेक्षक थे ।

जी नहीं ।

वर्ष 1994-95 में रु० 25.00 लाख तथा वर्ष 1995-96 में रु० 15.16 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तरांचल में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सेवारत अनुदेशकों व पर्यवेक्षकों को शिक्षण सामग्री सुलभ करानें की मांग

159–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सेवारत अनुदेशकों व पर्यवेक्षकों को शिक्षण सामग्री सुलभ करा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तराखण्ड क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में संचालनार्थ जिसमें शिक्षण सामग्री भी सम्मिलित है धनराशि स्वीकृति की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के अनेक इण्टर कालेजों में कामर्स विषय की मान्यता प्रदान किए जाने के बाद भी पदों को सृजित किए जाने की जानकारी

160–श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा के अनेक इण्टर कालेजों में कामर्स विषय की मान्यता प्रदान किये जाने के बाद भी पदों का सृजन नही किया गया ? इसका क्या कारण है ? इन पदों का कब तक सृजन किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद अल्मोड़ा में किसी भी इण्टर कालेज के कामर्स विषय की मान्यता के फलस्वरूप प्रवक्ता पदों के सृजन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज तिलकनगर सुमाड़ी भरदार, टिहरी गढ़वाल में विज्ञान अध्यापकों के पद सृजित किये जाने की मांग

161–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज तिलक नगर सुमाड़ी भरदार टि० ग० में विज्ञान की मान्यता इण्टर कक्षा को मिली हुई है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि विज्ञान अध्यापकों के पद सृजित नही हो पा रहे हैं ? क्या सरकार विज्ञान अध्यापकों के पदों का सृजन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय इण्टर कालेज, तिलक नगर टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषय की मान्यता इण्टर कक्षा के लिये प्रदान की गयी थी । उक्त विद्यालय में पदों के सृजन की कार्यवाही विचाराधीन है तथा यथावश्यक पदों का सृजन शीघ्र ही कर दिया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड (उझानी) जनपद बदायूं के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना तथा भू-राजस्व से प्राप्त धन के दुरुपयोग के संबंध में जांच कराये जाने व धनराशि की वसूली की मांग

162–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा रौली विकास खण्ड (उझानी) जनपद-बदायूं के ग्राम प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना तथा भू-राजस्व से प्राप्त धन की क्षति के सम्बन्ध में

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दि० 2-4-92 को कोई रिपोर्ट मुकदमा नं०–134/92 धारा 409 आई० पी० सी० के तहत थाना कोतवाली उझानी जनपद बदायूं में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान से की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

जी नहीं ।

जवाहर रोजगार योजना की धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में पुनः जांच करायी गई जिसमें धन के दुरुपयोग की शिकायत सिद्ध नहीं हुई ।

163–श्री राम आसरे वर्मा–

[दि० 16-8-95 को अता० प्र० सं० 87–द्वारा उत्तरित]

जलागम से पशुपालन विभाग में कार्यरत कर्मियों को वेतन न मिलने के लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

164–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जलागम से पशुपालन विभाग में स्थानान्तरित/समायोजित सांड एवं भैंसा केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को कितने वर्षों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से और इसका क्या कारण है ? इसके लिये दोषी कौन हैं और क्या उन्हें दण्डित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इन कर्मियों को कई वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है तथा उन्हें सांड तथा भैंसों को चारा भी अपने घर से खिलाना पड़ रहा है ? इसके लिये दोषी कौन है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । वेतन नही बल्कि दैनिक श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है ।

यह प्रकरण जलागम तथा पशुपालन दो विभागों से संबंधित है जिनसे सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हीरा लाल वाजपेयी के कानपुर से चमोली स्थानान्तरण पर कानपुर की मुंसिफी अदालत द्वारा लगायी गयी रोक की जानकारी

165–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

विधान-सभा के तृतीय सत्र, 1995 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा उ० प्र०, लखनऊ आदेश संख्या–4 फ(1)/190/654–56, दिनांक 17-1-72, के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने बाद संख्या

573/72. दिनांक 29-10-73 द्वारा श्री हीरा लाल बाजपेयी के जिला चिकित्सालय चमोली के स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर कानपुर से बाहर अर्थात् लोकल कैडर से प्रान्तीय कैडर में स्थानान्तरण करने पर रोक लगाई थी ? यदि हां, तो क्या कानपुर से बाहर अर्थात् लोकल कैडर से प्रान्तीय कैडर में जाने पर माननीय न्यायालय के अवमानना के दोषी हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यदि यह विधिक बिन्दु है तो क्या विभाग ने विधि विभाग से राय ली है ? यदि हां, तो वह राय क्या है ? यदि नहीं, तो राय लेकर कब कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

यह सही है कि श्री हीरा लाल बाजपेयी के कानपुर से चमोली स्थानान्तरण पर कानपुर की मुंसिफी अदालत ने स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोक लगा रखी है।

मा० न्यायालय के अवमानना की जानकारी शासन को नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत अकोइया विकास क्षेत्र खैराबाद जिला सीतापुर की भूमि के ग्राम सभा को वापस किये जाने की मांग

166–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत अकोइया विकास क्षेत्र खैराबाद जिला-सीतापुर की भूमि पर जो जंगल भूमि संरक्षण विभाग इकाई सीतापुर जिला सीतापुर ने लगाया था, उसे ग्राम सभा को वापस करने का प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसको कब तक वापस कर दिया जायगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रकरण में कार्यवाही प्रगति पर है।

167–श्री प्रेम सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं द्वारा नियुक्तियों एवं औषधियों के क्रय में की गयी कथित अनियमितताओं की जांच आख्याओं की जानकारी

168–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० की किन-किन अनियमितताओं के विरुद्ध कुल कितनी जांच चल रही हैं ? इन जांचों को कब तक पूरा हो जाना चाहिए था ? क्या जांच में कोई दोषी पाया गया है ? क्या मंत्री जी जांच की उक्त आख्याओं को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नही, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासन स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं द्वारा नियुक्तियों एवं औषधियों के क्रय में की गयी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच चल रही है । जांच में अन्तिम निर्णय न होने के कारण शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौरी वाराणसी के विस्तार एवं स्टाफ बढ़ाये जाने क मांग

169–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चौरी, वाराणसी (अब भदोही) के विस्तार एवं स्टाफ बढ़ाने हेतु प्रश्नकर्ता ने एक पत्र स्वास्थ्य मंत्री को 15-1-94 को लिखा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त अस्पताल के विस्तार हेतु सन् 81 से कार्यवाही की जा रही है ? क्या अब तक दोनों वार्ड नही बनाये जा सके हैं ? क्या सरकार द्वारा इस पिछड़े क्षेत्र के लिये उक्त अस्पताल को विस्तारित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । परन्तु संदर्भित पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

जी हां ।

दोनों वार्ड निर्मित होकर आयुर्वेद विभाग को हस्तगत हो गये है ।

अस्पताल का विस्तारीकरण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न ही उठता ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर की षष्टम उप खण्ड वाराणसी में कार्यरत अवर अभियन्ता के कार्य क्षेत्र बाबतपुर रजबहा के टूटने की जांच की मांग

170–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड, जौनपुर की षष्टम उप खण्ड वाराणसी में चार अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आधा के करीब कार्य एक अवर अभियन्ता एन० के० सिंह को दिया गया है और बाकी तीन अवर अभियन्ताओं को कम दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह भी सही है कि बाबतपुर रजबहा किलोमीटर 28–200 पर दि० 14-1-95 को रसूलपुर के पास अवर अभियन्ता एन० के० सिंह के कार्य क्षेत्र में टूटा है ? इसकी जांच अब तक क्यों नहीं कराई गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

लगभग आधा कार्य एक अवर अभियन्ता श्री एन० के० सिंह को दिया गया है और शेष कार्य दो अवर अभियन्ताओं के बीच आवंटित है।

प्रशासनिक आधार पर माह जून, 1995 में एक अवर अभियन्ता को सम्बद्ध कर दिये जाने के फलस्वरूप श्री ए०एन० सिंह, अवर अभियन्ता को उसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

जी हां, बावतपुर रजबहा दिनांक 15-16 फरवरी, 1995 को कि० मी० 28–200 ढाई पटरी पर टूट गई थी।

जांच करा ली गयी है।

मंगारी प्रसादपुर मार्ग ब्लाक पिण्डरा जिला वाराणसी के निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री की जांच तथा मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग

171–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि मंगारी प्रसादपुर मार्ग ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वाराणसी ने बनवाया था ? क्या उसमें सड़ी हुई नं० 3 व 4 के ईंटों का इस्तेमाल किया गया था ? उक्त मार्ग के ईंटों की सप्लाई किसके भट्ठे से की गयी थी ? उसका नाम व पता क्या है ? क्या यह सही है कि आम जनता ने उक्त खड़ंजे के ईंटों को रद्दी होने की वजह से फेंकवा दिया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर नं० 1 के ईंटों से उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ?

श्री चैनसुख–

जी हां।

जी नहीं।

पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत कार्य होने के कारण टेण्डर के माध्यम से सम्पन्न हुआ है तथा पंजीकृत ठेकेदार द्वारा कार्य कराया गया। अतः विभाग का सम्बन्ध भट्ठा मालिक से नहीं है।

जी नहीं।

निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के अनुसार एम 150 सबक्लास "ए" एवं उपलब्ध एस० ओ० बी० ईटों से हुआ है। जांच करा ली गयी है कार्य विशिष्टियों के अनुसार ही हुआ है।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोलाजी विभाग में विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की जानकारी

172–श्री बची सिंह रावत तथा श्री रवीन्द्र शुक्ला–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के छठवें बुधवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–20 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-4-94 को प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संजय गांधी आर्युविज्ञान संस्थान के कार्डियोलाजी विभाग में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रश्नगत प्रशिक्षण किस तिथि

को पूरा हुआ ? यदि नहीं, तो कब पूर्ण हो रहा है ? क्या उक्त प्रश्नगत प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र जारी हुआ है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के चौधरी–

प्राप्त सूचनानुसार डा० अनिल कुमार श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, त्रिलोकपुर, बाराबंकी को संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान, लखनऊ के कार्डियोलाजी विभाग में इस समय प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा।

प्रश्न नही उठता ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

173–श्री अजय कुमार पोइया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

देहरादून जनपद की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी

174–श्री हरबंश कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देहरादून जनपद को उद्योग शून्य क्षेत्र घोषित किया गया है ? यदि हां, तो देहरादून जनपद की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु तथा जनपद में बेरोजगारी दूर करने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ?

सुश्री मायावती–

देहरादून जनपद का उद्योग शून्य घोषित नहीं किया गया है । लेकिन उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं के लिए जनपद "अ" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है ।

उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये जनपद देहरादून में बिक्रीकर में छूट, राज्य पूंजी उपादान व विद्युत संबंधी छूट की सुविधायें अनुमन्य हैं । उक्त सुविधाओं से उद्योग स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी व बेरोजगारी दूर होगी ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण दत्त उर्फ बलराज के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

आज एक निधन का निर्देश है, एक भूतपूर्व सदस्य के निधन का निदेश लेना है ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री–* श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैं बहुत दुख के साथ इस आदरणीय सदन को एक वरिष्ठ भूतपूर्व सदस्य के निधन की सूचना देना चाहता हूं । श्रीमन्, एक दिन तो इस दुनिया से प्रत्येक व्यक्ति को उठ जाना है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है । लेकिन जो लोग अपनी और अपने परिवार की चिन्ता न करते हुए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देश और समाज के लिए काम करते हैं, अपना पूरा जीवन समाज की चिन्ता में व्यय करते हैं, ऐसे लोग जब दुनिया से उठ जाते हैं तो समाज की ओर पूरे देश को बड़ा कष्ट होता है । इसी प्रकार के इस आदरणीय सदन में लम्बे अर्से तक सदस्य रह चुके स्वर्गीय कृष्ण दत्त उर्फ बालराज जी का 13 अगस्त, 1995 को प्रातः 9 बजे निधन हो गया है । वह लगभग 56 वर्ष केथे । वह इस आदरणीय सदन के 4 बार सदस्य रहे ।

पहली बार जनपद फतेहपुर के खागा विधान सभा क्षेत्र से सन् 1969 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर आये थे और उसके बाद पुनः वह सन् 74, 80 और 85 के सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के लिए उसी क्षेत्र से वह जीते थे । उन्होंने श्रीमन्, देश और समाज के लिए विभिन्न आन्दोलनों में हिस्सा लेकर जेल यात्राएं भी कई बार की थीं । एक प्रसिद्ध समाज सेवक के नाते वह भारत सेवक समाज के भी सदस्य रहे । जनता में जागरुकता लाने के लिए उन्होंने सन् 60 और 64 में अपने पूरे जनपद की पदयात्राएं भी कीं । इसी सदन की विभिन्न प्रतिष्ठित समितियों के भी वह सदस्य रहे । प्रतिनिहित विधायन समिति और आश्वासन समिति के सदस्य रहे हैं । अपने जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा और श्रमदान के लिए भी काफी काम किया था ।

उनके निधन से हम सब बहुत दुखी हैं । हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी ओर से, सरकार की ओर से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शोक संवेदना आप पहुंचाने का कष्ट करें और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को वह शान्ति और मोक्ष दे ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य श्री कृष्ण दत्त उर्फ बलराज जी के आकस्मिक निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने व्यक्त किये हैं, अपने और अपने दल को मैं उससे सम्बद्ध करता हूं । श्री बलराज जी प्रख्यात समाजसेवी और जुझारू नेता थे । राजनैतिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। वे भारतीय सेवक समाज से संबंधित रहे । इस आदरणीय सदन के कई टर्मों में सदस्य रहे । उनके आकस्मिक निधन से फतेहपुर में खागा, जहां से वे निर्वाचित होकर आते थे, बहुत क्षति हुई है । मैं अपने और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि उनके श्रीचरणों में अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस अपूर्णनीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे । इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे व मेरे दल की तरफ से सम्वेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े दुख के साथ अपने एक पुराने साथी श्री कृष्ण दत्त उर्फ बलराज जी के निधन पर जो बिचार माननीय संसदीय कार्य मंत्री और उप नेता भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं, उससे अपने व अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । सहसा यह विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण दत्त जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे बीच नहीं रहे । 80 और 85 में इस विधान सभा के एक सदस्य के रूप में उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिला था । फतेहपुर के होने के कारण वह मेरे जनपद के पड़ोसी थे और उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध भी थे । पिछड़े वर्ग और समाज सेवा के कार्यों में तल्लीन रहने वाले थे । श्री बलराज जी का निधन किसी कुठाराघात से कम नहीं है । उनके निधन से एक कुशल समाज सेवी और एक सक्रिय कार्यकर्ता खो दिया है जिसके जीवन की हर दिशा गरीबों के लिये समर्पित थी ।

इस विधान सभा में भी जब वह बैठते थे तो सदैव उनकी आवाज उन गरीबों के लिये गूंजती थी जिनकी आवाज दबा दी जाती थी, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था । इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता । वो जब बात करते थे तो कहते थे कि हम लोग जनसेवक जब निर्वाचित हो जाते हैं तो आम जनता से दूर हो जाते हैं । इस संबंध में एक बार नहीं दो बार उन्होंने फतेहपुर में पदयात्रा करके सामान्य जनता से जुड़ने का कार्य किया । 69.74.80.85 चार बार इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे । हास-परिहास उनके जीवन का एक आवश्यक अंग था । जहां जाते थे लोग उनसे बात करना पसन्द करते थे । उनके निधन से मेरे दल को विशेष रूप से क्षति हुई है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे व मेरे दल की तरफ से श्रृद्धा के सुमन और संवेदनाओं के शब्द उनके परिवारजनों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

* श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री कृष्ण दत्त उर्फ बलराज जी के निधन के बारे में जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उप नेता भाजपा और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री बलराज जी के साथ हालांकि वह दूसरी पार्टी में थे और मैं दूसरी पार्टी में 80 और 85 दोनों टर्म पूरे उनके साथ रहने का अवसर मिला । वह बहुत सादगी के प्रतीक थे और सादगी के साथ-साथ कर्म में उनका विश्वास था । वह बहुत कर्मठ व्यक्ति थे । छोटे से छोटे कार्य को स्वयं अपने द्वारा निष्पादित करने में अपनी गरिमा समझते थे । राजनैतिक कार्यों के लिये जेल भी गये । उन्होंने पदयात्रा भी की और जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया । बिना पढ़े लिखे प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया । बहुत से कार्य अपने जनपद में श्रमदान के करवाये । आज उनके निधन का पत्र मिलने से सहसा विश्वास नहीं हुआ कि श्री बलराज जी इतनी अल्पआयु में और असमय इस दुनिया से चले गये हैं । मैं और मेरा दल इससे दुखी है । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे और मेरे दल की ओर से शोकोद्गार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री ऊदल–

मान्यवर, विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण दत्त उर्फ बलराज के प्रति जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, श्री प्रमोद तिवारी जी ने एवं श्री किरनपाल जी ने व्यक्त किए हैं मैं उसके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, 1 जनवरी, 1939 को उनका जन्म हुआ था इन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण दत्त जी सर्वप्रथम 1969 में फतेहपुर जनपद के खागा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित होकर विधान सभा के सदस्य हुए। वह एक अच्छे राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे और फतेहपुर जनपद के पूरे जिले में वह सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनको राजनीतिक कारणों से 1978 में कारावास का दंड सहना पड़ा। वह भारत सेवक समाज के सक्रिय सदस्य थे। जिला पंचायत परिषद् के महामंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। उनका निधन 56 वर्ष की कम आयु में हो गया। उनके न रहने से फतेहपुर जनपद के आसपास के जिलों को भी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं और मेरा दल उनके निधन से बहुत दुखी है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रामस्वरूप सिंह–

मान्यवर, श्री कृष्णदत्त उर्फ बालराज के देहावसान पर जो शोक संवेदनायें संसदीय कार्यमंत्री जी ने, भाजपा के उप नेता राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने, जनता दल के नेता किरनपाल जी ने तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ऊदल जी ने व्यक्त की है उनसे मैं अपने आप को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री कृष्णदत्त के लिये यह भावना व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जीवन भर कांग्रेस पार्टी के रूप में जनता की सेवा की उनके बारे में मैंने सुना है वह गांव के गरीब लोगों से जीवन भर जुड़े रहे। वह पैदल गांव-गांव जाते थे उन्होंने दलितों और शोषितों के लिए कार्य किया। उस क्षेत्र की जनता उसको भुला नहीं पाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी ओर से तथा मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

* श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, कृष्ण दत्त उर्फ बालराज फतेहपुर जनपद के खागा के निवासी थे। यह मेरे छात्र रहे। फतेहपुर में मेरे पड़ोसी थे। वह प्रारम्भ में, कम उम्र में पंचायत राज में सेवा करते थे। 1969 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और विधायक बन गए। 1969, 1974, 1980 तथा 1985 में वह विधायक रहे। फतेहपुर में वह सबसे ज्यादा समय तक विधायक रहे। उनकी मृत्यु के बारे में जब मुझे सूचना मिली तो दस मिनट में मैं पहुंच गया। मैं शव क्रिया में गया। वह आर्यसमाजी थे उनका दाह संस्कार पावन गंगा नदी के किनारे हुआ जिस समय उनका दाह संस्कार हो रहा था उस समय काफी संख्या में वहां देहात की जनसंख्या थी–

आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। फतेहपुर जिला उनकी कमी को अनुभव करता है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे व उनके परिवार को शक्ति दे कि वह इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शोक को सहन कर सके । मैं निवेदन करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

जिस भूतपूर्व सदस्य कृष्ण दत्त उर्फ बलराज के निधन के बारे में शोक संवेदना संसदीय कार्यमंत्री जी ने, माननीय उप नेता भारतीय जनता पार्टी ने, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता जनता दल, नेता कम्युनिस्ट पार्टी, नेता मार्क्सवादी पार्टी तथा माननीय सदस्य ने व्यक्त की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री कृष्ण दत्त जी की कर्मठता, सामाजिक सेवा, लोकप्रियता और रचनात्मक कार्यों से जो जुड़े थे वह मात्र इतने से पता चल जाता है कि वह चार बार 1969, 1974, 1980, 1985 में वह इस सदन के सदस्य चुने गए । जनता के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी उसी का यह प्रतिफल था । आज इस नेता के निधन पर मैं अपने तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी दुखी परिवारीजन को इस दारुण दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे इसकी कामना करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ जो शोक संवेदना माननीय नेतागणों ने व्यक्त की है व माननीय सदस्य ने व्यक्त की है उनके दुखी परिवारजन तक उसको पहुंचा दिया जायगा । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा के लिए दो मिनट का मौन रखें ।

(दो मिनट मौन खड़े होकर सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की)

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री ऊदल–

प्रश्नों के बारे में आज आपने देखा दो प्रश्न ऐसे आ गये जिसका उत्तर सरकार की तरफ से ठीक नहीं दिया गया और एक प्रश्न को आपने प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजा ।

और दूसरे के बारे में आपने एक निर्देश भी जारी किया । मान्यवर, इस माननीय सदन में यह परम्परा भी रही है कि जो कुछ हम कहते हैं, वह सत्य कहते हैं, यह हमारी नियमावली में भी है और जो कुछ हम कहते हैं, उसे इस तरह से कहते हैं, क्या सरकार हमारी बातों को सत्य मानकर इस पर कार्यवाही करेगी, तो इस तरह सरकार के संज्ञान में बात आ जाती है और परम्परा भी रही है कि जो माननीय सदस्य अपनी जानकारी के आधार पर किसी बात को कहते हैं, उसे सत्य माना जाता है। जब पूर्व में माननीय सदस्य इस तरह की बात कहते रहे हैं तो सरकार को उसका संज्ञान लेना पड़ता रहा है, लेकिन इधर तो बड़ा परिवर्तन हो गया है । मैं आपके सामने ऐसी परम्पराओं की बात इसलिये रख रहा हूं क्योंकि मैंने सन् 52 से देखा है, उस समय सरकार की तरफ से संज्ञान लिया जाता था और उसी पर कार्यवाही की जाती रही है । आज हर प्रश्न पर बार-बार माननीय मंत्रीगण यह कहते हैं कि आप लिखकर दे दें, जबकि हम कहते हैं कि आप हमारी जानकारी को सत्य मानकर ऐसा करें।

दूसरी बात यह है क 3-3, 4-4 महीने से लोगों के सवाल लगे हैं, जैसे माननीय डंग जी का सवाल है, यह बड़ा पुराना सवाल है, उसका भी उत्तर सही रूप से नहीं दिया गया, उस पर मैं भी थोड़ा सा उत्तेजित हो गया था, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं । मैं गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भी बहुत पुराने मदस्य हैं, हालांकि

हमसे जूनियर हैं । मैंने गोविन्द बल्लभ पन्त, सम्पूर्णानन्द, सी० बी० गुप्ता, कमलापति त्रिपाठी, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह का जमाना देखा है, उस समय यदि अखबारों में भी कोई शिकायत किसी अधिकारी के खिलाफ छप जाती थी या सरकार के बारे में छपती थी, तो परम्परा यह रही है कि अखबारों की कटिंग के आधार पर उसे सही मानते हुये उस पर कार्यवाही की जाती थी, यह कभी नहीं कह जाता था कि यह अखबार में छपी है, इसलिये इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता या आप लिखकर दे दें । आप यदि पुरानी प्रोसीडिंग को उठाकर देखेंगे, श्री चरण सिंह से लेकर श्री कमलापति त्रिपाठी तक, तो पायेंगे कि ऐसी परम्परा रही है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई माननीय सदस्य अगर निजी जानकारी के आधार पर यह कहें कि क्या मेरी जानकारी को सही मानकर सरकार ऐसा करेगी, तो उस पर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि आप लिखकर दे दें । हम जो कहते हैं, वह सत्य कहते हैं, ऐसा नियमावली में भी है । जब माननीय सदस्य यह भी कहते हैं कि मैंने मौके पर देखा है, तो उसे सही माना जाना चाहिए । एक दिन मैंने एक प्रश्न पढ़ा था । वर्ष 1972 में मेरे जिले के धानापुर में जमीन एक्वायर कर ली गई, अनुसूचित जाति की आबादी के लिये, आबादी सरकार ने बनवा दी, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया कि भूमि अर्जन की कार्यवाही चल रही है, उसके बाद मुआवजा दिया जायेगा, जबकि वर्ष 1972 में भूमि अर्जन की कार्यवाही हो चुकी है और मुआवजा आज तक नहीं दिया गया । मान्यवर, आपको इन्हें आदेशित करना चाहिये कि वह अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि जो जवाब दिया जाय, वह सत्य दिया जाय, अगर जवाब असत्य होगा तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, इसलिये मैं आपसे चाहता हूं आप इस पर अपनी व्यवस्था दें और मैं यह भी बता दूं कि मैं नाराज नहीं हूं ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी ने जो कुछ भी कहा है उसको हम पूरा-पूरा शिरोधार्य करते हैं । मान्यवर, आपकी अनुमति से उनके समक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूं वह मुझसे बड़े हैं मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं, यह बात सही है कि आदरणीय सदन में कोई विधायक जो बात कहते हैं वह अपनी जानकारी के आधार पर कहते हैं और उसकी जांच करायी जानी चाहिये सरकार उसकी जांच भी कराती है । हम इस आदरणीय सदन में एक-डेढ़ महीने से बैठ रहे हैं, कई अवसर आये हैं उन अवसरों पर सरकार की तरफ से मैंने और हमारे माननीय साथी कर्मठ मंत्रियों ने जांच के आश्वासन दिये हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि संभवतः यह पहली सरकार होगी जिसने उदारता पूर्वक विधायकों द्वारा उठाये गये प्रश्नों और समस्याओं के बारे में कार्यवाही करने की अनेक घोषणायें की है । आज जो प्रसंग उठा था, माननीय किरनपाल जी ने अपनी बात कही, जब उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर अपनी बात कही तो वह सत्य होगा । मैं प्रार्थना कर रहा था, शर्त नहीं लगा रहा था कि लिखकर दे दें । माननीय विधायक यदि निरीक्षण करते हैं तो यदि उनकी तरफ से यह सूचना मिल जाय कि उन्होंने किस तारीख को अस्पताल का निरीक्षण किया और कितने बजे किया तो इससे जांच कराने में बड़ी सुविधा होगी कि उस दिन कौन डाक्टर ड्यूटी पर उपस्थित था और कौन अनुपस्थित था, कौन सा कर्मी उपस्थित था और कौन सा उपस्थित नहीं था ?

इससे हमें बड़ी आसानी होगी जांच कराने में । इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वह सही नहीं है । मेरा मानना है कि हमारे विद्वान साथी जो बोलते हैं वह सच बोलते हैं और

अपनी जानकारी के आधार पर बोलते हैं । माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को सरकार सत्य मानती है । सरकार तो केवल आपका सहयोग चाहती है जांच के बारे में । जैसा कि ऊदल जी ने अखबार के बारे में कहा, यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है और आज भी है । अखबारों में जो छपता है उसकी जांच कराने की व्यवस्था है । जैसा कि माननीय तिवारी जी भी जानते हैं, वह मंत्री रहे हैं, हम लोगों के अगुवा रहे हैं । अखबारों में जो छपता है, सरकार में जो सूचना शाखा है, हमारे जो सूचना अधिकारी हैं कोई घटना जिस रूप में छपती है उसको उसी रूप में जांच के लिये भेजा जाता है । जिन महानुभाओं का आपने नाम लिये उनसे हम अपनी तुलना नहीं कर सकते । वह महान आत्मायें थीं, उनकी श्रद्धा में हम सर झुका सकते हैं । मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार जो अखबारों में छपता है उसकी जांच कराती है । हम अखबारों का सम्मान करते हैं । जिस तरह से माननीय सदस्यों की बात को सत्य मानकर उसकी जांच करायी जाती है उसी तरह से अखबारों में जो कुछ छपता है उसकी जांच करवाते हैं ।

मान्यवर, यह पूर्व में परम्परा भी रही है कि सदन में अखबारों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, अखबारों के आधार पर यहां पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठ सकता । अखबारों में जो कुछ छपता है उसके लिये अलग से विभाग है अखबारों में छपी बातों की जांच करवायी जाती है । जैसा कि ऊदल जी ने कहा कि मैंने कहा कि वह नाराज हैं तो मैंने बैठे-बैठे कह दिया था कि नाराज हैं । सरकार का किसी तथ्य को छिपाने का इरादा नहीं है । अखबारों में कोई बात छपती है तो उसकी जांच कराते हैं और आप कहते हैं तो उसकी जांच कराते हैं । मैं पूर्व सरकारों के मुख्य मंत्रियों का सम्मान करता हूं लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध हैं इस सदन में व्यक्त किये गये विचारों के प्रति और माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि सरकार ने बहुत से मामलों में जांच के आश्वासन दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय ऊदल जी को सुना और उनके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । जो माननीय सदस्य अपनी निजी जानकारी के आधार पर सदन में कहते हैं, वह जो बातें यहां उठाते हैं वह सत्य होती हैं । अपनी सत्यता के आधार पर वह कहते हैं । (मेंजों की थपथपाहट)

तो जो भी निजी जानकारी के आधार पर सरकार से कहा जाय उस पर कार्यवाही करने का जहां तक प्रश्न है, उसे लिखित मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह कार्यवाही में लिखा जाता है और निजी जानकारी के आधार पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

मेरी कोशिश है कि अगर माननीय सदस्य सदन की मर्यादा को बढ़ा न पावें तो कम से कम बनाये तो अवश्य रखें । नियम 56 कब लिया जाता है, यह तो माननीय सदस्य को मालूम ही होना चाहिए । लेकिन अभी से ही आपने शुरू कर दिया, तो समय दें हर चीज का उत्तर आयेगा । नियमावली के अनुरूप काम करें और इसी में हम लोगों की मर्यादा है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, विधान सभा का आज अन्तिम सत्र है और बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब उत्तरित नहीं हो पायेंगे । अगर विधान सभा चलती रहती तो उनके उत्तर हम लोगों को मिल जाते । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि हम इस सत्र को लंबा चलायेंगे । बजट सत्र है लंबा चलायेंगे । उनकी नीयत तो ठीक है लेकिन आज सत्रावसान हो रहा है और हम लोगों के जो आगे के सवाल है वह व्यपगत हो जायेंगे तो मेरा निवेदन है कि उनको आप व्यपगत न करें आगे के लिए कन्टीन्यू हो जायं तो हम लोगों का बहुत सा समय बच जायेगा और सरकार का भी श्रम और समय बच जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मल्ल जी ने जो सुझाव दिया है वह नियमावली में बिना संशोधन किये हुए नहीं हो सकता है। इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पूर्व में यह व्यवस्था आपकी पीठ से दी गई थी कि सत्रावसान के बाद भी जिन प्रश्नों के उत्तर आपके सचिवालय में आ जाते हैं वह डाक द्वारा सदस्यों को भेजे जा सकते हैं और उनकी स्थिति वही होगी जो सदन में उत्तर दिये जाते हैं । जिस प्रकार से हम सदन में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं उसी प्रकार से उनके संबंध में भी पूछ सकते हैं लेकिन सचिवालय, मेरा तात्पर्य शासन सचिवालय से है, ध्यान नहीं देता है तो मैं चाहता हूं कि आप शासन को निर्देशित करें कि माननीय सदस्यों को निर्धारित समय में उत्तर भेज दिये जायं जिससे शासन के समय का अपव्यय न हो । वह व्यवस्था पहले से है, कोई नई बात नहीं है । केवल आपको निर्देश देना होगा । माननीय ऊदल जी और प्रमोद जी बैठे हैं इनको पुराने नियमों की जानकारी होगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, सत्रावसान के बाद सभी प्रश्न व्यपगत हो जाते हैं प्रश्नों का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मल्ल जी ने जो सुझाव दिया है वह नियमावली के संगत नहीं है लेकिन मैंने जो सुझाव दिया है वह पूर्व में दी गई व्यवस्था के आधार पर दिया है आप इसको दिखवा लें । अगर निदेश की प्रति आपके पास न हो तो आप इस व्यवस्था को सुरक्षित रखें और देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

सत्रावसान की तिथि से तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के उत्तर जो स्वीकार किये जा चुके हैं और जिनके उत्तर सदन में नहीं आये हैं वह सभी व्यपगत हो जाते हैं लेकिन उनका उत्तर संबंधित विभाग सत्रावसान के एक महीने के भीतर प्रश्नकर्ता को भेज दें और उसकी एक कापी विधान सभा सचिवालय को भेजें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो प्रार्थना की थी वह यह है कि यह नियम तो है लेकिन इस नियम का सही रूप में अनुपालन नहीं हो पा रहा है यदि उचित समझे तो शासन को निर्देशित कर दें, माननीय संसदीय

कार्यमंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी कर दें कि यह जो माननीय अध्यक्ष के निर्देश हैं इसका पालन किया जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

यह किस तिथि तक के प्रश्नों का उत्तर भेजे जाने को कहा गया है ?

श्री अध्यक्ष–

सत्रावसान होने तक जितने प्रश्न स्वीकृत हो जायेंगे उनके उत्तर दिये जायगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, स्वीकृत का मतलब यह लगाया जायेगा कि जिन पर आपके सचिवालय की मुहर लगकर सचिवालय को दी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री को निर्देशित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 26 में जो व्यवस्था है उसका अनुपालन सुनिश्चित करवायें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित कुल 87 माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुई है :–

1–श्री राजेन्द्र सिंह

2–आचार्य जगदीश मुनि

3–श्री हरवंश कपूर

4–श्री राम कुमार शुक्ल

5–श्री राज कुमार शिवहरे

6–श्री राम प्रताप सिंह, (उपस्थित नहीं है।)

7–श्री शिव प्रताप शुक्ल

8–श्रीमती प्रेमलता कटियार

9–श्री लालमणि प्रसाद (उपस्थित नहीं है।)

10–श्री राजा राम त्यागी

11–श्री भगवत सरन गंगवार

12–श्री रमेश बहादुर सिंह

13-श्री राम विशुन आजाद

14–श्री इन्द्रदेव सिंह

15–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी

16–श्री हरपाल सिंह

17–श्री बैजनाथ रावत

18–श्री फजलुर्रहमान अंसारी, (उपस्थित नहीं है ।)

19–श्री हरक सिंह रावत (उपस्थित नहीं है ।)

20–श्री शिवदानी

21–श्री राम प्रकाश, (उपस्थित नहीं है ।)

22–श्री ऊदल

23–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह

24–श्री धनराज यादव

25–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल

26–श्री चन्द्र किशोर

27–श्री राम सरन वर्मा

28–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर

29–श्री छोटे लाल (हरदोई)

30–श्री गया चरन दिनकर

31–सुश्री रेखा छागला, (उपस्थित नहीं है ।)

32–श्री मुरली धर

33-श्री ऊदय प्रकाश

34–श्री लाज कृष्ण गांधी

35–श्री बदन सिंह

36–श्री श्याम देव राय चौधरी

37–श्री सुन्दर लाल दीक्षित

38–श्री जय प्रताप सिंह

39–श्री शिवेन्द्र सिंह

समय 1 बजे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

40–श्री हरेन्द्र सिंह मलिक

41–श्री सत्य प्रकाश विकल

42–श्री राम बाबू हरित

43–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, (उपस्थित नहीं है ।)

44–श्री राम आसरे वर्मा, (उपस्थित नहीं है ।)

45–श्री दल बहादुर कोरी

46–श्री मयंकर सिंह

47–श्री बालेश्वर त्यागी

48–श्री महेन्द्र सिंह माहरा

49–श्री धामूराम भाष्कर

50–श्री रंगनाथ मिश्र

51–श्री अमरजीत जन सेवक

52–श्री राधेश्याम गुप्त, (उपस्थित नहीं है ।)

53–श्री राम सेवक सिंह पटेल

54–श्री राजबली जैसल

55–श्री स्वयंबर चौधरी

56–श्री राम औतार मिश्र

57–श्री भैरों प्रसाद मिश्र

58–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

59–श्री राम खेलावन, (उपस्थित नहीं है ।)

60–श्री मातवर सिंह कण्डारी

61–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय

62–श्री राम पाल सिंह सैनी, (उपस्थित नहीं है ।)

63–श्री अजय कुमार पोइया

64–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया

65–श्री नीरज चतुर्वेदी

66–श्री मोहर सिंह

67–श्री सुरेश कुमार खन्ना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

68–श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा

69–श्री नन्द किशोर मिश्र

70–श्री छब्बू सिंह पटेल, (उपस्थित नहीं है ।)

71–श्री जगवीर सिंह

72–श्री तीरथ राज

73–डा० माम चन्द्र लाम्बा, (उपस्थित नहीं है ।)

74–श्री लक्ष्मीचन्द्र

75–श्री लल्लू सिंह

76–श्री छोटे लाल

77–श्री जयपाल सिंह

78–श्री तेजभान सिंह, (उपस्थित नहीं है ।)

79–श्री गिरीश नारायण पाण्डेय

80–श्री आनन्द यादव

81–डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)

82–श्री अवनीश कुमार सिंह

83–श्री प्रेम सिंह, (उपस्थित नहीं है ।)

84–श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह

85–श्री किरनपाल सिंह

86–श्री मुन्नू लाल कुरील

87–श्री राम भारती, (उपस्थित नहीं है ।)

उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद देहरादून में देहरादून ऋषीकेश मार्ग पर डोईवाला में सोंग नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

[महोदय, मैं आपका ध्यान देहरादून के देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर डोईवाला में सोंग नदी पर बने पुल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पुल का निर्माण वर्ष 1958 में किया गया था। जो कि उस समय की यातायात स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। इस पुल की चौड़ाई 8–10 फुट की है और एक तरफ के मोटर के आने जाने के लायक है। वर्तमान में पुल अत्यन्त जीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है और पुल की स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा पुल पर जगह-जगह गति अवरोधकों का निर्माण भी किया गया। पुल पर वाहनों के आने जाने से पुल में कम्पन उत्पन्न होता है जिससे पुल अत्यन्त खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और कभी भी कोई गम्भीर दुर्घटना हो सकती है। इस स्थिति को देखते हुए विभाग द्वारा नए पुल का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है जो कि गत 5–6 वर्षों से शासन के विचाराधीन है। यदि समय रहते नए पुल का निर्माण नहीं किया गया तो देहरादून जनपद का गढ़वाल के अन्य जनपदों से सम्पर्क टूट जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान पुल के ध्वस्त हो जाने के पश्चात् हिमांचल प्रदेश, हरिद्वारा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली लखनऊ आदि का आवागमन भी प्रभावित होगा। वर्तमान में दूर जनपदों के यात्री भारी संख्या में इस पुल के माध्यम से गढ़वाल के अन्य जनपदों एवं हिमांचल प्रदेश जाते हैं।

अतः इसे अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न मानते हुए इस समस्या का ध्यान शासन की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित पुल का निर्माण अतिशीघ्र करवाने के आदेश शासन को देने की कृपा करें।]

जनपद हरिद्वार के कबूलपुर-रायखाटी एवं गंगपुरी सोपरी में गंगा नदी के बाढ़ से हुए कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आचार्य जगदीश मुनि–

[महोदय, जनपद हरिद्वारा के कबूलपुर रायखाटी एवं गंगपुरी-सोपुरी जो लगभग 15 कि०मी० का क्षेत्र है मैं गंगा नदी की बाढ़ से भयंकर कटाव होने से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है और कई गांवों के बहने का खतरा बना हुआ है और कृषि भूमि का काफी क्षेत्र का कटाव हुआ है। जिस कारण वहां के ग्रामीणों को काफी आर्थिक हानि हुई है। जिस कारण वहां की जनता में काफी असंतोष, रोष एवं आक्रोश की भावना शासन के प्रति व्याप्त हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद देहरादून में डोईवाला विकास खण्ड में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरवंश कपूर–

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला में डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में एक डिग्री कालेज खोलने की मांग क्षेत्र वासियों द्वारा की जाती रही है। विभिन्न अवसरों पर शासन का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया। सरकार द्वारा भी डिग्री कालेज के औचित्य को देखते हुए जिला प्रशासन से भूमि उपलब्धता के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए तथा तात्कालिक आवश्कता को देखते हुए डिग्री कालेज के निजी भवन भी किराये पर लेने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही न तो शासन की ओर से और न जिला प्रशासन की ओर से की गई।

मान्यवर, शासन और जिला प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए क्षेत्रवासियों में अत्यन्त रोष है जिसके कारण स्थिति चिन्ताजनक हो सकती है।

अतः लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का ध्यान आपके माध्यम से सरकार की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि सरकार को निर्देशित कर डोईवाला विकास खण्ड जिला देहरादून में डिग्री कालेज खोलने के लम्बित प्रस्ताव पर अति शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश देने की कृपा करें।]

सीतापुर रोड, लखनऊ स्थित नवीन गल्ला मण्डी के बगल में बनने वाले पक्के नाले का उचित निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कुमार शुक्ल–

[महोदय, नवीन गल्ला मण्डी सीतापुर रोड के पश्चिम तरफ बहने वाले नाले को पक्का बनाने हेतु सांसद श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने अपने सांसद कोटे से 30 लाख रुपये आवंटित करते हुए आरम्भिक स्थान पर शिलान्यास किया था लेकिन शासन ने शिलान्यास स्थल जहां तक पक्का नाला बना है, को छोड़कर कुछ दूर से निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है। जिससे अलीगंज का पूरा गन्दा पानी बीच में कच्चे नाले द्वारा फैल कर वहां की बस्ती में जमा हो रहा है। जिससे अनेक संक्रामक रोग फैल रहा है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि पक्के नाले (शिलान्यास स्थल) से जोड़कर ही आगे नाले का निर्माण कराया जाय। साथ ही बस्ती में हुए जल भराव का शीघ्र निष्कासन किया जाय।]

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं एवं शासनादेशों के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज कुमार शिवहरे–

[मान्यवर, प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही संयुक्त रूप से 14 योजनाओं एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न कराने में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सचिव/परियोजना निदेशक द्वारा भारी कमीशन बाजी एवं शासनादेशों का उल्लंघन कर अनिमितताओं एवं भ्रष्टाचार करके लाखों रुपये का धन कमाया जा रहा है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक को नियमित नहीं कराया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के बगैर ही प्रस्तावों को स्वीकृत करके अपने चाटुकारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और भारी वित्तीय अनियमिततायें की जा रही हैं, बैठक का प्रस्तुत एजेन्डा कार्यवाही से पूर्णतया विभिन्नता प्रदर्शित करती है।

मान्यवर, केन्द्र सरकार के द्वारा जिन योजनाओं को बांदा जनपद में चलाया जा रहा है उनका उक्त अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, इन्टेन्सिफाई दस लाख कूप योजनाओं आदि में टेक्टरों से काम कराया जा रहा है। मजदूरों को 100 दिन काम नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है और मजदूरों को पूरी लेबर नहीं दी जा रही है। योजनाओं का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। उक्त योजनाओं में मानकों के अनुसार गुणवत्ता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जिससे कराये गये निर्माणों का जनहित में कोई महत्व नहीं है मात्र कागजों में ही योजनाओं को चलाया जा रहा है और अपनी ही जेबों में लाखों रुपयों को रखा जा रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

राज्य सिविल सेवा 1994 की प्रारम्भिक परीक्षा हेतु लगभग 20,000 अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र वापस कर दिये जाने एवं उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[महोदय, मेरी जानकारी में आया है कि राज्य सिविल सेवा (पी०सी०एस०) 1994, की प्राथमिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित प्रार्थना पत्रों में से लगभग 20,000 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को मात्र इस आपत्ति के साथ अभ्यर्थियों को वापिस कर दिया गया कि उन्होंने अपने आवेदन पत्रों को लिफाफों में भरकर एक ही बड़े लिफाफें में रजिस्टर्ड डाक से आयोग को भेजा है। मान्यवर, मात्र उक्त आधार पर प्रार्थना पत्रों को वापिस किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। पूर्व में आयोग द्वारा बाई हैण्ड प्रार्थना पत्र भी ले लिए जाते रहे थे तथा आयोग के कार्यालय में उपलब्ध बक्से में डाले गये प्रार्थना पत्र भी लिए जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति यदि एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा दो या तीन अभ्यर्थियों ने अलग-अलग लिफाफों में आपने आवेदन पत्रों को भरकर आयोग को भेजा है तो इसमें कोई ऐसी अनियमितता दृष्टिगोचर नहीं होती है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में न बैठने दिया जाय। आयोग की उपर्युक्त कार्यवाही से सम्बन्धित अभ्यर्थियों में अत्यन्त क्षोभ व्याप्त है। महोदय ऐसी स्थिति में लोक महत्व के इस प्रश्न को मैं सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूं कि महोदय इस ओर सरकार को ध्यान आकर्षित करने की कृपा करें तथा हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने से वंचित होने से बचाने की कृपा करें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट में पंचायत निर्वाचन 1995 में अनुसूचित जाति की महिला के लिये आरक्षित सीट पर पुरूष अभ्यर्थी के चुनाव लड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती प्रेमलता कटियार--

[महोदय, माननीय सदन के माध्यम से मैं आपके संज्ञान में एक महत्वपूर्ण तथ्य लाते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड चिनहट में पंचायत निर्वाचन 1995 में क्षेत्र समिति गांव सभा रैथा की सीट जो अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है, पर महिला के स्थान पर पुरूष अभ्यर्थी को चुनाव लड़ाया गया है और इस तथ्य, जिसको गम्भीर त्रुटि कहा जा सकता है, की जानकारी होने पर मतगणना कार्य रोक दिया गया है और वह सीट (स्थान) रिक्त चली आ रही है। इस सम्बन्ध में संबंधित ग्राम की महिलाओं ने भी तथ्य की जानकारी शासन में देकर जांच की मांग की है परन्तु मामले का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है।

अतः उक्त तथ्य को आपके संज्ञान में लाकर संबंधित मामले की तुरन्त जांच करवाने, दोषियों को दंडित करने तथा महिला सीट पर महिला प्रत्याशी का चुनाव कराकर क्षेत्र समिति को घोषित करें ताकि क्षेत्र के विकास के संबंध में कार्यवाही हो सके और महिला के लिए आरक्षित सीट पर महिला का निर्वाचन संभव हो सके।]

जनपद रायबरेली के महराजगंज पंचायत के अन्तर्गत पुरासी ग्राम में अर्धनिर्मित प्राइमरी पाठशाला का फर्जी शिलान्यास दिखाकर विभाग के हजारों रुपये हड़पने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजाराम त्यागी--

[महोदय, मैं सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत महराजगंज क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत पुरासी ग्राम में अर्धनिर्मित प्राथमिक पाठशाला के भवन पर एक शिलान्यास पट लगा है। जिस पर लिखा है कि आज दिनांक 2 जनवरी, 1995 को प्रा० वि० पुरासी क्षेत्र महराजगंज के विद्यालय भवन का शिलान्यास माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस शिलापट पर कु० कमलेश प्रियदर्शी बे०शि०अ० श्री अन्द्र मौलि शरण उप निरीक्षक प्रति उप निरीक्षक ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक के नाम खुद हैं।

जबकि वास्तविकता यह है कि मंत्री द्वारा मौके पर कोई भी शिलान्यास किया ही नहीं गया विभाग द्वारा फर्जी शिलापट लगाया गया और फर्जी तरीके से कार्यक्रम के सम्पादन के नाम पर हजारों रुपये डकार लिये गये। जो सार्वजनिक धन जनता की गाढ़ी कमाई का सीधे-सीधे अपहरण है। उक्त प्रकरण की गम्भीरता से जांच एवं दोषियों के विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उपरोक्त प्रकरण पर अविलम्बनीय लोक महत्व के नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही दिये जाने तथा काम रोककर चर्चा की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से भ्रष्टाचार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवत सरन गंगवार–

[मान्यवर, जनपद बांदा में कार्यरत भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा भारी कमीशन एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला फैलाकर लाखों रुपये का लाभ कमाया जा रहा है। इसी वित्तीय वर्ष पूर्व वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गयी धनराशि भूमि संरक्षण अधिकारी मैदानी श्री बृजेश कुमार को 1993-94 एवं 1994-95 में विभिन्न योजनाओं के माध्मम से लगभग 166.32 लाख रुपये दिये, भूमि संरक्षण अधिकारी राष्ट्रीय जलागम श्री इन्द्रपाल सिंह को 134.65 लाख रुपये दिये तथा श्री नाम देव भूमि संरक्षण अधिकारी डी०पी०ए०पी० बांदा को 60.00 लाख रुपये दिये जिसके क्रम में इन अधिकारियों के द्वारा मिट्टी का निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं कराया और न ही मजदूरों को 33.00 रुपया प्रतिदिन की दर से मजदूरी ही बांटी। इससे स्पष्ट है कि इन अधिकारियों के द्वारा धनराशि का फर्जी तरीके से भुगतान कराकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया है। इन इकाईयों के द्वारा जितने भी कार्य कराये गये हैं मुख्यता राजस्थानी ट्रैक्टरों के माध्यम से कराये गये मजदूरों के नाम फर्जी मस्टर रोल भरे गये हैं इससे मजदूरों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जिस विभाग के सचिव/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा के माध्यम से इन इकाईयों को धनराशि उपलब्ध करायी जाती है उनके द्वारा निरीक्षण के नाम पर अपने घर में ही बैठकर कागजी कार्यवाही की जा रही है और लाखों रुपये की धनराशि कमायी जा रही है जिसकी उच्चस्तरीय जांच कराये जाने की विशेष आवश्यकता है ताकि हुये शासकीय धन के आय-व्यय की जांच हो सके और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

प्रतापगढ़ के अन्तू थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश बहादुर सिंह–

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के थाना अन्तू क्षेत्र में आजकल भयंकर अराजकता तथा अपराधियों का साम्राज्य है जिसके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में आतंक का वातावरण बन गया है। क्षेत्रीय जनता स्वयं अपराधियों के भय से सहमी है और उनकी शिकायत नहीं कर पा रही है। अपराधियों के इस गिरोह की अगुवाई नागेन्द्र बहादुर उर्फ मुन्ना यादव, अरूण कुमार यादव, नरेश बहादुर यादव, मोहर अली उर्फ झूरी, मो० सफीक आदि कर रहे हैं। इस गिरोह का मुख्य काम लोगों की हत्या करना या उसका ठेका लेना, लूट मार व धोखाधड़ी करना है। इनके विरुद्ध धारा 147/148/149/307/323/504/308/323 व धारा 304, धारा 419/420 भारतीय दण्ड प्रक्रिया के मुकदमें भी रजिस्टर्ड हुए हैं परन्तु इनके आतंक व

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जोर दबाव से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पूरे क्षेत्र मे घोर असंतोष व्याप्त है। किसी भी क्षण कोई भी गम्भीर घटना घट सकती है। अतः इस सूचना के द्वारा हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इन अपराधियों व गिरोह के अन्य सदस्यों को गुण्डा ऐक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में तत्काल बन्द किया जाय तथा बढ़ती हुई अराजकता को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवा की कक्षाओं का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र मनकापुर गोण्डा में स्थित राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवा जनपद गोण्डा की कुछ मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि इन समस्याओं के ऊपर तत्काल आवश्यक कदम उठाया जाय।

उपरोक्त विद्यालय काफी पुराना विद्यालय है। अगल बगल के गांवों से काफी लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस विद्यालय में आती हैं इस विद्यालय के अन्तर्गत पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, स्कूल की दीवारें जगह-जगह टूटी हैं। छतों में दरारें पड़ गई हैं तथा स्कूल के परिसर में जो सड़ेंजें लगे हुए थे वह भी सब टूट-टूट कर निकल गये हैं। आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इससे पढ़ाई में अनेकों व्यवधान पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह विद्यालय दसवीं दर्जा तक है। इसके उच्चीकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों से मैंने कई बार अनुरोध किया मगर स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और आज भी कोई ठोस निर्णय, उच्चीकरण के मामले में नहीं लिया जा सका, जिससे अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप शासन को निर्देशित करें कि उपरोक्त विद्यालय की कठिनाईयों का शीघ्र से शीघ्र निराकरण करें।]

जिला बिजनौर के ग्राम कादरगंज नं० 8 के घुटना तोड़ नाले पर चेक डेम बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्र देव सिंह–

[मैं आपका ध्यान ग्राम कादरगंज नं०–8. पोस्ट बढ़ापुर तहसील नगीना, जिला बिजनौर की ओर आकृष्ट करते हुए वहां की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, इस क्षेत्र में अधिकांश भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आदि रहते हैं। बरसाती नालों के कारण प्रति वर्ष यहां की उपजाऊ भूमि लगातार कटती जा रही है जिससे फसलों के नुकसान के साथ-साथ जान-माल की हानि होती रहती है। वर्तमान समय में घुटना तोड़ नाले ने इस क्षेत्र के निवासियों को तबाह कर दिया है, महोदय इस संबंध में विगत कई वर्षों से लगातार शासन तथा सम्बन्धित विभागों को भी लिखा गया परन्तु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड कालागढ़ ने वर्ष 1981 में कुछ कार्य किया था परन्तु उक्त निर्माण खण्ड ने अपने कार्य को अधूरा छोड़ दिया तथा श्रोत का पानी भी घुटना तोड़ नाले में मिला दिया जिसमें कि सर्वश्री सुरेन्द्र कुमार चौहान, हरेन्द्र कुमार चौहान, राजेन्द्र सिंह, ताजवर सिंह, अशोक सुल्तान सिंह व अन्य लोगों की जमीनों को निरन्तर नाला काटता चला आ रहा है इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता द्वारा यदि उस समय नाले पर दीवार व चेक डेम बना दिये जाते तो इतनी भूमि का कटाव न होता।

अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि ग्राम कादरगंज नं०-8 पो० बढ़ापुर जिला बिजनौर के घुटना तोड़ नाले पर चेकडेम व अन्य जो भी बरसाती नाले को रोकने के साधन हों बनवाने के निदेश शासन को देने की कृपा करें ताकि ग्रामवासियों की फसल, मवेशियों तथा जनसमुदाय का नुकसान न हो सके।

मान्यवर, इसे अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न मानते हुये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनता के हित में अविलम्ब चेक डेम बनवाने का कष्ट करें।]

पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जयहरी में बांघ एवं भालू द्वारा जनजीवन को नुकसान पहुंचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

[जनपद पौड़ी गढ़वाल में जंगली जानवरों द्वारा विगत कुछ दिनों में ही अब तक चार लोगों को मार दिया गया और कई अन्यों को घायल कर दिये जाने से सम्पूर्ण क्षेत्र में भय व दहशत का वातावरण बना हुआ है जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। विकास खण्ड जयहरी खाल ग्राम विनताला में दस वर्षीय राजेश ध्यानी, विकास खण्ड रिखणीखाल में जुई एवं पानी सैण यमकेश्वर एवं बाबों विकास खण्डों में अब तक चार लोगों को बाघ द्वारा मार दिया गया है और कई अन्यों को बाघ एवं भालू द्वारा बुरी तरह घायल किये जाने से पूरे क्षेत्र में इतना भय व्याप्त है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से डर रहे हैं शासन की ओर से जंगली जानवरों के रोकथाम के लिए किसी प्रकार पहल न किये जाने से क्षेत्रवासियों को अपने घरों को छोड़-छोड़ कर अन्यत्र बसने को मजबूर होना पड़ रहा है पूरे क्षेत्र में जंगली जानवरों के आंतक से कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो रही है किन्तु अभी तक शासन/प्रशासन ने न तो बाघ व भालू को पकड़ने और न ही मारने के आदेश दिये हैं जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिति और भी विस्फोटक बनती जा रही है। कृपया सरकार को निर्देशित करें कि तत्काल बाघ एवं भालू को मरवाने व मृतकों व घायलों को पर्याप्त मुआवजा दिलवायें।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत शक्तिनगर, कुर्माचल नगर में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरपाल सिंह–

[महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 301 के अन्तर्गत आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत शक्तिनगर, कुर्माचल नगर (कुकरैलपुल के बाद) में व्याप्त अव्यवस्था से नागरिकों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । नालियों एवं सड़क की सफाई व्यवस्था न होने से भीषण गंदगी रहती है जिससे मच्छरों का प्रकोप है । शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या है । गर्मियों में पानी का लेवेल नीचे चले जाने से हैण्ड पाइपों में पानी नहीं आता है और आजकल जो पानी आता है भी वह शुद्ध नहीं है जिसका वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और वे बीमार पड़ रहे है । अतः लोकहित में आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि शक्तिनगर-कुर्माचल नगर में पेयजल हेतु पाईपलाइन का विस्तारीकरण, मार्ग प्रकाश, नालियों एवं सड़क की सफाई की स्थायी व्यवस्था की जाए ।]

जनपद लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ रावत–

[मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उक्त संस्थान में निदेशक के निजी सचिव का एक पद शासनादेश सं० 2863/सेक-14 पांच-पी–1/90. दिनांक 9 जुलाई, 1991 द्वारा रु० 3000-4500 में स्वीकृत किया गया था बाद में ज्ञात हुआ कि उक्त पद गलत वेतनमान में स्वीकृत हो गया है जिसके परिभार में शासन ने आदेश संख्या 8237-सेक–14 पांच/93. दिनांक 4 दिसम्बर, 1993 द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 1991 से ही संशोधित करते हुए रु० 2000 से 3500 के वेतनमान में स्वीकृत किया गया था किन्तु अभी तक उक्त संस्थान के निदेशक अथवा वित्त नियंत्रक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न शासन को कोई उत्तर ही भेजा गया है वित्त नियंत्रक द्वारा रु० 3000–4500 के वेतनमान में ही उक्त पद पर कार्यरत व्यक्ति का वेतन अहरित किया जा रहा है जिससे संस्थान के कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है । अतः मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि इस खुली वित्तीय अनियमितता एवं शासनादेशों की अवहेलना को तुरन्त रोका जाए एवं अधिक हो रही धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए ।]

नोट :–1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला हरदोई के श्री देवदरबार आश्रम इण्टर कालेज साण्डी के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि श्री देवदरवार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी, हरदोई के प्रधानाचार्य द्वारा कालेज की हाई स्कूल की छात्राओं को वर्ष 1995 की विज्ञान वर्ग–2 की प्रायोगिक परीक्षा में जानबूझकर अनुपस्थित करवाकर उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित करवा दिया गया है । जबकि उक्त छात्राओं द्वारा उक्त परीक्षा दी गयी थी उन छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य को घूस देने से मना कर दिया था । इस प्रकार उक्त प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है जिससे छात्राओं का शैक्षिक सत्र भी व्यर्थ गया है छात्राओं के अभिभावकों में प्रधानाचार्य के प्रति घोर असन्तोष व रोष व्याप्त है उक्त छात्रायें अन्य विषयों में प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण है किन्तु प्रधानाचार्य द्वारा जानबूझकर प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित दिखलाकर उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित कराने का घृणित कार्य किया है । अतः प्रधानाचार्य के विरुद्ध भा०द०वि० की आपराधिक धारा के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराकर अविलम्ब गिरफ्तार करवाने तथा छात्राओं के परीक्षाफल को अविलम्ब घोषित कराये जाने की मांग करता हूं तथा इस-प्रकरण में अन्य दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद ललितपुर में भारी वर्षा एवं बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[महोदय, जनपद ललितपुर में भारी वर्षा होने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है सम्पूर्ण जनपद बाढ़ से प्रभावित हुआ है जनपद की जामनी, शाहजाड़ रोहणी बेतवा धसान नदियों में बाढ़ के कारण जनपद के ग्रामों का जनपद मुख्यालय से सम्पर्क टूट गया है जनपद के थाना नाराहाट के ग्राम गुढ़ा बुजुर्ग की 5 अनुसूचित जाति की बच्चियां पानी में बह गयीं जिसमें तीन बच्चियों को ग्राम के नवयुवक रघुराज सिंह ठाकुर ने डूबने से बचा लिया दो बच्चियों की जान न बच पायी इस भारी वर्षा के कारण जनता में भय व्याप्त हो गया है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त मृत बच्चियों के परिवार को उपयुक्त आर्थिक सहायता दी जाय तथा जान बचाने वाले युवक को साहसी बालक के रूप में सम्मानित किया जाय एवं ललितपुर जनपद में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को अविलम्ब सहायता पहुंचायी जाय]

जनपद सिद्धार्थनगर में सिंचाई की सुविधा न होने से किसानों की हालत खराब होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[सिद्धार्थनगर जनपद में सिंचाई के लिए कोई भी सुनिश्चितता न होने से किसानों की हालत बहुत खराब है जिले में बान गंगा नहर एवं जमींदारी नहर सिंचाई के दो सिष्टम पहले से हैं जो पानी के अभाव में अब अनुपयोगी हो गये हैं केवल बरसात के मौसम में इन नहरों से सिंचाई हो पाती है । संबंधित क्षेत्र में नदी एवं नालों की अधिकता है इन्हीं तकनीक से नदियों में बह रहा पानी ऊपर खेतों में लाया जा सके तो किसानों की खुशहाली लौट सकती है कूड़ा नदी में रामनगर गांव तथा मजगवां के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बीच में नदी के दाहिने तट पर एवं कूड़ा एवं तिलहर नदी के संगम स्थल पर बांध के पास तिलार नदी में तथा बूड़ी राप्ती में तकेवा गांव के पास लिफ्ट मशीन लगाकर सिंचाई करायी जा सकती है इन तीनों स्थलों पर लिफ्ट लगाने से मात्र भाटिनपार क्षेत्र में नहरें बनानी पड़ेंगी शेष दोनों स्थलों पर क्रमशः शिवपत नहर तथा त्रिरकोलिया नहर में पानी गिरा देने से पूरे तौर से सिंचाई हो सकती है लिफ्ट मशीनें भी वाराणसी मिर्जापुर में अतिरिक्त हो चुकी हैं एक राजकीय नलकूप लगाने में जितना धन व्यय होता है उतने धन में यह तीनों मिनी लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें सिंचाई के लायक तैयार की जा सकती हैं जो सैकड़ों गांवों के बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई कर सकती हैं। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सुनिश्चित प्रश्न है जिसे सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त तीनों सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित कराने की कृपा करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी के विकास खण्ड खेसरहा में ग्राम बेलौहा में खसरा नं० 156 के विकास इण्टर कालेज का खेसरहा के नाम आवंटित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रताप सिंह–

[मान्यवर, सिद्धार्थनगर जनपद के तहसील बांसी के विकास खण्ड खेसरहा में राजस्व ग्राम बेलौहा में खसरा नं० 156 2 बीघा 5 विस्वा 3 धुर चकबन्दी प्रक्रिया में विकास इण्टर कालेज खेसरहा के कृषि फार्म के लिए आवंटित किया गया और राजस्व अभिलेख में कालेज का नाम दर्ज कर दिया तथा उक्त भूमि में कन्या हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव पिछले वर्ष जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने शासन में भेज दिया है, किन्तु उक्त विद्यालय भूमि पर दारुलउलूम ने राजस्व विभाग के तहसील बांसी द्वारा अवैधानिक रूप से अपने विद्यालय के नाम करा लिया है।

इस प्रकरण से क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश है इस गलती को शीघ्र दुरुस्त नहीं किया गया तो क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव भी बढ़ सकता है। जो कि प्रत्येक परिस्थिति में सदैव शान्त रहने वाला सिद्धार्थनगर जनपद भी अशान्ति का शिकार हो यह किसी भी तरह उचित नहीं है ?

यह लोक महत्व का सुनिश्चित प्रश्न सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि शासन को निर्देश देने की कृपा करें कि प्रश्नगत मामले में सन्दर्भित नम्बर के क्षेत्रफल को विकास इण्टर कालेज के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करें।]

साधन सहकारी समिति लि०, परसाबेनी जनपद महराजगंज के पात्र सदस्यों को कृषि ऋण राहत उपलब्ध कराने एवं विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, भारत सरकार द्वारा 10 हजार रुपये की सीमा तक के लिए ऋण सन् 1986 तक की माफ किये गये थे जिसके तहत साधन सहकारी समिति लि० परसाबेनी तहसील फरेन्दा जनपद महराजगंज के पात्र सदस्यों की सूची विभाग को उपलब्ध करायी गयी। इस सूची के तहत इस समिति

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की मु० 8.50 लाख की लगभग ऋण राहत की धनराशि जिला सहकारी बैंक फरेन्दा जनपद महराजगंज को प्राप्त हुआ, पुनः जिला सहकारी बैंक लि० फरेन्दा जनपद महराजगंज ने ऋण राहत का सम्पूर्ण धन साधन सहकारी समिति लि० परसाबेनी को उपलब्ध करा दी है। फिर भी समिति अपने पात्र सदस्यों को इस ऋण राहत का लाभ नहीं दे रही है। जबकि यह धनराशि पात्र सदस्यों के खाते में जमा होनी चाहिए सहकारिता विभाग के जिला से लेकर समिति स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आपसी सांठ-गांठ से पात्र समिति सदस्यों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है जिसके कारण इस समिति के सदस्यों को उर्वरक एवं बीज कृषि हेतु लेने में परेशानी हो रही है एवं इनके फसल प्रभावित हो रहे हैं।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि अविलम्ब इन तथ्यों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित कर समिति के सदस्यों को कृषि ऋण राहत की सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।]

जनपद मुजफ्फरनगर के गांव काजीखेड़ा थाना तिताबी के पिछड़े जाति के युवक महिपाल की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अतिलोक महत्व के विषय को लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।

मान्यवर, मेरे अपने गांव काजीखेड़ा, थाना तितावी, जिला मुजफ्फरनगर के पिछड़ी जाति के गरीब युवक महिपाल की बर्बरतापूर्वक हत्या सुरेश द्वारा कर उसके शरीर को पुलिस से मिलकर जबरिया जला देने संबंधी है। दिनांक 23 मई, 1995 की शाम करीब छः बजे सुरेश आदि उक्त युवक की लाश जिस पर एक आध घण्टे के अन्दर चाकू के लगे तीन घाव बताये गये थे को लेकर गांव में आये उसकी पत्नी विमलेश द्वारा थाना तिताबी जाकर थानाध्यक्ष को इसकी सूचना देते हुए इसकी एफ० आई० आर० दर्ज कराकर पोस्टमार्टम करा कर कानूनी कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया परन्तु थानाध्यक्ष ने दीवान से रिपोर्ट न दर्ज कर जबरिया सुरेश एवं रमेश से मिलकर दाह संस्कार कराने के लिए कहा। इस गरीब की शिकायत पर बाद में क्षेत्राधिकारी की जांच में यह साफ हो गया कि लाश के बाद यह लोग थाने गये परन्तु थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी। आज भी हत्यारे खुले घूम रहे हैं। महिपाल की विधवा पत्नी एवं सास-ससुर को डरा धमका रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से हत्यारे के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कराने एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ इन परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा की लाखों जनसंख्या वाले यमुनापार क्षेत्र में इण्टर कालेज न होने से छात्रों की कठिनाइयों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, आगरा महानगर का यमुनापार क्षेत्र विकास की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कटरा वजीरखां, रामबाग, नुनिहाई, सीतानगर, मोतीमहल, नगलाफतूरी, नगला देवजीत, कछपुरा, गढ़ीचांदनी, गढ़ी हुसैनी, प्रकाशनगर, गौतमनगर, सुशीलनगर, ट्रांस यमुना कालोनी, नरायच, शाहदरा, टेढ़ीबगिया, अम्बेदकरनगर, जगजीवन नगर आदि बस्तियों की लगभग डेढ़ बीघा आबादी में

अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों का बाहुल्य है । हजारों की संख्या में यहां के छात्र एवं छात्राओं को हाई स्कूल व इण्टर तक की शिक्षा के लिए 4-6 कि०मी० चलकर पुल पार करके शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है जिससे उनके कई घण्टे आने-जाने में लगते हैं व उनके सुरक्षित सकुशल लोटाने की चिन्ता में उनके परिवारजन चिन्तित व परेशान रहते हैं । यहां के छात्रों को स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए भी भारी कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं । वर्षों से वहां की जनता इण्टर कालेज खोलने की मांग के लिए आन्दोलित है परन्तु ऐसा न होने से उनमें भारी क्षोभ और रोष व्याप्त है ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आगरा के यमुनापार क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज खोलने की मांग करता हूं कि इसके लिए आवश्यक आदेश जारी किये जायं ।]

गिलट, लोहा-आभूषण एवं चैन पर लगे व्यापार कर को हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम बाबू हरित-

[महोदय, आगरा जनपद व आसपास के कई जिलों में गिलट, लोहा, आभूषण व चैन आदि के कुटीर उद्योग धन्धे चल रहे हैं । जिससे तमाम गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, साथ ही साथ गरीब मजदूर, मां बहिनों व बेटियों को अपने को सुशोभित करते हेतु सस्ते व सुन्दर आभूषण उपलब्ध होते हैं । इस व्यवसाय में लगभग 18.000 अनुसूचित जाति, 6.000 पिछड़ी जाति व 4.500 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कार्यरत हैं । मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आन्ध्र प्रदेश आदि प्रमुख राज्यों ने इन पर कोई कर नहीं लगाया है । उ० प्र० में व्यापार कर लगाने से 65 प्रतिशत बिक्री घटती जा रही है । पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा दिगत वर्षों में पान मसाला से व्यापार कर हटा दिया । जबकि इसके खाने से लोगों के गाल, गला, जीभ आदि का कैंसर रोग हो जाता है । बल्कि गरीब दलित जनता के जिस कुटीर उद्योग से व्यवसाय मिलता है उसे व्यापार कर से मुक्त नहीं किया गया है ।

आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लोहा आभूषण से जनहित में तुरन्त व्यापार कर माफ कराया जाय ।]

इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-16 में सफाई की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दल बहादुर कोरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, इन्दिरानगर लखनऊ के सेक्टर-16 में न तो रोड लाईट की व्यवस्था है और न ही सफाई करने वाले नगरपालिका के नियमित कर्मचारी हैं । मान्यवर, यहां की सड़कें इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं । आज तक यहां सड़कों की मरम्मत नहीं की गयी । भवन संख्या-793 से

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लेकर 800 तक के सामने जो नाला है वह अत्यन्त गहरा और खुला है जिसमें जानवर गिर जाते हैं और सड़ते रहते हैं जो बीमारी का कारण बन जाते हैं। सेक्टर में खाली पड़े भूखण्डों में आवास विकास परिषद् के कर्मचारियों की मदद से घोसियों ने भैंसे पाल रखी हैं जो गन्दगी फैलाती हैं। उक्त कठिनाइयों से यहां के निवासियों का रहना दूभर हो गया है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उक्त की समुचित व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करें जिससे यहां के निवासी अच्छा शहरी जीवन व्यतीत कर सकें।]

श्री हेमवती नन्द बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के कार्यवाहक पूर्व कुलपति प्रोफेसर के०पी० नौटियाल द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवदानी–

[महोदय, हेमवतीनन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में कार्यवाहक पूर्व कुलपति प्रोफेसर के० पी० नौटियाल द्वारा अपने स्थायीकरण हेतु विश्वविद्यालय में कुछ अध्यापकों को राजनैतिक दबाव डालने हेतु अनियमित रूप से विश्वविद्यालय कोष से अग्रिम यात्रा-भत्ता दिया गया, यही नहीं प्रोफेसर के० पी० नौटियाल, निदेशक, संग्रहालय (पुरातत्व) से बिना पूर्व स्वीकृति के, कई वर्षों तक अनियमित रूप से मानदेय भी लेते रहे अनियमितताओं की श्रृंखला में प्रोफेसर के० पी० नौटियाल ने अपनी व्यक्तिगत पत्रावली से कई महत्वपूर्ण पृष्ठ भी गायब कर दिये और कार्यवाहक कुलपति के दौरान मनमाने ढंग से तीन वेंतन वृद्धियां भी ले लीं जो वित्तीय नियमों के सर्वथा विपरीत है। यहां तक कि प्रोफेसर के० पी० नौटियाल ने अपने अभिलेखों तक को विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया।

अतएव आपसे मांग करता हूं कि इस संबंध में आप शासन को कार्यवाही करने हेतु सख्त निर्देश देने की कृपा करें।]

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल (हरदोई)–

[मान्यवर, ससम्मान अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ में प्रबन्धक पद के लिए 14 सहायक प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक पद के लिए 26 सहायक एवं सहायक पद के लिए सहयोगी अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध होने के बावजूद प्रबन्ध निदेशक द्वारा छुट्टियों के दिन अपने खास लोगों को बुलाकर 14 अगस्त, 95 को आदेश जारी करके 14 सहायक प्रबन्धकों एवं 7 सहायकों को क्रमशः प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति करके सामान्य वर्ग से आरक्षित पदों को भर कर गम्भीरतम अन्याय किया है शासनादेश संख्या 22/58/82क्रमांक–2/90. दिनांक 18-2-90 के अनुपालनार्थ श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश लखनऊ (सहकारिता अनुभाग) द्वारा 27 जुलाई, 1994 को निबन्धक एवं प्रबन्ध निदेशक को स्पष्ट आदेश दिया था कि आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति/जनजाति के उपलब्ध अभ्यर्थियों को पदोन्नति करके भर लिया जाय और यदि पोषक संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पदोन्नति के पदों को परिवर्तित कर सीधी भर्ती

द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से भर लिया जाय, शासन द्वारा बार-बार निदेश दिये जाने के बावजूद सभी नियम व आदेश का उल्लंघन करके श्री अग्रवाल द्वारा आरक्षित पदों में गैर अनुसूचित जाति/जनजाति से भर कर जघन्य अपराध किया है।

अतः उपरोक्त गम्भीर अनियमिता एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति किये गये सामूहिक अन्याय के विरुद्ध प्रबन्धक निदेशक को दंडित किये जाने एवं 14 अगस्त, 1995 को जारी गैर कानूनी आदेश को निरस्त किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के ग्राम जमरेही, थाना गिरवा के मुन्नू उर्फ सधवा पुत्र श्री राम आसरे अनुसूचित जाति का अपहरण कर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरन दिनकर–

[मान्यवर, ससम्मान संज्ञान में लाना है कि दिनांक 17-10-89 को मुन्नू उर्फ सधवा पुत्र श्री राम आसरे, बांदा आरख व उसकी मां श्री बाबू सिंह पुत्र मानसिंह निवासी गण जमरेही थाना गिरवा जनपद बांदा तुलसी ग्रामीण बैंक शाखा बेलगांव ऋण वास्ते गये थे। श्री बाबू सिंह उपरोक्त तीनों परचेंजिग करवाने बांदा ले गये थे। बाबू व उसकी मां वापस घर पहुंच गये किन्तु मुन्नू उर्फ सधवा घर नहीं पहुंचा, पिता द्वारा लगातार पता लगाने पर श्री बाबू द्वारा अनावश्यक पते बताये जाते रहे अनदरत तलाश के बाद प्रश्नगत युवक न मिलने की दशा में श्री बाबू सिंह के हमदर्द स्थानीय द्वारा मुकदमा नं०-195/93 धाना 504, 506 आई०पी०सी० व धारा 3 (1) 10 एस०सी० एस० टी० ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया एवं अपहरण व हत्या का प्रकरण साधारण धाराओं में तबदील करके रफा-दफा करने का प्रयास किया गया। मैंने 15-8-93 को पुलिस अधीक्षक बांदा, पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली एवं निदेशक अनु० जाति/जनजाति राष्ट्रीय आयोग भारत सरकार, कपूरथला कम्पलेक्स, अलीगंज लखनऊ को सन्दर्भित प्रकरण के संबंध में लिखा था। किन्तु मेरे पत्र सं०–1784/एस०पी०बी०/डी/93/94, दिनांक 15-8-93 पर कोई अमल नहीं किया गया, 18 वर्षीय मुन्नू उर्फ सधवा अभी तक लापता है एवं श्री बाबू सिंह के विरुद्ध उक्त आशय का अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया, मुझे प्रतीत होता है कि उसकी हत्या करके लाश गायब कर दी गयी है इस अत्यन्त संवेदनशील एवं ऋण राशि छीनकर हत्या किये जाने की संगीन वारदात है एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा मोटी रकम लेकर कातिल को बचाने का सफल प्रयास किये जाने सम्बन्धी गम्भीर अपराध का उदारहण है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अनुसूचित जाति के 18 वर्षीय श्री मुन्नू उर्फ सधवा के ऋण राशि छीनकर अपहरण करने व स्थानीय पुलिस से मिलकर हत्या करने का अभियोग श्री बाबू सिंह एवं दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपहरण व हत्या अभियोग पंजीकृत कराकर रासुका के अन्तर्गत जेल भेजने हेतु निर्देश/आदेश जारी करने की कृपा करें।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फतेहपुर के ग्राम दुगरेई के भू माफिया द्वारा अवैध ढंग से ग्राम समाज की भूमि को हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरलीधर–

[महोदय, ससम्मान अवगत कराना है कि ग्राम दुगरेई परगना व तहसील जिला फतेहपुर के श्री बृजराज सिंह भू माफिया द्वारा अपने पारिवारिक एवं फर्जी नामों से लगभग 500 एकड़ भूमि चकबन्दी के दौरान आकार पत्र 45. में इन्द्राज करा कर ग्राम समाज की भूमि सेहद कराकर सरकार व जनता के साथ विश्वसघात किया है । जिसका खाता संख्या 2, 3, 9, 10, 13, 69, 59, 70, 71, 72, 73, 105, 114, 156, 157, 165, 224, 263, 438, 469, 138, 148, 153, 153, 155, 193, 239, 245, 146, 25, 365, 366, 311, 331, 332, 333, 334, 341, 365, 398, 403 आदि खातों में नाम बदलकर फर्जी पुत्र/पुत्रियां, मां, भाई, भतीजों, रिश्तेदारों बीसों वर्ष पूर्व मृतक एवं काल्पनिक नामों से सरकारी भूमि हड़पी गयी है । भूमि का अवैधानिक फसल लेकर प्रश्नगत परिवार द्वारा उपभोग भी किया जा रहा है । सम्पूर्ण हड़पी गयी भूमि के नं० न देना मुश्किल है । मैंने अपने संख्या 214, एस पी ई/डी 59–96, दिनांक 10-8-95 के जरिये माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दिया था । जिसमें सम्पूर्ण विवरण भूमि नम्बर क्षेत्रफल खातेदारों का नाम एवं काल्पनिक तथा मृतक लोगों का विवरण है । यह लगभग 20 करोड़ रुपयों की चोरी का व भूमिहीनों के अधिकारों के हनन का गम्भीरतम् अपराध है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रश्नगत भूमि चोरी की गम्भीर शिकायत के निदान हेतु अविलम्ब भू माफियाओं एवं सम्मिलित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत कराने व सम्बन्धित भूमि ग्रामसमाज में पुनः दर्ज कर पात्र व्यक्तियों में आवंटन कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देने की कृपा करें ।]

जनपद बांदा के भू माफियाओं द्वारा हजारों एकड़ सरकारी भूमि का अभिलेखों में हेराफेरी करके सेहद कराकर हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय प्रकाश–

[मान्यवर, ससम्मान संज्ञान में लाना है कि ग्राम ओरन त०–अर्तरा जनपद बांदा में भू माफियाओं द्वारा ग्राम सभा/समाज व सार्वजनिक उपयोग तथा सीलिंग ऐक्ट से अतिरिक्त घोषित भूमि जैसे–आराजी नं० 4976, 4972, 4957, 4393/2, 3881, 2108, 3109, 210/2, 3118, 3119, 3129, 3190, 3204, 3227 आदि फर्जी सेहद करा लिये गये हैं । श्री गजोधर ने अपने दामाद दिनेश पुत्र मुन्ना एवं पुत्री गीता के नाम, चचरे भाई रामस्वरूप तिवारी की विवाहित पुत्री हेमा पत्नी बालकृष्ण एवं ससुर बुआ राम साले भउवां पुत्र बुआ राम निवासी आऊ के नाम फर्जी पट्टे करके तथा शम्भू दयाल उर्फ भोला पुत्र चन्द्रमा प्रसाद द्विवेदी द्वारा 11.46 एकड़ 229 बी० का सहारा लेकर हड़प लिया है गजोधर पुत्र विशाल द्वारा 25 बीघा 4 विशवा 8 विस्वांसी खाता नं० 179 को अपने दो पुत्र दिखाकर नातियों के नाम

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हस्तान्तरित करा दिया है । दोनों पुत्र अभी जिन्दा है, महावीर पुत्र राम कुमार द्वारा फर्जी दो पुत्र एवं बहुए तथा नाती दर्शाकर जमीन हड़पी गई है । इसी प्रकार शिवधनी गौतम राम औतार द्विवेदी श्याम पीठीयां सन्तोष कुमार द्विवेदी आदि द्वारा फर्जी वरासत वसीयत, हकदारी आदि के सहारे सेहद करा लिया है । ग्राम कल्लू खेड़ा तहसील अतर्रा की श्रीमती देवकी उर्फ देवरती पत्नी राम गोपाल द्वारा 155. बीघे भूमि जिन्दा रहते हुए खुद को मृतक दिखाकर चन्द्रिका कमलेश आदि के नाम हस्तान्तरित कर दिया है । ग्राम समाज की आराजी नं० 5530 क्षेत्रफल 22-15-0 बीघा भूमि भुरा, कल्लू राम वहोरी आदि पुत्रगण गजराज ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम सेहद करा लिया है । सीलिंग ऐक्ट से बचने के लिए श्री जनार्दन तिवारी पुत्र श्री बलदेव तिवारी द्वारा काल्पनिक भाई अवध कुमार पुत्र बलदेव के नाम लगभग 38 बीघे नाम कराने के बाद अपने/पत्नी/पुत्र के नाम सेहद करा लिया है । इसी प्रकार ग्राम मर्का में लगभग 1000 एकड़ ग्राम कमासिन में 1200 एकड़ तथा श्री देवी दयाल पुत्र भगवानदीन ग्राम गुंजेनी द्वारा 260 एकड़ अपने पारिवारिक फर्जी एवं नाम बदल कर गांव सभा की भूमि सेहद करा लिया है । ग्राम मर्का, गुजेनी, कमासिन बबेरू तहसील बबेरू के अन्तर्गत आते हैं । इसी प्रकार पवइयां, मझिवां-सानी, मरौली, साड़ासानी, परसौली तेंराव, करहुली, आदि अनेकों गांवों में हजारों एकड़ सरकारी भूमि भू-माफियाओं द्वारा हड़पी गयी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त घोटाले में सम्बन्धित व्यक्तियों के खाते सील कराकर हड़पी गयी भूमि को पुनः ग्राम सभा/समाज में दर्ज कराने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को देने की कृपा करें ।]

जनपद सहारनपुर में मुस्लिम इमदादी सोसाइटी द्वारा गरीबों की जमापूंजी को लेकर फरार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाज कृष्ण गांधी–

[महोदय, सहारनपुर में मुस्लिम इमदादी सोसाइटी नामक संस्था पैसे के लेन देन के कार्य में कार्यरत रहीं हैं जिसके लगभग 25000 खातेदारों में गरीब रिक्शा चालक मजदूर, विधवायें बूढ़े थे जिन्होंने अपनी औलाद की शादी के लिये या संकट काल में कार्य हेतु सोसाइटी में पैसा जमा कराये थे कुछ लोगों ने अपने कफन दफन के लिये भी पैसा जमा किया था लेकिन उक्त सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बदनियती से खातेदारों की लगभग ढाई करोड़ की धनराशि एवं सोने-चांदी के जेवरात हड़प लिए तथा सोसाइटी के दफ्तर पर ताला लगा कर फरार हो गये मामले की थाना मण्डी सहारनपुर में रिपोर्ट संख्या 412ए/95 दर्ज की गयी । कुछ रुपया और कागजाद बरामद भी किये गये किन्तु जब पुलिस मुल्जिमों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की स्थिति में आयी तभी तत्कालीन सरकार के प्रमुख लोगों ने यह मामला सी०वी०सी०आई०डी० को सुपुर्द करा दिया बाद में यह मामला अपराध शाखा के पास भेज दिया गया । अब जांच के आदेश आर्थिक अपराध शाखा के पास हैं किन्तु फाईल सी० वी० सी० आई० डी० के पास पड़ी है मुल्जिम खुले आम घूम रहे हैं और ली हुई सम्पत्ति तथा धनराशि को ठिकाने लगा रहे हैं जनता में त्राहि मची है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मांग है कि इस मामले में कड़ी कार्यवाही करके जमा कर्ताओं की धन वापसी तथा मुल्जिमों को दण्ड दिलाया जाय ।]

जनपद आगरा के टाऊन एरिया किरावली में जल एवं वायु प्रदूषण से फैले रोगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[महोदय, जनपद आगरा की टाउन एरिया किरावली में टूटी हुई पाईप लाईनों से प्रदूषित पेयजल आपूर्ति की जा रही है और वहां के बाजारों और मोहल्लों में ऊंचे-ऊंचे गन्दगी के ढेर लगे हुए हैं । सड़कों पर जल भराव हो रहा है किसी भी बाजार और मोहल्ले के जलभराव को निष्काशित करने के लिए नालियां काम नहीं कर रही हैं वे फटी पड़ी हैं और रोजाना जनता के उपभोग वस्तुओं के अवशेषों को उसी भरे हुये पानी में डाल देने के सड़ान्ध पैदा हो गयी है । मा० चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सम्मुख व्याप्त गन्दगी के कारण प्रतिमा पर माल्यार्पण आदि कार्य भी सम्पादित नहीं किया जा सकता । जल व वायु प्रदूषण फैला हुआ है । दस हजार की आबादी वाला यह नगर पेयजल की प्रदूषित आपूर्ति और घोर गन्दगी के बीच में रहकर भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगों का शिकार बन गया है । बुखार, दस्त, उल्टी, सांस, दमा और टी०वी० के रोगों के अतिरिक्त अन्य बहुत से अज्ञात रोग वहां के जनजीवन को नष्ट कर रहे हैं । प्रशासन इस दुर्दशा को मूक बनकर देख रहा है । न शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और न प्रदूषण को दूर करने के विषय में शासन सावधान है । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर किरावली नगर के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति और प्रदूषण को रोकने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद बहराइच में सहकारिता विभाग की कार्यदायी संस्था फैक्स पैड के प्रभारी सहायक अभियन्ता श्री एजाज द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकर सिंह–

[महोदय, जनपद बहराइच में सहकारिता विभाग की कार्यदायी संस्था ''फैक्सपैड'' के प्रभारी सहायक अभियन्ता, श्री एजाज अहमद व अवर अभियन्ताओं द्वारा भारी पैमाने पर जनपद के निर्माण कार्यों में धांधली व अनियमितता की पराकाष्ठा की गयी है । उदाहरण स्वरूप, हूजूपुर ब्लाक के अन्तर्गत रमवापुर से हरिहरपुर मार्ग के निर्माण में नियमों का उल्लंघन करके ठेकेदारों से काम कराया गया तथा मजदूरों को उचित मजदूरी एवं कई जगहों पर मजदूरी तक नहीं दी गयी तथा घटिया व निम्न कोटि की ईंटों तथा मटीरियल का प्रयोग किया गया है । श्री एजाज अहमद जो स्वयं जनपद बहराइच के ही रहने वाले हैं, द्वारा एक ही वर्ग विशेष व सगे सम्बन्धी ठेकेदारों को ही प्राश्रय देकर जनपद के निर्माण कार्यों में, बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को चूना लगा रहे हैं । ऐसी स्थितियों में जन कल्याण विरोधी प्रभारी सहायक अभियन्ता को तत्काल स्थानान्तरित कर जांच कराने का कष्ट करें तथा दण्डित करें ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस अविलम्बिनीय लोक महत्व की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कठोरतम कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजियाबाद के प्रमुख महाविद्यालय महानन्द मिशन हरिजन कालेज को शासन द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद अनुदान न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के निम्न विषय को संज्ञान में लाना चाहता हूं।

गाजियाबाद के प्रमुख महाविद्यालय महानन्द मिशन हरिजन कालेज, गाजियाबाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पांच वर्षीय वित्तीय सहयोग से फिजिकल एजूकेशन, हेल्थ एजूकेशन एवं स्पोर्ट्स का तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 1989-90 से प्रारम्भ किया था। उस समय शासन ने आश्वासन दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले वित्तीय सहायता की पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद उक्त पाठ्यक्रम के पढ़ाने के लिये अध्यापकों व गैर अध्यापकों के वेतन पर होने वाले परिव्यय का भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वेतन के अलावा जिमनेजियम हाल, प्रयोगशाला भवन, खेलकूद के सामान व किताबों आदि के लिए लगभग 28 लाख रुपये से अधिक का अनुदान प्रदान किया है। इन कार्यों में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति ने भी 11 लाख रुपये व्यय किये हैं। इन तीन वर्षीय कोर्स में लगभग 150 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। 6 शिक्षक व 6 गैर शिक्षक कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान की 5 वर्षीय अवधि समाप्त होने के बाद, शासन से अनुदान न मिलने के कारण इन सारे छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व अन्य प्रतिनिधियों ने शासन से अविलम्ब अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया है, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से अपनी वचनबद्धता को पूरा करते हुये तत्काल अनुदान प्रदान करने की मांग करता हूं।]

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोली हाट के क्षेत्र तेल पट्टी में सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र सिंह माहरा –

[महोदय, जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलहाट जो 35,000 जनसंख्या वाला एक क्षेत्र है जिसे वेलपट्टी के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक परिस्थितिवश आज भी बीहड़ है। सन् 1947 से आज तक उस क्षेत्र से गाड़ियां नहीं जाती हैं, कहीं भी मोटर मार्ग नहीं है। इसी क्षेत्र में बुंगली नामक एक ग्राम सभा है जो पिथौरागढ़-गंगोलीहाट मोटरमार्ग से लगभग 25 कि०मी० दूरी पर है। यहां तक कि इस क्षेत्र में पैदल सड़कों तक का अभाव है। सन् 1993 के विधान सभा मतदान के बाद ग्राम सभा बुंगली मतदान केन्द्र से घोड़ों द्वारा मतपेटियां जिला मुख्यालय लायी जा रही थी। तो उस खतरनाक जानलेवा मार्ग से मतपेटियों से लदा घोड़ा हजारों फिट गहरी खाई में गिर गया, जिस कारण उस केन्द्र में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुबारा मतदान कराया गया । उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये शासन द्वारा मार्च, 1994 में 5 कि०मी० मोटर मार्ग स्वीकृत किया गयी, परन्तु डेढ़ वर्ष बाद भी अभी तक इस सड़क का कार्य प्रारम्भ न होने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष व्याप्त है तथा क्षेत्र में स्थिति विस्फोटक है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि अविलम्ब, इस मार्ग के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किया जाये ।]

जनपद बांदा के फतेहपुर अतर्रा बांदा मार्ग पर पेन्टून पुल के निर्माण हेतु धन का आवंटन कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री घामूराम भाष्कर–

[मान्यवर, सादर संज्ञान में लाना है, औगासी घाट फतेहपुर बबेरू मार्ग अतर्रा मार्ग (यम० डी० आर० 3) के कि०मी० 25-26 पर पेनटून सेतु के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश सं० 2119 ई/23–सा०नि०अनु०–11 184 ई०/9 दिनांक 24-5-83 के क्रम में 15.62 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे । इस लागत में पेनटून की लागत सम्मिलित नहीं थी । मुख्य अभियन्ता, दक्षिण मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के द्वारा पानटून उपलब्ध कराया जाना था, किन्तु उपलब्ध नहीं कराये गये, तब से लगातार अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग, बांदा द्वारा अनवरत लिखा जा रहा है । मुख्य अभियन्ता, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी ने पेनटून का निर्माण ढुलाई सेतु निर्माण आवश्यक सामग्री, श्रम आदि का आगणन, प्रचलित व विश्लेषित बाजार की दरों एवं धन के आधार पर एक करोड़ सैंतिस लाख वित्तीय स्वीकृति एवं धन आवंटन हेतु शासन को प्रेषित किया । शासन में धन का अभी तक यह महत्वपूर्ण आगणन लम्बित है, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में धन आवंटन हेतु जून, 1995 से अब तक 23 पत्र लिखा है, किन्तु जनपद बांदा की इस महत्वपूर्ण समस्या का निदान नहीं किया गया ।

अतः विनम्र अनुरोध है कि यमुना नदी में प्रश्नगत स्थान पर पेन्टून सेतु निर्माण हेतु एक करोड़ सैंतिस लाख रुपये अवमुक्त किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद देवरिया के गोरयाघाट, छोटी गण्डक नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[महोदय, देवरिया जनपद के छोटी गंडक पर स्थित गोरायाघाट पर सेतु निर्माण की घोषणा एवं उक्त पुल की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश सं० 862 ई०/23 लो०नि०वि० अनु० वि० अनु० 110902/90 डी०पी० दिनांक 29-3-91 द्वारा 103 लाख की स्वीकृति हो चुकी है तथा उसका कथित शिलान्यास भी हो चुका है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पुल के अतिरिक्त चारों तरफ लोक निर्माण विभाग की सड़के पिच हो गयी हैं। कंचनपुर, सोनाघाट मार्ग के पुल के निर्माण हो जाने से कुशीनगर एवं पथरदेवा से आने वाले समस्त वाहन इसी मार्ग से गुजरने में जिससे रामपुर कारखाना टाउन एरिया तथा देवरिया नगर से होकर जाने वाले वाहन जो नगर में यातायात से अवरोध एवं दुर्घटना को बढ़ावा देते हैं, समाप्त हो जायेगी तथा नागरिकों को राहत एवं प्रस्तावित पुल के निर्माण से उसके पिछड़े क्षेत्र का विकास होगा तथा यातायात के साधन मुहैया हो जायेंगे।

नगर में भारी भीड़ अवरोध शुरू होने से जनता आंदोलित है और उसमें भयंकर क्षोभ है।

मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन से अविलम्ब पुल का निर्माण कराकर समस्या समाधान का आग्रह करता हूं जिससे जनता को राहत मिल सके।]

जनपद महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत महराजगंज सदर के सैकड़ों गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र किशोर–

[महोदय, निवेदन के साथ सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद महराजगंज को जिला बने 6 वर्ष हो गये अभी तक जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज सदर के सैकड़ों गांव मुख्य सड़क से नहीं जोड़े गये हैं जिस कारण गांव में रहने वालों का जीवन बद से बदतर हो गया है। बरसात से इन गांव का आवागमन पूरी तरह ठप्प हो जाता है जिस कारण कोई बच्चा पढ़ने विद्यालय नहीं जा सकता है। अगर इन गांवों में कोई बीमार पड़ जाता है तो सड़कों के अभाव में बैलगाड़ी से भी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नहीं पहुंच सकता है। महराजगंज को जनपद 6 वर्ष होने पर भी मेरा विधान सभा क्षेत्र महराजगंज सदर के गांव में विकास के नाम पर कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी यह गांव अत्यन्त पिछड़े हुये हैं।

अतः मा० अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि इन गांवों को जोड़ने के लिये सिंदुरिया से बागापारा तक, चौक से सेखुई तक एवं नेता सुरहुरवा मार्ग को पिच कराने का सरकार को निर्देश देने की कृपा करें जिससे सैकड़ों गांव मुख्य सड़क से जुड़ सकें।]

जनपद पीलीभीत में लगभग 150 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सरन वर्मा–

[महोदय, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत लगभग 150 प्राथमिक एवं उच्च प्राधमिक विद्यालय बन्द पड़े हैं। क्योंकि विगत वर्ष हुये स्थानान्तरण एवं समायोजनों का अब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है इस वर्ष भी सूची अनियमित एवं भ्रष्टाचार युक्त होने के कारण जिला स्तरीय निर्गत नहीं हुयी है। बिसीपिटी क्षेत्र विकास स्तर की शिक्षा समितियों को अनुमोदित करके स्थानान्तरण किये गये हैं। प्रति उपविद्यालय

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निरीक्षकों को अनियमित नियुवत किया गया है जिसके माध्यम से शिक्षकगण वर्षों से हिस्सा महीना देकर विद्यालय नहीं जाते हैं नेतागरीरी कृषि कार्य अथवा दुर्व्यसनों में लिप्त हैं। अपने आवासीय गांव में ही नियुक्त हैं। 25-30 वर्ष तक एक ही विद्यालय में नियुक्त हैं और इस प्रकार सम्पूर्ण बेसिक शिक्षा विभाग उद्योग के रूप में परिलक्षित हो रहा है। वर्षों से प्रशिक्षित बी०टी०सी० अभ्यर्थियों की नियुक्ति, साक्षात्कार के उपरान्त भी न करना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी केन्द्रीय उपमंत्री उप मंत्री (गृह) को अपना रिश्तेदार बताकर ब्लेकमेल कर रहा है तथा जिला पंचायत एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पूर्ण अवहेलना कर रहा है। परिणामतः विद्यालयों का शिक्षा विहीन तथा कुछ में अनुमन्य स्थानों से कई गुने शिक्षकों का नियुक्त होना स्वाभाविक है। जन आक्रोश है। चिन्तनीय एवं निन्दनीय विषय है। जिसका स्थानान्तरण एवं जांच करवा कर दण्डनीय कार्यवाही करना अनिवार्य है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियम 301 के अनुसार कार्यवाही हेतु मांग करता हूं।]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रही विभिन्न अनियमितताओं एवं अस्त कानून व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 21 अगस्त को दो छात्र गुटों में मारपीट हुयी तथा गोली भी चली। कई छात्र नेता एवं छात्र गिरफ्तार भी किये गये हैं। हिंसक घटनाओं से विश्वविद्यालय का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ गया है जो कि गंभीर चिन्ता का विषय है।

परीक्षाओं में घोर अनिमिततायें एवं नकल हो रही है। बिना प्रवेश प्राप्त छात्र परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। उत्तर पुस्तिकायें छात्रावासों एवं घरों में लिखकर जमा की जा रही हैं। परीक्षा की पवित्रता भंग हो गयी है।

छात्रों को बी० ए०, बी० एस-सी०, बी०काम० प्रवेश के फार्म नहीं मिल पा रहे हैं। प्रवेश फार्म बाजार में ब्लेक में बेचे जा रहे हैं।

विश्वविद्याल में अनेकों वित्तीय अतियमिततायें हो रही हैं। वि० वि० की छात्रायें छात्रों के छात्रावासों में पायी जा रही हैं जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा नष्ट हो रही है।

वर्तमान परिस्थितियों में इलाहाबाद वि०वि० के शिक्षक, कर्मचारियों, छात्रों तथा इलाहाबाद की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है, परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन मूकदर्शक उदासीन बना बैठा है। वर्तमान परिस्थितियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन पर है। सरकार से अपेक्षित है कि वह तत्काल वि० वि० की गिरती हुयी स्थिति के संदर्भ उच्चरीय जांच करावें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर निम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद वाराणसी में लंका रोड से सामने घाट तक के रोड जर्जर होने एवं जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

[मान्यवर, मेरे दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लंका रोड से सामने घाट जाने वाली सड़क भयानक रूप से टूटी-फूटी है एवं लोगों के चलने-फिरने लायक नहीं है जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं । लोगों का पैदल चलना भी दुस्वार है । आज कल बरसात के कारण जल जमाव हो गया है जिससे लोगों का आवागमन में भयनाक कष्ट हो रहा है । ज्ञातव्य है कि उक्त रोड के दुर्दशा ग्रस्त होने एवं जल जमाव होने की स्थिति से वाराणसी नगर निगम के प्रशासक को अवगत कराये जाने के साथ ही उन्हें क्षेत्र का दौरा कराकर निरीक्षण भी कराया जा चुका है एवं उनसे सड़क नव निर्माण एवं जल भराव से नागरिकों को मुक्ति दिलाये जाने की मांग की जा चुकी है । उक्त समस्या से मैंने विधान सभा में भी प्रश्न उपस्थित कर ध्यान आकृष्ट कई बार कराया है । उक्त क्षेत्र से बिल्कुल सटे नगवा क्षेत्र है जहां का सम्पर्क मार्ग भी बिल्कुल टूटी-फूटी है एवं वहां भी जल भराव हो जाता है जिससे नागरिकों का चलना-फिरना बाधित हो जाता हैं । उक्त के सम्बन्ध में भी प्रशासक का ध्यान कई बार आकृष्ट कराया जा चुका है लेकिन अभी तक उक्त मार्ग का निर्माण एवं जल भराव की समस्या का निदान न होने से इन दिनों मल-जल का निकासी भी अवरुद्ध हो गया है जिससे रोड पर गन्दा पानी एकत्रित है और आस-पास के लोगों का चलना फिरना पूरी तरह अवरुद्ध होने के साथ ही सड़ान्ध से लोगों का मकानों में रहना भी कठिन हो गया है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये लंका से सामने घाट रोड के निर्माण एवं नगवा क्षेत्र के सड़क का निर्माण एवं गन्दा पानी की निकासी हेतु सीवर लाईन डाले जाने हेतु शासन को निर्देशित किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद लखनऊ के तहसील मोहनलाल गंज के ग्राम मस्तेमऊ में एक अधिकारी द्वारा ग्रामसमाज कब्रिस्तान तथा हरिजन एवं निर्बल वर्ग की भूमि हड़पे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[मान्यवर, लखनऊ जनपद के तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम मस्तेमऊ में ग्राम समाज, कब्रिस्तान तथा हरिजन खन्नू रैदास, मंहगू रैदास तथा तालाब की लगभग 20 बीघा भूमि खण्ड 516 के 22 बांस अपनी शक्ति केवल पर तथा पुलिस बल के इशारे पर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव ने लाखों रुपये की समपत्ति हड़प लिया है । उक्त अधिकारी से तंग एवं क्षुब्ध होकर हरिजन एवं दलित अपना घर छोड़कर भाग गये । उक्त अधिकारी के भय एवं आतंक से भयभीत होकर खन्नू रैदास को मारा पीटा तथा उक्त अधिकारी द्वारा गांव के दर्जनों व्यक्तियों को मारा पीटा गया है । इनके गलत कार्यों के विरोध में जनसभाएं की गयी, लेकिन प्रशासन में शिक्षा सचिव पद पर होने के कारण इनके विरुद्ध थाना गोसाईगंज, लखनऊ में दर्जनों अपराध दर्ज हैं । उनके पद के प्रभाव के कारण इनके विरुद्ध

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मुकदमों में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त अधिकारी के आतंक से जनता में घोर असंतोष व्याप्त है। क्षेत्रीय जनता इनके काले कारनामों के विरुद्ध आंदोलित है। समय रहते हुए शासन ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की तो अपनी मांगों को लेकर जन संघर्ष करने के लिए विवश होंगे।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षा सचिव उ०प्र० द्वारा लाखों रुपये व सरकारी सम्पत्ति का अवैध कब्जा हटवाकर तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी के औराई विधान सभा क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ मिश्र–

[औराई विधान सभा अन्तर्गत बिजली की अनियमित आपूर्ति से किसानों, व्यावसायियों तथा मजदूरों के समक्ष घोर संकट तथा निराशा उत्पन्न हो गई है। इस क्षेत्र में मात्र 6–8 घण्टे बिजली आती है किन्तु यह भी अनवरत नहीं रहती है। बीच-बीच में कई बार कटती रहती है तथा आती भी है तो अधिकांश स्थानों पर कम पावर में ट्रान्सफार्मर के कारण लो-वोल्टेज की समस्या होती है। तथा बीसों साल पुराने तार जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं तथा आये दिन गलकर गिरते रहते हैं। पिछले दिनों ग्राम दलापुर में तार गिरने के कारण रामधनी पटेल के युवा पुत्र तथा भाई की धान के खेत में करेन्ट लगने से मृत्यु हो गयी। अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला। माधो सिंह में आये दिन जर-जर तार गलकर गिरते रहते हैं। पिछले दिनों यहां की दो भैंसें तार के करेन्ट से मर गयीं। यही हाल खबरिया, धोसिया, औराई, उगापुर, महराजगंज, बभनौटी, ममहर चौरी बाजार, कपेसठी, कछवारोड, जनसा बडौरा तथा सेवापुरी की है। तार जर-जर हो गये हैं, आये दिन जलकर गिर रहे हैं तथा पुराने लकड़ी के खम्भे साउपुर आदि गांव में सड़कर गिरने की स्थिति गये हैं। लोहे के जितने खम्भे क्षेत्र में लगे थे सभी को विभाग के अधिकारी बेचकर सीमेन्ट के खम्भे लगा दिये। किन्तु लकड़ी के खम्भे नहीं बदल रहे हैं। उक्त स्थानों पर पावर कनेक्शन बढ़ा दिये गये किन्तु ट्रान्सफार्मर की शक्ति में वृद्धि नहीं की गयी जिससे लोग -वोल्टेज की समस्या बराबर बनी रहती है। अतः माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

जनपद फतेहपुर में बिन्दकी रोड रेलवे स्टेशन बकेवर वाली सड़क की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

[मान्यवर, बकेवर से यानि युगल रोड से जी० टी० रोड को जोड़ने वाली सड़क अति जर्जर स्थिति में पहुंच गयी है। जिससे लांग रूट के ट्रक भारी सामान लादकर अति धीमी रफ्तार से चलते हैं। सड़क में इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि पता नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। अतः उक्त मार्ग की मरम्मत कराने व चौड़ी करने की आवश्कता है जिससे जहां राहगीर परेशान है वहीं ग्रामीणों में भी रोष है। शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के आदेश शासन को दिये जाने की मेरी मांग है।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा के जिले के अधिकारियों द्वारा शिलान्यास/उद्घाटनों को जनप्रतिनिधियों से न कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सेवक सिंह पटेल–

[मान्यवर, जनपद बांदा के जिले के अधिकारियों के द्वारा उद्घटनों/शिलान्यासों को जनप्रतिनिधियों से नहीं कराया जा रहा है जिससे जनाक्रोश व्याप्त है और शासनादेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है और अफसरों की मनमानी नीति साबित हो रही है। जबकि यह स्पष्ट शासनादेश हैं कि जनपद में जो भी शिलान्यास हों वह जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराये जायें परन्तु जिले के अधिकारियों द्वारा शासनादेशों को अपनी जेब में रखकर लगातार हो रहे नव-निर्माणों एवं नव-सृजित प्रतिष्ठानों/नव गठित निर्माणों की रूपरेखा का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। शिलान्यासों को जनपदीय अधिकारियों के कराने से शासनादेशों का तो खुला उलंघन है ही परन्तु जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता भी घट रही है और क्षेत्रीय जनता में आक्रोश की भावना पैदा हो रही है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनी प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में पर्याप्त पुलिस बल न होने के बढ़ रही अराजकता की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामबली जैसल–

[मान्यवर, जनपद बांदा में पुलिस इस समय पर्याप्त संख्या में नहीं है जिससे जिले से संबंधित चौकियों, थानों, कोतवाली गस्त व्यवस्था में पुलिस की भारी कमी महसूस हो रही है और जिले में लगातार बलात्कारों, लूट-पाट की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और गांवों में भारी भय और डर का बोल-बाला बन चुका है। गांव के लोगों को शहर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जनपद बांदा की विभिन्न चौकियों में न तो पर्याप्त पुलिस हैं और न ही दिवानों की संख्या। विभिन्न कोतवालियों में पर्याप्त एस० ओ०, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष की संख्या पर्याप्त नहीं है और कहीं तो बिना पुलिस अफसरों के ही थानों, कोतवाली का कार्य चलाया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि बांदा जनपद में दस्यु अपराधियों को कितना लाभ मिल रहा है ? पुलिस की संख्या पर्याप्त न होने से। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

इटवा सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत कटरिया बाबू से सहिजवार सड़क मार्ग बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वयंबर चौधरी–

[महोदय, उपरोक्त कटरिया बाबू से सहिजवार तक मेरे विधान सभा क्षेत्र 171 इटवा–सिद्धार्थनगर का लगभग 6 कि०मी० बीस ग्राम पंचायतों के ग्रामवासियों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। इस पर जिला योजना के पूर्वांचल विकास निधि द्वारा 6-7 पुलिया का निर्माण गत वर्ष ही हो चुका है। जनपद

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से स्टेटमेन्ट बनकर नियोजन विभाग को गत वर्ष ही भेजा जा चुका है। परन्तु अब तक शासन स्तर से मार्ग निर्माण हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं किया गया।

उपरोक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में परम आवश्यक है। इस क्षेत्र के निवासियों का विकास खण्ड मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर पहुंचने का प्रमुख मार्ग है। लगभग यह अति लोक महत्व का विषय है।

अतः मैं शासन के संज्ञान में लाकर यह चाहता हूं कि उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु शासन द्वारा विशेष प्राथमिकता दिलाया जाय।]

जनपद शाहजहांपुर में आर्गेनिक एण्ड केमिकल्स फैक्ट्री लगवाये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि किसानों को वापस किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार मिश्र–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान शाहजहांपुर जनपद की ज्वलन्त समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र–65 ददरौल, शाहजहांपुर में शाहजहांपुर–फर्रूखाबाद राजमार्ग पर ग्राम–जमौर, परगना–जमौर तहसील–सदर जनपद–शाहजहांपुर में सन् 1990–91 में लगभग 150 एकड़ भूमि बाम आर्गनिक एण्ड केमिकल कम्पनी लगाने हेतु कृषकों की सस्ती दर पर लगभग 15–16 हजार रुपये एकड़ मुख्य राजमार्ग के दोनों तरफ अधिग्रहीत करायी गयी थी और उस अधिग्रहण भूमि पर कटीले तार लगाकर ब्रेकेटिंग की गयी है व कब्जा कर लिया गया था, खेद है कि अभी तक वह फैक्ट्री नहीं लगायी गयी है, जो भूमि अधिग्रहीत की गयी है, उस पर मिल मालिकों द्वारा गन्ना व धान की खेती की जा रही है, जो मिल अधिनियम के आधार पर गलत है। अधिग्रहति भूमि स्वामी काफी परेशान है। यदि फैक्ट्री लगायी जाती, तो उस फैक्ट्री में भूमि मालिकों को रोजगार मिलता, न रोजगार ही मिला, और गरीब किसान भूमिहीन हो गये हैं। इस समय इस अधिग्रहीत भूमि जो राजमार्ग के दोनों तरफ है, की कीमत लगभग एक लाख रुपये है।

अतः मैं चाहता हूं कि उक्त अधिग्रहीत भूमि पर फैक्ट्री न लगाये जाने की स्थिति में उन किसानों से अधिग्रहण राशि लेकर उनकी अधिग्रहीत भूमि वापस की जाय। जिससे किसान स्वयं अपनी खेती पुनः कर सके, व इस लोक महत्व के प्रश्न के अविलम्बनीय प्रश्न को महत्व देकर चर्चा करायी जाय।]

बांदा जिले के चित्रकूट धाम कर्वी स्थिति उपसेवायोजन कार्यालय को बांदा स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

[मान्यवर, चित्रकूट धाम कर्वी में कई वर्षों से उप सेवायोजन कार्यालय चल रहा था लेकिन अभी कर्वी से सूचना प्राप्त हुयी है कि उक्त कार्यालय को बांदा स्थानान्तरित कर दिया गया है। उक्त उप कार्यालय कर्वी में यहां की विशेष परिस्थिति के कारण ही स्थापित किया गया था। कर्वी एवं मऊ तहसीलों एवं इसके आसपास लगभग एक दर्जन इण्टर कालेज, दो डिग्री कालेज एवं चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित हैं। फलस्वरूप इस क्षेत्र में बेरोजगारों की बहुत ही अधिक समस्या है। पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण कोई उद्योग धंधे नहीं हैं। इस सेवा नियोजन कार्यालय के जाने से यहां के पढ़े लिखे बेरोजगारों का भविष्य चौपट होता जा रहा है। क्षेत्र एवं छात्र के अभिभावक एवं बेरोजगार इस निर्णय

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से आक्रोशित एवं क्षुब्ध है । जिले के लम्बाई लगभग 240 कि०मी० होने के बाद कर्बी क्षेत्र के सीना से लगे गांवों के लोगों को लगभग 200 कि०मी० चलकर बांदा स्थित सेवा योजना कार्यालय पहुंचना होगा । इस प्रकार से यह बहुत अन्याय पूर्ण होगा । यह सेवायोजन कार्यालय सफलता पूर्वक कई वर्षों से चल रहा था । इसे बांदा स्थानान्तरित करना कर्बी क्षेत्र के विकास में रोड़ा अटकाना होगा । जबकि इसे उप जिला का दर्जा प्राप्त है । एवं जिले की मांग को लेकर आन्दोलन चल रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उक्त उप सेवा योजन कार्यालय को कर्बी में रखने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद सीतापुर की लिफ्ट नहरों के फेल हो जाने के कारण सिंचाई कार्य में बाधा पड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र सीतापुर की सभी पम्प नहरे रहीमाबाद पम्प कैनाल चन्दरपुर लिफ्ट कैनाल, अल्लीपुर लिफ्ट कैनाल तथा अम्बरपुर लिफ्ट कैनाल–यांत्रिक गड़बड़ी अनियमित विद्युत आपूर्ति नदी द्वारा फाट बदल देने तथा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है । उनके कमांड में एक बून्द भी पानी काफी समय से किसानों को नहीं मिला । कमांड खारिज न करने से यदि कोई किसान निजी नलकूप लगाना चाहे तो कनेक्शन नहीं मिलता पम्प नहरों के ठीक होने का कोई उपाय नहीं बचा है । फसले चौपट हैं ।

अतः क्षेत्रीय किसानों को बरबादी से बचाने के लिए मेरी मांग है कि उक्त सभी पम्प नहरों को स्थाई रूप से बन्द घोषित कर क्षेत्र को राजकीय नलकूपों से पोषित कर दिया जाये ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के कार्यालय को जनपद सीमा के अन्तर्गत खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, अधिशासी अभियन्ता लो० नि० वि० श्रीनगर गढ़वाल जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली एवं कीर्तिनगर की सड़कें पुल, स्कूल भवन का निर्माण करता है । किन्तु यह कार्यालय जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर स्थान में खुला हुआ है । इसी प्रकार सहायक अभियन्ता तृतीय खण्ड सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जखोली की नहरों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य करता है । किन्तु यह कार्यालय जनपद चमोली के रुद्रप्रयाग स्थान में खुला हुआ है ।

मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि अधिशासी अभियन्ता लो०नि० विभाग श्रीनगर को जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर स्थान में तथा सहायक अभियन्ता तृतीय खण्ड सिंचाई विभाग रुद्रप्रयाग का कार्यालय जनपद टिहरी गढ़वाल के मवाली लरपा में खोलने की कृपा की जाए । इससे क्षेत्रीय जनता को सुविधा होगी ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मथुरा में स्टाम्पों का अभाव हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं ।

मथुरा जनपद में वर्तमान में स्टाम्पों का काफी अभाव है जनता को स्टाम्प उपलब्ध न होने की स्थिति में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, स्टाम्प जनपद में न होने की स्थिति में बाहर से स्टाम्प खरीदने हेतु लोगों को विवश होना पड़ता है जिला प्रशासन की मिली भगत से स्टाम्प क्रेताओं को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है कोषाधिकारी मथुरा एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दोनों द्वारा जानबूझकर स्टाम्प क्रेताओं का दोहन किया जा रहा है तथा स्टाम्प लाने हेतु समय तक नहीं निकाला जाता है स्टाम्प क्रेता दर-दर भटकते रहते हैं जिसके कारण समय पर स्टाम्प उपलब्ध होने पर उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है और तो और शपथ पत्र तैयार कराने के लिए स्टैम्प नहीं मिल पा रहा है अधिकारीगण की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के कारण जनता में काफी रोष व्याप्त है ।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि शासन मथुरा जनपद में तत्काल पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के स्टाम्प उपलब्ध कराए जाने के साथ भविष्य में किसी प्रकार की स्टाम्पों की कमी भी न हो यह सुनिश्चित करे तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए]

जनपद कानपुर देहात के थाना रूरा अन्तर्गत लाल जी सिंह भदौरिया की हत्या ग्राम अम्बरपुर के समीप किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय एवं श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

[मान्यवर, दिनांक 23-5-1995 को थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत श्री लालजी सिंह भदौरिया की हत्या रूरा शिवली मार्ग पर अम्बरपुर गांव के समीप कर दी गयी थी । थाना रूरा पुलिस द्वारा मृत्युपरान्त तक थाने में ही रखने, उसकी पत्नी ओमसती को मिलने न देने और उसे मारने पीटने तथा मृतक के भाई को भयभीत कर उसकी तरफ से प्रार्थना पत्र लेकर इसे लूट-पाट की घटना दिखाकर मु०अ०सं० 67/95 दिनांक 23-5-95 थाना रूरा में दर्ज करने जबकि मृतक की जेब में रखे 1.800 रुपये भी मिले थे, से उत्पन्न क्षोभ के कारण क्षेत्रीय लोगों द्वारा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया गया था । पुलिस अधिक्षक, कानपुर देहात द्वारा मृतक की पत्नी ओमसती से प्रार्थना-पत्र लेकर जिसमें दरोगा दिलीप सिंह और दरोगा एम० एल० सोनकर का इस हत्याकाण्ड में हाथ होना दिखाया गया है, इसे हत्याकाण्ड में बदलते हुए दरोगा सोनकर को निलम्बित किया गया और मृतक की पत्नी को एक लाख रुपए का मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया तदुपरान्त क्षेत्रीय नागरिक शान्त हुए थे । लम्बे समय के बाद भी मृतक की पत्नी को मुआवजा न मिलने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही न करने से पुनः जनाक्रोश उत्पन्न हो रहा है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से गुजारिश करता हूं कि मृतक की पत्नी को तत्काल एक लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए तथा सम्पूर्ण मामले की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जाए]

जनपद प्रतापगढ़ के सई नदी की कादीपुर घाट पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ की सई नदी के कादीपुर घाट पर प्रति वर्ष बरसात में नाव द्वारा दुर्घटनाएं होती हैं और क्षेत्रीय जनता नदी में डूबकर मर जाती है । इस तरह अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं । यह मार्ग अत्यन्त चालू मार्ग है तथा शहर से मात्र 4 कि०मी० की दूरी पर स्थित कादीपुर घाट के दोनों तरफ पक्की सड़कें वन चुकी हैं । क्षेत्रीय जनता का एक मात्र सीधे शहर की ओर जाने का प्रमुख घाट व मार्ग है । मान्यवर, दो अति प्राचीन धार्मिक स्थल माता वाराही देवी धाम व बाबा बेलखर नाथ धाम पर हजारों श्रद्धालु भक्त जन इसी घाट से नाव द्वारा पार उतर कर बरसहात में दर्शनार्थ जाते हैं जनहित में पुल निर्माण आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देकर मैं आपके माध्यम से सरकार का तत्काल प्रभावी ध्यान आकृष्ट करा कर पुल निर्माण का बल पूर्वक मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के तहसील शाहाबाद के गांव हुमायुपुर के एक सार्वजनिक कुएं को प्रदूषित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज चतुर्वेदी–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्नांकित सूचना प्रस्तुत करते हुये शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । ग्राम हुमायुंपुर-थाना बेहटागोकुल, तहसील-शाहाबाद, जिला हरदोई के निवासी अमर सिंह पुत्र सूरत सिंह ने गांव के पूर्वी छोर पर स्थित एक सार्वजनिक पक्के कुंये को अमानुषिक रूप से प्रदूषित कर दिया है, जिससे उस कुंये से बहुतायत में पानी पीने वाले अनुसूचित जाति के लोग तथा तमाम अन्य लोग संक्रामक रोगों की चपेट में आने हेतु विवश हो रहे हैं । उक्त अमर सिंह ने प्रश्नगत कुंये के अति समीप एक पाकड़ का पेड़ लगा दिया है, जिसके पत्ते और फल कुंये के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं और जब पेड़ की जड़े फैलेगीं तो कुंये की दीवार फट जायेगी और अन्ततः कुंआ नष्ट हो जायेगा । यही नहीं, उसने कुंये के पास एक खुला शौचालय बना दिया है, जिससे कौवे मैला उठाकर कुंआ में डालते हैं और कोई विकल्प न होने के कारण मैलायुक्त पानी पीने को लोग विवश हो रहे हैं । खेद का विषय है कि इसकी तमाम शिकायतें शासन स्तर पर हो चुकी हैं, किन्तु अभी तक उक्त पेड़ एवं शौचालय हटवा कर कुंये को प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका है । उक्त घटना बर्बर सामन्ती मनोवृत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है, जिससे प्रेमचन्द्र की कहानी ''ठाकुर का कुंआ'' की बरबस याद आ जाती है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अस्तु मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त श्री अमर सिंह के विरुद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने के संबंध में विधिक कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत पाकड़ का पेड़ एवं शौचालय अविलम्ब हटवाकर प्रश्नगत कुंये को प्रदूषण से अवमुक्त कराने का कष्ट करें ।]

जनपद बांदा के बढ़ते तापमान से जलस्तर नीचे गिरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहर सिंह–

[मान्यवर, प्रदेश में बुन्देलखण्ड का सबसे पिछड़ा एवं गर्म जनपद बांदा है जो विगत चार वर्षों से तापमान में वृद्धि होने से भीषण गर्मी की चपेट में आ रहा है, जिससे तालाब सूख गये हैं और हैण्डपम्पों से पानी नहीं आ रहा है, परन्तु विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीण जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त होता जा रहा है । ऐसी स्थिति से ऊबकर जनता ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को घेरने का मन भी बना रखा है । बांदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 210 गांवों में 200 ग्राम ऐसे हैं, जहां पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है । बांदा विधान सभा में आने वाले कुओं की मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है और इन्हें इसी वित्तीय वर्ष में गहरा कराने की आवश्यकता है । हैण्डपम्पों आदि का रख-रखाव का कार्य भी जनपद के विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद शाहजहांपुर की नगर परिषद द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से बड़ी मात्रा में व्यवसाय कर आरोपित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मान्यवर, राज्य सरकार के निर्देश पर शाहजहांपुर नगर परिषद के द्वारा भारी मात्रा में व्यवसाय कर आरोपित किया गया है । अभी तक इस प्रकार का कोई कर नहीं था, इसमें गरीब, ठेले वाले, मोची, नाई, पान विक्रेता, चाय के होटल वाले, तांगें वाले, बैलगाड़ी/ट्राली, स्कूटर, साइकिल मिस्त्री, दूध बेचने वाले, फल वाले, सब्जी बेचने वाले आदि पर कर भारी मात्रा में लगाया गया है । व्यवसाय कर के नमूने निम्न प्रकार हैं:–

ठेला/ठेली	100	रुपया
हाथ ठेला	25	"
रिक्शा किराये पर	150	"
तांगा	50	"
बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी	25	"
ट्राली	150	"
पान की दुकान	100	"
चाय की दुकान	100	"
चाट/बताशों की दुकान	250	"

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

छोटी नाव वाले	100	रुपया
न्यूज पेपर वाले	500	"
सब्जी/फल की दुकान	200	"

इस करारोपण से छोटे दुकानदार था मेहनत करने वालों के सामने घोर संकट उत्पन्न हो गया है। धराना, प्रदर्शन, आन्दोलन हो रहे हैं। हाहाकार मचा है और जनता में भारी रोष है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से मांग करता हूं कि इसको वापस लिया जाय।]

जनपद कानपुर देहात के थाना रूरा अन्तर्गत श्री लाल जी सिंह भदौरिया की हत्या अम्बर गांव के समीप किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्नलिखित लोक महत्व का मामला लाना चाहता हूं। दिनांक 23-5-95 को थाना-रूरा (कानपुर देहात) के अन्तर्गत श्री लाल जी सिंह भदौरिया की हत्या रूरा-शिवली मार्ग पर अम्बरपुर गांव के निकट कर दी गयी थी। घायलावस्था में रूरा चिकित्सालय द्वारा कानपुर भेजा गया, परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा थाना रूरा में ही रोके रखा गया, और मरणोपरान्त तक मृतक की पत्नी को भी पास नहीं पहुंचने दिया और उसे मारा पीटा तथा मृतक के भाई राम बहादुर सिंह से प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर लूटपाट की प्राथमिकी दर्ज कर ली, जबकि मृतक की जेब में रखे 18.000 रुपये भी मिले थे। इस ज्यादती के पश्चात् स्थानीय जनता ने थाने का घेराव का विरोध प्रदर्शन किया। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक द्वारा मृतक की पत्नी से प्रार्थना-पत्र लेकर जिसमें दरोगा दिलीप सिंह तथा एम० एल० सोनकर का हत्याकाण्ड में शामिल होना बताया गया है, दरोगा सोनकर को निलम्बित कर पीड़ित परिवार को एक लाख रुपया मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया, तब कहीं क्षेत्रीय नागरिक शान्त हुये थे। उक्त घटना में अब तक कोई अग्रिम कार्यवाही न होने तथा मृतक की पत्नी को उक्त मुआवजा न देने से पुनः क्षेत्र में जना-क्रोश पैदा हो रहा है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से आग्रह करता हूं कि मृतक की पत्नी को तत्काल एक लाख रु० की राशि दी जाय तथा सम्पूर्ण मामले की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराने के आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।]

जनपद बाराबंकी के रामनगर के पंचायत मुख्यालय सूरतगंज में विद्युत फीडर ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

[महोदय, लोक महत्व के निम्न विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं–मेरे निर्वाचन क्षेत्र राम नगर जनपद बाराबंकी के क्षेत्र पंचायत मुख्यालय सूरतगंज में विद्युत फीडर न होने के कारण उत्पन्न विद्युत के गम्भीर संकट के सम्बन्ध में कहना है कि विद्युत व्यवस्था का संचालन यहां से 14 कि०मी० दूर

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तहसील फतेहपुर से होता है अत्याधिक लम्बी लाइन होने के कारण विद्युत आपूर्ति कम वोल्टेज तथा अक्सर वाधित रहती है ।

अतः निवेदन है कि लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में विद्युत फीडर का निर्माण कराने का शासन को निर्देश दें ।

गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान सेवरही (पडरौना) के निदेशक द्वारा किये गये अनियमित कार्यों से मजदूरों के भूखमरी के कगार पर पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर मिश्र–

[महोदय, गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान सेवरही में सैकड़ों मजदूर दैनिक वेतन पर 1976 से लगातार कार्य करते आ रहे हैं । वर्तमान निदेशक डा० आर० जी० सिंह जबसे वहां गये हैं मजदूरों को नियमित करने के बजाय वहां से निकाल दिया है और इस समय अपने से सम्बन्धित एक व्यक्ति को भारी कमीशन पर वहां के कार्य को ठेके पर दे दिया है । सैकड़ों मजदूर जो बीसों वर्ष से संस्थान की सेवा कर रहे थे आज भूखमरी के कगार पर आ गये हैं इतना ही नहीं फार्म की पैदावार भी गेहूं व धान की पैदावार भी विगत वर्षों से कम हो गयी है । इस संस्थान के अन्तर्गत एक फार्म निचलौल जनपद महाराजगंज में स्थापित है तत्कालीन प्रभारी अधिकारी श्री हरिवंश सिंह जिसने फार्म पर गन्ना एवं खरपतवार बेंचकर लाखों का घोटाला किया था जिसकी जांच के लिए तत्कालीन निदेशक डा० एस० पी० सिंह ने संयुक्त निदेशक डा० आर० आर० सिंह गोरखपुर को नियुक्त किया था । श्री सिंह की जांच रिपोर्ट में अरिवंश सिंह के घोटाले का मामला उजागर हुआ है दवा दिया गया है और नहीं तो उसे सेवरही फार्म का मैनेजर बना दिया गया है । संस्थान के रंगाई पुताई का कार्य अपने एक रिस्तेदार को दिये हैं जो फैजाबाद का रहने वाला है जिसके माध्यम से फर्जी बिल, बाउचर बनाकर लाखों रुपये का घापला किया है । निदेशक डा० सिंह ने नियुक्तियों में काफी पैसा लिया है । पैसा लेकर अनियमित नियुक्ति किया है जिसका उदाहरण अजीज चौकीदार और उसका पिता है, जिसके मामले को देखा जा सकता है । अजीज चौकीदार के लड़के की उम्र उससे कम दिखाई गयी है तथा दोनों को नियमित कर दिया गया । श्री ओम प्रकाश मिश्र ड्राइवर जिसका अभी वर्ष पूरा नहीं हुआ था उसे नियमित कर दिया गया है जबकि बीसों वर्षों से कार्य करने वालों को निकाल दिया गया है जिसने पैसा नहीं दिया उसे छोड़ दिया गया है । निदेशक डा० सिंह संस्थान पर महीने में 10 दिन भी नहीं रहते हैं जिसकी वजह से संस्थान का शोध कार्य भी ठप्प पड़ गया है । सादात एवं सुल्तानपुर केन्द्रों की प्रगति को भी अपनी अकर्मण्यता के कारण प्रगति रोकने का कार्य किये हैं । एरिया स्तर के इस गन्ना प्रजनन एवं शोध संस्थान के विकास कार्य को ठप्प कर दिया गया है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सरकार का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश देने का कष्ट करें ।

पुलिस विभाग मुरादाबाद में कार्यरत श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल प्रतिसार निरीक्षक द्वारा किये जा रहे गम्भीर भ्रष्टाचार के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक महत्व के एक विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, जब रक्षक ही भक्षक बन जाये तो इस प्रदेश के स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो जायेगी । ऐसा एक प्रकरण पुलिस विभाग में कार्यरत श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल, प्रतिसार निरीक्षक, पी० टी० एस० मुरादाबाद द्वारा अपनी तैनाती के दौरान डी० टी० एस० परिसर आवासों की

रंगाई, पुताई, चहारदीवारी के बनवाने, बिजली की फिटिंग, हार्डवेयर सप्लाई से खरीदी गयी सामान में की गयी धांधली एवं मिट्टी के तेल के कम सप्लाई करने से संबंधित है । इनके द्वारा 475 रुपये के गमले फर्जी रूप से गेम फंड में क्रय किये गये जो नियमों के प्रतिकूल था । इस प्रकार इनके विरुद्ध ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिनसे स्वतः ही भ्रष्टाचार झलकता है । मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव गृह को इनके विरुद्ध दर्ज अपराध संख्या 1149/94 धारा 120 बी०/409/420/467/468/471 भा०दं० विधान एवं 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना सिविल लाइन मुरादाबाद बनाम नरेन्द्र कुमार अग्रवाल प्रतिसार निरीक्षक पी० टी० एस० की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० या भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था । परन्तु उप पुलिस अधीक्षक द्वारा मिलकर इसे रफा-दफा कर दिया गया ।

मैं सदन के संज्ञान में यह प्रकरण पुनः लाकर मांग करता हूं कि इसकी जांच सी०बी०सी०आई०डी० अथवा भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कराकर दोषी व्यक्ति को सजा दिलाने का कष्ट करें ।

उन्नाव के थाना माखी अन्तर्गत चकल वंशी चौराहे पर पुलिस वैरियर लगाकर अवैध वसूली एवं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तीरथ राज–

[मैं सदन का ध्यान दिनांक 11-7-95 को पुलिस अधीक्षक उन्नाव से चकल वंशी थाना माखी के किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से विवाद हो जाने के बाद पुलिस द्वारा तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी उसकी ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा । ग्राम खीरनपुर गवासा थाना आसीवन के आम विक्रेता तोताराम सिंह पुत्र श्री चंद्रिका सिंह द्वारा आम बेचकर लौट रहे चकलवंशी चौराहे पर पुलिस वैरियर पर अवैध वसूली को लेकर कहा सुनी हुई थी उसके बाद में किसान यूनियन द्वारा धरना एवं प्रदर्शन उसी स्थान पर किया जा रहा था किन्तु पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की योजना बनायी जा चुकी थी पुलिस द्वारा किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को बिना पूंछ-तांछ किये सामान्य तरीके से गिरफ्तार किया गया जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाकर गिरफ्तार किया जा रहा है जो स्थानीय पुलिस का अवैध कमाई का धन्धा बन गया है जिससे कि थाना माखी, आसीवन, सफीपुर, औरास के क्षेत्रों में पुलिस के प्रति जनआक्रोश फैल गया है । सभी थानों के निर्दोष लोग भाग रहे हैं ।

अतएव सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के प्रश्न को लाकर इसकी जांच स्थानीय पुलिस से न कराकर किसी दूसरी एजेन्सी से कराने की मांग करते हैं ।]

जनपद बुलन्दशहर के जेवर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी चन्द–

[महोदय, जनपद बुलन्दशहर में धरपा बिजली घर से जेवर को जाने वाली विद्युत लाइन बहुत पुरानी है । कमजोर है और उसे 5 बिजली घरों का भार वहन करना पड़ता है । इस लाइन की क्षमता मात्र 2 या तीन बिजली घरों का भार वहन करने की है । आये दिन किसी न किसी बिजली घर पर फाल्ट होता रहता है । तार टूटने या फाल्ट होने से सारा क्षेत्र अंधकार में डूबा रहता है । दिन भर में अधिक से अधिक एक या दो घंटा बिजली आती है । कभी-कभी तो 10–10 दिन तक एक मिनट के

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लिये भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। बिजली के अभाव में कृषि की अपार हानि है। बच्चों की पढ़ाई में परेशानी है। आटे की चक्कियां न चलने के कारण रोटी पाने भी कठिनाई होती है। जेवर, रबुपुरा व दयानतुपुर की पानी की टंकियों में पानी न होने कारण लोग पीने के पानी के लिये अत्यधिक दुःखी हैं। मैं इस विषय को इसलिये उठाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोग बिजली के अभाव में अत्यधिक दुखी हैं। शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों व विद्युत परिषद में की है किन्तु कोई सुनवाई नहीं है। जनता में भारी आक्रोश है। इस निकट समस्या को सुलझाने के लिये आवश्यक है। एक अन्य लाइन स्थापित की जाये और दोनों लाइनों पर भार को बांटा जाय।

अतः अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा प्रदान कर जेवर विधान सभा क्षेत्र में एक अन्य लाइन बनवाने के निर्देश दिये जाये।]

फैजाबाद नगर में व्याप्त पेयजल के गम्भीर संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लल्लू सिंह–

[महोदय, में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान फैजाबाद नगर के गम्भीर पेयजल संकट के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। फैजाबाद नगर की कुल आबादी लगभग 2 लाख है फैजाबाद नगर के कई मोहल्ले हैदरगंज, रामनगर मुजफ्फरानाका, सहादतगंज, मुदहा, नेवया, रेतिया आदि में व्याप्त होने के कारण एक-एक बूंद पानी के कारण जनता तरस रही है। यह समस्या मूल रूप से 22 लाइन पुरानी होने के कारण जिससे पानी का रिसाव होता रहता है। आबादी की तुलना में नलकूप व पानी की टंकी कम होने तथा विद्युत आपूर्ति वाधित रहने के कारण पेयजल की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है।

कृपया अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने तथा इस जन सुविधा से जुड़ी समस्या का समाधान कराने का निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत पत्थर से कुटे हुए मार्गों का डामरीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल वर्मा–

[जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत का कम से कम 10–15 वर्षों से कुटे हुये मार्ग ग्राम की जनता के लिये सरकार ने सरदर्द पैदा कर दिया है। गांव की जनता कच्चे मार्गों पर आसानी से आ जा सकती है। जब कि पत्थर कूटे मार्गों पर चलना दूभर है। प्रशासन में बैठे कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपने निजी हित के कारण शासन की नीति के प्रतिकूल आगरा मण्डल में उच्च अधिकारियों ने अपनी बचत हेतु आदेश जारी करा दरें हैं। आगरा मण्डल में ईट के खड़जों के बजाय पत्थर कूट कर मार्गों का निर्माण करा रखा है। जिससे आम जनता को सुविधा के बजाय कठिनाई का सामना करना पड़ राह है। यह एक गम्भीर समस्या है। जिसे निपटाने हेतु शासन से मांग करता हूं कि आगरा जनपद में मेरे फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे सैकड़ों मार्ग हैं, जिन पर डामरीकरण नहीं हुआ है। शासन का जी० ओ० है कि 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने के बाद शासन धन उपलब्ध कराकर पूर्ण करायेगा। ऐसे महत्वपूर्ण मार्गों को जो दलितों गरीब जनता के विकास से जुड़ी समस्या पूर्ण नहीं होगी, जब तक आने-जाने का साधन मुहैया न हो। जनहित में सरकार का दायित्व है कि इन मार्गों

को अविलम्ब पूर्ण करावे, और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने की कृपा करें।

अतः निवेदन है कि मेरी न्यायोचित मांग को सरकार द्वारा पूर्ण कराने का कष्ट करें।]

के० जी० मेडिकल कालेज लखनऊ के मेडिसिन विभाग में आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयपाल सिंह–

[महोदय, के० जी० मेडिकल कालेज लखनऊ में मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य/सह आचार्य/आचार्य के कुल आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी से भर दिया गया जब कि शासनादेश संख्या यू० ओ०–92 सेक–I/15–230/90 दिनांक 8 सितम्बर, 1990 द्वारा प्रवक्ता का एक पद सृजित कर विशेष अभियन के तहत चयन हेतु शासनादेश संकया 6895–सेव–I/5–230/90 दिनांक 24 नवम्बर, 1990 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ० प्र० से अनुरोध किया गया था किन्तु बाद में विभाग ने उक्त अध्याचन, को निरस्त कर इस पद को सामान्य श्रेणी से भर लिया।

इसी तरह आगरा स्थित डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग एजुकेशन दयालबाग आगरा में उनकी पत्रिका प्रेम प्रचारक 19 दिसम्बर, 1994 के अंक में विभिन्न आरक्षित पदों का विज्ञापन रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया था परन्तु जियोग्राफी में आरक्षित अभ्यर्थी के होते हुये भी दिनांक 2 जुलाई, 1995 के दैनिक जागरण अंक में उन्हीं पदों को बिना किसी आरक्षण के भरने हेतु विज्ञापन दिया गया तथा षडयंत्र के तहत सामान्य श्रेणी से भर दिया गया है।

अतः आपसे मांग करता हूं कि इन समस्याओं को सुलभ कराने का कष्ट करें। धन्यवाद]

बांदा नगर में विभिन्न गलियों में खड़ण्जा/नाली निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द यादव–

[मान्यवर, जनपद बांदा के नगर बांदा में विभिन्न मोहल्लों की गलियों, कुलियों में खड़ंजा एवं नाली निर्माण न होने से वहां पर रह रहे निवासियों को भारी परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है, और ऐसी बरसात में आधा फुट कीचड़ से होकर वहां के लोगों को गुजरना पड़ रहा है। यह जीवन वहां के लोगों को नारकीय जीवन लगने लगा है। शहर के इनगलियों के निवासी जिला प्रशासन का घेराव करने को मजबूर हो रहे हैं और अनशन आदि की घटनाएं हो रही हैं। जनपद बांदा की मुख्य गलियों जिनमें खड़ंजा एवं नाली निर्माण कराये जाने की तत्काल आवश्यकता है वह इस प्रकार है। बार कर गंज में नाली एवं खड़ंजा निर्माण कराये जाने की तत्काल आवश्यकता है इसके साथ ही दीगर मोहल्ला-मदन नाका, रमा निकेतन के पीछे कालूकुंआ से तिन्दवारी रोड तक खड़ंजा एवं नाली निर्माण, गायत्री नगर में नाली एवं खड़ंजा निर्माण, स्वराज कालोनी की विभिन्न कुलियों, वितास्बरी कालोनी आर्य कन्या के पास,

---

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शंकर नगर छावी तालाब में हरिजन बस्ती, खुटला में सरस्वती शिशु मन्दिर के ठीक सामने वाली गली, भवानी पुरवा में नाले के पास सुतर खाना में खड़ंजा एवं नाली का निर्माण कार्य न होने के भीषण स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन को इस विषयक में सैकड़ों पत्रों के माध्यम से समय-समय पर अवगत कराया जा रहा है, परन्तु प्रशासन मौन है और नगर के निवासियों का जीवन नरक बन रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

कर्ण प्रयाग क्षेत्रान्तर्गत बारह वर्षों से अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० रमेश पोखरियाल (निशंक)–

[महोदय, पर्वतीय क्षेत्र में विगत 15 वर्षों से मोटर मार्ग अधूरे पड़े हैं करोड़ों रुपया जिन मार्गों पर व्यय हुआ इतने वर्षों से निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण जो कुछ काम हुआ भी था वह भी ध्वस्त हो गया। लगभग 25 से भी अधिक ऐसी सड़कें हैं जिन पर 50 करोड़ रु० व्यय हुआ है किन्तु अधूरे निर्माण के कारण जहां जनता उसका उपयोग नहीं कर पा रही है वहां इस करोड़ों रुपये की सरकारी क्षति भी हो रही है जनता को पचासों किलोमीटर पहाड़ जैसी विषम भौगोलिक स्थितियों में पैदल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है जिससे जनता के समय और धन की क्षति के समय-समय शारीरिक क्षति भी उठानी पड़ रही है। पुनरीक्षित आगणन समय पर स्वीकृत न होने के कारण कई गुना निर्माण राशि बढ़ी है। कर्णप्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत (1) रिखणीखाल–वीरौखाल–केदाएली दौण्ड मोटर मार्ग (2) पैठाणी–चाकीसैंण–त्रिपाली सैंण–थलीसैंण बूंगी घाट–देघाट (3) वैजरो–चौखाल–बूंगी धार–नागचूलाखाल–बहुवावन (4) सोनतला, कण्डारा–कोठगी–नारायणकाड़ (5) गैरसैंण–रजियाण (6) खिंसूं–पिठुण्डी–मोल्खाखाल–गौरी–आदिवदरी (7) गौचर सिद्धौली (8) कर्णप्रयाग–नैनीसैंण सहित तमाम मोटर मार्ग हैं जो शासन की उपेक्षा के कारण दम तोड़ रहे हैं। रिवाइज स्टीमेट का समय पर स्वीकृत न होना व वन विभाग, लोक निर्माण विभाग की परस्पर छींटाकस्सी का शिकार बनी इस सड़कों का तत्काल प्रभाव से हर स्थिति में निर्माण करवाने के आदेश सरकार को देने का कष्ट करेंगे।]

जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्रान्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे बसें लगभग 50 बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में शीघ्र चकबन्दी कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवनीश कुमार सिंह–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक अतिलोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं विधान सभा क्षेत्र दातागंज जिला बदायूं में रामगंगा नदी के दोनों ओर बसें लगभग 50 ग्रामों जैसे कुण्डरा, मझरा, लालपुर, खादर, पट्टी बिजा, नगरिया खून, पूरन भेड़ा, शेरपुर, नवादाबदन, मौजमपुर, जरतौली, मौसमपुर, सकतपुर, सिमरिया, हजरतपुर हर रायपुर, आदि ग्रामों में अभी तक चकबन्दी नहीं हुई है। ये सभी ग्राम बाढ़ग्रस्त गांव है। तथा प्रत्येक वर्ष बाढ़ से पीड़ित रहते हैं इस वर्ष

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी यह गांव भीषण बाढ़ की चपेट में है तथा भूमि कटान का अनवरत सिलसिला अभी भी चल रहा है यहां के रहने वाले कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है तथा ये सभी गरीबी रेखा के नीचे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं शासन से मांग करता हूं विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं के राम गंगा नदी के किनारे बसे सभी ग्रामों की चकबन्दी अति शीघ्र करायी जाय।]

जनपद बिजनौर में गंगा बैराज पुल का टोल टैक्स ठेका दिये जाने में की गई लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

[माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बिजनौर में गंगाबैराज पुल का ठेका टौलटैक्स स्थानीय अधिकारियों द्वारा 1995-96 के लिये स्थानीय ठेकेदारों से मिलकर टौल टैक्स की दरें बढ़ने के बाद भी वर्ष 1994-95 से कम दर पर दे दिया गया है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं।

श्री डी० एन० द्विवेदी सहायक अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह–

[माननीय अध्यक्ष जी, श्री डी० एन० द्विवेदी, सहायक अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर का स्थानान्तरण प्रशासनिक अधार पर वर्ष 1992 एवं 1994 में मण्डल से बाहर किया गया था किन्तु इन्होंने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्टे ले लिया परन्तु इनका स्टे जुलाई, 1995 में वैकेट हो चुका है फिर भी बिना चार्ज दिये मुख्यालय/कार्यालय से गायब है जबकि इनके विरुद्ध 35 लाख का अग्रिम प्रकीर्ण पड़ा हुआ है तथा गंभीर अनियमितताओं की जांच चल रही है अधीक्षण अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण मण्डल गोरखपुर द्वारा इनके विरुद्ध आरोप पत्र भी भेजा जा चुका है। फिर भी यह ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर में ही बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। अस्तु इस अति महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि श्री द्विवेदी के विरुद्ध आरोपों की अविलम्ब जांच कराने तथा 35 लाख की अग्रिम प्रकीर्ण का चार्ज तुरन्त देने के आदेश निर्गत कर पुनः भविष्य में महत्वपूर्ण चार्ज न मिलना सुनिश्चित कराया जाय।]

जनपद बांदा में कार्यरत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को धन उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य न कराने से भारी जनाक्रोश उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मन्नु लाल कुरील–

[मान्यवर, जनपद बांदा में कार्यरत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धन उपलब्ध होने के बावजूद कार्यरत अधिकारियों के द्वारा कार्य नहीं कराया

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा रहा है और न ही कार्य को अधूरे पड़े कार्यों को पूरा किया जा रहा है जिससे विकास कार्य पूर्णतया अवरुद्ध हो चुका है, जनाक्रोश व्याप्त हो चुका है और उन विभागाध्यक्षों को जनता के द्वारा घेराव करने का मन भी बनाया जा रहा है जिस विभाग के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता संबंधित ठेकेदारों के द्वारा उनके क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य को समय से नहीं पूरा कराया जा रहा है और जिन कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराया गया है उसका निर्माण के नाम पर बिल्कुल कागजों में चलाया जा रहा है। विभागाध्यक्षें के अधिकारियों के द्वारा कराये जा रहे कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जनता की शिकायतों पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है जिससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। इन सड़कों में जिनमें निर्माण कार्य नहीं कराया गया है परन्तु धन अवमुक्त हुये लगभग 1 साल या दो साल हो चुके हैं किन्हीं-किन्हीं निर्माण कार्यों को तो लगभग 5-5 साल हो चुके हैं। संजय गांधी सम्पर्क मार्ग, दमकलियां नाले पर रपटा निर्माण, डिंगवाही सम्पर्क मार्ग, डिंगवाही कतरावल सम्पर्क मार्ग, इस निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिये जनपदीय अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों को समय पर पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाता है, परन्तु वहां के अधिकारियों के मानसिकता ही देर से कार्य को कराने की बनी हुई है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

जिले के विकास कार्यों में विधायकों की संस्तुति माने जाने के संबंध में सरकार द्वारा की गयी घोषणा का वाराणसी तथा भदोही जिले में हैण्डपम्पों के लगाये जाने में अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें पहली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र, श्री प्रमोद तिवारी व श्री नरेश अग्रवाल जी की जिले में विकास कार्यों में विधायकों की संस्तुति मांगे जाने के संबंध में सदन में सरकार की स्पष्ट घोषणा के बावजूद बनारस तथा भदोही जिले में विभिन्न योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले सैकड़ों हैण्ड पम्पों में क्षेत्रीय विधायक की संम्नुति को नजरअन्दाज किये जाने के बारे में है जो भी घोषणा हुई है मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करता हूं कि उस घोषणा का अनुपालन..

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां पर कुछ घोषणा की और नेता सदन विधान परिषद् ने कुछ घोषणा की।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी आप बैठ जायें मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित कर रहा हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आ जाये तो उचित होगा। यह विधायकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्देशित कर रहा हूं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आपको बोलना है तो बोलिये मैं फिर निर्देशित नहीं करूंगा।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछले दिनों यह कहा था कि जिला योजना और अन्य विकास कार्यों में जनपद में जो भी विधायक संस्तुति देंगे उस पर अंतिम निर्णय दिया जायगा । पिछले दिनों सैकड़ों हजारों हैण्ड पम्प जिला योजना, जे० आर० वाई० व सूखा राहत योजना से जिले को गये उसमें हमसे संस्तुति नहीं ली जा रही है । जबकि हमें गांव के बारे में पूरी जानकारी है कि कहां पर क्या है ? कहां पर गली है कहां पर क्या है ? मान्यवर, एयरकान्डीशन में बैठे हुए यह जल निगम के जे० ई० और अधिशासी अभियन्ता यह नहीं जान पाते हैं । जो चौहद्दी हम देते हैं वह वहां न लगाकर एस० डी० एम० या ए० डी० एम० के घरों के सामने लगा देते हैं । 16, 17 हजार रुपये का दुरुपयोग हो रहा है । तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, पुरवे हैं जहां पर हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं और दूसरी जगहों पर उसको लगाया जा रहा है । इसलिए मैंने आपके सम्मुख औचित्य के प्रश्न को रखा है । मेरा आपसे अनुरोध है कि विधायकों द्वारा दी गयी चौहद्दी पर हैण्ड पम्प लगाया जाय ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

हैण्ड पम्प किस गांव में किस स्थल पर लगे इसके लिए गांव सभा का प्रस्ताव आता है क्योंकि वहां पर जो जमीन उपलब्ध है वह गांव के प्रधान और लेखपाल को मिली हुई है इसलिए वह जो प्रस्ताव देते हैं कि फलां जगह लगाया जाये तो वहां पर लगाया जाता है । जहां तक गांव के चयन का सवाल है उसमें विधायकों की राय ली जाती है लेकिन स्थल के चयन में गांव के प्रधान और लेखपाल की ही राय ली जाती है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रंगनाथ मिश्र जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह बैठ जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मा० मिश्र जी ने अपनी नोटिस में कुछ अनियमितताओं के भी आरोप लगाये हैं, जैसा अभी आपने पहले माननीय ऊदल जी के नोटिस में निर्देश दिया । भदोही क्षेत्र के बावत, जिलाधिकारी से जांच करवा ली जायेगी और कोई अनियमितता होगी तो दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा और आक्रोश है उसे आपने समझा लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं किसी की तारीफ और निन्दा करने नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरे जनपद में तो यही प्रक्रिया है कि जिलाधिकारी विधायकों से सुझाव प्राप्त कर लेते हैं, विधायक गांव और गांव के मजरों की सूची देते हैं, यह बात सही है। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि वह स्थल चयन के बारे में माननीय विधायकों से सुझाव प्राप्त कर लें और अगर कोई विसंगति आती है जिलाधिकारी, विभाग और माननीय विधायक की राय में, तो बैठकर चर्चा कर ली जानी चाहिए। लेकिन आपकी भावना को समझ रहा हूं। शासन की नीति है कि मा० विधायकों को सम्मान मिलना चाहिए। अगर डी०आर० डी० ए० सूखा राहत या मण्डी से या कोटा के हिसाब से नलकूप स्वीकृत होते हैं तो मा० विधायकों से सूची प्राप्त कर ली जाये, गांव का चयन कर लिया जाये, मजरों का चयन कर लिया जाये और प्राथमिकता उनको दिया जाना चाहिए जहां अभी तक नहीं लगे हैं वहां पहले लगे। 250 की आबादी पर एक इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगते हैं, अब तो इण्डिया मार्क–3 भी आ गये हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि यदि ये हैण्ड पम्प फेल हो गये हैं तो रि-बोरिंग की आवश्यकता है लेकिन शासन से पैसा नहीं जाता है। रि-बोरिंग के लिये हैण्ड पम्प पाइप की करीब दो तिहाई पैसा लगता है, इसलिये फेल हैण्ड पाइपों के लिये रि-बोरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हैण्ड पाइप लगाने के लिये माननीय विधायकों से सूची प्राप्त कर ली जाय और उसके बाद स्थल चयन कर लिया जाय।

श्री हृदय नरायण दीक्षित–

मान्यवर, 8 अक्टूबर, 1992 को एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि माननीय विधायकों को उक्त सूची भेजते हुए अधिष्ठापना स्थल के विषय में तीन सप्ताह के अन्दर वह बता दें। ज्यों ही सूची मिल जायेगी, हैण्ड-पम्प लग जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस शासनादेश का माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, उसमें अब यह देखने की आवहयकता है कि वे कौन-कौन से ऐसे जिले हैं, जहां पर जिलाधिकारियों ने शासनादेश के अनुरूप कार्य नहीं किया है ? ऐसे जिलाधिकारियों को दण्डित किया जाय और उनकी शास्ती की जाय। माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना है कि वह इस विषय को अब बन्द करें और अपनी सूचना अलग से दे दें।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, शहर के माननीय सदस्यों से भी सूची ली जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मा० शुक्ल जी ने जो बात कही है, उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं।

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

शहर मे एक भी न लगाये जायं, गांव में लगाये जायं ।

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जी० ओ० का पालन करा दीजिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अलग से मेरे पास इस समय कोइ सूचना नहीं है, इसलिए आश्लसन देने की स्थिति में नहीं हूं ?

जिले में डी० आर० डी० ए० योजनान्तर्गत आवंटित धन को विधायकों की संस्तुति पर खर्च किए जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से हमने यहां पर एक प्रश्न उठाया था । जिले में डी० आर० डी० ए० में जो पैसा दिया जाता है, उस समय दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबने एक बात कही थी कि चूंकि उसमें सांसद भी होते हैं और उन्हें भारत सरकार से अलग से एक करोड़ रुपए मिलता है, इसलिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहां भी घोषणा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी इस विषय पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ प्रयास करना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, सभी विपक्ष के नेताओं की हमने बैठक बुलायी थी परन्तु पता नहीं कहां चूक हो गई ? हमने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ इस संबंध में एक बैठक कर ली जाए ।

मैं कल भी कोशिश कर रहा था कि बैठक हो जाए । (व्यवधान) अतिशीघ्र बैठक करके तय कर लेंगे । जिसमें सभी नेता और माननीय मुख्य मंत्री होंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर एक दिन सभी दलों के माननीय नेतागण और मुख्य मंत्री जी बैठक कर लेंगे । (व्यवधान) श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस सदन में एक निश्चित सूचना हमने दी थी । (व्यवधान)

[x x x] (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

एक दिन बैठकर इस पर विचार कर लें शायद कुछ फुटफुल रेजेल्ट निकल आय (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

बिना हमें सुने कैसे आप निर्णय दे देंगे, हमें पहले सुने, मेरी बात को कैसे नहीं सुनेंगे ? (व्यवधान)

श्री ऊदल–

मैं दूसरी बात कह रहा था इनकी बात के अलावा (व्यवधान) मैं इनकी बात पर आपत्ति करता हूं। यह हमें कहते हैं [x x x] (व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

यह कार्यवाही से हटाया जाए। ऊदल जी एक सीनियर मेम्बर है। (व्यवधान)

श्री ऊदल–

उन्होंने मुलायम सिंह यादव की [x x x] ये [x x x] से बातें करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से किसी पर आरोप, प्रत्यारोप न लगायें।

श्री ऊदल–

[x x x] मुलायम सिंह यादव के शासन काल में इन्होंने सारे लाभ उठाये। (व्यवधान) [x x x] हमेशा इस तरह की [x x x] करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आरोप प्रत्यारोप न लगाये मैं दिखवा लूंगा इनका कथन असंसदीय होगा तो मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री किरनपाल सिंह–

ऊदल जी जैसे सीनियर मेम्बर से यह कहना (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य ऊदल जी का हम सम्मान करते हैं जो भी अपशब्द कह गये है वह निकाल दें।

नोट : [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक माननीय पाल साहब, मेरी बात सुन लें एक-एक करके माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे तो उसको मैं सुन पाऊंगा और उसका लाभ भी होगा आप जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं एक-एक करके अपनी बात कहें। उस पर निर्णय दिया जायगा। (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

हमारी नोटिस थी उस पर हमें कह लेने दें। (व्यवधान)

श्री ऊदल–

इनकी नोटिस आई होगी लेकिन आपने मुझे बुलाया था (व्यवधान) [x x x]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, माननीय ऊदल जी पहले अपनी व्यथा कह लें। (व्यवधान) माननीय ऊदल जी आप पहले बोलें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं। मैंने श्री ऊदल को बुला लिया है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं किसी की नोटिस के बारे में विचार नहीं प्रकट करना चाहता हूं बल्कि मैं दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो अपनी बात निवेदित करने के लिए आपसे आज्ञा लेना चाहता था और आपने मुझे बुला लिया था और यदि आप मुझे न बुलाते तो मैं न बोलता चूंकि बीच में दखलन्दाजी मैं नहीं करता हूं। मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि उस दिन जो प्रकरण यहां उठा विधायकों को सांसदों की तरह से कुछ रुपया शासन की तरफ से एलाट होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने शायद इस बात को कह दिया कि हां। विधायकों को अलग से रुपया एलाट किया जायगा। जो कमेटी बनेगी उसमें सांसद रहेंगे, विधान परिषद् के सदस्य रहेंगे और उनकी बात सुनी जायगी लेकिन उनके नाम से कोई रुपया एलाट नहीं होगा। तो मेरा यह निवेदन था कि रोज-रोज इस प्रकरण को यहां उठाना ठीक नहीं है। यह मेरा निवेदन था चूंकि विधान परिषद में भी तनाव पैदा हो गया है। वह उच्च सदन के सदस्य हैं और इस तरह से विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों के बीच में टकराव पैदा होगा जो मुनासिब नहीं होगा और यह संसदीय परम्पराओं के विपरीत होगा।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को उठाने के बजाय सभी दलों केनेताओं से जो विधान परिषद के हैं उनको भी इसमें शामिल करके इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न दूसरे प्रकार का था लेकिन मामला शानत हो गया है जो ठीक है । मान्यवर, ऊदल जी जैसे वरिष्ट सदस्य के प्रतितन टिप्पणी करना ठीक नहीं है ।

मान्यवर, अभी जो भावनाएं श्री ऊदल जी ने व्यक्त किया है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । यह आदरणीय सदन और उच्च सदन दोनों एक ही स्तर के हैं । कुछ अधिकार हमारे और कुछ अधिकार उनके यह नाजुक मामला है । उस दिन चर्चा अपनी जगह हो गई लेकिन उस पर अन्तिम निर्णय लेने के पहले अलग से हम लोग सभी दलों के नेतागण, मुख्य मंत्री जी और उच्च सदन के माननीय नेतागण सभी लोग एक साथ बैठकर कोई निर्णय करें तो अच्छा होगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं । जो विषय मा० श्री ऊदल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री नरेश अग्रवाल का है कदाचित हम सारे लोग जो विधायक इस सदन में हैं और विधान परिषद के सदस्य जो हैं उन सब की तरफ से इसी सदन में एक प्रस्ताव लेकर आए थे, चूंकि हम सभी की चिन्ता थी कि विकास के लिए हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों के प्रति उत्तरदायी हैं । सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपया एलाट किया गया है तो उसके सापेक्ष में हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता की आकाक्षाओं के अनुसार क्षेत्र का विकास नहीं होता है और क्षेत्र की जनता चाहती है कि हम भी अपने-अपने क्षेत्र का विकास करें और जनता से सांसदों की अपेक्षा हमारा ज्यादा संबंध रहता है । इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी उस दिन के निर्णय को हम सभी लोगों ने सहारा था कि सांसदों की तरह हम लोगों को भी रुपया विकास के लिए एलाट होगा लेकिन यही प्रश्न विधान परिषद में उठ गया । इसलिए ऐसा न हो कि इस दोनों सदनों के माननीय सदस्यों के मतभेद में वह विषय ही गौड़ हो जाए और जो विधायकों को मिलना है वह न मिल सके । इसलिए चाहे दोनों सदनों के सदस्यों की परिभाषित कर लें लेकिन आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि उस दिन जो निर्णय हुआ था ।

सदन के उठने के बाद निश्चित तौर से क्षेत्र के विकास के लिए इन विधायकों को भी प्रस्ताव देने का अधिकार और परिव्यय दिया जाए । सांसदों की तरह 1 करोड़ रुपया न भी सही तो कम से कम 50 लाख रुपया तो होना ही चाहिए । तो मैं चाहता हूं कि यह जो सवाल उस दिन उठा था उसको आप अवश्य लागू करवा दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मानयवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, जैसा पाल जी ने, राजेन्द्र कुमार गुप्त और ऊदल जी ने कहा है, हम यहां वहां में कोई भेद नहीं कर सकते हैं । उस समय मंत्री जी को सभी को दोनों सदनों के नेताओं और सदस्यों को बुलाकर, बात कर ही घोषणा करनी चहिए थी । अभी हरदोई में जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डी० आर० डी० ई० की मीटिंग हुई थी, यह उसमें उठाया गया था, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा जी० ओ० ईश्यू नहीं हुआ है, वह जल्दी ईश्यू हो जाएगा । लेकिन कौंसिल में इनके मंत्री आर० के० चौधरी ने घोषणा कर दी कि मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है ....व्यवधान... अभी मेरा व्यवस्था का प्रश्न पूर्ण नहीं हुआ है, उसमें बाधा पड़ रही है । यह जो बीच में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है...व्यवधान...

श्री अध्यक्ष–

तो उस सदन को यहां क्या संज्ञान में लिया जा सकता है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

संविधान के अनुच्छेद 102 में आप देखें, उसमें संयुक्त जिम्मेदारी की बात है, उसके अन्तर्गत उसे निश्चित रूप से लिया जा सकता है । तो यह किसी प्रकार भी बिलकुल ठीक नहीं है कि एक मंत्री कहीं एक बयान दे रहा है और दूसरा मंत्री दूसरी जगह दूसरा बयान दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी चाहत क्या है, वह आ जाए ?

श्री नरेश अग्रवाल–

यही है कि जो भी निर्णय हो वह मंत्रिमण्डल में हो और जिस मंत्री की उस निर्णय से असहमति हो वह इस्तीफा दे दे । तो एक निश्चित घोषणा इस विषय में हो कि सरकार क्या चाहती है । विकास कार्य में एम० एल० ए० और एम० एल० सी० का क्या अधिकार हो और उसको अपने यहां क्या-क्या खर्च करने का अधिकार होगा, जब तक यह एक मुश्त निर्णय नहीं हो जाता है आपकी सरकार का, तब तक यह झगड़ा चलता रहेगा और हमारी परेशानी बनी रहेगी और कुछ तय नहीं हो पाएगा ।

* श्री किरनपाल सिंह–

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि एम० एल० ए० और एम० एल० सी० में कोई भेद है, सभी के प्रीविलेज एक से हैं । लेकिन इधर दो वर्ष से हम विधायकों के सामने एक समस्या आ रही है, जब से राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों को एक-एक करोड़ रुपये अपने क्षेत्र में विकास के लिए मिलने लगा है । तभी से विधान सभा सदस्यों के सामने विकास का सवाल आ रहा है । डी० आर० डी० ई० और जे० आर० वाई० में जो सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो अब बहुत कम पैसा विधायकों को मिलता है और उसमें से भी चार जगह बट जाता है–राज्यसभा व लोकसभा सदस्यों तथा विधान सभा और विधान परिषद् सदस्यों के मध्य । मेरा निश्चित मत है कि विधान सभा के सदस्यों की सीधी जिम्मेदारी जनता के प्रति है । यह फर्क है विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों में । वह अपर हाउस के सदस्य हैं, इनका क्षेत्र पूरा प्रदेश है । पूरा प्रदेश इनका क्षेत्र है, तो इनकी अलग से व्यवस्था कर दें और यहां से भी थोड़ा बहुत प्राविजन कर देंगे । लेकिन हम जिला स्तर पर देखते हैं कि हम एम० एल० ए०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौबीसों घन्टे जनता के भारी दबाव में रहते हैं। लेकिन यह सदस्यगण बहुत कम जनता से जुड़े रहते हैं। कभी कभार ही उनके घर पर कोई आ जाता होगा तो वह दूसरी बात है। हम जनता के बहुत दबाव में हैं क्योंकि बहुत कम पैसा है। यह नहीं होगा तो विकास का सन्तुलन बिगड़ जाएगा।

इस वजह से मेरा आग्रह है। दूसरी बात यह कि जैसा माननीय नरेश अग्रवाल जी ने उठाया था और हमने भी कहा था कि हमारे यहां मीटिंग हो चुकी है। जब सदन में कोई आश्वासन दिया जाता है तो आश्लसन देने से पहले मुख्यमंत्री उस पर विचार कर सकते थे। जब आश्वासन सदन में आ चुका है तो उसका सम्मान होना चाहिए। इस विधान सभा की इज्जत और गरिमा बनाये रखनी चाहिए जो अपर हाउस में बहुत हुई उसकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो आश्वासन इस सदन में दिया जा चुका है उसको बनाये रकनो के लिये पुरजोर मांग करता हूं। कि इस सम्बन्ध में कोई नीति बनायें ताकि उस आश्वासन का उचित रूप से पालन हो सके। डी० आर० डी० ए० और जिला योजना का जो पैसा है उसके लिये राय ले ली जाय। एम० पी० और राज्य सभा के सदस्यों को एक करोड़ रुपया मिलता है और हमको 4-5 लाख मिलता है ? आपने हमने उस समय मांग रखी थी कि विधान सभा.....

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इसी से जुड़ा है। यह मांगें रखी थीं वह भी नहीं करवाई तो जो आश्वासन इस सदन में दिया गया उसकी पूर्ति करने से विचलित न हों।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

यह सूचना नरेश अग्रवाल जी, पाल जी और मैंने दी थी। इस पर व्यवस्था दे दें फिर मेरी बात सुन लें। अभी हमारी नोटिस भी है। यदि पहले सुनना चाहें तो सुन लें।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

हो सकता है कदाचित् तिवारी जी उससे सन्तुष्ट हो जायं।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपकी बात से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। आपकी बात की कोई कीमत नहीं है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

फिर तो इनकी बता का उत्तर भी नहीं देना है।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह आप पर निर्भर करता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जिससे तिवारी जी उचित समझते हों उन मंत्री जी से इनका उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

एक व्यवस्था के बार में माननीय ऊदल जी ने कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों में आपस में टकराव नहीं होना चाहिए । राजेन्द्र गुप्त जी, पाल जी, किरन पाल जी ने कहा । उस बारे में आपको कुछ कहना हो तो कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि संयुक्त जिम्मेदारी की बात है । जब कोई विभाग का प्रश्न आता है तो संबंधित विभाग के मंत्री को उस विषय में सोच समझ कर उत्तर देना चाहिए । लेकिन हो क्या रहा है ? जब से सत्र चल रहा है विभाग जिस का हो, मुख्य मंत्री से संबंधित हो या और कोई विभाग हो संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं और जलब दे देते हैं । उनके जवाब को इसलिये सुनते हैं क्योंकि संयुक्त जिम्मेदारी है । आपकी पीठ से निर्देश होता है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब दें । आपको याद हो कि न याद हो, मुझे याद है आप चाहें तो कार्यवाही निकलवा कर देख लें । जो प्रश्न नरेश अग्रावाल जी ने उठाया । विधान सभा में कोई आश्वासन दिया गया और विधान परिषद् में कोई और आश्वासन दिया गया । सरकार की क्या गरिमा है । आश्वासन पहले यहां सदन में दिया गया था यदि उसके विपरीत कोई बात उन्होंने कहनी थी तो हमको विश्वास में ले लेना चाहिए था । इस सदन की गरिमा की कोई परवाह नहीं की ।

आप जो कुछ यहां सदन में नेता सदन की तरह से कहते हैं उसे उसी तरह से लिया जाता है कि यह सरकार का पक्ष है । उनकी बात को काटते हुए उस सदन में एक मंत्री ने विरोधी वक्तव्य दे दिया । मान्यवर, आपने एक प्रश्न किया कि क्या उस सदन की किसी बात का संज्ञान ले सकते हैं । मान्यवर, उस सदन की बात का संज्ञान ले सकते हैं उसको अंश नहीं बना सकते हैं लेकिन जब कोई मंत्री वहां सदन में घोषणा कर देते हैं तो वह संबंधित विभागों में पहुंच जाती है, उसका संज्ञान ले सकते हैं । घोषणा हुई फिर उस विभाग में जायेगी, जो कुछ घोषणा में कहा गया उसका संज्ञान ले सकते हैं, उनके निर्देशों का संज्ञान ले सकते हैं यहां पर जो विधान सभा सदस्य हैं उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों हैं मैं बार-बार दोहराना नहीं चाहता । पांच वर्षों में तीन चुनाव हुए हैं । अपने क्षेत्रों में जब बैठक होती है तो हम लोग जाते हैं आप तो अपने प्रतिनिधि को भेज देते होंगे । परिषद् के सदस्यों के पास आठ-आठ जिलों के क्षेत्र हैं इन्होंने अपने मनोनीत प्रतिनिधि बैठा रखे हैं जो 8 जिलों में हमसे बराबर का हिस्सा ले जाते हैं ।

8 जिले, 10 जिले, 12 जिले हैं हमको हिस्सा कुछ नहीं मिलता है । हमें दो साल बाद जाना है जनता कहेगी सड़कों का वायदा किया नल का वायदा किया, पुल का वायदा किया और उसको पूरा नहीं कर पाए । वह आदरणीय माननीय सदस्य जिन्हें जनता के बीच में नहीं जाना होता है उनको दस-बारह और कहीं-कहीं पचास गुना ज्यादा हिस्सा मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्य को डी० आर० डी० ए० में मिलता है या योजना पर पैसा मिलता है ? या उनका कोटा होता है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

डी० आर० डी० ए० में धनराशि गई वहां जिलाधिकारी या समिति अधिकारी बराबर हिस्से में बांट देते हैं । व्यवहारिक यह होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लगता है आप बहुत दिनों से समितियों में नहीं गए ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली में यह नहीं है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

पैसा बराबर बांट दिया जाता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आप इसमें पूरे सदन की राय ले लीजिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैंने जो कहा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, को बुरा लगा मैंने कहा कीमत नहीं है हम अपने लिए नहीं क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं । सदन की गरिमा के लिए लड़ रहे हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य था, उसमें ऐसा कह देना शोभा नहीं देता है । एक संसदीय कार्य मंत्री पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है उसके विपरीत वक्तव्य का निर्वाह करना, संसदीय कार्य मंत्री जी को विश्वास में न लेना, क्या यह संसदीय कार्य मंत्री जी को गरिमा का प्रतीक है ? मान्यवर, अगर कोई घोषणा करनी थी तो यह आपस में बात कर लेते । मंत्रियों के लिए कानून बना है सदन को देते कि जो वक्तव्य मैंने दिया था उसको वापस लेता हूं । यह तो इत्तफाक से आज सदन बैठ गया यह तो साजिश थी कि सदन जिस दिन न बैठे उस दिन घोषणा कर दें, सारे अखबारों में छप गया । लोग विधायकों से कहते हैं एक करोड़ मिलने वाला है आप मेरे क्षेत्र में काम कराइए । यह स्थिति आ गई है मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से एक व्यवस्था चाहता हूं । आप व्यवस्था दे दें । क्या संयुक्त जिम्मेदारी के तहत एक माननीय मंत्री जी विधान सभा में जो घोषणा करें उसके विपरीत यह सरकार आचरण कर सकती है या नहीं कर सकती है ?

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, दो बिन्दु उठाए गये हैं पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि "नाराज हो गए" मैं उनसे कभी नाराज नहीं हो सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

और सबसे भले ही नाराज हो जाएं लेकिन तिवारी जी से नाराज नहीं हो सकते हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

हम दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं । दो बिन्दु हैं समीचीन हैं, तिवारी जी पहले बोलने के लिए खड़े हो गए मैं वही कहने जा रहा था । वह यदि मुझे सुन लेते तो निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाते । पहला बिन्दु जो है वह यह है कि इस आदरणीय सदन में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने यानि मैंने घोषणा की कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मानक बने हैं ।

जवाहर रोजगार योजना के जो मानक हैं या अन्य योजनाओं के जो मानक हैं चाहे जिला योजना हो या और कोई उनके मानकों के अधीन रहते हुए इस आदरणीय सदन के सदस्य जो विधान सभा के सदस्य हैं उनके सुझाव माने जायेगे और बाकी लोगों के परामर्श लिए जायेंगे । मैंने यह कहा था मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता । चौधरी साहब ने क्या कहा है उसकी जानकारी बाद में हुई । नहीं तो मैं मंत्रियों के वक्तव्य के अनुसार आपकी अनुमति से यहां पर उसमें अलग से विस्तृत बयान दे देता । लेकिन चूंकि विषय आ गया है उसके संबंध में । मैंने निश्चित रूप से आप लोगों की जो भावना थी उस दिन जिस दिन यह विचार आया था । जहां तक यह विषय नियम 300 के अन्तर्गत आया था उसमें कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे । मैं भी इस आदरणीय सदन का सदस्य हूं सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि मैं भी कई बार से इस आदरणीय सदन की सेवा कर रहा हूं ।

सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं वह सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं जनता को जो कठिनाइयां होती हैं वह सीधे माननीय विधायकों से ही कहती है उनकी सीधे जवाब दे ही होती है । मैं तो इस बात से पहले सेही अवगत हूं । सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने को सम्बद्ध किया था और यह घोषणा की थी बाद में जब दूसरे माननीय उच्च सदन में जब यह विषय पूरी गंभीरता के साथ उठाया गया और वहां पर सम्पूर्ण सदन ने इस संबंध में अपना रोष व्यक्त किया इसलिए इस संबंध में तमाम मंत्रीगणों ने इस आदरणीय सदन के और उस आदरणीय सदन के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की और मुझे यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि वहां पर उस आदरणीय सदन के सभापति और कई माननीय सदस्य उस बैठक में उपस्थित थे । हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि जिस दिन उस बैठक में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हिस्सा ले रहे थे उस दिन हमारे विपक्ष के कनिष्ठ नेतागण उस बैठक में जो मुख्य मंत्री जी ने बुलाई थी उसमें उपस्थित नहीं थे । उसके लिए चाहे कोई कारण रहा हो । अगर श्रीमन् प्रमोद तिवारी जी वहां उपस्थित होते, ऊदल जी उपस्थित होते और श्री किरनपाल सिंह जी उपस्थित होते तो शायद उस बैठक में उनके परामर्श का लाभ उठाया जा सकता । उस बैठक में उच्च सदन के तमाम माननीय सदस्य उत्तेजित थे । श्रीमन्, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया । वह सदस्य आरोप लगा रहे थे कि हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है । इस आदरणीय सदन के किसी सदस्य ने किसी के अधिकारों में कटौती करने की कदाचित मंशा नही की थी ।

इसलिए यह तय हुआ कि जो पुरानी व्यवस्था है फिलहाल उसी व्यवस्था का पालन किया जाएगा । और केन्द्र सरकार के निर्देशों के अधीन जहां-जहां पैसा प्राप्त होता है राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन

पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी । यही मैं घोषणा करने जा रहा था । दूसरा बिन्दु कई माननीय सदस्यों ने उठाया है कि सांसदों की तरह माननीय विधायकों को भी धनराशि आवंटित होनी चाहिए । उसके बारे मैं बैठक में हिस्सा लेकर विचार होना था ।

कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे, लेकिन चूंकि माननीय नेतागण उपस्थित नहीं थे, इसलिये जैसे ही वह विषय आया कि माननीय विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को कुछ धन आवंटित कर दिया जाय, इस विषय को स्थगित कर दिया गया । माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय गुप्त जी वहां उपस्थित थे । वहां यह भी तय हुआ कि जब माननीय सम्मानित नेतागण उपस्थित होंगे, तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी । मेरे उस आश्वासन के लिये उत्तर देते समय इसे शोधन वक्तव्य माने या किसी नियम में माने, चूंकि विषय उठ गया है, इसलिये यह बात कही ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री मुझे संतुष्ट करने का आमादा हैं । एक बड़ी मासूम सी बात है, जो इस सदन में आपने आश्वासन दिया, वहां पर तो आपने हम लोगों की प्रतीक्षा नहीं की कि हम नेतागण आ जायें, उसके बाद परिवर्तित करें । कहना यह चाहिये था कि विधान सभा, विधान परिषद्, संसद सदस्यों सभी को पूर्व की भांति बराबर हिस्सा मिलता रहेगा । माननीय कल्याण सिंह जी इसको बड़ी गंभीरता से लीजिये, आपके इस तरह चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, यहां किस तरह से विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि आप इस तरह चुप रहेंगे, तो मैं समझूंगा कि आप भी इसके मूकसाक्षी होंगे ।

मान्यवर, हमारी घोर आपत्ति है कि जब यह निर्णय लिया था तो आपने जो इसे बदलने का कार्य किया है, यह दुखद है और इसके लिये पूरी सरकार कठघरे में खड़ी है । मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि यह चीजें बैठकों में तय हुआ नहीं करती, जो सदन में तय हुआ करता है, उसको बदला नहीं जा सकता, यदि उसको बदलना है तो उसको सदन में ही परिवर्तित कर सकते हैं, और यदि आपने ऐसा किया है तो दुबारा सदन की गरिमा के विपरीत कार्य किया है, इसके लिये सरकार को सदन में माफी मांगनी चाहिये । मान्यवर, आप इस मामले में जल्दी न करें, यह पूरे सदस्यों के अधिकारों का मामला है । हो सकता है, कल आप फिर बैठ जायें, नेताओं के बीच में...

श्री अध्यक्ष–

मुझे तो लगता है कि इन माननीय सदस्यों को कुछ मिले, इस बात से आपको कुछ लेना-देना नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

वह आपको है, आप अध्यक्ष हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इससमय पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, भाषा में मतभेद हो । लेकिन जितनी बातें मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि विधायकों की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए, इन समितियों में सिर्फ विधायकों की राय वही रखी जानी चाहिये, इसके लिये मैं बल दे रहा हूं और आपको ऐसा लगा रहा है तो शायद मेरी भाषा में कमी है, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि अपने उस आश्वासन को आपको वापस नहीं लेना चाहिये, अगर वापस लिया है तो मेरे ख्याल से

यह इतिहास की सबसे अक्षम्य घटना है । मैंने इस मामले को नियम 300 में उठाया था और कहा था कि मंत्रि मंडल में मतभेद है, यही विषय तो इस सूचना में है । आज मंत्रि मण्डल में मतभेद सामने आ गया, संसदीय कार्य मंत्री के विचार अलग हैं, स्वास्थ्य मंत्री के अलग हैं, इसी तरह कैबिनेट का जो बंटवारा हुआ, वह भी बिन्दु था, इससे ज्यादा मंत्रि मंडल के मतभेद का और कौन सा साक्ष्य हो सकता है, यही मैं कहना चाहता हूं कि इस मंत्रि मंडल में मतभेद हैं, इसको आप खामोशी से न लें, हम विधायकों की रक्षा के लिये आप यह कहें कि हमारे अधिकारों में कटौती नहीं होगी, हमको वही अधिकार रहेंगे ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप स्थान ग्रहण करें, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, तिवारी जी के मासूम सवाल का जवाब मैं दे दूं ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं तिवारी जी की बात में अपनी बात जोड़ दूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं, कृपया बैठें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, तिवारी जी ने जब पहले ग्राह्यता पर अपने विचार व्यक्त किये थे तो उन्होंने खुद अपने भाषण में इशारा किया था कि चाहिये यह था कि पहले वक्तव्य दे दिया जाता अगर कुछ फेर बदल करना था । तो मैं वक्तव्य देने के लिये उनके भाषण के पहले खड़ा हुआ था और यही विचार व्यक्त करने जा रहा था । एक पंक्ति मैं और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की मंत्रि परिषद् में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं ।

नियम 300 की अन्य सूचनायें अग्राह्य की जाती है ।

(श्री नरेश अग्रवाल, श्री रामविशुन आजाद, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्रीराम प्रसाद टम्टा, प्रीतम सिंह आदि माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–1 उत्तर प्रदेश सरकार †

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–1 उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

*श्री राम **विशुन** आजाद–

मान्यवर, काउंसिल में दूसरा जवाब और यहां पर दूसरा जवाब नहीं चलेगा।

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1993-94 उत्तर प्रदेश सरकार ††

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1993-94 उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–3 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार †

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखाकार का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) संख्या–3 (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड लखनऊ का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन 1988–89 †

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नलकूप लिमिटेड, लखनऊ का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन 1988–89 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन 1989-90, 90-91, 91-92, एवं 92-93 †

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन 1989–90, 90-91, 91-92 एवं 92-93 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 610–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

† छापे नहीं गये।

शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना दिनांक 5 मई, 1995 †††

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या–1513–15–10-95–15(18)–94, दिनांक 5 मई, 1995 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(वेल में आये सदस्यगण अपने आसन पर चले गये।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सरकार ने वायदा खिलाफ की है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है। सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (नवां संशोधन) नियमावली, 1994 †

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–2862/सात–सं०–1–94–138सं/92, दिनांक 1 नवम्बर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (नौवां संशोधन) नियमावली, 1994 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994 †

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि सिंचाई अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–4417/94–27 सिं–42–रेट 94, दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994 जो उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 की धारा 75 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 6 फरवरी, 95 की बैठक में सदन की मेज पर रखी गयी थी, में निम्नलिखित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 28 जुलाई, 1995 की बैठक में स्वीकृत हुआ जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए दिनांक 17 अगस्त, 1995 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ :–

"सरकारी गजट उत्तर प्रदेश (असाधारण) दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 के विधायी परिशिष्ट के अन्तर्गत प्रकाशित उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) नियमावली, 1994 जो सदन

---

††† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयी।

की मेज पर दिनांक 6 फरवरी, 1995 को रखी गयी, रद्द किया जाय, जो 24 अक्टूबर, 1994 से प्रभावी होंगे ।"

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 1995 की बैठक में सदन के दिनांक 23 अगस्त, 1995 के उपवेशन के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

(समय 2 बजे)

अगस्त, 1995

23 बुधवार

1–उत्तर प्रदेश आमोद और प्रणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा ।

2–2.30 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ।

3–विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए वित्तीय वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, उन पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुमति से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना अभी माननीय अध्यक्ष ने इस आदरणीय सदन को दी है, से यह सदन सहमत है ।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री किरनपाल सिंह, श्री प्रीतम सिंह, श्री राम विशुन आजाद, श्री बच्चा पाठक, श्री रामस्वरूप सिंह आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और कुछ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-8-95 को नियम 56 केअन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर विशेष परिस्थितियों में 12 सूचनाओं को चयनित किया गया है। (व्यवधान)

(वेल में खड़े सदस्य वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष–

सचिव ने सूचना को पटल पर रखा है।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप संशोधन पर तो सुनें।

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय, सदस्यगण से अनुरोध है कि वह मेरी बात को शान्ति से सुन लें। कार्य-मंत्रणा समिति कल हुई थी, उसमें उसको रखा गया था। उसने इस पर विचार किया है। आज सचिव ने इसे पटल पर रखा है। कार्य मंत्रणा समिति जिस दिन के लिये तय करेगी उस दिन आप लोग जो भी संशोधन देना चाहेंगे दे सकेंगे और उसे रखा जायगा।

* श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, पिछली सरकार ने किसानों की सिंचाई की दरों को अनापशनाप बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ दी। किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही बड़ी जर्जर है। किसानों के खेतों में पानी भी नहीं मिलता है और जितना मिलता है उसकी दरे बढ़ा दी हैं। बढ़ी हुई सिंचाई की दरोंका आज भी हम पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं। विधान परिषद् में जो कुछ भी निर्णय हुआ वह गत सरकार के द्वारा प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव है। हमारा कहना यह है कि चूंकि सदन की आज के बाद उठ जायगा। मेरी पांग यह है कि मेरे दल की मांग यह है कि सरकार आज ही घोषणा कर दे कि पिछली सरकार ने जो सेंचाई की दरें बढ़ाई थीं वह वापस ली जाती है तकनीकी प्रक्रिया जो होगी सो होगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई बात इसमें परेशानी और कठिनाई की नहीं है। आपने कार्यमंत्रणा समिति का जिक्र किया। मैं स्वीकार करता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति के अनुसार सदस्य को सूचना देनी है पर अपनी इस कार्यवाही को पढ़ ले इस कार्यवाही में लिखा है (व्यवधान)

मान्यवर, इसमें है कि 21 जुलाई, 1995 की बैठक में स्वीकृत हुआ जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए दिनांक 17 अगस्त, 1995 को सचिवालय को प्राप्त हुआ। विधान परिषद् ने हमारी सहमति के लिये इसे भेजा है और आज सदन का आखिरी दिन है आप हमारी सहमति प्राप्त नहीं कर रहे हैं हम संशोधन दे रहे हैं और संशोधन ले नहीं रहे हैं यह हो क्या रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, यह सहमति के लिए विधान परिषद् से यहां आया है उसको सचिव ने सदन पटल पर रख दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सूचना नहीं है सहमति है । सूचना और सहमति में अन्तर है । सहमत में हम सहमत हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री राम स्वरूप सिंह सदन के पटल पर आ गये और श्री जगदम्बिका पाल के प्रयास से वापस चले गये)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह किसान विरोधी सरकार है ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रभद्र सिंह–

मान्यवर, मेरी विशेषाधिकार की सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

उसका परीक्षण हो रहा है ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 की धारा 75 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 6 फरवरी, की बैठक में यह नियमावली जिसकी चर्चा हमारे विद्वान साथी कर रहे हैं और जिसे सचिव विधान सभा ने अभी टेबिल किया है वह विधान परिषद् से रद्द करने का प्रस्ताव यहां आया है । यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिंचाई परिव्यय (राजकीय नहर प्रणाली) 1994 इसे रद्द करने का प्रस्ताव आया है इसके पहले जो नियमावली प्रवृत्त थी वह 1983 से प्रवृत्त थी । श्रीमन्, जितने भी माननीय सदस्यों ने जिन्हें आपने अनुमति दी, विचार व्यक्त किए । किसानों को कठिनाइयां हैं । पूर्व सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने सिंचाई की दरों को गलत तरीके से बढ़ाया और पूरी सिंचाई उसकी व्यवस्था में काफी कुप्रबन्धन जैसी स्थिति पैदा कर दी थी । उस सदन में यह गया और निरस्तीकरण का प्रस्ताव आया । सरकार इस पूरी नियमावली के बारे में श्रीमन् बहुत गहनता से विचार कर रही है । सरकार इससे सहमत है कि नियमावली की दरें जिस ढंग से बढ़ाई गयी है उन्हें विवेकपूर्ण किया जाय कि यह दरों को बढ़ाये जाने का पूरा प्रकरण अविवेकपूर्ण तरीके से लिया गया था उस सरकार के मुख्य मंत्री कहा करते थे कि धरती पुत्र है किसानों की बात किया करते थे जिस ढंग से उन्होंने सिंचाई की दरों का किया प्रबन्धन वह बिलकुल अविवेकपूर्ण है । सरकार इस बारे में पूरी गहनता से समीक्षा कर रहीं है । एक कठिनाई है तत्काल घोषणा की ।

माननीय विधान परिषद् ने इसको रद्द करने का प्रस्ताव कर दिया है तो वह अगर निरस्त होती है तो प्रवर्तन में 1983 की जो नियमावली है उसके पहले की नियमावली पहले निरस्त हो गयी थी। तो इसे निरस्त कर देने से कोई नियमावली प्रवर्तन में नहीं रह जायेगी। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने, किरनपाल सिंह जी ने और सारे सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हम सारे लोग किसानों के हितैषी हैं हम किसानों के विरोध में नहीं हैं हम नहीं कहते हैं कि आप किसानों के विरोधी है सारे सदन में बैठे लोग किसानों के हितैषी हैं।

(व्यवधान)

एक पंक्ति और सुन लें। इस नियमावली में संशोधन करने की बात है नियमावली में संशोधन करके यहां लाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है सरकार को इस सदन के बाहर भी नियमावली में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। आदरणीय सदन के उठने के बाद गहन विचार-विमर्श करने के बाद सरकार संशोधन करेगी।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, एक-एक मिनट सुन लें समाधान हो जायगा।

श्री किरनपाल सिंह–

मानयवर, यह प्रश्न प्रदेश के लाखों किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं उमम्मीद करता था कि सरकार की ओर से माननीय दीक्षित जी तकनीकी [illegible] लेकर इस महत्वपूर्ण प्रश्न को नहीं टालेंगे। माननीय दीक्षित जी ने कहा कि नियमावली निरस्त हो जायेगी तो क्या पुरानी लागू रहेगी ? मान्यवर, यह तो स्वाभाविक है कि वह निरस्त हो जायेंगी तो पुराने दाम लागू रह जायेंगे और वही हम चाहते हैं वहां परिषद में यह नियमावली गयी वह निरस्त होकर वापस आई विधान सभा की सहमति के लिए वापस आई। अपर हाऊस ने इसे समझा सर्वसम्मति से संशोधन भेजा। यह किसानों पर छोटे किसानों पर 15 गुना बढ़ाया गया है। तो इसमें बहुत छोटी सी बात है। सरकार का मत क्या है यह सरकार बता दे नहीं तो मत विभाजन इसमें करा लिया जाय ? मान्यवर, किसानों को राहत दिलायी जानी चाहिए थी और हम आपसे भी यही उम्मीद करते थे ? मान्यवर, जो इन्होंने यह कहा कि इस नियमावली के निरस्तीकरण के बाद क्या होगा तो पुरानी नियमावली तो लागू रहेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर किसी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आप लोग कृपया बैठ जायें। नियम-56 में प्राप्त सभी सूचनाओं को मैं निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

(श्री राम स्वरूप सिंह सदन के फ्लोर पर आये व प्रमोद तिवारी उन्हें वापस ले गये)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

मा० संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमेद और पर्णकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995, पर विचार किया जाय । मान्यवर, केबिल टी० वी० नेटवर्क के माध्यम से स्टार टी० वी०, जी० टी० वी० और अन्य द्वारा फिल्मों और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रदर्शन के कारण सिनेमा पर आज प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था इस कारण राज्य को मनोरंजन कर के माध्यम से राजस्व की हानि हो रही थी । राज्य के राजस्व के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन, अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने और उत्तर प्रदेश आमोद और पर्णकर अधिनियम, 1979 की धारा 10, 12, 15 और 21 के अधीन जिला मजिस्ट्रेटों या मनोरंजन कर आयुक्तों के आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील करने के लिए दूर के स्थानों से आने वाले सिनेमाओं के मालिकों की असुविधा को दूर करने की दृष्टि से यह विनिश्चिय किया गया कि उक्त अधिनियम में निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया जाय :

(क) केबिल सेवा ऐसी दर से जो प्रति अभिदाता प्रतिमास दो सौ रुपये से अधिक न हो, और यदि अभिदाता होटल हो तो ऐसी दर पर जो होटल में, लगे हुए प्रत्येक सेट के लिए दो हजार रुपये प्रतिमास से अधिक न हो मनोरंजन कर आरोपित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करना,

(ख) किसी वयस्क फिल्म के मामले में, एक सौ पचास प्रतिशत के बजाय एक सौ पच्चहत्तर प्रतिशत से अनधिक की दर पर मनोरंजन कर उदग्रहण के लिए राज्य सरकार को सशक्त करना, और,

(ग) जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध मण्डल के आयुक्त द्वारा और मनोरंजन कर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अपीलों की सुनवाई करना । यह संशोधन हैं ।

(व्यवधान के मध्य)

(कांग्रेस पार्टी व जनता दल के सदस्य सदन का बहिष्कार करके चले गये)

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–10 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश आमोद और पर्णकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(कक) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य, जब अपील आयुक्त के किसी आदेश के विरुद्ध की जाय, राज्य सरकार से और जब अपील जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध की जाय, मण्डल आयुक्त से है;";

(ख) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् :–

"(ङङ) 'केबिल सेवा' का तात्पर्य, प्रसारित टेलीवीजन संकेतों के केबिल द्वारा पुनः प्रसारण को सम्मिलित करते हुए, कार्यक्रमों का केबिल द्वारा प्रसारण से है;

(ङङङ) 'केबिल टेलीवीजन नेटवर्क' का तात्पर्य किसी ऐसी प्रणाली से है जिसमें संवृत प्रसारण पथ और सहयुक्त संकेत सृजन, नियंत्रण और वितरण उपस्कर के सेट हों, जो बहुत से ग्राहकों द्वारा केबिल सेवा प्राप्त करने की व्यवस्था के लिए बने हों;";

(ग) खण्ड (ठठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(ठठठ) 'कार्यक्रम' का तात्पर्य किसी टेलीवीजन प्रसारण से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(एक) वीडियो कैसेट रिकार्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर के माध्यम से फिल्मों, रूपकों, नाटकों, विज्ञापनों और धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(दो) कोई श्रव्य या दृश्य-या श्रव्य-दृश्य जीवन्त अभिनय या प्रस्तुति;";

(घ) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखत खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"(णण) 'ग्राहक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो केबिल टेलीवीजन नेटवर्क के स्वामी को अपने द्वारा इंगित स्थान पर केबिल टेलीवीजन नेटवर्क के संकेत, आगे किसी अन्य व्यक्ति को प्रसारित किए बिना प्राप्त करता हो;" ।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द और अंक "या धारा 4-ख" के प्रश्चात् शब्द और अंक "या धारा 4-ग" बढ़ा दिए जायेंगे;

(ख) शब्द "आमोद कर का, प्रत्येक ऐसे भुगतान के एक सौ पचास प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से" के स्थान पर शब्द "किसी फिल्म, जिसे चलचित्र अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1952) के अधीन 'ए' प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो, के मामले में, आमोद कर का, प्रत्येक ऐसा भुगतान के एक सौ पचहत्तर प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से और किसी अन्य मामले में एक सौ पचास प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से" रख दिए जायेंगे ।

नई धारा 4-ग का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 4-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

"4-ग–(1) केबिल सेवा की व्यवस्था करने वाला केबिल टेलीवीजन नेटवर्क

केबिल सेवा पर कर

स्वामी दो सौ रुपये प्रति ग्राहक प्रति मास से अनधिक ऐसी दर से जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, आमोद कर का भुगतान करने का दायी होगा :

परन्तु किसी केबिल टेलीवीजन नेटवर्क का स्वामी किसी ग्राहक, यदि वह होटल हो, के सम्बन्ध में आमोद कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन देय कर का भुगतान, संग्रहण और वसूली ऐसी रीति से की जायगी जैसी विहित की जाय ।"

धारा 10 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे ।

धारा 12 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (2) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे ।

धारा 14 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण––केबिल सेवा के मामले में पद 'आमोद-स्थान का तात्पर्य उस स्थान से होगा जहां से केबिल टेलीविजन नेटवर्क संचालित किया जाय ।"

धारा 15 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिए जायेंगे ।

धारा 21 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (4) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "अपील प्राधिकारी" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

10–(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1995

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–10 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995, पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने नियम–56 में एक मामला दिया था और पिछले दो दिनों से मैं लगातार दे भी रहा हूं । यह मामला लोक महत्व का है । उसे आप सुनने जा रहे थे कि सदन में अव्यवस्था होने के कारण आपने नियम–56 की सारी सूचनाओं को निरस्त कर दिया । आज यह सदन उठने जा रहा है और बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है । अतः इस पर आप पुनर्विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उस पर पुनर्विचार करते हुए जो मैंने पहले व्यवस्था दी थी कि नियम–56 की सूचनाएं निरस्त की जाती हैं, इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं कि 2.30 बजे तक 1, 2 जितनी सूचनाएं संभव हो सुन ली जायगी । 2.30 अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जायेगी उसके बाद शेष सूचनाओं को सुन लिया जायगा ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण एक-एक करके व्यवस्था का प्रश्न उठायें । जैसा कि त्यागी जी ने उठाया, मैंने व्यवस्था दी कि ढाई बजे से पहले जितना संभव होगा नियम 56 की सूचनायें सुन ली जायगी । अनुपूरक अनुदान की मांगे पास होने के बाद शेष सूचनायें भी ले ली जायेगी । यदि एक-एक करके मा० सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो व्यवस्था दी जा सकती है, एक साथ सभी माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे तो मुश्किल होगा । माननीय शुक्ल जी बतायें, उनकी क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

* श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, नत्थी 'घ' में साफ-साफ दिया है कि मनोरंजन कर के विषय में आधे घंटे की चर्चा होगी । आश्चर्य है कि कोई चर्चा नहीं हो रही है । पूरे प्रदेश और देश में 20 से 50 प्रतिशत तक मनोरंजन टैक्स है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, मद संख्या 16 जब मैंने लिया उस समय माननीय सदस्यों को विचार रखने के लिये पुकारा गया, तब किसी माननीय सदस्य ने अपने विचार नहीं रखा। हरेन्द्र सिंह मलिक जी आप क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, आप कृपा करके इस सदन की कार्यवाही निकलवाकर देख लें, जब भी बोलता हूं, किसानों की समस्याओं पर बोलता हूं लेकिन पता नहीं क्या हमारा दुर्भाग्य है या हमसे कोई गलती हुई है कि आप हमें सुनते ही नहीं हैं और जो सदन के भाफिया है, उन्हीं को समय दे रहे हैं।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मेरी पूरी बात सुन तो लें। मैंने बार-बार आपका ध्यान आकर्षित किया लेकिन आपने मेरी बात को सुना ही नहीं। कम से कम 100 बार मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्री जी विचार कर लें। इस पर आधे घंटे की चर्चा थी वह आपने कराया नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आप आधे घण्टे की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य आपने मद संख्या 16 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया, सदन अव्यवस्थित था, मैंने मद संख्या 16 पुकारा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विचार के लिये प्रस्ताव रखा लेकिन किसी माननीय सदस्य ने विचार नहीं रखा। अब उसके फैक्ट पर नहीं बोल सकते।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी विचार कर लें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, मैं किसानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं तो मुझे आप समय नहीं देते हैं। मैंने आज नियम 300 और 56 में किसानों की गंभीर समस्याओं के ऊपर नोटिस दी है। एक महीने से मुजफ्फरनगर में आन्दोलन चल रहा है। टिड्डा और गुरूदासपुर रोग किसानों की फसल को बरबाद कर रहे हैं, किसान भुखमरी की कगार पर है।

पहले कौन बोल, इसी में सारा समय सदन का चला जाता है। नियम 300 में भी हमने सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 की सारी सूचनाओं को तो मैं अस्वीकृत कर चुका हूं।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, नियम 300 में हम जो लिखकर देते हैं, उसकी ग्राह्यता पर आप सुन लेते हैं । यही विषय हमने पहले भी उठाया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डा रोग लगने से किसानों में हाहाकार मच गया, उनकी फसल बरबाद हो गई है। हमारे पास लगातार इस संदर्भ में टेलीफोन आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी रोकथाम के लिए कार्यवाही करेंगे । परन्तु अभी तक जिलों में इस प्रकार के कोई निर्देश शासन की तरफ से नहीं गये हैं । आज किसान की 70 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है । अब जो किसान ने अपना पैसा खेती पर लगाया था, वह तो वापस होने से रहा । जब हमने जिले में जिलाधिकारी से पूछा तो उसने कहा कि एरियल सर्वे ही इसका इलाज है । जिलाधिकारियों से ए० पी० सी० को फैक्स मैसेज आये हैं, विधान सभा में भी यह मामला उठाया गया आज किसानों में मातम मन रहा है, इसलिए इस पर शीघ्र कार्यवाही करना जरूरी है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आश्वासन देने में बहुत उदार हैं परन्तु इनके क्रियान्वयन में भी आप कठोर बनिये । यह कोई हंसने की बात नहीं है । यह टिड्डा अरब कन्ट्री का राजस्थान से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है । सफेद टिड्डे से किसान के फसल की बरबादी हो गई है । इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें कि इसकी रोकथाम हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जाय और किसानों को मुआवजा व राहत दी जाय ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, माननीय किरनपाल सिंह जी से हम यह तो कहेंगे नहीं कि वह लिखकर दे दें जो कुछ भी उन्होंने इस नये टिड्डे के बारे में कहा है...

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

यह एक सफेद टिड्डा है और पुराना कीड़ा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस पर तो हम जांच नहीं कर रहे हैं कि कीड़ा नुकसान क्यों कर रहा है परन्तु माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको मानते हुए कि समस्या गंभीर है, सरकार कड़े से कड़े निर्देश दे देगी कि फ़सलों को कोई नुकसान न हो ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

कोई भ्रष्टाचार की शिकायत तो है नहीं ? माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लें और पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, राहत तो जिले स्तर पर जिलाधिकारी के पास होती ही है ।

वन एवं लघु उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

हम हाथी भिजवा देंगे । उन्हें राहत मिल जायगी ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन, वित्तीय वर्ष 1995-96 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 1995-96 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण की प्रतियां बांटी जायं।

(प्रतियां बांटी गयी)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्तावों का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की जो सूचनायें शेष हैं इसके पास होने के बाद लेंगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विभागवार...

श्री अध्यक्ष–

पहले अनुपूरक कार्य सूची की प्रतियां बांट दी जाए।

(प्रतियां बांटी गयी)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इस पर विचार रखें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें प्रतिवर्ष अपनी आवश्यकतानुसार विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करती हूं इस अनुदान के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृतियां प्राप्त करती है जिसके संबंध में बजट में प्राविधान नहीं होता है। श्रीमन्, राज्य की आकस्मिकता निधि से आहरित जो पहले से ज्यादा खर्च हो चुका है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए यह आवश्यक होता है। वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली तमाम योजनायें जिनके लिए मूल बजट में किसी कारणवश व्यवस्था नहीं हो पाती उसके लिए अनुपूरक अनुदानों का प्राविधान है।

और ऐसी भी मांगे जिनमें बजट में व्यवस्था है लेकिन संभव है कि कोई कठिनाई आये और कभी-कभी ऐसा होता है कि केन्द्र सरकार से ऐसा अनुदान मिलता है, राज्य सरकार को, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन को भी अपना अंशदान देना पड़ता है । वह उस समय प्राप्त होते हैं जिस समय हमें बजट में आवश्यक अंशदान की अपेक्षा होती है और व्यवस्था नहीं कर पाते हैं । तो इस काम के लिए तमाम जो अनुदान स्वीकृत हैं आगे वह बढ़ा सकते हैं । इसकी संभावनाओं को देखते हुए अनुपूरक अनुदान यहां पर रखा जाय । इसकी व्यवस्था भारत के संविधान में है ।

यहां पर श्रीमन्, गत वर्ष की द्वितीय अनुपूरक मांगों के प्रस्तुतीकरण के बाद वर्ष के अन्त तक ऐसी आवश्यकताओं की जो अप्रत्याशित थी पूर्ति हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से अत्यधिक अग्रिम निकाले गये थे । और ऐसी भी स्थिति आई कि केन्द्र सरकार से गत वर्ष के आखिरी दिनों में प्राप्त होने वाली सहायता के उपयोगार्थ भी निधि में धनराशि की कमी पड़ रही थी तो ऐसी कठिनाई के चलते 31-3-95 को एक अध्यादेश जारी करके इस निधि की जो सीमा थी उसे 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये करना पड़ा था और उसका विधेयक यहां पास किया था । उक्त कारपस का जब विधेयक प्रस्तुत कर रहे थे । तो वायदा किया था कि हम हमेशा के लिए 600 करोड़ रुपये को बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपये नहीं कर रहे हैं बल्कि 1-11-95 तक ही यह बढ़ा रहेगा और बाद में उसे घटाकर 600 करोड़ रु० ही रहेगा । अतः यह आवश्यक हो गया है कि 31-3-95 तक जो 772.44 करोड़ रुपये के अग्रिम आहरित किये जा चुके हैं और इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए प्रथम अनुपूरक मांगे केवल 31-3-95 तक आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की जा रही है । और जैसा कि पहले निवेदन कर चुका हूं कि यद्यपि इसकी आवश्यकता तो 772.44 करोड़ रुपये की थी लेकिन अनुपूरक मांगे रुपये 750.73 करोड़ ही ही प्रस्तुत की हैं । इसका विवरण मैं आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, राजस्व व्यय के आयोजनेतर व्यय में 338 करोड़ रुपये और आयोजनार्गत में 199.83 करोड़ रुपये है, जिसका योग रुपये 537.83 करोड़ होती है । इसी प्रकार से पूंजी लेखे का व्यय 156.05 करोड़ रुपये आयोजनेतर और आयोजनागत में 56.85 करोड़ रुपये जिसका योग 212.90 करोड़ रुपये होता है । इस प्रकार से आयोजनेतर में कुल योग 494.05 करोड़ और आयोजनागत में कुल योग 256.68 करोड़ रुपये होता है । इस प्रकार कुल महायोग 750.73 करोड़ रुपये की मांगे हमने यहां प्रस्तुत की हैं । इसको रेखांचित कर दें कि 31-3-95 तक राज्य आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव ही सम्मिलित किये गये हैं अतः इस अनुपूरक मांग में चालू वित्तीय वर्ष में कोई अतिरिक्त व्यय भार निहित नहीं है ।

मान्यवर, चूंकि यह हमारी बाध्यता थी इसलिये यह अनुपूरक मांग का प्रस्ताव आदरणीय सदन के समक्ष हमने रखा है और हमारी प्रार्थना है क इस आदरणीय सदन के विद्वान साथी इसे इसी रूप में पारित करने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य विचार रखना चाहता है ?

(किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी एक-एक मद प्रस्तुत करें।

अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 5,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 5,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 2–आवास विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 10,07,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 10,07,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 78,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 78,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 19,78,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 19,78,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 16,62,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 16,62,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 3,46,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 3,46,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 14,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 14,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 12,86,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 12,86,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 21,78,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 21,78,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 32,19,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 32,19,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं अ क अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 16,59,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 16,59,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 3,84,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 3,84,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 4,52,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 4,52,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 2,60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 2,60,00,00 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 7,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 7,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 3,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 40,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 40,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 60,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 60,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 22–खेल विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 2,15,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 2,15,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 3,87,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 3,87,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 4,81,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 4,81,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित) -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 5,22,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 5,22,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 17,87,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 17,87,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 3,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 3,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 8,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 8,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 11.08.21.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 11.08.21.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 22.42.11.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 22.42.11.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 30.00.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 30.00.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 4.30.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 18,76,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 18,76,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 59,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 59,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,03,83,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 1,03,83,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,68,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,68,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 46,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 46,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 36,84,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 36,84,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 9,56,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 9,56,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 55,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 55,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,52,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,52,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 26,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 26.29.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 2.00.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 2.00.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 49–महिला एवं समाज कल्याण विभाग

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्रीमती सुशीला सरोज)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1.23.56.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1.23.56.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

* राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 11.50.38.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 11.50.38.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)

*राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 22,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 22,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 18,00,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 18,00,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 4,01,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 4,01,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 3,43,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 3,43,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन् , मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) के अन्तर्गत 46,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यालय भवन) के अन्तर्गत 46,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन् , मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 55,79,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 55,79,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 84,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 84,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60–वन विभाग

वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 7,16,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 7,16,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 19,15,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 19,15,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

राज्य मंत्री दुग्ध विकास (श्री भागवत पाल)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 5,90,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 5,90,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,58,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,58,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

* श्रम राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 61,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 61,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन)

* श्रम राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 16,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 16,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,84,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 8,84,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला सरोज)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 35,67,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 35,67,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला सरोज)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 75,53,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 75.53.75.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला सरोज)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 19.01.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 19.01.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 4.54.74.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 4.54.74.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला सरोज)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 28.22.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 28.22.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 6.00.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 6.00.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 26.09.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 26.09.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 89.82.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 89.82.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 7.74.20.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 7,74,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग

राज्य मंत्री दुग्ध विकास (श्री भागवत पाल)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 24,07,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 24,07,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांटी जायं ।

(प्रतियां बांटी गयी)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

माननीय सदस्य अगर कुछ कहना चाहें तो कहें, मैं उसका जवाब दे दूंगा ।

(किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995

31 मार्च, 1996 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) अधिनियम, 1995 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1995-96 के लिये 7,50,72,47,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1996 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 7,50,72,47,000 रुपये (सात अरब पचास करोड़ बहत्तर लाख सैंतालीस हजार) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-सं०	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग	राजस्व	5.30	...	5.30
		पूंजी	...	...	...
2	आवास विभाग	राजस्व	76.91	...	76.91
		पूंजी	9.30.66	...	9.30.66
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	50.00	...	50.00

1	2		3		
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	78.91	...	78.91
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	19,78,34	...	19,78,34
		पूंजी	...	1,64	1,64
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	7,50,90	...	7,50,90
		पूंजी	9,12,00	..	9,12,00
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	2,23,14	..	2,23,14
		पूंजी	1,23,50	2,19,86	3,43,36
8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	14,60	..	14,60
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	70	..	70
		पूंजी	..	..	..
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	12,86,41	..	12,86,41
		पूजी	..	..	..
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय	राजस्व	20,47,72	..	20,47,72
	(विकास)	पूंजी	1,30,80	..	1,30,80
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य	राजस्व	31,09,26	..	31,09,26
	विकास)	पूंजी	1,10,40	..	1,10,40
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	16,59,97	*24*	16,60,21
	(पंचायती राज)	पूंजी	..	...	..
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1,61,31	28	1,61,59
	(पशुधन)	पूंजी	2,23,09	..	2,23,09
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	2,00,00	..	2,00,00
	(दुग्धशाला विकास)	पूंजी	2,52,95	..	2,52,95
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	2,60,00	..	2,60,00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	7,55	*4,71,57*	4,70,12
	(सहकारिता)	पूंजी	..	*40,05,64*	40,05,64
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य	राजस्व	3,74	..	3,74
	व्यय)	पूंजी	..	..	..

1	2		3		
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	40.50	..	40.50
		पूंजी	..	..	..
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	60.58	..	60.58
		पूंजी	..	..	..
22	खेल विभाग	राजस्व	6.42	..	6.42
		पूंजी	2.08.67	..	2.08.67
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	3.87.74	..	3.87.74
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	4.81.95	..	4.81.95
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	4.72.26	..	4.72.26
		पूंजी	50.00	..	50.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	7.73.68	21.56	7.95.24
		पूंजी	10.14.06	..	10.14.06
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	3.77	..	3.77
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	8.02	..	8.02
		पूंजी	..	..	..
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	18.10	18.10
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5.00	..	5.00
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	9.66.46	..	9.66.46
		पूंजी	1.41.75	..	1.41.75
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	11.09.11	..	11.09.11
		पूंजी	11.33.00	..	11.33.00
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	30.00	..	30.00
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	4.30	..	4.30
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	18,76,20	..	18,76,20
		पूंजी	..	..	..
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	59,10	..	59,10
		पूंजी	..	..	..
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	1,03,77,30	..	1,03,77,30
		पूंजी	6,00	..	6,00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	65	..	65
		पूंजी	1,67,65	..	1,67,65
39	भाषा विभाग	राजस्व	46,79	..	46,79
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	14,00	..	14,00
		पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	36,84,00	..	36,84,00
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	8,54	*8,00*	16,54
		पूंजी	9,48,35	..	9,48,35
43	परिवहन विभाग	राजस्व	20,59	..	20,59
		पूंजी	35,08	..	35,08
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	39,50	..	39,50
		पूंजी	3,12,87	..	3,12,87
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	9,77	..	9,77
		पूंजी	16,52	..	16,52
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	2,00	..	2,00
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	1,23,56	..	1,23,56
		पूंजी	..	..	..
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	11,24,31	..	11,24,31
		पूंजी	26,07	..	26,07
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	22,00,00	..	22,00,00
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	18.00.04	..	18.00.04
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	68.37	69.20	1.37.57
		पूंजी	3.33.26	..	3.33.26
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	1.18..00	20.90	1.38.90
		पूंजी	2.25.33	..	2.25.33
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	46.11	..	46.11
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	36.00	..	36.00
		पूंजी	55.43.18	..	55.43.18
59	लोक निर्माण विभाग ((राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	44.54	..	44.54
		पूंजी	40.29	..	40.29
60	वन विभाग	राजस्व	5.54.36	..	5.54.36
		पूंजी	1.61.65	..	1.61.65
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	4.20	6.74	10.94
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	3.00	..	3.00
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	19.15.79	..	19.15.79
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	2.93.46	..	2.93.46
		पूंजी	2.97.40	..	2.97.40
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	1.07.41	..	1.07.41
		पूंजी	1.51.36	..	1.51.36
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	61.75	..	61.75
		पूंजी	..	..	..
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	1.92	..	1.92
		पूंजी	14.15	..	14.15
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	8.84.50	..	8.84.50
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	35.67.67		35.67.67
	(समाज कल्याण)	पूंजी	..	..	..
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित	राजस्व	59.89.83	..	59.89.83
	जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	पूंजी	15.63.92	..	15.63.92
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति	राजस्व	19.01	..	19.01
	कल्याण)	पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	4.13.19	..	4.13.19
		पूंजी	41.55	..	41.55
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	28.22	..	28.22
		पूंजी	..	..	..
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व	6.00	5	6.05
		पूंजी	..	..	..
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं	राजस्व	22	..	22
	पंजीकरण)	पूंजी	25.87	..	25.87
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	89.82	..	89.82
		पूंजी	..	..	..
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	2.00.00	50	2.00.50
		पूंजी	5.74.20	..	5.74.20
80	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	20.21.88	77	20.22.65
		पूंजी	3.85.69	..	3.85.69
	योग ..	राजस्व	5.31.64.58	6.17.91	5.37.82.49
		पूंजी	1.70.62.84	42.27.14	2.12.89.98
	कुल योग	...	7.02.27.42	48.45.05	7.50.72.47

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1995-96 का अनुपूरक) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद ललितपुर में श्रीमती सुषमा सिंह की हत्या करके जलाने का प्रयास किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण, शांतिपूर्वक बैठें, मैंने 56 की सूचनायें सुनने के लिये कहा था, मैं उसे सुन लूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी नियम 311 की एक सूचना है, उसे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, विशेष उल्लेख के तहत इसको भी सुन लिया जायगा ।

पंचायती कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी से अनुरोध है कि कहां आज वह काम रोको प्रस्ताव के चक्कर में पड़े हैं । आज तो उन्हें धन्यवाद पर बोलना चाहिए । वह धन्यवाद पर अच्छा बोल लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचनायें हैं, उन पर वह दो-दो मिनट में अपनी बात को समाप्त अवश्य कर दें । माननीय जगदम्बिका पाल जी विशेष उल्लेख के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, इसलिये वह अपनी बात पहले कह लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने विशेष उल्लेख के माध्यम से बात कहने का अवसर प्रदान किया । आज पूरे प्रदेश व देश के लिये यह चिन्ता का विषय है कि जिस धरती पर यह संस्कृति थी कि "यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता ।" जहां पर देवियों की पूजा हुआ करती थी आज जिस तरह से घटनायें हो रही हैं, वह किस मानसिकता की सोच है, पिछले दिनों दिल्ली में एक घटना हुई और उसके बाद 8 जून की रात को उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में सागर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुषमा सिंह जी, जो एक समर्पित कार्यकर्ती थी, को उसके पति श्री महेन्द्र सिंह ने अपनी प्रेमिका एवं अपने साथियों की मदद से जिस तरह से निर्मम हत्या करके एक ऐसे पौन्ड में डाल दिया, जिसमें घड़ियाल थे, जो उसकी बोटी-बोटी खा गये ।

पुलिस ने लगभग दो माह बाद उस नर-कंकाल को निकाला । आज इस घटना से पूरे झांसी मण्डल में और मध्य प्रदेश में लोगों के मन में जो भावना पैदा हो गयी है, उसके बारे में हमें इस सदन में विचार करना होगा ? क्या आज हम इस विकृत मानसिकता की स्थिति में पहुंच गये हैं । जब कि आज नारी समाज के उत्थान में बराबर की सहयोगी है । परन्तु आज जिस तरह से उसके साथ घटना हो रही है, मैं

समझता हूं कि इससे ज्यादा गम्भीर घटना और कोई हो नहीं सकती है । अगर जब ऐसी घटनाओं की लीपापोती होती है तो हम लोगों पर भी कलंक लगता है । आज उस महिला के बच्चे अनाथ हैं । आज उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय है । आज उसके हत्यारे कैसे गिरफ्तार हों और सरकार उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही कर रही है और आज जिस तरह से पुलिस दो महीने से इसे दबाती रही है और लीपापोती करती रही है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है और कौन सा ऐसा वातावरण तैयार करने जा रही है, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

श्रीमन्, माननीय पाल साहब ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है जिस मामले को उन्होंने उठाया वह घटना अत्यन्त ही घृणित है और इस हत्याकाण्ड का जो पहलू है वह इससे ज्यादा घृणित है कि हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं । इसमें एक सपा के नेता कोई महेन्द्र सिंह और दूसरे कोई आशा सिंह राजपूत है जिनका भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से सम्बन्ध है यह दोनों व्यक्तियों की पहुंच बहुत पावरफुल नेताओं के साथ है हो सकता है यह आरोप गलत हो किसी का सम्बन्धी होना या न होना बहुत बड़ी बात नहीं है जहां तक हत्या की बात उसमें हत्या करने के बाद लाश को घड़ियाल के पास फेंक दिया था यह सबसे बड़ा जघन्य कार्य है तो ऐसे अपराधी बड़े-बड़े साये में पल रहे हैं उन्हें कानून की गिरफ्त में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाये ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैंने भी यह विषय 311 में दिया था चूंकि समय का ध्यान रखते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको बहुत से माननीय सदस्यों को सुनना है तो इस जघन्य हत्या के जो मुल्जिम हैं जैसा कि माननीय सदस्य कह चुके हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए मैं इस बात की पुरजोर मांग करता हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जिस घटना की ओर माननीय तिवारी जी ने, आदरणीय किरनपाल जी ने और आदरणीय पाल साहब ने ध्यान आकर्षित किया है वह काण्ड निश्चित रूप से गम्भीर है और जो विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं वह बहुत ही गम्भीर है उसमें एक अभियुक्त आशा सिंह राजपूत को 14.8 को गिरफ्तार कर लिया गया है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा लाश के परीक्षण के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर की रिपोर्ट पर उसकी हड्डियों और राख को मेडिकोलीगल एक्सपर्ट को भेजा जा चुका है । माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मृतक के परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मृतक की एक लड़की बची है उसकी सुरक्षा व्यवस्था सरकार करा दे क्योंकि वही एक मात्र गवाह है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश चले जायेंगे कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा नियम 56 में दिया हुआ है उसको ले लें क्योंकि हमारे जनपद में पिछले पखवाड़े से बहुत आन्दोलन चल रहा है (व्यवधान) आपकी सूची में है।

श्री अध्यक्ष–

तो एक-एक करके बोल लें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे जाना है हमारे जनपद में जहांगीरपुर में चीनी मिल की स्थापना हुई थी यह 89 से मामला चला है यह मिल सहकारी गन्ना विकास निधि से लगनी थी उसमें 10 करोड़ रुपया लग चुका है कुल लागत इसकी 30 करोड़ है और अब काम बन्द होने से बुलन्दशहर में आन्दोलन चल रहा है जिसके उग्र हो जाने की सम्भावना है। मैं मांग करता हूं कि सरकार उस मिल को चलाने की व्यवस्था करे क्योंकि बुलन्दशहर और अलीगढ़ के किसानों का हित उससे जुड़ा हुआ है इस मिल को या तो सहकारी चीनी कोष से पैसा देकर बनाया जाये या फिर किसी प्राइवेट मिल मालिक को बेचकर चलाया जाए। वहां के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस मिल को पूरा किया जाय इसका आश्वासन मैं चाहता हूं।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं क्षमा प्रार्थी हूं माननीय तिवारी से मैं बात कर रहा था इसलिये इनकी पूरी बात नहीं सुन पाया कृपया एक लाइन में दोहरा दें।

श्री किरनपाल सिंह–

मैं कह रहा था कि हमारे यहां जहांगीरपुर में एक चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में लगनी थी इसका काम शुरू भी हो गया जिसकी कुल लागत 30 करोड़ रुपया है जिसमें से 10 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अब काम बन्द है जिससे किसानों में रोष है और वह भुखमरी की हालत में हो जायेंगे। इसलिये वहां हड़ताल चल रही है। उनकी मांग है कि उस मिल को अविलम्ब पूरा करके चलाया जाए या तो सहकारी गन्ना विकास निधि से व्यवस्था की जाय या फिर किसी भी प्राइवेट मिल मालिक को बेच कर मिल चलाई जाए। वहां के किसानों के हित को ध्यान में रखकर मिल को चलाने की व्यवस्था की जाए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जिस बारे में श्री किरनपाल जी ने कहा है उस बारे में हमारे पास इस समय सूचना नहीं है लेकिन उनके जो विचार हैं उनके संबंध में हमारे अधिकारीगण अथवा मंत्री जी विचार करते समय इस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

यदि माननीय सदस्यों की अनुमति हो तो आज की अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दूं।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, श्री सत्य प्रकाश विकल जी, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री बदन सिंह आदि तमाम माननीय सदस्य जो अपनी-अपनी सूचनाओं पर बल देने के लिये खड़े हैं और समय कम है, सदन का उपवेशन आज अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो रहा है इसलिये तमाम माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो मेरा मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप भी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद वक्तव्य के लिये कहेंगे लेकिन वह नहीं आ पायेगा और चर्चा आगे हो नहीं सकती है, इसलिये आज तो शासन का ध्यान आकृष्ट करना ही सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है । इसलिये आप उचित समझें तो जिन-जिन माननीय सदस्यों ने आपको सूचनाएं दी हैं उनमें अधिक से अधिक सूचनाओं में जो आदेश आप दे देंगे वह हमको शिरोधार्य होगा ।

(व्यवधान–कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, चीनी मिल के बारे में तो आपने श्री किरनपाल सिंह को सुन लिया तो हमें भी आप सुन लें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनाये रखे और व्यवधान न पैदा करें । श्री प्रमोद तिवारी जी आप कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी की बात से मैं सहमत हूं और सभी सूचनाओं पर जो निर्देश देंगे वह हमें मान्य होगा ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा है वही बात फिर कह रहा हूं कि आज की सूचनाओं पर शासन का ध्यान ही आकृष्ट करना उपयोगी होगा इसके अलावा यदि माननीय सदस्य बोलेंगे तो भी शासन का ध्यान ही आकृष्ट कर सकते हैं । (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं ।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम विशुन आजाद की गाजियाबाद स्थित अपट्रान कलर टी० वी० पिक्चर ट्यूब फैक्टरी की बिक्री किये जाने के संबंध में है ।

इस सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं और व्यवधान न पैदा करें। दूसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल जी की है, प्रदेश के बुनकरों की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज आपने प्रातः समाचार पत्रों में देखा होगा कि पूरे प्रदेश के बुनकर इस विधान सभा के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग कोई राजनीतिक मांग नहीं है। वे पूरे प्रदेश के बुनकर विधायक या सांसद बनने के लिये अथवा अपने संगठन को मजबूत करने के लिये लखनऊ की सरजमीं पर नहीं पधारे हैं। वह प्रदेश के मुक्तलिफ जनपदों से आये हुए हैं और उनके पेट में भूख की ज्वाला धधक रही है। कल मंत्री जी ने कहा कि बुनकर प्रदेश के बहुत खुशहाल हैं। लेकिन उनके रामराज्य में जिस तरह से बुनकर पीड़ित हैं, जिस तरह की उनकी कठिनाई है यह गम्भीरता से देखने की बात है। वह आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं तथा मजबूरी में ठेला और रिक्शा चलाने के लिये मजबूर हैं या फिर कलकत्ता और बम्बई की सड़कों पर बोरा ढोने के लिये विवश हैं। वह इस लिये कि जो उनको सस्ते मूल्य पर सूत सुलभ कराया जाता था, सस्ता सूत उन्हें उपलब्ध कराने के लिये हमारी सरकार ने प्रदेश में 24 स्पिनिंग मिल लगाई थी, आज उनमें से कई मिलें बन्द हैं। जो चल भी रही हैं वह जाब वर्क कर चल रही है।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री किरन पाल सिंह पीठासीन हुए)

इससे सूत महंगा हो गया है। मगहर की मिल बन्द पड़ी है और उससे 1700 मजदूरों को काफी समय से वेतन नहीं मिला है। आज वहां से मजदूर लगातर लखनऊ में धरना दे रहे हैं। मैंने उनको प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से भी मिलवाया था और उन्होंने कहा था कि हम सभी को चलाने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। उनका भविष्य अन्धकार मय है। इससे कोई पहत्वपूर्ण विषय नहीं है। इस सरकार को आप निर्देशित करें। इसे सरकार को ध्यान आकर्षणार्थ प्रेषित करें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, कल यह प्रश्न आया था और मंत्री जी ने कहा था कि बुनकरों के हितों के बारे में सरकार सजग है और यह भी मंत्री जी ने कहा कि सौ रुपया प्रति बण्डल उसका दाम भी कम कर दिया गया है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है दो प्रश्न इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछले 2 वर्षों में 200 प्रतिशत दाम सूत का बढ़ गया है। यद्यपि यह आपका कसूर नहीं है लेकिन इस सरकार की भी एक जिम्मेदारी होती है। 100 रुपया कम करने से काम नहीं चलेगा। वह उनका सूत और सस्ता हो, कुछ कम दाम पर उन्हें दिया जाए। साथ ही जो सरकार ने सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में सूत की मिलें लगा रखी थी उनमें से बहुत सी मिलें आज अव्यवस्था और गलत मैनेजमेंट के कारण बन्द हो गयी हैं। मंत्री जी की अकबरपुर की खुद कताई मिल बन्द है। और बहुत सी अन्य मिलें बन्द हैं। उनके बन्द हो जाने से उन्हें बाहर से सूत मंगवाना पड़ता है। इसलिये सूत महंगा पड़ता है और वह महंगा हो गया है। उनको कुछ सूत मिल भी रहा है तो उनके द्वारा उत्पादित माल के विक्रय की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। हथकरघा निगम और हैण्डलूम कारपोरेशन जो हैं उनके कपड़े वहां डम्प पड़े हैं। उसकी बिक्री उनसे नहीं हो पाती है और जो उसकी बिक्री हो भी जाती है तो उसका रुपया उनको नहीं मिल पाता है। सरकार का उनके ऊपर कर्जा भी अलग से है, जिसकी वसूली सख्ती से होती है जिससे कि वह भुखमरी

के कगार पर पहुंच गये हैं । इसलिये मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को नियम 56 में स्वीकार करते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

कताई मिल के मजदूरों की स्थिति आज भयंकर हो गयी है । उनको सूत नहीं मिलता है, वह भयंकर बेकारी के शिकार हैं । धागे के लिये जो मिल बनायी गयी हैं उन पर करोड़ों रुपया मजदूरों का बकाया है । नगीना में भी एक मिल है जिस पर करोड़ों रुपया मजदूरों की नौकरी का है । बार-बार सरकार आश्वासन देती है कि रुपया दे देंगे लेकिन 6 महीने से उनको वेतन नहीं मिल पाया है जिससे उनकी स्थिति भयंकर हो गयी है । इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा । मजदूरों के कर्ज माफी की बात कही गयी थी वह भी सरकार के झमेले में फंस गयी है । यह सरकार दलितों की सरकार होने का दावा करती है लेकिन सारे काम दलितों के विरोध में हो रहे हैं । मैं नियम–56 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

*राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । प्रदेश के अन्दर बुनकरों की स्थिति खराब होती जा रही है और वह गरीबी की रेखा से नीचे होते जा रहे हैं । सूत की कमी के कारण उनके कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है और महंगाई के कारण उनका जीवन स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है । सहकारिता में जो मिलें हैं वह उनको सस्ते दाम पर सूत उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं जिससे उनकी स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है । आपके इस प्रश्न के माध्यम से अनुरोध है कि सरकार इस पर ध्यान दे कि उनके जीवन यापन और उनकी समस्याओं के निदान करने के लिये कोई रास्ता अपनाये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, बुनकर मेहनतकश श्रमिक हैं । हमारी सरकार श्रमिकों के लिये और खासतौर से बुनकरों के लिये, उनके सम्वर्धन के लिये पहले से कृत संकल्प है । मैं आभारी हूं कि हमारे तमाम विधायकों ने बुनकरों की समस्याओं के बारे में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से यहां चर्चा की है और जो विचार माननीय सदस्यों ने यहां व्यक्त किये हैं बुनकरों की समस्याओं के बारे में, उन विचारों का सरकार पूरा-पूरा फायदा उठायेगी । बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिये सरकार जो भी निर्णय लेगी वह ठोस लेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह कोई बजट भाषण नहीं है । बुनकरों की सेवाओं का पैसा उनको नहीं मिला है, इस संबंध में आप स्पष्ट घोषणा कर सकते हैं । सरकार उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल कांग्रेस के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री ऊदल, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक और श्री राम स्वरूप सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना को सुनने के बाद मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस सदन के सामने लाना चाहता हूं। यह एक ऐसा विषय है जिससे उजागर होगा कि कैसे भरतपुर जिले के कलेक्टर ने पांच वर्षीय बालक को अपनी कार से कुचल कर मार डाल और मृतक के परिवार को बहकाकर थाने में अपने विरुद्ध थाने में रिपोर्ट नहीं लिखने दी। दूसरे व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट लिखवाई। 13-8-95 को आगरा के फतेहपुर सीकरी थाने के अन्तर्गत स्थित खेड़ाघाट के पास होकर जिलाधिकारी भरतपुर की कार बड़ी तेज रफ्तार से गुजर रही थी। उसने एक भैंस से टकराकर असंतुलित होने पर आगे से आने वाले विजय सिंह नाम के व्यक्ति से टकराई और उसका पांच वर्षीय पुत्र रिंकू घटनास्थल पर ही मर गया। विजय सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गया ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को घेर लिया और रास्ता जाम कर दिया। जिला प्रशासन की सूचना पर एस० पी० देहात, एस० डी० एम० केरावली, ए० डी० एम० ई० ने जिलाधिकारी भरतपुर के प्रभाव व दबाव में आकर, जिला प्रशासन आगरा ने इस मामले को रफा-दफा कर दिया। बच्चे की मृत्यु हो जाने पर भी उन्होंने ग्राम वालों को बहका कर जिलाधिकारी भरतपुर से यह आश्वासन दिया कि घायल विजय सिंह की नौकरी लगवा देंगे उसको दो लाख रुपया दिलवा देंगे। यह झूठा आश्वासन देकर जिलाधिकारी भरतपुर की तरफ से यह घृणित कार्य किया गया। जिला प्रशासन ने अज्ञात वाहन ट्रक के बारे में रिपोर्ट लिखवा दी है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री बदन सिंह–

जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिनके द्वारा अज्ञात ट्रक के बारे में रिपोर्ट लिखवाई इन सभी लोगों के एस० पी० देहात आगरा, एस० डी० एम० केरावली, ए० डी० एम० ई० के संबंध में, इस पूरे प्रकरण के संबंध में जांच कराई जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री के लिये एक पत्र लिखें उसमें यह बतायें कि हमारे जिले के एक बालक को मारकर एक व्यक्ति चला गया जो नशे में धुत था और कार चला रहा था उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जिस घटना की चर्चा माननीय बदन सिंह जी ने कार्यस्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से की है इस घटना के बारे में एक मुकदमा 238/95 एवं 379/304/26/38/427 आई० पी० सी० में दर्ज है वादी के बच्चे की मृत्यु हो गयी है। एक भैंस इस दुर्घटना में मारी गयी इस घटना की विवेचना जितेन्द्र सिंह द्वारा कराई जा रही है। जो तथ्य उपलब्ध कराये गये हैं उसमें न कोई शिकायत दी गयी है इस घटना में अविलम्बता नहीं बनती है इसको कार्यस्थगन में अस्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, कार्यस्थगन के प्रस्ताव के रूप में जिस घटना का उल्लेख करना चाहता हूं मान्यवर, उसमें पूरे जनपद में विशेषकर वाराणसी कमिश्नरी में मलेरिया का भयंकर प्रकोप चल रहा है। पहले हासन से घोषणा की गयी कि मलेरिया का उन्मूलन हो गया है परन्तु मलेरिया अभी हर स्थान पर व्याप्त है। पहले इस रोग की जानकारी नहीं होती है पहले सामान्य बुखार की दवाई व्यक्ति करता रहता है गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर खून की जांच की व्यवस्था न होने के कारण, कहीं जाकर वह खून की जांच कराता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इस रोग से काफी लोग मौत के मुंह में समा गये हैं। इस स्थिति से निपटने के लिये प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है इस रोग को रोकने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है मच्छरों का भारी प्रकोप हो गया है। डी० डी० टी० और मच्छर मारक दवाओं का छिड़काव शासन द्वारा नहीं करवाया जा रहा है।

(समय 4 बजे)

इसी प्रकार से भदोही और वाराणसी में मलेरिया से पूरे परिवार के लोग प्रभावित हैं। मान्यवर, यह ऐसा रोग है कि अगर घर के किसी एक सदस्य को हो गया तो पूरे परिवार को उसके बाद गांव और ब्लाक तक यह रोग फैल जाता है। इस समय वहां पर मलेरिया का प्रकोप तेजी से चल रही है। मलेरिया की तरह ही पोलियो का प्रकोप भी फैल रहा है। पोलियो के टीकों को रखने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में फ्रीज की व्यवस्था होती है, लेकिन डाक्टर लोग फ्रिज अपने घर में उठा ले जाते हैं जिससे मरीजों को जो पोलियो का टीका लगाया जाता है उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है। इसी कारण असमय में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने मलेरिया की सूचना दी है और आप पोलियो पर बोल रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र

मैंने दोनों की सूचना दी है। आज भी अखबारों में इस बीमारी के बारे में छपा है। डाक्टर लोग जनरेटर और फ्रीज घरों पर उठा ले जाते हैं जिसके कारण तमाम तरह की परेशानी मरीजों को उठानी पड़ रही है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इन रोगों के उन्मूलन के लिये सरकार शीघ्र कदम उठाए। दवाइयों का छिड़काव करे, पोलियो के टीके लगाने की समुचित व्यवस्था करे व रोग के पहचान के लिये समुचित जांच की व्यवस्था हो।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मलेरिया की रोकथाम ठीक से नहीं हो रही है ऐसा माननीय सदस्य ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव में कहा है। सरकार की ओर से इसकी रोकथाम के लिये कार्यवाही की जा रही है। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1995 में अब तक लगभग 30 लाख रक्त पट्टिकाओं की जांच की गयी है। जहां आशंका होती है कि यहां पर बीमारी फैलने की आशंका है वहां पर कुओं में दवाइयां डाली जा रही हैं। और तमाम सुरक्षा के उपाय किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से 110 मीट्रिक टन डेल्टा मैथिलीन और 0.6 मीट्रिक टन मैलाथियान का अनुरोध किया है। पोलियो के बारे में जो बात कही गयी है उसके बारे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में अभी तक ऐसी शिकायत नहीं आयी है । अगर किसी को बुखार हुआ तो यह सुनिश्चित करना कठिन है कि यह मलेरिया रोग है । हां माननीय सदस्य परिश्रमी है वह जनता से जुड़े हुए हैं वह सक्रिय विधायक हैं । कहीं दौरे में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि यह रोग मलेरिया है लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहीं मलेरिया बढ़ रहा हो ऐसा माननीय सदस्य को लगता हो तो मैं चाहूंगा कि वह अलग से मिल लें उनके क्षेत्र में विशेष व्यवस्था कर दी जाएगी । यह विषय नियम 56 में नहीं आता है । यह कार्य स्थगन की शर्तों को पूरा नहीं करता है इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना को अग्राह्य करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपापूर्वक पहले मेरी बात सुनें, उसके बाद मैं आपकी सुनूंगा । माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय दिया है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, आपकी सूचना और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की जो सूचना है, उसका विषय बताये देता हूं । आपका विषय राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें बाजार में उपलब्ध न होने के संबंध में हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सारी सूचनाओं पर जैसा निर्देश आप देंगे, शासन उसी अनुसार कार्यवाही करा देगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सम्भव नहीं है कि सारी सूचनाओं पर मा० सदस्यों को सुना जाय ?

(श्री हरेन्द्र मलिक के खड़े होने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मलिक जी तो अक्सर बोला करते हैं । माननीय विकल जी बी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जैसा आप हुक्म देंगे, सरकार उसे मान लेगी ।

*श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरी बात दो मिनट सुन लें ।

मान्यवर, मैंने जिस विषय पर कार्यस्थगन की सूचना दी है, वह बहुत महत्वपूर्ण है । आज उत्तर प्रदेश में हजारों-लाखों की संख्या में जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं, उनको बाजार में किताबें नहीं मिल पा रही है । जो पाठ्य-पुस्तक विक्रेता हैं, उनकी दुकान पर छापे डाल कर उनको पकड़ा जा रहा है । उन पाठ्य-पुस्तकों में जो कागज लगा है, वह घटिया किस्म का है । जो पाठ्य-पुस्तकें छपी हैं, उनको दुकानदार ने तो छापा नहीं है है और जो सरकार को कागज उपलब्ध कराना चाहिए था, वह उसने उपलब्ध नहीं कराया । आप प्रकाशकों ने जिस कागज पर पुस्तकों को छापकर बाजार में भेज दिया, उसको बेचने से रोका जा रहा है इससे स्कूलों में अध्यापन कार्य ठप्प है, बच्चे परेशान हैं और बच्चों को स्कूलों में अध्यापक डांटते हैं, साथ ही अभिभावकों के साथ में बच्चे बाजार में धक्के खा रहे हैं मैं इस महत्वपूर्ण सूचना को आपके संज्ञान में लाकर इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, वाराणसी चौक थानान्तर्गत.....

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट कृपापूर्वक बैठ जायें। मैं एक बात बता दूं। जो माननीय अध्यक्ष जी सूचनाये सुनने के लिये तय कर गये थे, वह मैं सुन चुका हूं और सरकार को निर्देशित कर चुका हूं। अब जो सूचनायें और हैं, उन पर 2-2 मिनट में, जिन सदस्यों की सूचना है, वह अपनी बात कहें, मैं उन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहूंगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं सबको सुनूंगा।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–16 व 17 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके नियम 17 को देखने की कृपा करें। इसमें दिया है कि निदेश संख्या 15 में वर्णित अधिकतम 10 सूचनाओं के विवरण अध्यक्ष सदन के संज्ञान में ला सकेंगे। 17-क को भी देखने का कष्ट करें, इसमें दिया है कि उन 5 सूचनाओं को ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु सुना जा सकता है, जो निदेश संख्या 16 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा अथवा शलाका के आदार पर चयनित हो। मान्यवर, आप 5 से ज्यादा सुन चुके हैं, बाकी के संबंध में मैं कह चुका हूं, जैसा आप आदेश कर दें, वैसा ही पालन होगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो ध्यान आकृष्ट किया है, उसके संबंध में कहा दूं कि आज सदन का आखिरी दिन है और कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिन पर माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, विशेष परिस्थिति में, मैं माननीय अध्यक्ष जी ने भी उनको क्रम में लगा रखा है, इसलिये मै उन पर 1-1, 2-2 मिनट सुनना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भी धैर्य से बैठ जायें।

(इस समय 4बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह घटना 19 तारीख की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चौक थाने के अन्तर्गत सूड़िया मोहल्ले में दवा की बहुत सी दुकानें हैं, वह दवाओं का होलसेल मार्केट है। वहां एक दुकान के अन्दर दिलीप रस्तोगी नाम का एक युवक रात के समय बैठकर अपना कारोबार कर रहा था, तभी कई अपराधी एक साथ दुकान के अन्दर घुस आये और दिलीप रस्तोगी को गोली मारकर घायल कर दिया, बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। हमारे बनारस के अन्दर अभी पिछले दिनों जब श्री सूर्य कुमार शुक्ल, एस० एस० पी० आये थे, उन्होंने अपने अथक प्रयास से कुछ कड़ाई की थी, उसका परिणाम यह हुआ था कि अपराधियों के हौसले काफी हद तक दब गये थे और आम जनता के अन्दर कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पान्न होने लगा था, लेकिन पता नहीं, क्यों शासन ने आनन-फानन में मात्र 54 दिनों के

अन्दर उनका ट्रांसफर कर दिया, खैर मुझे ट्रांसफर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इस शासन की अपराधमुक्त, भयमुक्त समाज देने की नीति है, इसलिये कहना चाहता हूं कि उक्त ट्रांसफर बिल्कुल गलत है। वहां सरेआम दिलीप रस्तोगी, दवा व्यवसाई की हत्या हो गयी और 31 तारीख को तमाम दवा व्यवसाइयों ने अपना कारोबार बन्द रखकर वहां चौक थाना परिसर में घटना के विरोध में घेराव किया। मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस क्षेत्र में पुलिस पिकेट ड्यूटी लगती है और पिकेट ड्यूटी रहते हुए अपराधी हत्या करके बड़े आराम से टहलते हुए भाग गये और पुलिस आज तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी पूरी बात आ गयी है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना डा० राम बाबू हरित की है।

* डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण मामला लाने जा रहा हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में मेडिसिन विभाग में सहायक आचार्य/सह आचार्य/आचार्य के कुल पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा शासनादेशों के अनुसार पूरा नहीं है और न ही कोटा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1990 में प्रवक्ता (सहायक आचार्य) के आरक्षित पद को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया गया था, इसलिये शासन ने कोटा पूरा करने के लिये शासनादेश संख्या यू० ओ०–92सेक-1/5-230/90. दिनांक 5 सितम्बर, 1990 द्वारा प्रवक्ता का एक पद सृजित किया था। जिस पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के चयन हेतु आदेश सं० 6845/सेक-1/5-230/90. दिनांक 24 नवम्बर, 1994 द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित करने का अनुरोध किया गया था, बाद में अध्याचन निरस्त करा दिया। फिर उसको सामान्य अभ्यर्थी द्वारा भर दिया गया। मान्यवर, इसी तरह से आगरा स्थित दयाल बाग एजूकेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी, दयाल बाग, आगरा में उनकी पत्रिका प्रेम प्रचारक में 19 दिसम्बर, 1994 के अंक में रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापन दिया गया परन्तु जागफ्री में आरक्षित अभ्यर्थी के होते हुए भी दिनांक 2 जुलाई, 1995 के दैनिक जागरण के अंक में उन्होंने उन पदों को बिना किसी आरक्षण के भरने हेतु विज्ञापन दिया गया। तो मान्यवर, एक षडयंत्र के तहत आरक्षित अभ्यर्थी के होते हुए भी सामान्य अभ्यर्थी से भर लिया गया। इस प्रकार संविधान में प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने के लिये सरकार को निर्देश दें और मेरे मामले को ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं प्रदेश में वनस्पति उद्योग पर कर वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में वनस्पति के 14 कारखाने हैं 2 नये हैं जो कर मुक्ति की सुविधा पा रहे हैं। 12 पुराने है। 6000 कर्मचारी इनमें कार्यरत हैं। 5 हजार परिवार प्रत्यक्ष जुड़े हैं। करोड़ों की पूंजी इन उद्योगों में लगी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आपकी बात सुनायी नहीं पड़ रही है, आप माइक पर बोलें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वनस्पति का उपभोग लगभग ढाई लाख टन का होता है जबकि उत्पादन 4 लाख टन है लेकिन मान्यवर, पूर्व सरकार ने दो वनस्पति के कारखानों को लाभ पहुंचाने के लिये बिक्री कर की दर को बढ़ा दिया । सूरज और ओसवाल वनस्पति के कारखाने हैं, जिनको लाभ पहुंचाने के लिये बिक्रीकर की दर 3.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है जबकि कर घटने से राजस्व में वृद्धि हो गयी थी । मान्यवर, जब यहां पर बिक्री कर की दर अधिक होगी तो वनस्पति घी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं बिक सकेगा, इस कारण वनस्पति उद्योगों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है । माननीया मुख्य मंत्री जी जब दिल्ली गयी थी तो उस समय उद्योगपति उनसे मिले थे और अपनी बात रखी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह सरलीकरण करेंगी पूर्व सरकार द्वारा बढ़ाई दरें वापस लेने पर विचार करेंगी । प्रदेश में कुछ ऐसे आफिसर हैं जो पिछली सरकार के निर्णय के साथ जुड़े हैं । वह सरकार के निर्णय को प्रभावित करना चाहते हैं । और अगर बिक्री कर की बढ़ी हुई दरों को वापस न लिया गया, तो 15 हजार परिवार इससे प्रभावित होंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि बढ़ी हुई बिक्री कर की राशि को वापस लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे–

मान्यवर, 25 जुलाई को ग्रामीण युवा पत्रकार श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव अपने एक साथी के साथ लखनऊ आये और वह 28 जुलाई को वापस गये । लालगंज थाना, जिला प्रतापगढ़ के पास उनकी कार दुर्घटना ग्रस्त हो गयी और उनके सिर व आंख में चोट आयी और उनको घायल अवस्था में घर ले जाया गया और उनकी उसी दिन मृत्यु हो गयी । न तो प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और न ही पोस्ट मार्टम कराया गया, यह मान्यवर, रहस्यमय घटना है और साजिश के तहत यह घटना हुई है । इस कारण पत्रकार क्षुब्ध हैं । बार-बार ज्ञापन दिये गये हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ।पुलिस की साजिश से ऐसा कार्य किया गया है । मैं मांग करता हूं कि इसकी शासन द्वारा उच्च स्तरीय जांच करायी जाये और उनकी विधवा को मुख्य मंत्री कोष से एक लाख रुपया दिया जाये और विधवा पेंशन भी दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसे अग्राह्य करता हूं ।

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे जनपद बाराबंकी के रामनगर, रुदौली, फतेहपुर हैदरगढ़, नवाबगंज इन समस्त तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मान्यवर, नहरों में पानी न जाने के कारण 70 फीसदी किसानों की फसलें बोई ही नहीं गयीं और जो बोई गयी हैं उसमें फसलें सूख रही हैं । नहरों में पानी नहीं जा रहा है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यही नहीं सबसे गजब बात यह है कि नहरों की सफाई फसल बोने से पहले खण्ड 28 हैदरगढ़ और लखनऊ खण्ड के 40 इंजीनियरों ने 14 लाख रुपये का फर्जी पेमेन्ट ले लिया। मान्यवर, इस सदन में हम किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिये आये हैं इस बार मैंने बार-बार शासन का ध्यान आकर्षित किया है इस लिये पुरजोर शब्दों में फिर मांग करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री से माननीय सदन में कि किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये नहरों में पानी दिया जाय और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों की गाढ़ी कमाई को हड़प लिया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और इस मामले की सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक –

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में अस्सी सैकड़ा से ज्यादा लोग किसानी करते हैं और खेती पर निर्भर हैं और इस सम्मानित सदन के 80 प्रतिशत से ज्यादा सम्मानित सदस्य किसान हैं या किसान परिवार से हैं। सभी दलों के द्वारा यहां पर किसानों के उत्थान की बात कही जाती है परन्तु आज किसानों की उपेक्षा हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश का किसान अपनी मांगों को लेकर चाहे बिजली हो या पानी हो चाहे सिंचाई आदि के संबंध में हो आन्दोलनरत है। जिला मुजफ्फरनगर के मुख्यालय पर किसानों का आन्दोलन गत एक माह से अधिक समय से चल रहा है और अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि किसानों के पास नहीं गया है और न ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सका है और किसी भी अधिकारी ने जाकर वहां किसानों से बात तक नहीं की है। आज किसानों ने जिला कचेहरी में अस्थाई घर बना लिये हैं और झोपड़ियां डाल ली हैं। किसान और सामान्य प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों में अब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। यह स्थिति एक ही दिन में पैदा नहीं हुई है। मान्यवर, जनता दल के बैनर तले चौधरी चरण सिंह वादियों द्वारा 10 जून को जनपद मुजफ्फरनगर के मुख्यालय पर लगभग 50–60 हजार की संख्या में लोग एकत्रित होकर एक विशाल प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को जो माननीय मुख्य मंत्री जी को और महामहिम श्री राज्यपाल जी को सम्बोधित था, दिया था और अपेक्षा की थी कि सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। परन्तु अब तक सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इससे यह स्थिति पैदा हुई है।

मैं आज भी यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने अभी भी समय रहते कोई समस्या का समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से यह समस्या और भयावह हो जायेगी और किसान जो भुखमरी की कगार पर आ गया है उसका आन्दोलन और उग्र हो जायगा, किसानों का सब्र टूट जायेगा और वह किसी भी समय ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं के प्रति सहृदयता बरतते हुए कोई ठोस कदम उठायेंगे लेकिन मुझे लगता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने बराबर में बैठे हुए माननीय वन मंत्री जी से प्रभावित हैं और यह उनको रीछ दिखाकर उन्हें डारा देते हैं परन्तु आप किसान परिवार से आये हैं और आपने समय-समय पर किसानों की समस्याओं की समाधान करने हेतु इस पीठ से निर्देश दिये हैं। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस सरकार को मुजफ्फरनगर में चल रहे किसानों के आन्दोलन को सुलझाने

हेतु प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देंगे । माननीय किरन पाल सिंह और माननीय राम आसरे वर्मा जी सभी इस मामले में मुजफ्फरनगर जाकर बोले भी हैं । मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप पीठ से निर्देश दें और वैसे भी जनता की सरकार जो जनता के लिये और जनता के द्वारा है उसमें बैठे हुए लोगों का दायित्व बनता है कि वह किसानों की समस्याओं का समाधान करे और माननीय मंत्री जी मीटिंग बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करें ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, आप ही लोगों का हमारे ऊपर अंकुश है मान्यवर, इस मामले में माननीय मलिक जी से वार्ता कर लेंगे और जो विचार उन्होंने रखे हैं उसका सम्मान होगा और कार्यवाई कराई जायगी ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे अग्राह्य करता हूं और आज नियम 56 के अन्तर्गत शेष समस्त सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-8-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना, श्री शिवदानी की इलाहाबाद जिले के चायल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तीनों नगर पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । दूसरी सूचना, श्री आचार्य जगदीश मुनि की लखनऊ विकास प्राधिकरण में मस्टर रोल/दैनिक वेतन सुपरवाइजरों के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना श्री बदन सिंह की आगरा जिले में अमरूद के बागों के सूखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" की भातखण्डे संगीत महाविद्यालय में हो रही अनियमितताओं के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अगली सूचना, श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की बाराबंकी जिले के रामनगर क्षेत्र पंचायत के त्रिलोकपुर के पास अनेक गांव में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

अगली सूचना श्री स्वयंबर चौधरी की जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बनाये गये बन्धों से गांव के करीब पानी रुकने से गांव की तबाही के संबंध में । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, श्री सुन्दर लाल दीक्षित की बाराबंकी जिले की तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के संबंध में । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर जिले में वन विभाग में 10 वर्षों से

कार्यरत लिपिक वर्ग के लोगों को सेवा से पृथक किये जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, श्री तीरथ राज की अवांछनीय तत्वों द्वारा पुलिस प्रशासन से मिलकर रेणुकोट पिपरी जनपद सोनभद्र में दूरदर्शन प्रसारण को अस्त व्यस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, श्री ऊदल की राजाजीपुरम् आवासीय कालोनी, लखनऊ के एफ-ब्लाक स्थित पार्क को विकसित किये जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, श्री रंगनाथ मिश्र की भदोही जिले के औराई विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कन्या डिग्री कालेज, पालीटेक्निक तथा आई० टी० आई० कालेज खोले जाने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की नगरपालिका परिषद् गुलावटी, जिला बुलन्दशहर में सृजित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, डा० राम बाबू हरित की आगरा महानगर के विश्वविद्यालय का नाम महर्षि बाल्मीकि विश्वविद्यालय तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किये जाने के संबंध में है ।

इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, श्री लक्ष्मी चन्द्र की जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुरजा में जी० टी० रोड के सहारे थाना खुरजा देहात पर पुलिस द्वारा व उससे कुछ आगे लोक निर्माण विभाग द्वारा गैर तकनीकी आधार पर कुलावों के पुल निर्माण से पानी बहने से रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अगली सूचना, श्री राम आसरे वर्मा की शासनादेश की अवहेलना कर जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों के कार्यरत रहने के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सूचनाएं नियम 51 की अस्वीकृत की जाती हैं ।

(व्यवधान)

बाराबंकी जिले के निजी नलकूपों तथा उद्योगों को समुचित विद्युत आपूर्ति न होने विषयक श्री सुन्दर लाल दीक्षित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

बाराबंकी जनपद

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[के विभिन्न क्षेत्रों को बाराबंकी स्थित 132 के०वी० 1×20 एम०वी०ए० चन्दौली विद्युत उपकेन्द्र द्वारा आपूर्ति की जाती है । बाराबंकी जनपद में 33 के०वी० के 13 विद्युत उपकेन्द्रों के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है । जनपद के रामनगर, फतेहपुर, रुदौली, नवाबगंज, गोसपुर–सिरौली, हैदरगढ़ में अलग-अलग विद्युत उपकेन्द्र स्थापित हैं, जिनसे संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति होती है । जनपद बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों में जून, 95 में 15.20 घण्टे प्रतिदिन एवं माह जुलाई, 1995 में 14.29 घण्टे प्रतिदिन औसतन विद्युत आपूर्ति की गयी । जनपद बाराबंकी में विद्युत आपूर्ति को सुचारु रूप से करने हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा गत वर्ष एक विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया गया तथा तीन उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की गयी ।]

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, कल भी मैं बाराबंकी गया था जो अधिकारियों ने आपको सूचना दी है कि 15–20 घंटे बाराबंकी में बिजली दी जाती है वह बिल्कुल भ्रामक है, निराधार है और सत्य से परे है । शासन की जो नीति है जो मानक हैं कि इतने घंटे ग्रामीण अंचल को विद्युत दी जायेगी और इतनी शहर क्षेत्र को बिजली दी जायगी तो उस मानक की प्राप्ति करने की दिशा में कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने मूल उत्तर में ही निवेदन कर दिया कि विद्युत आपूर्ति की जा रही है । अगर उनको कोई शिकायतें हैं तो वे वरिष्ठ नेता हैं वहां ऐसा नहीं है कि अधिकारी उनकी बात सुनेंगे नहीं ।

उन्नाव जिले के अजगैन थानान्तर्गत रैनापुर निवासी श्री सुधीर चाटव की हत्या किए जाने विषयक श्री किरनपाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

दिनांक 2-7-95 को .....

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[सुधीर रैदास पुत्र श्री राम किशन उर्फ किशनू निवासी ग्राम रैनापुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव की हत्या हुई । उसके पिता राम किशन उर्फ किशनू की लिखित तहरीर पर दिनांक 3-7-95 को थाना

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अजगैन जनपद उन्नाव में सहजाद उर्फ बउवा पुत्र सलामत फकीर, सकील पुत्र जमील फकीर निवासीगण रैनापुर थाना अजगैन उन्नाव के विरुद्ध मु०अ०सं० 219/95 धारा 304 भा०द०वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों अभियुक्तों को दिनांक 7-7-95 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । विवेचनोपरान्त प्रश्नगत अभियोग दिनांक 3-8-95 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है ।

हत्यारों द्वारा गांव में आतंक फैलाये जाने, फसल को जानवरों तथा बकरियों से जबरदस्ती चरवाये जाने तथा हरिजनों के गांव छोड़ने पर मजबूर होने, पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में गहनता से छानबीन की गई परन्तु इस संबंध में कोई बात प्रकाश में नहीं आई । शासन एवं प्रशासन द्वारा राहत सहायता नहीं दी गई है ।]

श्री अध्यक्ष–

किसी माननीय सदस्य को कुछ पूछना है अब मैं मद संख्या 2 लेता हूं ।

प्रदेश में दस्तावेजों के निबन्धन समय मूल्यांकन पर लगाये गये 2 प्रतिशत हस्तान्तरण कर को संस्थागत वित्त विभाग द्वारा नगर विकास विभाग की स्थानीय नगर क्षेत्र की इकाईयों को नियमित रूप से उपलब्ध न कराये जाने विषयक श्री राम सरन वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

उत्तर प्रदेश आवास एवं .....

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[विकास परिषद् 1965 की धारा 62, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 39, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 191 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 128–क के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के अन्तरण लेखों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार करने का प्राविधान है । नगर निगम अधिनियम की धारा 191 की भांति उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में उक्त धारा 128–क वर्ष 1954 में जोड़ा गया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उल्लेखनीय यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (5) में यह प्राविधान है कि जिन क्षेत्रों में आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम लागू होगा वहां नगरपालिका अधिनियम की धारा 128–ए तथा नगर निगम अधिनियम की धारा 191 लागू नहीं होगा । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 59(1) (क) के द्वारा नगर निगम अधिनियम की धारा 191 को स्थगित कर दिया गया है ।

यह सुस्पष्ट है कि उक्त अधिनियमों का प्राविधान तभी लागू होगा जब सम्बन्धित निकाय/प्राधिकरण/परिषद् नियमावली बना कर उक्त प्राविधानों को लागू करें ।

जिन निकायों/प्राधिकरणों/ परिषदो ने नियमावली बनाकर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में महानिरीक्षक निबन्धन के समक्ष दिनांक 13-9-1993 के पूर्व बिल उक्त धनराशि के बारे में प्रस्तुत किया और बजट उपलब्ध था उन्हें यथासम्भव भुगतान हुआ ।

वर्ष 1993 में आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना जिसके द्वारा स्थानीय निकाय/परिषद/प्राधिकरण को उक्त धनराशि का वितरण किया जाना था, को आवास विकास परिषद अधिनियम की धारा 62(5) एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 59(1)(क) के अनुसार किये जाने तक संस्थागत वित्त विभाग ने शासनादेश संख्या : एस०आर०–835/500(65)91/XI–95 दिनांक 23-3-1995 के द्वारा महानिरीक्षक निबन्धन को यह निर्देश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश के जिन-जिन जनपदों में आवास विकास परिषद अधिनियम/उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत आवास विकास परिषद्/विकास प्राधिकरण कार्यरत नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम/उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका के लिए नियमावली बनाकर नियमानुसार दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया है, वहां के नगर निगम/नगर पालिका के आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–2365/37-2-1993 दिनांक 13-9-1993 के खण्ड–2 के अनुसार आनुषांगिक व्यय काट कर नियमानुसार वसूल किए गए दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

जहां तक नगर पालिका, बीसलपुर, जनपद पीलीभीत का संबंध है, उक्त नगरपालिका की नियमावली इस संबंध में दिनांक 1-2-1982 से लागू है । लेकिन उक्त नगरपालिका ने महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भुगतान के संबंध में रु० 12.55.000.00 का बिल भुगतान हेतु दिनांक 27-12-1993 को प्रस्तुत किया है । उक्त बिल निर्धारित प्रारूप में नहीं है । जब यह बिल निर्धारित प्रारूप में प्राप्त हो जाएगा तब बजट प्राविधान कराकर भुगतान कराने में कोई विधिक दिक्कत नहीं है ।

अन्य निकायों आदि को भी दिक्कत न हो, को दृष्टि में रखकर सभी संबंधित विभागों को सहमति से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें किसी माननीय सदस्य को कुछ पूछना है ?

श्री अध्यक्ष–

अब मद संख्या 28 लेता हूं ।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण की योजनाओं के ठप्प हो जाने विषयक श्री चेतराम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला सरोज)–

महिला एवं बाल विकास.....

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्रीमती सुशीला सरोज–

[विभाग एक पृथक विभाग के रूप में वर्ष 1989 में अस्तित्व में आया था । वर्ष 89 में समाज कल्याण विभाग से महिलाओं एवं बच्चों की कतिपय योजनायें स्थानान्तरित की गयी थी । महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित कुछ योजनाओं का संचालन समाज कल्याण विभाग में ही किया जा रहा था । अतः शासन के आदेश दिनांक 25-10-94 के अनुसार 23 योजनायें तथा शासन के आदेश दिनांक 16-11-94 के द्वारा प्रोबेशन संवर्ग की योजनायें महिला कल्याण एवं बाल कल्याण विकास विभाग को हस्तान्तरित की गयी । यह आरोप निराधार है कि विशेष सचिव के निहित स्वार्थवश प्रदेश की लगभग 2 लाख 80 हजार निराश्रित महिलाओं एवं हजारों अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु संचालित योजनायें ठप्प हो गयी हैं तथा वहां पर कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मार्च, 1995 से वेतन न मिलने के कारण उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है । इन योजनाओं के महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग में आने पर उनके साथ कतिपय अधिकारी/कर्मचारी भी स्थानान्तरित होकर आये थे । इन योजनाओं के कार्य संचालन में व्यवधान न आये इस कारण मुख्यालय पर स्थित अधिकारियों का एक सेल दिनांक 5 दिसम्बर, 1994 के आदेश द्वारा गठित किया गया था । इस सेल के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं योजनाओं के सफल संचालन हेतु विशेष सचिव को 14 दिसम्बर, 1994 के आदेश द्वारा प्रकोष्ठ का प्रभारी घोषित किया गया । चूंकि योजनाओं के संचालन में धनराशि आहरित करने की भी आवश्यक थी

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तथा प्रशासनिक आधार पर कर्मचारियों के क्रिया-कलापों का भी संचालित करना था, अतः दिनांक 14 दिसम्बर, 94 के द्वारा विशेष सचिव को इन योजनाओं का आहरण-वितरण अधिकारी तथा श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किया गया था। यह एक काम चलाऊ व्यवस्था थी तथा केवल प्रशासनिक कारणों से की गयी थी। इस व्यवस्था को लागू करने में विशेष सचिव का कोई निहित स्वार्थ नहीं था। वर्तमान विशेष सचिव ने विभाग में दिनांक 3 दिसम्बर, 1994 को कार्यभार ग्रहण किया है। जहां तक योजनाओं के साथ-साथ स्वीकृत साज-सामग्री/उपकरण समाज कल्याण विभाग से न प्राप्त करके घटिया स्तर की लाखों रुपये की सामग्री उच्च दरों पर क्रय करने का संबंध है, इस संबंध में सूचनीय है कि प्रकोष्ठ द्वारा निरन्तर समाज कल्याण निदेशालय से साज सामग्री उपकरण हस्तानान्तरित करने का अनुरोध किया गया परन्तु निरन्तर अनुरोध के बावजूद जब यह वस्तुऐं प्राप्त नहीं हुईं तो योजनाओं के संचालन एवं कार्य सम्पादन को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त आवश्यक सामग्री को रेट कान्ट्रेक्ट/कोटेशन पर क्रय किया गया। जहां तक बिना शासन की अनुमति के लाखों रुपये की मरम्मत कराने का आरोप है, इस संबंध में सूचनीय है कि इन योजनाओं में मुख्यालय के अधिकारियों के बैठने के लिए कोई स्थान भी उपलब्ध नहीं था। अतः कार्य-संचालन के दृष्टिकोण से अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण भवन (टिकराहाउस) में प्रकोष्ठ का मुख्यालय स्थापित किया गया। टिकराहाउस के अत्यन्त जर्जर भवन में केवल उतनी ही मरम्मत करायी गयी जिससे वह भवन गिरने न पावे। यह मरम्मत कार्य वहां बैठने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गयी है। वित्त विभाग से इन मरम्मतों तथा आकस्मिक व्ययों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जिस पर वित्त विभाग ने केवल प्रकोष्ट के सृजन की पत्रावली मांगी थी। प्रकरण में गम्भीरतापूर्वक विचारोपरान्त इन समस्त योजनाओं को निदेशक, महिला कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित कर दिया गया है।।

लखनऊ नगर के ठाकुरगंज मोहल्ले में लोधी कुटी के समीप निकलने वाले रास्ते को नाले का रूप दिये जाने से जनधन की हानि विषयक श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री राम किशोर बिन्द)–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया.....

श्री राजबली जैसल–

इसे पढ़ा हुआ मान लें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम किशोर बिन्द–

[तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत मुख्य मार्ग हरदोई रोड, ठाकुरगंज में न्यू नगरिया (झब्बन की बगिया) लोधी कुटी के समीप का मुख्य मार्ग है जिसमें लगे खड़ंजे ने नाले का रूप ले लिया है। परिणाम

स्वरूप दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है और सम्पूर्ण मोहल्ले के निवासियों में असन्तोष व्याप्त है ।

मा० सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि ठाकुरगंज में हरदोई रोड से न्यू नगरिया (लोधी कुटी के समीप) रास्ते में सुखा खड़ण्जा एवं नाली बनाने का कार्य लगभग दो वर्ष पूर्व किया गया था । इस गली के पूर्व की ओर लोधी कुटी एवं अन्य भवन तथा पश्चिम की ओर श्री काशी नाथ का भवन/भूमि है । श्री काशी नाथ की भूमि पर हरदोई रोड की ओर कुछ भाग में भवन निर्मित हैं तथा शेष पीछे की ओर रिक्त पड़ी भूमि निर्मित गली के तल से लगभग 4 फिट नीची है लगे हुए खड़ंजे तथा श्री काशी नाथ की दीवार के बीच लगभग 3 फुट चौड़ी पट्टी रिक्त पड़ी हुई है जिसका तल भी नीचा है परिणाम स्वरूप गली का खड़ण्जा असमय ही क्षतिग्रस्त हो गया है । उक्त रिक्त स्थान इस कारण छूटा था कि जिस समय उक्त गली में खड़ण्जा लगाया जा रहा था उस समय श्री काशी नाथ द्वारा अत्यधिक विरोध किया गया और यह देखते हुए कि कहीं पूरा कार्य ही अवरुद्ध न हो जाय 3 फिट की रिक्त पट्टी छोड़ दी गयी थी । मा० सदस्य द्वारा यह चाहा गया है कि गली को पूरी चौड़ाई में श्री काशी नाथ की बाउण्ड्री तक भराव कर पुनः बना दिया जाय अर्थात् पूर्व में जो 3 फिट की पतली पट्टी छोड़ दी गयी थी वह भी निर्मित करा दी जाय । यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित हैं क्योंकि इससे खड़ंजा मजबूत रहेगा और लम्बे समय तक चलेगा । इस निर्माण कार्य पर लगभग रु० 50 हजार का व्यय सम्भावित है । नगर निगम लखनऊ को उक्त कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।]

पौड़ी गढ़वाल के भरसार फल उद्यान में शीतोष्ण अनुसन्धान केन्द्र व माली प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना विषयक डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उद्यान राज्य मंत्री का वक्तव्य

उद्यान राज्य मंत्री (श्री फौजदार प्रसाद)–

वर्ष 1978-79 में .....

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री फौजदार प्रसाद–

[भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल द्वारा उपयुक्तता के आधार पर राजकीय उद्यान भरसार में केन्द्रीय शीतोष्ण फल अनुसन्धान संस्थान करने की संस्तुति दी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गयी थी । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस संस्तीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद नई दिल्ली को उक्त संस्थान की स्थापना हेतु राजकीय उद्यान भरसार में भूमि उप्लब्ध कराने की सहमति दी गयी थी ।

भारत सरकार द्वारा उक्त संस्थान राजकीय उद्यान भरसार पौड़ी केबजा श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में खोलने का निर्णय लिया गया । इसका एक क्षेत्रीय केन्द्र मुक्तेश्वर जनपद नैनाताल में खोला गया है ।

राजकीय उद्यान भरसार में केन्द्रीय शीतोष्ण फल अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने हेतु कृषि अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली से पुनः विचार करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है ।

राजकीय उद्यान भरसार में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं उद्यान से सुदृढ़ीकरण के संबंध में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (उत्तराखण्ड) चौबटिया द्वारा योजना प्रस्तावित की गयी है । इस योजना में गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों से 6-6 अभ्यर्थियों को चयनित कर कुल 30 प्रशिक्षणार्थियों को एक वर्षीय माली प्रशिक्षण देना प्रस्तावित किया गया है परन्तु पहले से राजकीय उद्यान चौबटिया में आयोजनेत्तर पक्ष से गढ़वाल मण्डल सहित सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के लिए माली प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित है । अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (उत्तराखण्ड) के सुझाव पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जायगा ।]

जनपद पीलीभीत में नैपाली महिलाओं की नीलामी विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 18 मार्च, 1994 के उपवेशन में प्रक्रिया निमावली के नियम 300 के अन्तर्गत सर्वश्री किरन पाल सिंह, राम आसरे वर्मा, बी० एन० सिंह तथा श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा जनपद पीलीभीत में नैपाली महिलाओं की नसबन्दी के नाम पर की जाने वाली नीलामी का मामला सदन में उटाया गया था । उक्त सूचना की ग्राह्ता पर संबंधित सदस्यों तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त श्री अधिष्ठाता द्वारा अपना निर्णय सुरक्षित रखा गया था । उसके पश्चात् दिनांक 19 अप्रैल, 1994 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 जिसका संबंध प्रश्नगत मामले से भी है, को तत्काल मा० अध्यक्ष द्वारा प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया । अतः मैं नियम 300 के अन्तर्गत उठाये गये उक्त प्रकरण को भी प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को निर्दिष्ट उक्त मामले से सम्बद्ध करता हूं ।

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में मैंने निर्णय लिया है :–

1–श्री गनपत सिंह

2–श्री तेजभान सिंह

3–श्री नजमउद्दीन

4–श्री विनय कुमार पाण्डे

5–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल

6–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल

7–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल

8–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया

9–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल

10–श्री मुक्तिनाथ यादव

11–श्री अखिलेश सिंह

12–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी

13-श्री अजय कुमार पोइया

14–श्री हरवंश कपूर

15–श्री अजय कुमार पोइया

16–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल

17- श्री राज कुमार शिवहरे

18–श्री तीरथ राज

19–श्री बच्ची सिंह रावत

20–श्री राम सरन वर्मा

उपरोक्त सभी मामलें में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमाना के प्रश्न की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी हैं ।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे ।

(सदन की सहमति से निर्णय पढ़े हुए मान लिए गये ।)

जिलाधिकारी महराजगंज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री गनपत सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 64 के अन्तर्गत जिलधिकारी महराजगंज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना, दिनांक 30 सितम्बर, 1993 को दी जो मुझे 17 जनवरी, 1994 को प्राप्त हुई । इस संबंध में इसे पूर्व मा० सदस्य द्वारा प्रेषित तार दिनांक 28 दिसम्बर, 1993 भी 3 जनवरी, 1994 को प्राप्त हुआ था ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मा० सदस्य का कथन है कि दिनांक 27 दिसम्बर, 1993 को जब वे कतिपय अन्य विधायकों के साथ अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जिला परिषद्, गोरखपुर तथा गन्न विभाग को आवंटित पैसा तत्काल वापस किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी महराजगंज से मिले तो उन्होंने दूसरे दिन मिलने के लिए कहा । जब दूसरे दिन अर्थात् दिनांक 28 दिसम्बर, 1993 को उन्होंने लिखित. शिकायत की तो जिलाधिकारी ने उनके पत्र को फेक दिया और कहा कि जाइये मैंने बहुत विधायकों को देखा है और अगर नहीं जाइयेगा तो जानते नहीं कि मैं आपको विधान सभा में जाने लायक नहीं रखूंगा मा० सदस्य का यह भी कथन है कि जब उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से मामला विधान सभा में उठाने के लिए कहा तो जिलाधिकारी ने विधान सभा तथा अध्यक्ष के विरुद्ध अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया । इस प्रकार जिलाधिकारी ने उनके विधायी कार्यों में बाधा पहुंचायी तथा अवमानना की है ।

प्रश्नगत मामले में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी माननीय कारागार मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 द्वारा यह सूचित किया है कि प्रश्नगत मामले में आयुक्त गोरखपुर मण्डल के माध्यम से जिलधिकारी, महराजगंज का स्पष्टीकरण मांगा गया । अपने स्पष्टीकरण में जिलाधिकारी ने कहा कि मा० सदस्य श्री गनपद सिंह ने जो भी आरोप लगाये हैं वह सच्चाई से परे हैं तथा मा० अध्यक्ष विधान सभा के विरुद्ध अशोभनीय शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया गया है । आयुक्त गोरखपुर मण्डल ने जिलाधिकारी की आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि उनके द्वारा जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भी समझा दिया गया है कि मा० जनप्रतिनिधियों के प्रति जो सम्मान एवं शालीनता अपेक्षित हो उसे ध्यान में रखें ।

मा० सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में शासन से प्राप्त जानकारी पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० सदस्य, क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जिला परिषद, गोरखपुर तथा गन्ना विभाग को आवंटित पैसा तत्काल वापस किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, महराजगंज से दिनांक 28-12-93 को मिले थे । मा० सदस्य सदन या उसकी किसी समिति से संबंधित अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में जिलाधिकारी से नहीं मिले थे । विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उसी दशा में उठाया जा सकता है जब माननीय सदस्य को सदन अथवा उसकी किसी समिति के किसी कार्य के निर्वहन में बाधा पहुंचायी गयी हो । अतः नियम 65 के अन्तर्गत सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित नहीं हो रहा है । अध्यक्ष पीठ से पूर्व में ऐसे अनेक निर्णय हुए हैं जिनमें कोई विधाक किसी क्षेत्रीय कार्य अथवा निजी कार्य हेतु किसी अधिकारी से मिले और वहां उसके साथ किसी प्रकार की अप्रिय बात होती है तो ऐसे मामलों में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाने की अनुमति नहीं दी गयी है । अतः वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत मामले को मैं विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।]

तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री बाबू राम यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री तेजभान सिंह, सदस्य, विधान सभा ने तत्कालीन मा० राजस्व मंत्री श्री बाबू राम यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 1 मार्च, 1994 को दी थी मा० सदस्य का कथन है कि

ग्राम रोहसी खुर्द (सुल्तानपुर) में अवैध पट्टों के संबंध में प्रथम सत्र 1994 के प्रथम गुरुवार के अता० प्र० सं०–60 के उत्तर में मा० मंत्री जी द्वारा व्यक्त किया गया कथन कि जांच में कोई भी आवंटन अनियमित नहीं पाया गया, गलत है। मा० सदस्य ने आगे कहा है कि पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1993 में पात्रता सूची की बात उठायी गयी थी जबकि जांच के समय तहसीलदार ने बताया था कि कोई पात्रता सूची नहीं बनायी गयी है। मा० सदस्य ने यह भी कहा है कि जांच के समय पांच मामले ऐसे भी आये जो पात्र थे किन्तु परगनाधिकारी ने उनको अनुमोदित नहीं किया, इसके अतिरिक्त ऐसे भी मामले जांच के समय आये जिनमें अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी।

इस संबंध में तत्कालीन मा० राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव) का अभिकथन मांगा गया। प्रश्नगत मामले में मा० राजस्व मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1994 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रथम सत्र 1994 के प्रथम गुरुवार के अता० प्र० सं० 60 में श्री गंगा बख्श सिंह आदि के शिकायती--पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 पर अपने अग्रसारण दिनांक 18 दिसम्बर, 1993 की जांच के संबंध में मा० सदस्य ने सूचना चाही थी शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम रोहसीखुर्द के भूखण्ड संख्या 1984 में श्मशान तथा खलिहान बताये हुए इसे अनियमित रूप से आवंटित करने की शिकायत की गयी थी। मा० मंत्री ने कहा है कि प्रश्न के उत्तर में इसी आवंटन की सूचना सदन में दी गयी थी जिससे सदन की अवमानना या विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है। मा० मंत्री ने आगे कहा है कि मा० सदस्य की सूचना से जिस ग्राम सभा की भूमि का अनियमित आवंटन के संबंध में उल्लेख किया गया है वह आवंटन प्रश्न में उल्लिखित आवंटन के पूर्व हुआ था और इस संबंध में शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 में कोई उल्लेख न होने के कारण इस संबंध में सदन को कोई सूचना नहीं दी गयी थी। तत्कालीन मा० राजस्व मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि अवमानना की सूचना में जिन पांच मामलों में पात्र होते हुए भी अनुमोदन न किये जाने की बात कही गयी है उसके संबंध में स्थिति यह है कि आवंटित भूमि या तो श्मशान के रूप में प्रयोग हो रही है या कृषि योग्य नहीं पायी गयी अथवा उक्त भूमि मौके पर खाली नहीं पायी गयी। इसके साथ ही मा० सदस्य द्वारा सूचना में जिन अपात्र व्यक्तियों का अनुमोदन किये जाने का उल्लेख किया है उसके संबंध में मा० मंत्री ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खेतिहर मजदूर के पास आवंटित भूमि को मिलाकर पहले ही निजी भूमि सहित पांच बीघे से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए इस भी मामलों में आवंटन के उपरान्त आवंटी के पास पांच बीघे से अधिक भूमि न होने के कारण यह तब पात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं अन्त में तत्कालीन मा० राजस्व मंत्री ने यह कहा है कि ग्राम रोहसीखुर्द में जो पात्र व्यक्ति आवंटन से वंचित रह गये हैं उनकी गम्भीरतापूर्वक पात्रता सूची तैयार करायी जा रही है तथा उनको भी आवंटन कर दिया जायेगा।

प्रश्नगन मामले में तत्कालीन मा० राजस्व मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 31 मई, 1995 द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर की सूचना के आधार पर यह सूचित किया है कि उक्त ग्रामसभा में दिनांक 15 मार्च, 1994 के बाद आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की पात्रता की जांच नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी। जिसके अनुसार वर्तमान में आवंटन हेतु कोई पात्र व्यक्ति शेष नहीं है एवं पूर्व में सभी आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा व दखल दे दिया गया है।

मैंने मा० सदस्य की सूचना पर एवं तत्कालीन मा० राजस्व मंत्री के पत्र का गहन अध्ययन किया है यह स्पष्ट है कि उक्त सूचना अता० प्र० सं० 60 के उत्तर पर आधारित है । इसके अतिरिक्त मा० सदस्य ने जो आपत्तियां की हैं उनके संबंध में उन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । सम्पूर्ण मामले पर विचार करने पर एवं मा० राजस्व मंत्री द्वारा दी गयी जानकारी से इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो जाती है और प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार भंग का कोई मामला इसमें बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन के अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री नजमउद्दीन, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 64 के अन्तर्गत मा० शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 7-3-94 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य का कथन है कि उन्होंने प्रथम सत्र, 1994 के प्रथम सोमवार दिनांक 7 मार्च, 94 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 17 में यह पूछा था कि क्या शिक्षा मंत्री प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों की भांति अरबी विद्यालयों के खोलने की व्यवस्था करेंगे ? इसके उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में कहा है कि शासन द्वारा अरबी विद्यालयों के खोले जाने की कोई योजना नहीं है । ऐसे विद्यालय निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा खोले जाते है । मा० सदस्य ने अपनी सूचना में आगे यह भी उल्लेख किया है कि उन्होंने उक्त प्रश्न के उन्होंने उक्त प्रश्न के संबंध में उक्त दिनांक को सदन में अनुपूरक प्रश्न भी किया कि क्या महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 एवं दिनांक 21 फरवरी, 94 को शिक्षा नीति पर सदन में दिया गया अभिभाषण उसके अनुरूप है अथवा नहीं ।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि दसवें प्रश्न में उन्होंने पूछा था कि प्रदेश में निजी प्रबन्ध तंत्र द्वारा खोले गये अरबी विद्यालयों की संख्या क्या है ? इन दोनों अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शिक्षा मंत्री जी ने पुनः वही उत्तर दिया जो पहले सदन में दिया गया जबकि दिनांक 16 दिसम्बर, 93 को महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में घोषणा की थी कि परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के साथ ही अरबी सदस्यों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । इसके अतिरिक्त मा० सदस्य ने यह भी आरोप लगाया है कि दिनांक 21 फरवरी, 1994 को महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट घोषणा की थी कि उर्दू, अरबी, संस्कृत के पढ़ने की व्यवस्था सरकार करेगी । मा० सदस्य ने अपनी सूचना के साथ उक्त दोनों अभिभाषण के पृष्ठों की एक-एक प्रति भी संलग्न की है । मा० सदस्य का आगे यह भी कहना है कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर असत्य, भ्रामक, तथ्यों से परे तथा सदन को गुमराह करने वाला है ।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचना उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री का अभिकथन मांगा गया । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने पत्र द्वारा इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री नजमउद्दीन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 17 का जो उत्तर तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी द्वारा सदन में दिया गया है उसमें

तथा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में की गयी घोषणा में कहीं भी विरोधाभास नहीं है। सरकार द्वारा संस्कृत विद्यालयों तथा अरबी मदरसों को नहीं खोला जाता है बल्कि यह विद्यालय निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा खोले जाते हैं एवं इन्हें सरकार द्वारा कतिपय मानक/शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् कतिपय मानक/शर्तों की पूर्ति के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अनुदान सूची में लिया जाता है इस प्रकार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्थिति को पूर्ण रूपेण स्पष्ट कर दिया है।

माननीय सदस्य की सूचना, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति तथा माननीय शिक्षा मंत्री के पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 1994 पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचना विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है जिससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि माननीय मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर तथ्यों पर आधारित है और इसे सत्य से परे नहीं कहा जा सकता। प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना का प्रश्न प्राग्दर्शन में अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है।

[अतः वर्णित परिस्थितियों में माननीय सदस्य की सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।]

श्री सिंहासन प्रसाद वनराजि अधिकारी कुंआना रेन्ज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू, सदस्य, विधान सभा ने श्री सिंहासन प्रसाद वनराजि अधिकारी कुंआना रेंज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 7-7-94 तथा 9-4-94 को इस सचिवालय में क्रमशः 11-7-94 एवं 12-7-94 को प्राप्त हुई दी भी है। उक्त सूचनाओं में मा० सदस्य का मुख्य रूप से यह कथन है कि दिनांक 7 जुलाई, 1994 को जब वे सायंकाल 7.00 बजे लखनऊ से वापस आ रहे थे तब बहादुरनुर ग्राम के नजदीक बलरामपुर की ओर मोटर साइकिल पर आ रहे कुआना रेंज के वनराजि आधिकारी श्री सिंहासन प्रसाद ने हाथ देकर उन्हें रोका और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि दो दिन के विधायक हो और तुम्हारी दो दिनों की सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तुमने मेरी शिकायत कर स्थानान्तरण कराना चाहा था क्या हुआ। रेंज आफिसर की दुश्मनी महंगी पड़ेगी, मा० सदस्य द्वारा श्री प्रसाद से शिष्टता से बात करने को कहने पर उक्त अधिकारी ने गुस्सा में आकर समस्त विधायकों को गाली गलौज देते हुए विधायिका के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। वहां पर भीड़ इकट्ठा देखते हुए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा एवम् वहां से चले आये। मा० सदस्य का आगे यह भी कथन है कि श्री सिंहासन प्रसाद वनराजि अधिकारी कुंआना रेन्ज के उक्त क्रियाकलाप एवं आचरण से जनप्रितिनिधियों को प्राप्त विशेषाधिकार का हनन हुआ है। उन्होंने अपनी सूचना के कतिपय प्रत्यक्षदर्शियों का भी उल्लेख किया है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत मामले में वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी । सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी, 1995 के साथ श्री सिंहासन प्रसाद का अभिकथन, जांच अधिकारी की आख्या एवं मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं नियोजन का पत्र संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि श्री सिंहासन प्रसाद ने अपने अभिकथन में उल्लेख किया है कि उन्होंने मा० विधायक श्री विनय कुमार पाण्डेय के विरुद्ध कोई अपशब्द नहीं कहें और न ही उनकी मा० सदस्य से किसी प्रकार की शत्रुता है । श्री प्रसाद के अनुसार उन्होंने मा० विधायक श्री विनय कुमार पाण्डेय एवं उनके निकट सम्बन्धी आदि के विरुद्ध दिनांक 7-7-1994 को एफ०आई०आर० दर्ज करायी थी जिसमें मा० विधायक एवं उनके संबंधियों द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 1994 को उनके पारिवारिक सदस्यों के समक्ष उनके निवास स्थान पर मारने पीटने की घटना का उल्लेख किया है । श्री प्रसाद का आगे कहना है कि मा० सदस्य के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराने के कारण उन्होंने बदले की भावना से इस प्रकार की कार्यवाही की है । श्री प्रसाद में मा० सदस्य के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त किया है । उक्त पत्र में आगे यह भी अवगत कराया गया है कि जांच रिपोर्ट से मा० सदस्य द्वारा वनराजि अधिकारी के विरुद्ध अपने पत्र दिनांक 9-7-94 में लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है ।

किसी मामले में विशेषाधिकार हनन तभी अन्तर्ग्रस्त होता है जब सदन के अथवा उसके किसी समिति के अथवा सदन के सदस्य की हैसियत के किये जा रहे किसी कार्य में कोई व्यवधान डाला गया हो अथवा कोई अपमानजनक कथन कहा गया हों । प्रश्नगत मामले में मा० सदस्य की सूचना और उसके सम्बन्ध में शासन से प्राप्त जानकारी का अध्ययन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० सदस्य की सूचना में जिस घटना का उल्लेख किया गया है उस घटना के दौरान में ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे थे जो सदन अथवा उसकी समिति अथवा सदन के सदस्य की हैसियत से अपेक्षित था । जहां तक सदन और उसके सदस्यों को अपशब्द कह जाने के आरोप का प्रश्न है, शासन ने प्राप्त वस्तुस्थिति में यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच रिपोर्ट से मा० सदस्य द्वारा वनराजि अधिकारी के विरुद्ध अपनी सूचना 9-7-94 में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती । इस प्रकार मा० सदस्य के इस कथन की वनराजि अधिकारी द्वारा सदन एवं उसके सदस्यों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, की भी पुष्टि नहीं होती । उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में मैं इस मत का हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । अतः मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 12-4-94 को दी थी माननीय

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सदस्यों का कथन है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के द्वितीय शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 145 का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझकर भ्रामक दिया है उसका यह भी कहना है कि श्री कृपाल सिंह अधिशासी अभियन्ता द्वारा महाराष्ट्रा स्टील लिमिटेड से मिलीभगत करके करायी जा रही चोरी को मात्र विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही बताकर सदन को गुमराह किया है । माननीय सदस्य ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि अधिशासी अभियन्ता की ओ०के० रिपोर्ट के आधार पर पकड़ी गयी चोरी में अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूपेण लिप्त थे इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री ने अधिशासी अभियन्ता एवं मिल मालिक को संरक्षण देने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज विद्युत चोरी की लागत को छुपाकर सदन को गुमराह किया है ।

प्रश्नगत विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी इस संबंध में माननीय सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 8 अगस्त, 1994 द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी भेजी है । इसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्रा स्टील लिमिटेड के परिसर में प्रश्नगत छापे के 36 दिन पूर्व निरीक्षण किये जाने के संबंध में जो बातें माननीय सदस्यों ने कही है उसके बारे में माननीय मंत्री का कहना है कि इस विषय पर मूल प्रश्न नहीं किया गया था । अतः इस बिन्दु का उत्तर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इसी प्रकार 56 घण्टा विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का बिन्दु भी मूल प्रश्न में निहित न होने के कारण इस बिन्दु का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी । जहां तक 15 करोड़ रुपये के स्थान पर चोरी की धनराशि केवल 8.66 करोड़ दर्ज किये जाने की अपत्ति पर माननीय मंत्री का कहना है कि तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में चोरी का आंकलन 15 करोड़ रुपये किया गया था परन्तु वास्तविक रिकार्ड एवं नियमों का अवलोकन करने के उपरान्त 8.66 करोड़ रुपये का राजस्व निर्धारण किया गया है । इस बिन्दु में भी किसी तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया गया है । माननीय मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि माननीय सदस्यगण द्वारा अपनी सूचना में जो उपभोक्ता के मीटर के समान ही सब-स्टेशन का मीटर खराब किये जाने का उल्लेख किया है यह विषय भी अनुपूरक से संबंधित है, अतः इसका मूल उत्तर में उल्लेख किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । माननीय मंत्री जी ने अन्त में यह उल्लेख किया है कि माननीय सदस्यगण द्वारा जो मूल प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर पूर्णतया तथ्य पर आधारित है जो वास्तव में प्रमाणित भी है जिसमें सदन को गुमराह नहीं किया गया है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है ।

माननीय सदस्यों की सूचना एवं माननीय मंत्री के पत्र के सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्यों ने अपने कथन की पुष्टि में सूचना के साथ प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जबकि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार का हनन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा दिये गये तथ्यों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अब इसमें कोई ऐसा बिन्दु निहित नहीं है जिसमें अग्रेतर जानकारी की आवश्यकता प्रतीत होती है । वर्णित परिस्थिति में प्रश्न के मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं इसे सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं ।]

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह मल्ल, सदस्यगण, विधान सभा ने मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 19 अप्रैल, 1991 को दी है । मा० सदस्यों का कथन है कि प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार को निर्धारित अता० प्र० सं० 34 का उत्तर गलत देकर मा० मुख्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया है । मा० सदस्यों ने कहा है कि आनपरा तापीय परियोजना "ब" की अनुमानित लागत मा० मुख्य मंत्री ने रु० 3,090 करोड़ बतायी है जबकि यह 2090 करोड़ रुपये थी । इसके अतिरिक्त प्रथम तथा द्वितीय इकाई के चालू होने की तिथियां 2-1-93 तथा 11-12-93 बतायी हैं जबकि इनके चालू होने की तिथियां 10-9-92 तथा 10-6-93 निर्धारित थीं मा० सदस्यों ने आगे कहा है कि एम० जी० आर० की अनुमानित लागत मात्र 9.93 करोड़ रुपये थी जबकि मा० मुख्य मंत्री ने इसे 68.62 करोड़ रुपये मात्र "ब" तापीय परियोजना के अधीन बतायी है । इसके अतिरिक्त मा० सदस्यों ने सूचना में उपरोक्त के संबंध में कुछ अन्य तथ्य एवं आंकड़े दिये हैं जिनके आधार पर सदन में दिये गये उत्तर को गलत बताया है ।

मा० सदस्यों को सूचना के संबंध में मैंने मा० मुख्य मंत्री से उनका अभिकथन मांगा । प्रश्नगत मामले में मा० मुख्य मंत्री ने अभिकथन से मा० सहकारिता मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 16-8-94 द्वारा अवगत कराया है इसमें माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आनपारा "ब" तापीय विद्युत परियोजना की प्रथम एवं द्वितीय इकाईयों के लिए विदेशी कम्पनी से दिनांक 3-3-89 एवं 12-7-89 को हुए अनुबन्ध के अनुसार परियोजना की कुल लागत 112.5 मिलियन येन (रु० 435 करोड़) ही थी । जापानी मुद्रा येन के विरुद्ध रुपये का अवमूल्यन होने के कारण परियोजना की लागत के येन व रुपये की प्रचलित विनिमय दर के अनुसार परिवर्तन होता चला गया । दिसम्बर, 1993 तक विभिन्न विनिमय दरों के आधार पर विदेशी सहायता के विरुद्ध होने वाले कार्यों की लागत रु० 2,950/- दिखायी गयी और रु० 140 करोड़ की धनराशि संबंधित विभागीय कार्यों के प्रति आंकी गयी थी । मा० मंत्री ने आगे कहा कि विदेशी कम्पनी के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय इकाई के पूरा होने की तिथियां 2-1-93 तथा 11-12-93 ही है । जो सही और प्रमाणिक है । मा० सहकारिता मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि मा० सदस्य द्वारा बतायी गयी एम०जी०आर० की कुल अनुमानित लागत 9.93 करोड़ आनपारा तापीय परियोजना "ए" से सम्बन्धित है । आनपारा "ब" परियोजना के लिए एम०जी०आर० का मूल्यांकन उत्तर देने के समय रु० 68.92 करोड़ ही था ।

मा० सदस्यों की सूचना एवं मा० सहकारिता मंत्री से प्राप्त पत्र का मैंने भली भांति अध्ययन किया है मेरे विचार में मा० मंत्री द्वारा दिये गये तत्थों से प्रश्नगत मामले की स्थिति स्पष्ट हो जाती है और इसमें कोई ऐसा बिन्दु शेष नहीं रह जाता जिसके संबंध में किसी अग्रेतर जानकारी की आवश्यकतां प्रतीत होती हो सन्दर्भित प्रश्न का उत्तर देते समय जो स्थिति थी उनके आधार पर मा० मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया और इस प्रकार उक्त उत्तर जानबूझकर सदन को गुमराह करने के इरादे से दिया गया प्रतीत नहीं होता है वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रतीत नहीं होता । अतः मैं इसे विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं ।]

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 22-4-94 को दी है । मा० सदस्य का कथन है कि प्रथम सत्र 1994 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में मा० मुख्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया है मा० सदस्य ने अतारांकित प्रश्न संख्या 11 में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 15-1-93 में उठाये गये कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी । इसके उत्तर में मा० मुख्य मंत्री ने सूचित किया था कि उक्त पत्र में निहित बिन्दुओं पर गम्भीरता से छान-बीन की गयी तथा जो स्थिति थी उसका उल्लेख मा० मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में किया था । मा० सदस्य ने मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि एन०सी०एल० तथा विद्युत परिषद् द्वारा हुए समझौते के मुताबिक एन०सी०एल० द्वारा सायलों सिस्टम समय से बनाकर न देने की कारण वर्ष 1986 के पूर्व से कोयला ढुलाई में 20 रुपये प्रति टन अतिरिक्त देना पड़ता है । जिसके कारण राजस्व की हानि हुई है ।

मैंने मा० सदस्य की सूचना का बहुत गौर से अवलोकन किया है । इसमें यह आधारभूत कमी है कि मा० सदस्य ने सूचना में कोई प्रमाण नहीं दिया है और उनका उक्त कथन बिना प्रमाण के विशेषाधिकार भंग के मामलें में प्रासंगिक नहीं है ऐसी मामलों में विशेषाधिकार हनन की दी गयी सूचना उससे सम्बद्ध अभिलेखों में आवश्यक तथा प्रमाणित न होने की दशा में अग्राह्य मानी जाती है । इस संबंध में मा० मुख्य मंत्री का अभिकथन मांगा । इस संबंध में मा० सहकारिता मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 17-8-94 में एन०सी०एल० द्वारा सायलो सिस्टम का कार्य पूर्ण न होने के कारण ढुलाई में लगभग रु० 20/- प्रति टन अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में ही उल्लेख किया है कि जैसा कि उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि सायलो सिस्टन का निर्माण एन०सी०एल० द्वारा पूर्ण होने पर ही उनके द्वारा प्रति टन कोयले की ढुलाई की दर निश्चित की जायेगी, अतः यह कहना कि इस समय परिषद् को राजस्व हानि हुई है, उचित नहीं है । मा० मंत्री ने आगे कहा है कि खदान साइलों निर्माण में विलम्ब के कारण पर केवल कोल इण्डिया लि० ही प्रकाश डाल सकता है एवं परिषद के किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं है एवं खादानों से लिये गये कोयले का भुगतान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचना के अनुसार ही किया गया है । मा० मंत्री ने अन्त में यह भी कहा है कि उत्तर में दिये गये तथ्य प्रमाणिक है एवं तत्वों को छुपाने अथवा सदन को भ्रमित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

मा० मंत्री जी के उपरोक्त अभिकथन से मामले की स्थिति स्पष्ट हो जाती है मेरे विचार में अब इसमें कोई बिन्दु अथवा तथ्य प्रतीत नहीं होता है जिसके सम्बन्ध में अग्रेसर जानकारी की आवश्यकता प्रतीत होती हो । अतः मा० सदस्य की सूचना और मंत्री के पत्र पर सम्यक् रूप से विचार करने के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपरान्त में इस मत का हूं कि प्रश्नगत मामले में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है और मैं इसे इस रूप में सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं ।]

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 23-4-94 को दी है ? सूचना में माननीय सदस्यों का कथन है कि प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 117 तथा तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न 12 का माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझकर गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है । अतारांकित संख्या 117 में विभिन्न विद्युत तापगृहों के लिए विभिन्न कोयला खानों से की जा रही कोयला आपूर्ति आदि के संबंध में जानकारी मांगी गयी थी उक्त प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने कोयला इण्डिया द्वारा उक्त कार्य किये जाने आदि की सूचना दी थी । प्रश्न संख्या 12 जो श्री राजनाथ सिंह सदस्य विधान परिषद् के पत्र दिनांक 12-2-93 एवं 17-2-93 के संबंध में था के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने यह सूचित किया था कि सूचना एकत्र की जा रही है । माननीय सदस्यों ने उक्त उत्तर को गलत बताया है और यह भी कहा कि कोयले छांटने आदि के नाम पर कोयला आपूर्ति करने वाली संस्थान को करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है जबकि वह गलत उत्तर दिया गया है कि कोयले से पत्थर छांटने हेतु कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है ।

प्रश्नगत मामले में मैंने माननीय मुख्य मंत्री का अभिकथन मांगा था माननीय मुख्य मंत्री के अभिकथन से अवगत कराते हुए माननीय सहकारिता मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 10-8-94 में कहा है कि प्रदेश के विभिन्न तापगृहों को कोयले की आपूर्ति कोल इण्डिया द्वारा की जा रही है तथा खदानों पर कोयले की लोडिंग, कोयले की श्रेणी, सैम्पलिंग तथा पत्थरों को अलग करके कोयला भेजने का कार्य ठेके पर किसी अनुबन्ध के तहत नहीं किया जा रहा है माननीय मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि माननीय सदस्यों की सूचना के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कदाचित उनका आशय आनपारा ताप विद्युत गृह के ट्रक हायर से प्रत्येक इकाई के कोल चेकर तथा चलती कनवयर से पत्थर चुनने के कार्य से था क्योंकि यह कार्य अनुबन्ध के माध्यम से कराया गया था । माननीय मंत्री के अनुसार प्रश्नकर्ता का आशय भले ही यह रहा हो किन्तु उनका यह आशय प्रश्न की भाषा में परिलक्षित नहीं था । अतारांकित प्रश्न सं० 117 में कोयला खानों से कोयला भेजे जाने के संबंध में सूचना चाही थी इसलिये प्रश्न का उत्तर इसी बिन्दु तक सीमित रखा गया था माननीय मंत्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर के संबंध में यह कहा है कि उक्त उत्तर केवल अन्तरिम था अतः इसमें किसी तथ्य को छुपाने अथवा अथवा भ्रमित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

माननीय सदस्यों की सूचना एवं माननीय सहकारिता मंत्री के पत्र पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त में इस निष्कर्ष पर हुआ हूं कि माननीय मंत्री द्वारा दिये गये तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर वास्तविक तथ्यों पर आधारित था और इसमें जानबूझकर गलत सूचना देने एवं सदन को गुमराह करने का आशय परिलक्षित नहीं होता है इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया है जिससे प्राग्दर्शन में यह प्रतीत हो सके कि माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझकर गलत उत्तर दिया है अतः इसमें विशेषाधिकार हनन का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे इस रूप में सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा वासुदेव सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने प्रथम सत्र 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 25-4-94 को दी है। सूचना में मा० सदस्य का कहना है कि अतारांकित प्रश्न सं० 125 द्वारा अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लेसू, लखनऊ के अधीन कोड संख्या 42 के माध्यम से वर्ष 92-93, 93-94 में परिषद् के राजस्व का गबन किये जाने एवं उक्त वर्षों में जो अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त थे उनके संबंध में तथा लेखाकार की जगह अवर अभियन्ता को कम्प्यूटर में आंकड़े भरने हेतु लगाये जाने के संबंध में प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि सूचना एकत्र की जा रही है। माननीय सदस्यों ने सूचना में अनेक तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने अतारांकित प्रश्न संख्या–125 का उत्तर जानबूझकर गलत देकर सदन को गुमराह किया है।

प्रश्नगत मामले में माननीय मुख्य मंत्री से अभिकथन मांगा गया था इस संबंध में माननीय सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 17-8-94 में यह अवगत कराया है कि जब संदर्भित प्रश्न का उत्तर सदन में दिया गया था तब तक राज्य विद्युत परिषद् से कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी थी एवं राज्य विद्युत परिषद् ने उत्तर भेजने के लिये एक सप्ताह का समय दिये जाने का अनुरोध किया था। विद्युत परिषद् के उक्त अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए ही माननीय सदन को अवगत कराया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है माननीय मंत्री ने आगे यह भी कहा है कि यदि भविष्य में यह प्रश्न माननीय विधान सभा के आगामी सत्र में पुनः प्रस्तुत होता तो इसका नियमानुसार उत्तर दिया जायेगा तथा सदन को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जायगा।

माननीय सदस्य की सूचना एवं मा० सहकारिता मंत्री के पत्र पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त यही निष्कर्ष निकलता है कि संदर्भित अतारांकित प्रश्न संख्या 125 का माननीय मुख्य मंत्री की ओर से अन्तरिम उत्तर आया है और उसमें उन्होंने कोई सूचना अथवा तथ्य प्रस्तुत ही नहीं किये हैं अतः त्रुटिपूर्ण एवं असंगत होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और इस कारण माननीय सदस्यों की सूचना में दिये गये अन्य तथ्य भी अप्रसांगिक हो जाते हैं माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है और वे इस विषय पर पुनः पूछकर शासन से इस मामले में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्णित परिस्थितियों में प्राग्दर्शन में इस विषय पर विशेषाधिकार भंग का कोई अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है अतः प्रश्नगत मामले में मैं सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।]

श्री राम अधार सचिव टाउन एरिया रुद्रपुर जनपद देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री मुक्ति नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री राम आधार, सचिव, टाउन एरिया, रुद्रपुर जनपद देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 3 मई, 1994 को अभिसूचित किया है

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा० सदस्य ने उक्त सूचना में यह शिकायत की है कि श्री राम अधार, सचिव, टाउन एरिया, रुद्रपुर जनपद देवरिया ने मा० उच्च न्यायालय में उनके नाम तथाकथित शिकायती पत्र अयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को दिनांक 6 फरवरी, 1994 को सम्बोधित प्रेषित करके स्टे लेने का प्रयास किया है मा० सदस्य का यह भी कथन है कि शिकायती पत्र का लेटर पैड फर्जी है एवं इस पर मेरे (मा० सदस्य के) हस्ताक्षर फर्जी किये गये हैं और उस पर उनके कैमरे का नम्बर भी गलत डाला गया है सूचना के अन्त में मा० सदस्य ने लिखा है कि इससे सदस्य विधान सभा का अपमान हुआ है और मेरा दिशेषाधिकार हनन हुआ है पत्र में अनुरोध किया गया है कि उनकी प्रार्थना पर तत्काल कार्यवाही करने एवं प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्देशित करने का कष्ट करें । मा० सदस्य ने अपनी उक्त सूचना के साथ शिकायती पत्र दिनांक 6 फरवरी, 94 की छाया प्रति संलग्न की है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय नगर विकास मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी मा० मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 1994 के साथ मण्डलायुक्त गोरखपुर के पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1994 एवं मामले से संबंधित जांच आख्या की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि जांच आख्या में मा० सदस्य श्री मुक्ति नाथ यादव के पैड फर्जी तथा उनके हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप सिद्ध पाया गया है । मा० नगर विकास मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 में इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि मण्डलायुक्त गोरखपुर द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार श्री राम अधार को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया है ।

मैंने मा० सदस्य की सूचना एवं मा० नगर विकास मंत्री के पत्र का अध्ययन किया । प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मा० सदस्य का पैड एवं उनके हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप सिद्ध पाया गया है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

मामले से संबंधित सभी बिन्दुओं के अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मा० सदस्य श्री मुक्ति नाथ यादव द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना सदन अथवा सदन की किसी समिति से संबंधित नहीं है तथा इस प्रकरण से सदन अथवा सदन की किसी समिति के किसी कार्य में बाधा पहुंचाने का मन्तव्य भी लक्षित नहीं होता है ।

वर्णित परिस्थितियों में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर श्री पचौरी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री अखिलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर श्री पचौरी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना अभिसूचित की है जो दिनांक 4 जून, 1994 को प्राप्त हुई है । मा० सदस्य का कथन है कि दिनांक 31 मई, 1994 को गाजीपुर सदर विधान सभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में वे सपा-बसपा के प्रत्याशी श्री राजबहादुर के पक्ष में अपने दल की ओर से चुनाव प्रचार करने गये थे और इस दौरान अवध होटल में एक कमरा लेकर रह रहे थे दिनांक 30/31 मई की रात में लगभग एक बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर श्री पचौरी अपने पुलिस

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बल के साथ वहां आये और मा० सदस्य के कमरे का दरवाजा पीटकर खुलवाया तथा यह पूछा कि क्या तुम्ही विधायक अखिलेश सिंह हो, अपना परिचय पत्र दिखाओ । मा० सदस्य का कथन है कि उनके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के इस लहजे पर आपत्ति प्रकट करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा और अधिक अपमानजनक भाषा के साथ तुरन्त होटल खाली करने को कहा गया । मा० सदस्य का कहना है कि उनके द्वारा पुनः आपत्ति करने पर उक्त अधिकारी ने कहा कि मैं विधायकों की दवा जानता हूं बिना दवा किये तुम मानने वाले नहीं मा० सदस्य का कथन है कि होटल में मा० सदस्य के साथ ठहरे अनेक व्यक्तियों एवं सुरक्षा गार्डों के समक्ष भी श्री पचौरी द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने से उनको अत्यन्त अपमान क्षोभ एवं कष्ट का सामना करना पड़ा । मा० सदस्य का यह भी कथन है कि उनके द्वारा रात में ही टेलीफोन पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से सम्पर्क करने पर उनके निर्देश पर उक्त अधिकारीगण होटल से वापस गये । मा० सदस्य का यह भी कथन है कि इस घटना की सूचना उन्होंने प्रातःकाल टेलीफोन पर तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) को दी तथा बाद में तत्कालीन मा० अध्यक्ष विधान सभा (श्री धनीराम वर्मा) के संज्ञान में भी लाने का प्रयास किया गया ।

इस संबंध में तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी । प्रश्नगत प्रकरण पर तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) ने अपने पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1995 द्वारा यह अवगत कराया कि इस प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट में यह सूचित किया गया है कि उक्त उप चुनाव 31-5-94 को सम्पन्न होना था एवं चुनाव प्रचार दिनांक 29-5-94 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो गया था भारत चुनाव आयुक्त के निर्देशों में तहत जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा दिनांक 27 मई, 1994 को इस आशय के निर्देश जारी किये गये थे कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के उपरान्त जनपद में मौजूद बाहरी जनपदों/प्रान्तों के रहने वाले व्यक्ति जनपद की सीमा के बाहर चले जाये तथा 31 मई, 1994 की सायं 5.00 बजे तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे । मा० संसदीय कार्य मंत्री के उक्त पत्र में अंकित तथ्यों में इस बात का भी उल्लेख है कि कतिपय अवांछनीय तत्वो के उम्मीदवार होने के कारण उक्त उपचुनाव की संवेदनशीलता बढ़ जाने के दृष्टिगत रखते हुए शहर के विभिन्न होटलों, सरायों धर्मशालाओं तथा रेलवे स्टेशन आदि में चेकिंग की गयी इसी क्रम में अवध होटल की चेकिंग के दौरान मा० सदस्य श्री अखिलेश सिंह को मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देशों से अवगत कराया गया तथा उनके द्वारा इच्छा व्यक्त किये जाने पर आदेश भी दिखाये गये देर रात में पुलिस द्वारा छानबीन किये जाने पर मा० सदस्य द्वारा उत्तेजना व्यक्त की गयी थी । मा० संसदीय कार्य मंत्री के उक्त पत्र में लिखा गया है कि प्राप्त रिपोर्ट में मा० सदस्य के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं अशिष्ट भाषा प्रयोग किये जाने की बात का खंडन किया गया है तथा विधायक जी कोअपमानित करने की दृष्टि से कोई भेदभाव पूर्ण कार्यवाही नहीं की गयी ।

अन्त में मा० संसदीय कार्य मंत्री ने अपने पत्र में यह मत व्यक्त किया है कि वर्णित परिस्थिति में मा० विधायक के विशेषाधिकार हनन तथा अवमानना का प्रश्न नहीं उठता है ।

मैंने मा० सदस्य की सूचना एवं तत्कालीन मा० संसदीय कार्य मंत्री के पत्र का गहन अध्ययन किया । मा० मंत्री जी के पत्र से यह स्पष्ट है कि मा० सदस्य श्री अखिलेश सिंह को अपमानित करने की मंशा से नहीं वरन् भारत चुनाव आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा उक्त कार्यवाही की गयी उसके अतिरिक्त मा० सदस्य की सूचना का संबंध सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य के निष्पादन से नहीं है ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न प्राग्दर्शन में अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है अतः इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर तथा प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर तथा प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 24 अगस्त, 1994 अभिसूचित की है मा० सदस्य का कथन है कि जनपद सिद्धार्थनगर में चन्द्रीपघाट पर पायल ब्रिज के निर्माण हेतु उद्घाटन समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया तथा इस हेतु शासन की योजनाओं से भी उन्हें अवगत नहीं कराया माननीय सदस्य ने सूचना के अन्त में लिखा है कि यह विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न बनता है और उक्त प्रकरण पर विशेषाधिकार हनन के अन्तर्गत कार्यवाही करने की मांग की है।

प्रश्नगत मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। मा० मुख्य मंत्री जी की ओर मा० कारागार मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 1994 में कहा है कि प्रश्नगत मामले में श्री उत्पल कुमार सिंह, तत्कालीन जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत चन्द्रदीप घाट पर पायल ब्रिज निर्माण हेतु वर्ष 1992-93 में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत बने उक्त ब्रिज का उद्घाटन दिनांक 7 जुलाई, 1994 को तत्कालीन मा० मत्स्य एवं पशुधन विकास मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था जिसमें जिले के प्रतिनिधि मा० विधायकों को भी अवगत कराया गया था। पायल ब्रिज के उद्घाटन की सूचना स्थानीय विधायक मा० श्री जिप्पी तिवारी को उक्त ब्रिज के उदघाटन संबंधी निमंत्रण की प्राप्ति रसीद की छाया प्रति भी संलग्न की है।

मैंने मा० सदस्य की सूचना एवं मा० मंत्री जी के उत्तर का अध्ययन किया। मा० सदस्य ने विशेषाधिकार हनन की सूचना नियम 49 के अन्तर्गत अभिसूचित की है जो प्रश्नों के संबंध में आधे घण्टे की चर्चा के लिये लागू होती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत ही विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दी जाती है। मा० सदस्य ने सूचना में दोषारोपित जिलाधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं किया है जबकि उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष पीठ से दिये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन वर्ष 1985-89 के निर्णय संख्या 597 में अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय दिया गया है कि "विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में दोषारोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम या व्यक्ति विशेष का पूरा नाम, पद तथा पता होना चाहिये। जिसके विरुद्ध प्रश्न उठाया गया हो।" उसके अतिरिक्त मा० सदस्य ने उक्त ब्रिज के उद्घाटन की तिथि का उल्लेख भी सूचना में नहीं किया है।

वर्णित परिस्थितियों में प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है अतः मैं इस अग्राह्य घोषित करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा ने जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 26 अगस्त, 1994 को दी है । सूचना में माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 31 मई, 1994 को थाना-निधौलीकलां, जनपद–एटा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–54/94 धारा–147, 148, 149, 307, 302 भारतीय दंड संहिता में गलत ढंग से फंसाये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने सही धाराओं का उल्लेख नहीं किया है । माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि दिनांक 9 जून, 1994 को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा जमानत आदेश होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया था परन्तु विधान सभा सचिवालय को इसकी सूचना तत्काल नहीं दी गयी ।

प्रश्नगत मामले में शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । मा० सदस्य श्री अजय कुमार पोइया की उक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जिलाधिकारी, एटा से प्राप्त की गयी आख्या के आधार पर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 27 जनवरी, 1995 में यह कहा कि दिनांक 31 मई, 1994 को विधान सभा उप चुनाव के दौरान विधान सभा क्षेत्र निधौलीकलां के ग्राम महेतू के पोलिंग स्टेशन के पास दिन में 11.00 बजे घटित फायरिंग की घटना में तीन व्यक्ति सर्वश्री राज बहादुर, छोटे लाल तथा राधेश्याम गुप्ता घायल हुए थे । इस घटना के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा को पूर्वाह्न 11.40 बजे बन्दी बनाया गया था और उनके विरुद्ध थाना–निधौलीकलां पर दिनांक २२ मई, 1994 को 12.05 बजे दिन में अभियोग अपराध संख्या 54/94 के अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, तथा 307 भारतीय दण्ड वि० पंजीकृत किया गया था माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तत्काल विशेष वाहक द्वारा माननीय अध्यक्ष को प्रेषित कर दी गयी थी जिसमें उक्त धाराओं का उल्लेख कर दिया गया था । तदुपरान्त घायल व्यक्तियों में से श्री राज बहादुर का उसी दिन दिनांक 31 मई, 1994 की 14.02 बजे निधन हो जाने के कारण अभियोग में धारा 302 भा० दं० वि० की वृद्धि की गयी । चूंकि जिस समय माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी की सूचना माननीय अध्यक्ष को प्रेषित की गयी थी उस समय धारा 302 भा० द० वि० की परिस्थिति नहीं थी इसलिये भेजी गयी सूचना में इसका उल्लेख नहीं किया गया ।इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा प्रेषित सूचना सही है । जहां तक माननीय सदस्य की दिनांक 9 जून, 1994 को जमानत पर रिहाई की सूचना माननीय अध्यक्ष को तत्काल प्रेषित न करने के संबंध में है, कारापाल तथा संबंधित अधिकारी को भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है ।

आगे यह भी कहा कि प्रश्नगत प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, एटा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा की मा० सदस्य के सम्मान को ठेस पहुंचाने के अथवा माननीय सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार हनन के उल्लंघन करने की कोई मंशा नहीं पायी गयी है ।

मा० सदस्य ने अपनी सूचना दिनांक 26 मई, 1994 में जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा के नामों का उल्लेख नहीं किया है । उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन वर्ष 1985-89 के निर्णय संख्या 597 के अनुसार "विशेषाधिकार की

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अवहेलना के प्रश्न में दोषारोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम या व्यक्ति विशेष का पूरा नाम, पद तथा पता होना चाहिये जिसके विरुद्ध प्रश्न उठाया गया हो।"

माननीय सदस्य की सूचना तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पत्र पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्राग्दर्शन में यद्यपि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। तथापि माननीय सदस्य की दिनांक 9 जून, 1994 को रिहाई की सूचना माननीय को 19 अगस्त, 1994 को भेजना संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का द्योतक है और नियमानुसार जिलाधिकारी/संबंधित जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा उक्त सूचना से तत्काल अध्यक्ष, विधान सभा को संसूचित किया जाना चाहिये था। अतः शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे भविष्य में मा० सदस्यों की रिहाई तथा गिरफ्तारी की सूचना यथास्थिति नियमानुसार तत्काल अध्यक्ष, विधान सभा को प्रेषित करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस प्रकरण में मा० मंत्री द्वारा दिये गये तथ्यों से स्थिति स्वतः स्पष्ट हो गयी है।

अतः वर्णित परिस्थितियों माननीय सदस्य की सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।]

देहरादून प्रशासन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री हरवंश कपूर, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत देहरादून प्रशासन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 18 सितम्बर, 1994 को अभिसूचित की है। माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 10 सितम्बर, 1994 को प्रातः 9 बजे देहरादून पुलिस द्वारा उनको उनके देहरादून स्थित आवास से बिना कारण बताये गिरफ्तार किया गया। बाद में शान्ति भंग होने की आशंका में धारा 107/116 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। दिनांक 10 सितम्बर, 1994 से दिनांक 12 सितम्बर, 1994 के सायं 5 बजे तक हिरासत में लिये गये लोगों के लिये जलपान एवं भोजन आदि की कोई भी व्यवस्था नहीं गयी। मा० सदस्य का यह भी कथन है कि जिस बस द्वारा माननीय सदस्य एवं अन्य लोगों को आजमगढ़ तथा आजमगढ़ से उन्नाव जेल भेजा गया उसमें केवल एक ही चालक था जिसके द्वारा 46 घण्टे तक 1300 किमी० की लगातार यात्रा सम्पन्न की गयी। 55 घण्टे तक जलपान एवं भोजन आदि की व्यवस्था नहीं की गयी तथा एक ही चालक द्वारा 1300 किमी० की लगातार यात्रा में थकावट एवं नींद के कारण किसी भी समय गम्भीर दुर्घटना घट सकती थी। माननीय सदस्य ने देहरादून प्रशासन पर गम्भीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए देहरादून प्रशासन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

इस संबंध में तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई। प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, देहरादून से प्राप्त आख्या के आधार पर तत्कालीन मानीनय संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) ने अपने पत्र दिनांक 24 जनवरी, 1995 द्वारा अवगत कराया है कि श्री हरवंश कपूर, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 10 सितम्बर, 1994 को उनके निवास स्थान से शान्ति भंग होने की आशंका के दृष्टिगत प्रातः 8.45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 25 अन्य कार्य कर्ताओं के साथ सायंकाल 6.10 बजे बस द्वारा चालक श्री सत्यपाल के माध्यम से आजमगढ़ तथा आजमगढ़ से लखनऊ होते हुए उन्नाव जेल ले जाया गया। इस मध्य बरेली एवं शाहजहांपुर पर भोजन व विश्राम आदि किया गया। माननीय मंत्री जी का आगे कथन है कि माननीय सदस्य 72 घंटे के

उपवास पर थे उनके उपवास घोषित किये जाने के कारण ही शान्ति भंग होने की संभावना को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी की गयी थी । माननीय सदस्य पूरी यात्रा में उपवास पर रहे एवं यात्रा के दौरान उन्होंने केवल केला व नींबू पानी आदि ही ग्रहण किया था अन्य सदस्यों को शासन द्वारा स्वीकृत रु० 5/- प्रति दर से खाद्य पदार्थ उपलब्ध कारये जाने पर उसे अपमानजनक व अपर्याप्त मानते हुए ठुकराया गया । माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि उक्त 46 घंटे की यात्रा यद्यपि एक ही चालक द्वारा सम्पन्न की गयी किन्तु चालक को रास्ते में दिन व रात्रि दोनों में ही विश्राम करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया और उस पर वाहन चलाने के लिये किसी प्रकार का कोई दबाव भी नहीं डाला गया अन्यथा वह इतनी लम्बी यात्रा कुशलतापूर्वक सम्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाता ।

मैंने माननीय सदस्य की सूचना एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पत्र का गहन अध्ययन किया । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में दोषारोपित अधिकारी के नाम व पद का उल्लेख नहीं किया है । अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । इस संबंध में पूर्व में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन वर्ष 1985-86 के निर्णय संख्या 597 (पृष्ठ 273) के अनुसार "विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न में दोषारोपित अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम पद तथा पता होना चाहिये जिसके विरुद्ध प्रश्न उठाया गया हो ।" यह भी उल्लेखनीय है कि विशेषाधिकार हनन का मामला तभी उठता है जब सदन या उसकी समिति के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निष्पादन में किसी अधिकारी द्वारा कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न किया गया हो ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। अतः माननीय सदस्य की उक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री बाबूराम तत्कालीन आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा ने उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63 के अन्तर्गत श्री बाबूराम तत्कालीन आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 6 अक्तूबर, 1994 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य का कथन है कि दिनांक 6 अक्तूबर, 1994 को अपराह्न 2 बजे वे श्री बाबूराम, आवास आयुक्त से मिलने उनके 104, महात्मा गांधी मार्ग स्थित कार्यालय में योजना संख्या–1 राधिका बिहार, मथुरा में मा० सदस्य को आवंटित भूखण्ड संख्या 491/1 तथा 492/2 के किश्त क्रय पद्धति के सम्बन्ध में बात करने गये एवं अपना परिचय दे कर बात करना चाहा तो आवास आयुक्त ने बात करने से इन्कार कर दिया और यह कहा कि अब उनका लंच का समय हो गया है अतः आप सांय 4.00 बजे आइयेगा । मा० सदस्य के यह कहने पर कि वे विधायक हैं उनकी बात सुन लीजिये तो उन्होंने कहा कि "यहां पर आप जैसे बहुत से विधायक आते रहते हैं ।" ऐसा कहते हुए वे बिना बात किये कमरे से बाहर निकल कर गाड़ी में बैठ-कर चले गये । मा० सदस्य का आगे कथन है कि उस समय उनके साथ विधायक श्री माम चन्द्र लाम्बा भी थे ।

सूचना के अन्त में मा० सदस्य ने कहा है कि तत्कालीन आवास आयुक्त के इस व्यवहार से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तथा सम्पूर्ण विधायकों का भी अपमान हुआ है । मा० सदस्य ने उक्त

घटना की जांच एवं साक्ष्य हेतु प्रश्नगत मामला विशेषाधिकार हनन समिति को सुपुर्द करने की मांग की है।

इस सम्बन्ध में प्रश्नगत मामले में तत्कालीन मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी जिस पर संयुक्त सचिव आवास विभाग ने अपने पत्र दिनांक 17 नवम्बर, 1994 के साथ तत्कालीन आवास आयुक्त श्री बाबूराम से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया है। आवास आयुक्त ने उक्त वार्ता के सम्बन्ध में न तो भूतकाल के लिए सही है, न वर्तमान और न ही भविष्य के लिए। किसी माननीय सदस्य से ऐसा व्यवहार किये जाने का विचार तक उनके मन में नहीं है और न कभी आयगा। उक्त प्रसंग में आवास आयुक्त का यह भी कथन है कि उपरोक्त के उपरान्त भी यदि किसी कारण माननीय सदस्य को मथुरा में आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में अथवा उनके प्रति किसी अन्य दृष्टिकोण से ठेस पहुंची हो तो उन्हें अत्यन्त खेद है एवं यह भी आश्वासन दिया है कि मा० सदस्य को भविष्य में शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा।

माननीय सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में शासन से प्राप्त जानकारी पर समुचित रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिनांक 6 अक्तूबर, 1994 को मा० सदस्य की तत्कालीन आवास आयुक्त से कथित वार्ता का सम्बन्ध सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्यों के निर्वहन से न होने के कारण प्रश्नगत विषय विशेषाधिकार हनन की परिधि में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत के पक्ष में कोई अभिलेख प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः वर्णित परिस्थितियों में मा० सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना विशेषाधिकार हनन के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

सचिव, राज्य विद्युत परिषद् के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत सचिव, राज्य विद्युत परिषद् के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 6 अक्तूबर, 1994 को अभिसूचित की है। मा० सदस्य का कथन है कि दिनांक 5 अक्तूबर, 1994 को जब वे सचिव, राज्य विद्युत परिषद् से क्षेत्रीय समस्याओं एवं कुछ अधिकारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में उनके कार्यालय गये तो वहां पहुंचने पर उन्होंने माननीय सदस्य को सोफे पर बैठने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य का कथन है कि तदुपरान्त सचिव, राज्य विद्युत परिषद् कुछ अन्य लोगों से वार्ता करने में व्यस्त हो गये। मा० सदस्य का आगे यह भी कथन है कि वार्ता का विषय, जिसे वे भी सुन रहे थे, यह था कि विधायकों/सांसदों का स्तर बहुत नीचे गिर गया है आदि-आदि असम्मानजनक भाषा तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। माननीय सदस्य का कहना है कि यह उनके तथा सदन के अवमानना एवं विशेषाधिकार की अवहेलना है।

इस संबंध में शासन से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। श्री ओ० पी० आर्य, सचिव, ऊर्जा, विभाग ने अपने पत्र दिनांक 28 दिसम्बर 1994 के साथ सचिव, विद्युत परिषद् श्री मारकण्डेय सिंह, तत्कालीन सचिव, राज्य विद्युत परिषद् के अभिकथन की प्रतिलिपि सहित सूचना भेजी है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मारकण्डेय सिंह ने अपने अभिकथन में लिखा है कि "माननीय सदस्य के आगमन की सूचना प्राप्त होने पर मैंने मा० सदस्य को अपने कक्ष में आमंत्रित किया । उस समय मेरे कक्ष में विद्युत परिषद् के कतिपय अधिकारियों की आवश्यक बैठक होने के कारण मा० सदस्य से क्षमा मांगते हुए यह अनुरोध किया, कि कुछ मिनटों में बैठक समाप्त होने पर विस्तार से उनकी बात सुनकर यथोचित कार्यवाही करूंगा।" सचिव, राज्य विद्युत परिषद् का आगे यह भी कहना है कि उनके इस कथन पर मा० सदस्य उत्तेजित हो गये और उठकर कक्ष से बाहर जाने लगे एवं धमकी दी कि 'तुम्हारे जैसे अफसरों से निपटना मैं भली भांति जानता हूं।' श्री मारकण्डेय सिंह का आगे यह भी कथन है कि इस संबंध में माननीय सदस्य की अवमानना करने या उन्हें किसी तरह का मानसिक कष्ट पहुंचाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी फिर भी यदि उनके किसी व्यवहार से मा० सदस्य की भावनायें आहत हुई हों तो उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया है । प्रश्नगत प्रकरण में शासन ने भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि श्री सिंह का मा० सदस्य की अवमानना करने की कोई मंशा नहीं थी ।

प्रश्नगत मामले में मैंने मा० सदस्य की सूचना एवं शासन से प्राप्त आख्या तथा सचिव, राज्य विद्युत परिषद्, श्री मारकण्डेय सिंह के अभिकथन का अध्ययन किया । माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, सचिव, राज्य विद्युत परिषद् से सदन अथवा उसकी किसी समिति के कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में मिलने नहीं गये थे बल्कि वह क्षेत्रीय समस्याओं एवं कुछ अधिकारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में मिलने गये थे । मा० सदस्य का सचिव, राज्य विद्युत परिषद् से मिलने का प्रयोजन सदन अथवा सदन की किसी समिति के कृत्यों के संबंध में नहीं था । इसके अतिरिक्त मा० सदस्य ने अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण प्रेषित नहीं किया है और न ही मा० सदस्य ने अपनी सूचना दिनांक 6 अक्तूबर, 1994 में दोषारोपित अधिकारी के नाम का उल्लेख किया है । उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन वर्ष 1985-89 के निर्णय संख्या–597 (पृष्ठ 273) के अनुसार "विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में दोषारोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम या व्यक्ति विशेष का पूरा नाम, पद एवं पता होना चाहिए जिसके विरुद्ध प्रश्न उठाया गया हो ।" इसके अतिरिक्त पूर्व निर्णय संख्या–620 (पृष्ठ 291) के अनुसार 'स्वेच्छा से यदि कोई सदस्य किसी अधिकारी के पास जाता है तो उसके साथ हुए दुर्व्यवहार को विशेषाधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती।' अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि विशेषाधिकार हनन का मामला तभी उठता है जब सदन या उसकी समिति के सदस्य की हैसियत से उसके कार्य निष्पादन में किसी अधिकारी द्वारा कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न किया गया हो ।

अतएव वर्णित परिस्थिति में मैं मा० सदस्य की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

श्री विजय कुमार पुलिस अधीक्षक, बांदा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री राज कुमार शिवहरे, सदस्य, विधान सभा ने अपने पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 में अपने पूर्व पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 1994 का संदर्भ देते हुये श्री विजय कुमार, पुलिस अधीक्षक, बांदा के विरुद्ध विशेषाधिकार के अन्तर्गत कार्यवाही करने की मांग की है । माननीय सदस्य ने उक्त पत्र के साथ

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा (श्री विजय कुमार) के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा पारित निन्दा प्रस्तावों की प्रतियां भी संलग्न किया है।

माननीय सदस्य की सूचना में संदर्भित पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 1994 में यह उल्लेख किया गया है कि 'दिनांक 19 नवम्बर, 1994 को मैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा एक परिचालक की हत्या के विरोध में किये जा रहे चक्का जाम का जनप्रतिनिधि होने के नाते अगवाई कर रहा था। उसी समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थल पर पहुंचकर सार्वजनिक रूप में कहा कि "सालों को उठाकर भगा दो और बसों में आग लगा दो।" माननीय सदस्य ने यह भी लिखा है कि उनके (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) इस आचरण से सदन की घोर अवमानना हुई है एवं जनप्रतिनिधि के साथ प्रोटोकाल के अन्तर्गत व्यवहार नहीं किया गया है। माननीय सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 19-11-1994 के अन्त में ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उनके जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग की है।

माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 1994 को शिकायती पत्र, जैसा कि उसमें अंकित तथ्यों से स्पष्ट होता है, के रूप में निस्तारित करते हुये उसकी छाया प्रति यथोचित कार्यवाही हेतु माननीय मुख्य मंत्री को यथासमय भेज दिया गया।

मैंने माननीय सदस्य की सूचना का अध्ययन किया। मा० सदस्य द्वारा जो सूचना दी गयी है उसमें मा० सदस्य के सदन से सम्बन्धित कार्यों अथवा सदन की किसी समिति के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके साथ ही साथ माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 1994 की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 12 दिसम्बर, 1994 की सूचना अभिसूचित की गयी है जो विलम्बित भी है और प्रक्रिया नियमावली के नियम 65 (1) की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है। अतः मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।]

तत्कालीन शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री तीरथ राज, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 1994 को अभिसूचित की है। सूचना में मा० सदस्य का कथन है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर में 'न्यायालय से संबंधित पत्रावलियां' को सील करने की बात मा० शिक्षा मंत्री द्वारा स्वीकार की गयी है जो नितान्त असत्य है। मा० सदस्य ने प्रमाण-स्वरूप न्यायालय का प्रश्नोत्तर संलग्न किया है और यह कहा है कि प्रश्नोत्तर के अनुसार सम्बन्धित पत्रावली को न तो सील किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई निर्देश न्यायालय को प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य ने प्रश्नगत मामले को विशेषाधिकार हनन मानकर विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का अनुरोध किया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत मामले में तत्कालीन मा० शिक्षा मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया । तत्कालीन मा० शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 28 जनवरी, 1995 द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत सूचना में वर्णित अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर में शिकायतकर्ता श्री परमेन्द्र विक्रम सिंह 'बाबा' के अनुरोध पर 'न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावलियां' बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सील की गयी है । माननीय मंत्री जी ने आगे कहा है कि न्यायालय की पत्रावलियां न्यायालय द्वारा ही सील की जा सकती है । प्रश्न के सन्दर्भ में दिये गये उत्तर का आशय स्पष्ट करते हुये मा० मंत्री जी का कथन है कि न्यायालय में लम्बित वादों/प्रकरणों से सम्बधित पत्रावलियां, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी की अभिरक्षा में थी, को सील करने की बात प्रश्न के उत्तर में स्वीकार की गयी हैं ।

मा० सदस्य की सूचना एवं इस संबंध में मा० शिक्षा मंत्री के अभिकथन पर सम्यकरूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० मंत्री जी द्वारा सदन में दिया गया उत्तर असत्य एवं भ्रामक नहीं है । अतएव प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है ।

अतः वर्णित परिस्थिति में मैं उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

बरेली से प्रकाशित "दैनिक जागरण" एवं "अमर उजाला" समाचार पत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री बच्ची सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 (त्रुटिवश सूचना में 263/265 अंकित) के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है । सूचना में माननीय सदस्य का कथन है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भिकयासेन के बडियाली तिराहे पर 30 नवम्बर, 1994 को आयोजित सभा में नैनीताल क्षेत्र के सांसद श्री बलराज पासी के सम्बोधन के उपरान्त उनके द्वारा सभा का समापन करते समय उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, उत्तराखण्ड संयुक्त समिति आदि के कुछ सदस्य सभा में व्यवधान डालने एवं हिंसा के इरादे से वहां पहुंचे तथा धक्का-मुक्की एवं गाली गलौज आदि किया एवं बाद में मा० सदस्य की प्रतिष्ठा व मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से अपुष्ट समाचारों का प्रकाशन कराया गया । मा० सदस्य ने सूचना में आगे कहा है कि दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 को बरेली से प्रकाशित 'दैनिक जागरण' एवं 'अमर उजाला' समाचार पत्रों में उपरोक्त घटना के बारे में झूठे समाचार प्रकाशित किये गये । मा० सदस्य का आगे यह भी कहना है कि समाचारों के बिना पुष्टि कराये समाचार पत्रों के प्रधान सम्पादकों ने घोर लापरवाही का परिचय देते हुए उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचायी है एवं अवमानना की है । उन्होंने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने का अनुरोध किया है ।

मैंने मा० सदस्य की सूचना एवं संलग्न समाचार-पत्रों की कटिंग का अध्ययन किया। मा० सदस्य ने अपनी सूचना के साथ विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनों की फोटो-स्टेट प्रति संलग्न की है । जबकि सूचना के साथ समाचार पत्र की पूरी प्रति संलग्न की जानी चाहिए । उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन वर्ष 1985-89 के निर्णय संख्या 628 (पृष्ठ 297-298) में अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय दिया गया है कि "केवल समाचार पत्र की कटिंग नहीं अपितु पूरा समाचार-पत्र विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के साथ संलग्न होना चाहिए ।" इसके अतिरिक्त

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपरोक्त वर्णित घटना का संबंध सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य के निष्पादन से संबंधित नहीं है। इस संबंध में उक्त संकलन के निर्णय संख्या 578 (पृष्ठ 259) के अनुसार "सदस्य को समितियों, सदन के कार्य से जाने या कार्य करने में बाधा पहुंचाने पर ही विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है।" मैंने सूचना के साथ संलग्न विभिन्न समाचार पत्रों की कटिंग का भी अध्ययन किया। उसमें जो कुछ भी लिखा गया है वह इस आदरणीय सदन या उसके किसी सदस्य के कर्तव्यों के विषय से संबंधित नहीं है। कौल एवं शकधर की पुस्तक संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार (हिन्दी संस्करण) के पृष्ठ 246 पर यह मत व्यक्त किया गया है कि "किसी संसद सदस्य के संबंध में कोई अपमान लेख तभी विशेषाधिकार भंग माना जा सकता है जबकि उसमें सदस्य होने के नाते उसके आचरण या चरित्र पर आक्षेप किया गया हो और वह उन विषयों पर आधारित होना चाहिए जो सभा के कार्य के संचालन में उठते हों। यदि सदस्यों पर सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य हैसियत से आक्षेप किया जाय तो वह सभा का विशेषाधिकार भंग या अवमान नहीं होता।"

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त समाचार 1/2 दिसम्बर, 1994 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है जबकि मा० सदस्य की सूचना 5 जनवरी, 1995 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार यह सूचना विलम्बित भी है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष पह पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।]

अतः मैं मा० सदस्य की उक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति आदि समितियों में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री राम सरन वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 7 फरवरी, 1995 को अभिसूचित की गयी है। सूचना में मा० सदस्य का कथन है कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति, सड़क एवं परिवहन समिति, जिला ग्राम्य विकास एवं अभिकरण समिति, जिला शिक्षा सलाहकार समिति, सिंचाई सलाहकार समिति तथा अन्य अनेकों समितियां जिनमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं सहमति लिया जाना अपेक्षित एवं अपरिहार्य होता है। तत्सम्बन्धी बैठकें बगैर जनप्रतिनिधियों को सूचित किये, आमंत्रित की जाती है तथा उनके सुझावों एवं प्रस्तावों को अनदेखा किया जा रहा है। मा० सदस्य ने आगे कहा है कि सामान्यतः सम्पूर्ण प्रदेश में आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० एवं उच्चवर्गीय अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल की उपेक्षा किया जाना, परिवर्तित किये जाने की परम्परा डालने के लिए प्रयत्नशील है।

अन्त में माननीय सदस्य ने इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

मैंने मा० सदस्य की सूचना का भली भांति अध्ययन किया। मा० सदस्य की सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि विशेषाधिकार हनन की सूचना किसके विरुद्ध अभिसूचित की गयी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (1985-89) के निर्णय संख्या

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

597 (पृष्ठ 273) पर यह निर्णय दिया गया है कि "विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में दोषारोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम या व्यक्ति विशेष का पूरा नाम, पद एवं पता होना चाहिए जिसके विरुद्ध प्रश्न उठाया गया हो।" इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने सूचना में किसी विशेष घटना एवं तिथि का भी उल्लेख नहीं किया है। इस संबंध में अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के उक्त संकलन के निर्णय संख्या 626 (पृष्ठ 296) पर यह निर्णय दिया गया है कि "किसी घटना की निश्चित तिथि का उल्लेख न होने पर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं बनता।"

अतः मा० सदस्य श्री राम सरन वर्मा द्वारा अभिसूचित सूचना में दोषारोपित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम, पद व पता तथा किसी निश्चित घटना एवं उसकी तिथि का उल्लेख न होने के कारण विशेषाधिकार हनन का प्रश्न, प्राग्दर्शन में, अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

सत्र की समाप्ति पर सदन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

मा० मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। मेरी दिली तमन्ना थी कि आज इस सत्र के अन्तिम दिन मुझे पूरे दिन हाउस में बैठना चाहिए था और आप लोगों के साथ बैठककर आपके विचारों को सुनती। लेकिन आज, मुझे फिरोजाबाद और आगरा जाना पड़ा क्योंकि जो 20 तारीख को रेल दुर्घटना हुई जिसमें काफी लोग मारे गये और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। मैं तो 20 तारीख को ही वहां से होकर आ गयी थी और उत्तर प्रदेश सरकार को जो कुछ जरूरी कदम उठाना चाहिए था वह उसने उठाये भी। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि, वैसे तो प्रधान मंत्री जी का कल आने का प्रोग्राम था, परसों मुझे जल्दी जाना पड़ा, लेकिन फिर मालूम पड़ा प्रधान मंत्री जी आज आगरा और फिरोजाबाद में आयेंगे तो जब प्रोग्राम की जानकारी मिली तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हमारे प्रधान मंत्री जी प्रदेश में आ रहे हैं और खुशी के मौके पर नहीं, बल्कि एक दुखद घटना के मौके पर, तो मुझे उधर जरूर पहुंचना चाहिए इसलिये मैं सुबह 6.30 बजे लखनऊ से निकल गयी और प्रधान मंत्री जी का दौरा ठीक-ठाक रहा और वह वापस दिल्ली चले गये उसके बाद लखनऊ लौटकर सीधी इधर की आ रही हूं। लेकिन आज सत्र के आखिरी दिन पर मुझे कटाक्ष तो नहीं करना चाहिए लेकिन इतना जरूर आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि बड़े दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है चाहे कोई भी लोग हो जब दुख का मौका आता है तो उस मौके पर राजनीतिक पार्टी के लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसे मौके पर सहयोग देना चाहिए। फिरोजाबाद में बहुद दुखद घटना घटी। अब मरने वालों की संख्या भी बढ़ गयी है, अब तक 305 लोग मर चुके हैं और काफी लोग जख्मी हैं। 20 तारीख को घटना घटी, मैं 20 तारीख को ही वहां गयी, रेल मंत्री जी भी वहां पर आये, अन्य पार्टी के नेता भी उधर गये लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जो उधर से चुनकर आये, उनको 20 तारीख को जाना चाहिए था क्योंकि उनका क्षेत्र था लेकिन वह 20, 21 और 22 तारीख को नहीं गये। आज जब प्रधान मंत्री जी आने वाले थे, तो ऐसे मौके पर नारेबाजी करने के लिये आये ताकि इस दुःखद घटना का राजनीतिक फायदा उठा सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब प्रधान मंत्री जी आये थे तो उनसे अपना दुख शो करना चाहिए था। प्रधान मंत्री जी आगरा पहुंचे उस समय मैं फिरोजाबाद पहुंचने वाली थी। हमारे पहुंचने के 15–20 मिनट पहले मुलायम सिंह यादव जी पहुंचे और वहां जाकर कुछ असामाजिक तत्वों, गुण्डा एलीमेन्ट को वहां पर एकत्र किया गया और प्रधान मंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी की गयी। मैं समझती हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। ऐसे मौके राजनीतिक फायदा उठाने के लिये नहीं होते। इस मौके पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग देने की जरूरत है। मैं यह बात आपके सामने इसलिये

रख रही हूं कि जब मैं वापस लौट रही थी तो रास्ते में सोचती हुई आ रही थी कि कोई कुछ बोलेगा, कल पेपरों में छपेगा वह कुछ और होगा । इसलिये हकीकत बताना चाहती हूं कि मुलायम सिंह यादव जी वहीं से चुनकर आये, उनको 20, 21 या 22 को जाना चाहिए, आज जब प्रधान मंत्री जी आये तो उनका रवैया सही नहीं था । देश के प्रधान मंत्री आये थे, ऐसे मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए ।

2 जून, 1995 को जो घटना घटी, उसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और प्रधान मंत्री जी भी समझ गये हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को केवल राजनीति से मतलब है किसी के सुख-दुख में, किस मौके पर हमें क्या करना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना मुनासिब समझती हूं ।

यह जो सत्र था काफी लम्बा चला, इस पूरे सत्र में हर पार्टी के नेता ने, माननीय सदस्यों ने अपने ख्यालात रखे, विचारों का आदान-प्रदान हुआ और मैं समझती हूं कि विचारों का आदान-प्रदान लोकतंत्र का आधार है । एक दूसरे को अपनी बात अनुशासन और नियम के अन्तर्गत रखने का अधिकार भी है। हालांकि हमारे भाई प्रमोद तिवारी जी, जब मैं मथुरा के ऊपर बोल रही थी तो थोड़ा नाराज हो गये थे कि मुख्य मंत्री जी उठकर चली गयीं । मैं अपने भाई को बताना चाहती हूं कि मैंने कोई सदन की अवमानना नहीं की थी । उठकर इसलिये गयी थी कि हमारे भाई मलिक जी ने सब्जेक्ट बदल दिया । माननीय प्रधान मंत्री जी को दूसरे दिन आना था उनका प्रबन्ध भी करवाना था । हमारे बुजुर्ग भाई हृदय नारायण दीक्षित जी, उनसे मैंने पूछा तो वह बोले कि बहिन जी आप चली जाओ । लेकिन बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ । हमारे भाई तिवारी जी और कुछ अन्य पार्टी के नेतागण ने महसूस किया कि मुख्य मंत्री जी को नहीं जानाा चाहिए था । मैं सदन की अवमानना नहीं करना चाहती, न आगे करूंगी । मैं आप सब लोगों की भावनाओं की कद्र करती हूं । आदर और सम्मान देना हमारा कर्तव्य होता है । विचारों में चाहे जितनी कटुता आयी हो परन्तु लोकतंत्र में एक दूसरे को धैर्य से सुनना जरूरी है । पूरे सत्र में काफी विचारों का आदान-प्रदान हुआ, गर्मा-गर्मी हुई और नोंक-झोंक हुई परन्तु यह खुशी की बात है कि आप सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया । मैंने कई माननीय सदस्यों को यह कहते हुए सुना, यद्यपि मैं इस सदन की सदस्या नहीं थी और न ही मिनिस्टर रही, कि पिछली सरकार में डिस्कसन का मौका तक नहीं दिया जाता था । खास तौर से मैं इस उच्च सीट पर कोई कटाक्ष करना नहीं चाहती हूं, परन्तु यह बात आप ही लोग बताते थे कि पिछले स्पीकर साहब किसी की सुनते ही नहीं थे और कह देते थे कि पास हो गया । इस बात से यह सदन पूर्णरूप से सहमत होगा कि स्पीकर साहब ने भी पूरा सहयोग दिया और आप लोगों का भी स्पीकर साहब को पूरा सहयोग मिला । कभी-कभी गर्मा-गर्मी हुई, अभी दो दिन पहले ही कुछ लोग गर्म हो गये [× × ×] । इस सदन के नेतागण व माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा को समझते हैं । यदि कभी ऐसे क्षण आयें भी तो वह जल्दी ही ठण्डे क्षण में बदल गये । मैं इसे बहुत बड़ा क्रेडिट मानती हूं कि सभी लोगों ने सहयोग दिया । जनता के कल्याण के लिये प्रदेश हित में सद्भाव और सौहार्द की भावना से मिलकर हम सब लोग चिन्तन करते हैं और सोच विचार करते हैं और अन्त में जनता के हित में सही फैसला लेते हैं । विचारों का आदान-प्रदान और विचारधाराओं में टकराव भी हमारे प्रजातंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करती है । अब हम सभी सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्रों में जायेंगे । मुझे विश्वास है कि प्रदेश के विकास के लिये सभी सदस्यगण अपना सहयोग देंगे । मैं सहयोग के लिये सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं । इस सत्र के अन्तिम दिन, नेता

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विरोधी दल की अनुपस्थिति की तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यद्यपि वह इस सत्र में, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी अगर अपने दल के साथ इस सदन में रहे होते तो उनके विचारों से यह सदन लाभान्वित होता और जनता उनके विचारों से लाभान्वित होती। परन्तु दूर्भाग्य से कुछ दलों के बहिष्कार के कारण वहां की जनता को स्वर नहीं मिल सका, परन्तु मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि यद्यपि उनकी बात को यहां पर नहीं रखा जा सका है लेकिन हमारी सरकार उनका भी पूरा ख्याल रखेगी ताकि लोकतंत्र में उनकी आस्था बनी रहे। माननीय अध्यक्ष जी के प्रति, अधिष्ठाता मण्डल के प्रति तथा आपके कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने बड़ी कुशलता से इस सदन के संचालन में अपना योगदान दिया है। मुझे यह बताया गया कि विधान सभा के मार्शल एवं अन्य सभी सुरक्षा कर्मियों का पौष्टिक आहार भत्ता 200 रु० प्रतिमाह है, जो बहुत कम है। आज सत्र के अन्तिम दिन मैं उस दो सौ रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर पुलिस कर्मियों के समान रु० 350 तात्कालिक प्रभाव से किया जाता है।

अन्त में मैं माननीय स्पीकर साहब और अन्य तमाम पार्टियों के नेताओं और सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। सब लोगों ने इस सत्र को चलाने में सहयोग दिया।

* श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

श्रीमन्, वर्तमान उपवेशन का आज अन्तिम दिवस है। जब आज हम यहां से उठेंगे तो उसके पश्चात् कई महीनों बाद हम लोग फिर मिलेंगे। आज प्रातःकाल से ही हम लोग उत्सुक थे कि माननीया नेता सदन हमारे बीच में रहें लेकिन मालूम हो गया था कि आज देश के प्रधान मंत्री इस दशक की सबसे बड़ी त्रासदी जो फिरोजाबाद में हुई हैं उसको देखने आये हैं हम माननीया नेता सदन को बधाई देते हैं यद्यपि सदन का कार्य आवश्यक था लेकिन जो बहुत संवेदनशील मामला था जिसमें अनेकों लोग कालकवलित हो गये अनेकों परिवार जिसमें बेसहारा हो गये उनको देखने के लिये वह पहुंचीं और उसी दिन वहां पहुंची मैंने टेलीफोन में भी बधाई दी थी उनके वहां पहुंचने के लिये। वह कालिन्दी एक्सप्रेस फर्रुखाबाद मेरे विधान सभा क्षेत्र से रवाना होती है। मुझे इस बात की पीड़ा है उस दुर्घटना में मरने वालों में 100 के लगभग हमारे फर्रुखाबाद जनपद के हैं। मैं भी 20 ता० को इटावा के एक कार्यक्रम में गया था और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भी वहां गया तो मुझे मालूम हुआ कि माननीया नेता सदन वहां पहुंची थी और उसके कुछ देर बाद मैं पहुंचा। मैंने भी लोगों को कहते हुए सुना था,उस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो खुद एक बार नहीं-दो दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे जनता अपेक्षा कर रही थी कि वह वहां पहुंचे। दुख तब होता है जब हर किसी की आंखें नम होती है, जब किसी का गला रुंधा होता है तो उसमें लोगों को सांत्वना दी जाती है लेकिन जब लोग उसमें राजनीति करते हैं और संवेदना को सियासत में बदलना चाहते हैं तो उससे दुख होता है। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के जैसा कि लोग कहते हैं 20 तारीख को जब माननीया मुख्य मंत्री वहां पहुंची तो उनके चले आने के बाद और उनकी उपस्थिति में भी कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया। जहां पूरे फिरोजाबाद जनपद में सरकारी कार्यालय बन्द रहे, चहरी बन्द रही उस समय भी समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने वहां हुड़दंग मचाया जिसमें वहां के कुछ लड़कों के साथ कचहरी में और सड़कों में उपद्रव मचाया। पता नहीं हम कहां जा रहे हैं ऐसे क्षणों में निश्चित रूप से संवेदनशील होना चाहिये। वहां देश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के प्रधानमंत्री ने आकर जनता के साथ सहानुभूति अर्पित की और सहायता का आश्वासन दिया उसके लिये हम उन्हें बधाई देते हैं और अपने मुख्य मंत्री को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे परिवारों का जिनका कुछ नहीं रह गया था उनको सहायता दी । मान्यवर, एक पहलू और देखने को मिला कि फिरोजाबाद की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वहां की जनता ने जो घायलों, अपाहिजों की सेवा की है और मृतकों के साथ संवेदना दिखाई है वह अवर्णनीय है । मृतकों के लिये कफन अपने पैसे से खरीद कर ला रहे थे । मान्यवर, निश्चित रूप से जिन्होंने इस त्रासदी के समय घायलों, अपाहिजों और बसहारों की जो सेवा की है, उसके लिये मैं उनको अपनी ओर से और अपने दल की ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, यह पूरा सत्र खट्टी मीठी यादगारों से भरा रहा है । प्रदेश में एक परिवर्तन हुआ और उसकी झलक सदन में भी दिखाई दी । मान्यवर, उस उच्च आसन पर जो आपसे पहले बैठते थे उनका नाम वर्मा था । लेकिन आपमें और उनमें जमीन आसमान का अन्तर हमने देखा । जहां उनके समय में विचारों के आदान-प्रदान का अवसर भी नहीं मिलता था ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं इस संबंध में एक सूक्ति कहना चाहता हूं–

उपजहिं जलज जोंक जलमाहीं

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, श्री ऊदल जी ने तुलसी जी की पंक्तियां सुनाकर आपको चरितार्थ करते हुए गागर में सागर भरने का प्रयास किया है । श्री ऊदल जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और जो सूक्ति उन्होंने अभी सुनाई है उसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि खट्ठी मीठी यादगारों का यह उपवेशन रहा है और निश्चित रूप से 19 और 20 जून 1995 की तारीख याद में रहेगी । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर रहा है कि जब सर्वसम्मति से, जो लोग उपस्थित थे सदन में, जो बैठे हैं, उन्होंने एक मत से कुछ निर्णय लिये थे और यह दुखद अवसर रहा किन्तु खुशी भी हुई थी । मान्यवर, पहली बार ऐसा हुआ कि इस गरिमामयी आसन पर जहां राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन, श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जैसे न जाने कितने लोगों ने इस गरिमामयी कुर्सी पर बैठकर उसे गरिमामयी बनाया और गौरव को बढ़ाया जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं । लेकिन वहीं हमको पूर्व अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रकट करना पड़ा जो बहुत ही दुखद क्षण था । लेकिन यह प्रसन्ता की बात है कि आज उस गरिमामयी कुर्सी पर आप विराजमान हैं । लोगों ने सोचा था कि कम आयु के आप हैं और सदन जटिलताओं से भरा है, जहां प्रतिपक्ष में बैठे लोग अपने तर्क से अपने सूझबूझ से और जनमानस की समस्याओं से सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे वहीं आपने अपनी जिस कुशलता और क्षमता से इस सदन का संचालन किया और मैं समझता हूं कि भाजपा और बसपा एवं अन्य दल के नेताओं ने प्रदेश की जो ज्वलन्त समस्यायें रही हैं वह चाहे सूखें की हो या बाढ़ की हो या गन्ने की हो उसे अच्छे ढंग से उठाया और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष, श्री मुलायम सिंह, होते तो अच्छा होता और लोकतंत्र को मजबूत किया होता लेकिन सदन का बहिष्कार करके कुछ पाया नहीं बल्कि उन्होंने कुछ खोया है, इससे अनुभव होता है कि उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, लेकिन सदन की तो कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी की अनुपस्थिति में जिस कुशलता और सूझबूझ से, भाई चारे से यहां हास्य-विनोद किया क्योंकि कभी कभी यहां कटुता आ जाती थी तो वह

कटुता क्षण भर में मुस्कराहट में बदल जाती थी और विशेषकर जब पीठ पर आपको मुस्कराते हुए हम देखते थे । तो यदि कभी क्रोध होता भी था तो वह शान्ति और मुस्कराहट में बदल जाता था । हमारे मंत्रियों ने भी आपके निदेश पर चलने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन अनुभव की कमी थी इसलिये कभी हास्यास्पद क्षण आये भी । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे अच्छी तरह से प्रयास करेंगे । विशेषकर हमारे बीच में नये-नये आये हुए कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसे हैं, जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत किया है और वरिष्ठ व अनुभवी लोगों से बहुत कुछ सीखते हुए उनके साथ स्पर्धा भी की है । ऐसे अवसर पर मैं पूरे सदन को, आपके मंत्रिमंडल और प्रतिपक्ष में बैठे हुए नेताओं श्री प्रमोद तिवारी, श्री ऊदल जी बहुत से लोग हैं किसका किसका नाम लूं सभी को एक-एक को धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि हम सब लोग इस उपवेशन की सुखद स्मृति लेते हुए अपने अपने घरों में मुस्कराते हुए जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अन्त में अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, (कुछ रूक कर) मैं कोशिश कर रहा हूं कि वैसे ही मुस्कराऊं जैसे आप (मुख्यमंत्री) मुस्कराई हैं ।

सुश्री मायावती–

मुझे लगता है कि प्रमोद तिवारी जी कुछ ज्यादा मुस्कराते हैं, आपको देखकर सभी हंसते हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा मेरी बदकिस्मती देखिये कि जिसको देखकर मैं मुस्कराता हूं, उसको मेरा मुस्कराना अच्छा नहीं लगता है । (व्यवधान) मैं आप जैसे बुड्ढे आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, आप बीच में कूद पड़ते हैं । तो यह हमारा बहुत लम्बा सत्र चला । सूखे में हम लोग यहां आये थे और जब यह सदन समाप्त हो रहा है तो आज प्रदेश में बाढ़ की समस्या है । खैर अच्छा ही हुआ अच्छा पानी बरस गया, नहीं तो कठिन परिस्थितियां आतीं प्रदेश की जनता के सामने । इस सत्र में अच्छे अच्छे कई निर्णय भी हुए, विपक्ष और सत्ता पक्ष ने अपने अपने हकों को जाहिर किया । वर्तमान सत्र में एक बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा जो निर्णय लिया गया, लाटरी पर रोक लगाने का, उसके लिये मैं सरकार को और सबको बधाई देता हूं । वह एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है । उसके लिये सदन को और सबको बधाई देता हूं । इस सत्र में एक नई बात मैंने देखी, जो नये सदस्य आये हैं उनमें एक होड़ रही है कि कौन बोलेगा । यह हमारे लोकतंत्र के लिये एक शुभ संकेत है । वह अपनी बात कहने का प्रयास करते थे । हम सोच सकते हैं कि उनमें अनुभव की कमी रही होगी, लेकिन उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं थी । उनमें उत्साह रहेगा तो अनुभव अपने आप धीरे धीरे आ जायेगा । कुछ नाम इस समय मैं अवश्य लेना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी के विषय में कहना चाहूंगा, उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि पूरे दिन सदन में रहूं । मैं तो चाहता था कि जितने भी दिन सदन चला है, सब दिन वह पूरा दिन सदन में रहतीं । भविष्य में इसे ध्यान में रखकर आप प्रयास अवश्य करें ।

यदि आप यहां मौजूद रहती तो हम बहुत सी बातें ऐसी निश्चित कहते, जो आपको सरकार चलाने में मददगार साबित होती । इसलिये मैं चाहूंगा कि आप सदन में रहें । इसमें आपने प्रयास भी किया, किन्तु इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियां भी हो सकती हैं, जिससे यह नहीं हो सका । लेकिन आपने प्रयास किया । मैं आपसे उम्मीद कर रहा था और फिर कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर आपकी नजरे इनायत ज्यादा रहती हैं, कि आज सदन (समय 5 बजे) जब उठने लगें तो धन्यवाद देते हुए एक घोषणा अवश्य करें । विधान सभा के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और उत्तर

प्रदेश की विकास में सबकी भागीदारी होती है अगर आप सबको एक-एक करोड़ देकर भेज दें तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश का विकास हो जायेगा । यह आपके लिये बहुत मुश्किल काम नही है । (मेजें थपथपाई गई) मेरे आग्रह में कितना बल है यह तो मेजों की थपथपाहट से आपकी समझ में आ गया होगा । अगर आप इस घोषणा को करेंगी तो उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक और विकास के प्रति समर्पित मुख्य मंत्री के रूप में जानी जायेगी । किसी भी मुख्यमंत्री के लिये तत्काल घोषणा करना मुश्किल होता है । आप अपने अधिकारियों को बुलाकर कहीं से पैसा अगर निकल सके तो एक मुश्त नहीं तो किश्तों में देने की घोषणा कर दें । घोषणा न करें तो विचार ही अवश्य करें ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे और सत्तारूढ़ दल से जैसा कि अभी द्विवेदी ने ठीक कहा कि हमारे नेता विरोधी दल अगर मौजूद होते तो अच्छा होता । उन्होंने अपने कर्तव्य और जनता के प्रति जो उनका वायदा था उसका पालन नहीं किया है । उनकी सोच, समझने का ढंग अलग हो सकता है । जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है उसके प्रति उनके कुछ कर्तव्य होते हैं । उनकी आवाज का यहां सदन में उठाना पहला फर्ज होता है । उन्होंने अपने फर्ज में कोताही की है जिसके लिये वहां की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी । विरोध पक्ष के रूप में उन्हें यहां बैठना चाहिये था । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष से कि हम जितने भी गिने चुने लोग हैं अगर हमने अपने विरोध पक्ष का निर्वहन नहीं किया होता तो इस सदन की कार्यवाही की सैंक्टिटी क्या होती । आपकी क्रेडिबिलिटी क्या होती । जो भी कार्य होता वह हो तो जाता आप उसे यहां पास करा लेते लेकिन वह जनता की नजर में सही नहीं होता । हमने कभी-कभी विरोध करके अपने कर्तव्य का पालन किया है और आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है जितनी बातों की तरफ हम आपका ध्यान खींच सकते थे हमने नियमावली के नियमों के तहत वह भी किया है । हमने जो भी बातें विरोध में कहीं हैं उन्हें सत्ता पक्ष अपने ऊपर न ले । जो भी उस पीठ पर बैठते है उसके प्रति कहीं जाती हैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं । आलोचना होती है लेकिन नीतियों की किसी व्यक्ति की नहीं । पीठ की आलोचना होती है, पदधारक की नहीं । मैं विरोधी पक्ष के लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा । 60 आप होंगे, 5-6 लोकतांत्रिक समाजवादी दल के और 176 भारतीय जनता पार्टी के इनके सामने हम 32, 4, 36, 37, 38 होंगे । इतना बड़ा गैप मैंने सन् 80 से मैं लगातार चुनकर आ रहा हूं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं देखा है । संख्या भले ही कम रही हो परन्तु कोई जनहित की बात ऐसी नहीं थी कि जिसको हमने उठाया न हो और और आपका ध्यान न खीचा हो । इस सफलता के लिये माननीया मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह आपका नया सत्र था आपने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दीक्षित जी की राय लेती रहीं । जब तक दीक्षित जी की राय लेती रहीं तब तक ठीक रहा । लेकिन इनकी राय कम लिया कीजिये । मान्यवर, आप अनुमति दें तो दीक्षित जी के लिये कुछ कहना चाहूंगा ।

मान्यवर, दीक्षित जी सरकार के लिये संकट मोचक के रूप में उभरे । जब सरकार संकट में फंसी इन्होंने उसे उबारा । अकेले दम पर हमारा मुकाबला करते रहे । सरकार के पास ताकत थी और निहत्थे थे हम जानते थे कि निर्णय इनके पक्ष में होगा फिर भी हम इनके ज्ञान, अनुभव और सादगी के कायल हुए । इसके लिये हम इनका साधुवाद करते हैं । इनकी सादगी बनी रहे, इसकी हम कामना करते हैं । चाहे स्वास्थ्य विभाग रहा हो, गृह विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, उनसे संबंधित समस्याओं के प्रश्न के उत्तर के लिये खड़े हो जाते थे क्योंकि "सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का" तो उनको तो जीतना ही था । मान्यवर, इस बार इस सरकार को एक रोग लग गया था विपक्षिया का,इस रोग से यह कंपकपाती थी,उस वक्त दीक्षितसिया डाक्टर की होम्योपैथिक दवाई काम आती थी । जब मुख्यमंत्री जी नहीं रहती थीं तो दीक्षित जी ठीक रहते थे जब यह पास बैठती हैं तो यह कंपकपाने लगते हैं । मैं नहीं

जानता क्या बात है, कौन सी कमजोरी है, इसको सुधारिये, मुझे आशा है आगे इसमें आप सुधार करेंगे। मंत्रिपरिषद् में इस बार मान्यवर, कुछ पुराने लोग रहे जैसे राम लखन वर्मा जी हैं इनको आपने सही विभाग दिया वह जंगल के शेर की तरह लगते भी हैं। मान्यवर, ज्यादातर मंत्री जो थे वह इस बार नये थे हो सकता है उनको ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन किसी मंत्री की विनम्रता में कहीं कोई कमी नहीं थी एक-दो को छोड़कर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं सबकी इस बात के लिये प्रशंसा करता हूं, विनम्रता बहुत बड़ी चीज है।

मैं सचिव महोदय को, उनके साथ लगे लोगों को,अधिकारियों को ट्रांसलेटर्स को भी बधाई देता हूं। इन सबका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। पत्रकारों के बारे में नहीं कहा जा सकता है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा दर्शक दीर्घा भरी रहती है तो उत्साह रहता है। कुछ लोग तो मान्यवर आपको सम्बोधित न करके दर्शक दीर्घा को सम्बोधित करते थे। दर्शक दीर्घा भरी रही अब पता नहीं हमारा आकर्षण था या मुख्य मंत्री जी का था। जो दर्शक दीर्घा में उत्साह बनाये रखा वह अच्छी बात है। मान्यवर, एक बात आखिर में अध्यक्ष जी आपके लिये कहना चाहता हूं विपरीत परिस्थितियों में आप आये पहले एक अध्यक्ष आये थे वह बिना बतायें पता नहीं कहां चले गये गुमनामी के अंधेरे में चले गये या जो दवा वह खाते थे गुस्सा आने की तो उसकी डोज ओवर हो गई। वह चले गये।आप मान्यवर, आये आपकी स्थिति वैसी ही थी जैसे घर में नई नवेली दुल्हन आये तो पता नहीं रहता, उसके चरण पड़ने से क्या हालत होगी अब मान्यवर, आपके पैर भारी हुए या नहीं मैं नहीं जानता हूं लेकिन इस नई नवेली दुल्हन ने सबका मन मोह लिया मैं आपकी प्रशंसा करता हूं भरपूर प्रशंसा करता हूं। बहुत कम उम्र में बहुत कर्मठता के साथ आपने प्रयास किया। विरोध पक्ष के सदस्यों को लेकर अच्छा प्रयास किया, मान्यवर, वैसे तो आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन आप अपनी कुण्डली दिखवा लीजिये आपका एक ग्रह खराब है [xxx] लेकिन आपने जो अपने से किया उसमें आपने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन, श्री श्रीपति मिश्र और केशरी नाथ त्रिपाठी जी की परम्पराओं को निभाया है, आपने उन परम्पराओं को निभाया है, आपने उन परम्पराओं का निर्वाह किया है मैं सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मान्यवर, आपसे आग्रह है कि आप एक कोष ऐसा स्थापित करवा दें जिसके द्वारा जितने लोगों ने पाप किया है वह कम हो सके दीक्षित जी ने जो सत्य से परे बात कही है उनको चारो धाम की यात्रा करवा दें। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकारी खर्चे पर श्री दीक्षित जी को चारों धाम की यात्रा जरूर करवा दे। [×××] एक शेर कहना चाहता हूं।

"तुम मुस्कराये, जान सी कलियों में पड़ गयी–
तुम लवकुशा हुए तो गुलिस्ता बना दिया।

आप हमेशा लवकुशा बने जिससे यह सदन गुलिस्तां हो सकता है। यह सदन हमारा परिवार है। मैं सभी सदस्यों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि अगर हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट हुआ हो उसके लिये हमें क्षमा कर दें। मैंने कभी भी इस सदन को परिवार से हटकर नहीं माना है। मैं उस समय भी मंत्री रहा हूं जब कांग्रेस 300 सदस्यों के साथ सदन में बैठती थी उस समय भी मैं मंत्री रहा हूं और अब यहां विपक्ष में भी मैं बैठा हूं। अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कहीं कोई त्रुटि हो गयी हो तो मेरा सिर झुका हुआ है। मैं पूरे हृदय से क्षमा चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सम्पूर्ण सदन और आपको हृदय से प्रणाम करता हूं।

नोट –[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री किरनपाल सिंह–

अध्यक्ष जी प्रमोद तिवारी जी ने अभी इस सत्र के अपने समापन भाषण से सभी सदस्यों को भाव विह्वल कर दिया जब यह सत्र शुरू हुआ था तो ऐसी परिस्थितियां थीं उनसे ऐसा लग रहा था कि यह सत्र किस रूप में खत्म होगा पता नहीं ? यह हम सभी लोग सोचते थे । मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत हासिल किया । सोनिया जी आ रही हैं इसलिये प्रमोद तिवारी जी शायद जा रहे हैं । मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि चाहे तकनीकी दृष्टि से कुछ भी रहा हो सरकार ने लगभग सर्वसम्मति से विश्वास मत हासिल किया । यह पहला मौका था कि कोई मुख्य मंत्री सर्वसम्मति से किसी सदन का विश्वास मत हासिल करे । मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जब हमने मुख्य मंत्री जी की जीवनी पढ़ी थी । वह बुलन्द शहर में पैदा हुई । बुलन्दशहर जिले की है यह पढ़कर हमारा सिर फख्र से ऊंचा उठ गया । इस सदन के दौरान अनेकों उतार चढ़ाव आये हैं । मुख्यमंत्री जी इस सदन में कम समय रहीं । हम सब लोगों की इच्छा थी कि वह ज्यादा समय सदन को देती । हमारा मुख्यमंत्री जी का सामना लोक सभा चुनाव के दौरान हुआ था । लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को देखा नहीं था ।अखबारों में जरूर पढ़ा था उससे हमारे मन में मुख्यमंत्री की आकृति और छवि दूसरी थी मगर जब उनसे एक दो बार मिला तो उनको बिलकुल अलग पाया । मुख्यमंत्री जी चाहें सदन में कम आई हों लेकिन जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उनको विकास कैसे इस प्रदेश का हो सकता है इस पर वह बहुत दिलचस्पी लेती दिखाई दीं । आज मान्यवर, सदन में एक क्षण ऐसा आया जब माननीया मुख्यमंत्री जी होती तो इस प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा भला हो सकता था । सारा सदन चाहता था कि सिंचाई की बढ़ी हुई दरें, जिन्हें पिछली सरकार ने बेतहाशा बढ़ा दिया था,जिसे अनरिजेनिबल भी कह सकते हैं, को कम करने की घोषणा हो जाती । विधान परिषद् के सदस्यों ने इसे निरस्त करने के लिये, सहमति के लिये प्रस्ताव आया था और सरकार के बड़े सहयोगी दल ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी, लेकिन चूंकि माननीया मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद नहीं थीं, अतः वह कोई बड़े फैसले की घोषणा करने से हिचक रहे थे,लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय दीक्षित जी, इस बारे में माननीया मुख्यमंत्री जी से विचार-विमर्श करके पूरे सदन की सहमति को देखते हुए, किसानों के ऊपर बढ़ी हुई सिंचाई दरों को कम कराने के संबंध में फैसला लिवाने में मदद करेंगे ।

मान्यवर, विरोध पक्ष संख्या में कम अवश्य रहा और मुख्य विरोध पक्ष इस सदन में नहीं आया, एक मायने में मान्यवर, सदन थोड़ा अधूरा सा लगा । लेकिन मैं सोचता हूं कि कुछ हद तक यह ठीक भी रहा, वरना पिछले सदन के वक्त जो हालात थे, उसको देखते हुए माइक वगैरह की सुरक्षा को भी कभी-कभी खतरा बन सकता था । अब सब बातें ठंडी हो गई हैं, सब स्थिर हो चुका है, मैं उममीद करता हूं कि माननीय सदस्य जो सपा पार्टी से संबंधित हैं, अब जब कभी सदन बैठेगा, तो वह अवश्य आयेंगे और जो उनकी क्षेत्र की जनता ने उनको दायित्व सौंपा है, जो उनका उत्तरदायित्व है, उसको अवश्य पूरा करेंगे ।

मान्यवर, आपके बारे में भी दो शब्द कहना चाहूंगा । आपको इस पीठ पर बैठे हुए अभी बहुत कम समय हुआ है लेकिन हम यह महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे बहुत पुराने स्पीकर हैं, बहुत दिनों से आप स्पीकर हैं ।आप ने जिस सूझबूझ के साथ सदन का संचालन किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है । मान्यवर, मैं यह भी कह सकता हूं कि उसकी सराहना के लिये मेरे पास शब्द नहीं है । यह पहली बार हुआ है कि हर एक विषय पर बहस हुई है । मैं सन् 80 से इस माननीय सदन का सदस्य हूं, पहली बार ऐसा हुआ है, जब इतने विषयों पर बजट पेश हुए हैं, उन पर खुलकर बहस हुई है, चाहे भले ही माननीय सदरयों को कम समय मिला हो ।इधर के एक-दो रोज बजट बिना बहस के पास हुआ, लेकिन

कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि बहस न हो सके। मान्यवर, इस सत्र में काफी मुद्दे लोक महत्व के उठाये गये और मैं यह कह सकता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आश्वासन खूब मिले, मैं आशा करता हूं कि यह आश्वासन अवश्य पूरे होंगे। मान्यवर, यह सही है कि माननीया मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में मानीनय दीक्षित जी ने हम लोगों को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह सत्ता पक्ष में बैठकर किसी बात का जबाव दे रहे हैं। हमको भी लगने लगा था कि जैसे हमारे पास बैठकर हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहकाने की तो नहीं कहता हूं, हमको संतुष्ट करने की कोशिश माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमेशा की है यह बहुत बड़ी बात है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में दीक्षित जी का चुनाव करने के लिये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की तारीफ की जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इस बात से सहमत होगा कि दीक्षित जी ने इस सदन में बड़ी कार्यकुशलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है और सबको मोह लिया है।

मैं दीक्षित जी को इसके लिये बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा वैसे तो पता नहीं कि यह सत्र आखिरी सत्र साबित हो या सत्र आगे चलेगा इसमें संशय है, शंका है। अभी एक सदस्य कह रहे थे कि 12वीं विधान सभा की यह तेरहवीं हो रही है। हमें शंका है कि आगे चलेगा या नहीं लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चलेगी। रोज रोज चुनाव होने से, कोई भी पार्टी यदि बहुमत से सत्ता में है तो उसको अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिये मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को जो समर्थन देने वाला दल है और जो कह रहा है कि हम समर्थन देंगे वह अपनी बात पर कायम रहेगा और सरकार चलती रहेगी। जो बाकी समय बचा है विधान सभा का वह पूरा होगा। मैं 3 साल में 4 चुनाव देख चुका हूं। मैं एक लोक सभा का और 3 विधान सभा के चुनाव देख चुका हूं। जल्दी जल्दी चुनाव होने से जो डेवलपिंग स्टेट है, जो विकासशील राज्य है उसकी प्रगति रुकती है और रोज रोज के चुनाव के खर्च का भार जनता पर पड़ता है। इसलिये जो सहयोगी दल भा०ज०पा० है जो यह कह रहा है कि सरकार चलेगी वह कार्यकाल को पूरा करायेगा। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी बात पर डटे रहेंगे और आगे फिर विधान सभा बैठेगी।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

हमारा समर्थन जारी रहेगा। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)।

श्री किरन पाल सिंह–

आप कह रहे हैं कि समर्थन जारी रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बात पर डटे रहेंगे। अभी तक मुझे शंका थी लेकिन आज मैं शंका छोड़ रहा हूं और उममीद करता हूं कि आपका समर्थन जारी रहेगा और सरकार चलेगी। हमने लम्बे समय तक यहां बैठकर प्रदेश की जनता की समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया है और जनता की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की है। जो हमारा फर्ज था, जो हमसे हो सका है वह हमने किया है। इसी के साथ साथ मैं मान्यवर, आपका स्टाफ जो है, अफसर जो हैं, कर्मचारी हैं, मार्शल हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने चाहे रात के 9 बजे हों या 10 बजे हों, जब तक विधान सभा चली है बड़ी लगन के साथ और धैर्य के साथ अपना कर्तव्य समझ कर कार्य पूरा किया है और अपना सहयोग दिया है। इसके साथ साथ मान्यवर, मैं प्रेस के भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे सदन में जबकि बड़ा प्रतिपक्ष गैर हाजिर था, उसमें प्रेस ने दिलचस्पी बनाये रखी और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि मैंने अपने व्यवहार को संतुलित रखने की कोशिश की है लेकिन अगर कोई गलती हुयी हो तो मैं सारे सदन से क्षमा प्रार्थी हूं। इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी मंत्रियों, मुख्य मंत्री को सफलता की शुभकामनायें देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, प्रजातंत्र में मुख्य विरोधी पक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है । मुख्य विरोधी दल के न होने से प्रजातंत्र को ठेस पहुंचती है । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्य विरोधी दल और उसके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव इस सदन में इस सत्र के दौरान नहीं रहे । प्रजातंत्र में मान्यवर, आलोचना और प्रत्यालोचना का प्रमुख स्थान है और उसमें जो नोक-झोक होती है, उसका भी प्रमुख स्थान है । मान्यवर, यह सदन बहुत लम्बा चला, लेकिन समय की कमी की वजह से इस माननीय सदन में बड़े-बड़े विभागों के ऊपर जो चर्चा और सुझाव इसके पहले दिये जाते थे, वह नहीं दिये जा सके । मान्यवर, उसमें कमी रह गयी । आपको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी या जो पुराने लोग हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार के जो बड़े-बड़े विभाग हैं उनमें बहुत से विभागों के लिये दो-दो दिन का समय आवंटित किया जाता था । यह परम्परा 4-5 साल पहले थी, अब टूट गयी है । सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर अलग-अलग दो-दो दिन की बहस होती थी और उस बहस से सरकार को सहायता मिलती थी, अपने प्रशासन को ठीक करने के लिये सहायता मिलती थी, लेकिन उसमें कमी हो गयी है ।

कुछ स्थितियां ऐसी आ गयीं, जिसके कारण सामान्य बजट जो मार्च में पास हो जाना चाहिए वह अगस्त में पास हो रहा है । ऐसा नाजुक परिस्थितियों के कारण हुआ है । मुझे विश्वास है कि भविष्य में जो सदन चलेगा उसमें सरकार इस पर ध्यान रखेगी । मान्यवर, इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाटरी के बन्द करने की घोषणा की है, उससे प्रदेश के गरीब लोगों का बड़ा कल्याण हुआ है । इसके लिये मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, आज ही सुबह की जिक्र में करना चाहता हूं कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में सिंचाई की जो दरें बढ़ी हैं, पर विचार आया था, जिनको प्रदेश का मसीहा कहा जाता था मुलायम सिंह यादव ने 1994 में सिंचाई नियमावली में तरमीम करके 13 गुना तक सिंचाई की दरों को बढ़ा दिया और कल इस पर विचार आया था, विधान परिषद् ने उस संशोधन को अस्वीकार कर दिया है और हमारी इस विधान सभा को पुनः भेजा है । जब इस विषय को उठाया गया था, तो मैं चाहता था कि माननीया मुख्य मंत्री जी से कल बात हो जाये लेकिन शायद वह माननीय काशीराम जी को भेजने चली गयी थीं इसलिये उनसे बात नहीं हो सकी थी, आज उस सवाल को लेकर विधान सभा में काफी उत्तेजना हुई, माननीय कल्याण सिंह जी ने भी उस प्रश्न को उठाया था, अगर मुख्य मंत्री जी उस समय सदन में होतीं तो बहुत अच्छा होता । किसानों पर जो बोझ लाद दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया जाये । हमारे यहां पर 80 प्रतिशत किसान बसते हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिल जायेगी और राहत की सांस लेंगे ।

मैं उम्मीद करता हूं माननीया मुख्यमंत्री जी से और उनकी सरकार से कि यह जो 13 गुना अधिभार बढ़ा है उसको वह खत्म करेंगी और किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए उसकी रक्षा करेंगी । मान्यवर, यह विधान सभा में तो आलोचना और प्रत्यालोचना होती रहती है यह विधान सभा इसीलिये बनाई गई है कि माननीय सदस्य अपने तर्कों से ही सरकार के सामने उनके द्वारा की हुई बातों को तर्क से काटे इसलिये यह विधान सभा मैं समझता हूं कि एक मंदिर के रूप में है और जब तक यह संस्था रहेगी हमारे देश में लोकतंत्र जिन्दा रहेगा । इन संस्थाओं को जीवित रखने में हमारा आपका सबको सहयोग होना चाहिए तभी देश की एकता, अखण्डता और सम्प्रदायिक एकता यहां कायम रहेगी । मान्यवर, बीच-बीच में कभी कटुता आ गयी, मैं समझता हूं कि कटुता का होना तो स्वाभाविक भी है,

दुनिया की विधान सभाओं में भी तर्क-वितर्क होते हैं और नोकझोक होती रहती है वह भूल जाते हैं । तो अगर किसी माननीय सदस्य का मेरे कहने से ठेस लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं । मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मैं तो आपका वैसे भी पक्ष लेता रहता हूं । द्विवेदी जी ने कहा था, धनीराम वर्मा जी की बात कर रहे थे वर्मा शब्द जुड़ा है, श्री प्रमोद तिवारी भी कह रहे थे कि आपके ऊपर भी वर्मा लगा हुआ है ।

रामलखन तो बहुत सज्जन पुरुष हैं वर्मा तो जिनके आगे पीछे लगा है वह अच्छे लोगों में भी है। अब तुलसीदास की एक चौपाई मैं कह रहा हूं कि–उपजहिं एक संग जग माहीं । तो जलधि और जोंक तो जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है उनकी संज्ञा जोक से की जा सकती है । इसलिए मान्यवर, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और आप भी मुझे बड़ा सम्मान देते हैं उसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं । मैं समझता हूं कि हमारी विधान सभा लंबे अरसे तक बहुत ही शांतिमय तरीके से चली इसके लिये सभी माननीय सदस्यों को चाहे दे सत्ता पक्ष के रहे हों चाहे हमारे भाई जो सहयोगी हैं सरकार के वह लोग रहे हैं चाहे हम लोग जो कम तादाद में हैं, रहे हों सभी लोगों ने इस माननीय सदन को चलाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है । मान्यवर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर ए० जी० खेर साहब जिनकी तूती बोलती थी उस जमाने में जब डा० सम्पूर्णानन्द थे, इस कुर्सी पर राजर्षि टंडन जी बैठे हैं जो बहुत पहले बैठ चुके हैं उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठाई तो कुर्सी छोड़ दूंगा, इसी कुर्सी पर माननीय प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी बैठ चुके हैं इसी कुर्सी पर हमारे माननीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी बैठ चुके हैं जिनका हम बहुत आदर सत्कार करते हैं, धर्म सिंह जी बैठे हैं, श्रीपति मिश्रा बैठे हैं, मदन मोहन वर्मा जी बैठे हैं वह हमारे बीच में नहीं हैं वह बैठे हैं तो इस कुर्सी की गरिमा बहुत ऊंची है ।

जितने माननीय अध्यक्ष इस कुर्सी पर बैठे सिर्फ धनीराम वर्मा को छोड़कर के बाकी सब लोगों ने मान्यवर इस कुर्सी की गरिमा को इस माननीय सदन की गरिमा को इन्होंने बढ़ाया है । और मैं समझता हूं कि आप की भी यही आकांक्षा है, आप इस सदन की गरिमा को और उस कुर्सी की गरिमा को बढ़ायेंगे । जैसा कि मैं सुनता भी रहा हूं । हमारे मुकाबले में आपकी उम्र कम है । इस माननीय सदन में 1952 में मैं आ जाता पहला जो आम चुनाव इस देश का हुआ था, मेरी उम्र उस समय 25 साल की थी, मैं चुनकर आ जाता, माननीय मुलायम सिंह जी पार्टी ने मुझे हरवा दिया । 900 वोटों से हारा, दूसरे नम्बर पर रहा था ! 57 से यहां आने का मुझे मौका मिला है । तो कोई उम्र का सवाल नहीं है संत लोग कहीं इकट्ठा हुए थे, जब वेद ऋषि उस संत समाज में पहुंचे तो सभी लोग उठ कर खड़े हो गये, किसी ने सवाल किया कि यह तो कम उम्र के लगते हैं क्योंकि आप लोग खड़े हो गये । उन्होंने कहा कि जो ऋषि मुनि हैं उनके अन्दर सारे गुण मौजूद हैं इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इसलिये हम लोग नतमस्तक होते हैं खड़े होते हैं । आपने अपनी कम उम्र में मान्यवर, सिर्फ 2 महीने के कार्य काल में इस सदन का जिस तरह से संचालन किया । इस सदन की गरिमा को जिस तरह से बढ़ाया जिस तरह से उस कुर्सी की प्रतिष्ठा की आपने गरिमा रखी है, सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने का मौका दिया, मैं समझता हूं कि आप उसके लिये बधाई के पात्र हैं । (सदन में मेजों की थपथपाहट) और भविष्य में भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे उन महान जो अध्यक्ष हुए हैं उनका अनुसरण करते हुए आप इस सदन की गरिमा को बढ़ायेंगे ।

मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, जो हमारे साथ वर्षों वर्ष कई बार एक बार नहीं चार-छः बार यहां हमारे साथ बैठते थे यह संसदीय [illegible] माननीया मुख्य मंत्री जी ने [illegible] मैं [illegible] हूं कि जिस शालीनता के साथ हंसते हुए अपने रोष को जिस तरह से दबाते हुए इन्होंने हर चीज का जवाब दिया, हर बातों का जवाब दिया में समझता हूं कि इन्होंने संसदीय कार्यों का निर्वाह किया और अच्छे संसदीय कार्य मंत्री साबित हुए इनकी जितनी तारीफ की जाय मैं समझता हूं कि थोड़ी है। जो भी माननीय सदस्य हमारे मंत्रिमंडल के [illegible] सब योग्य हैं। पहले जब सत्र शुरू हुआ तो ऐसा मालूम हो रहा था कि यह माननीय सदस्य मंत्रिमंडल के ठीक से [illegible] नहीं दे रहे थे। इनका कोई कसूर नहीं था यह नये थे और बाद में काफी सुधार आया और यह लोग जवाब देने लगे और अच्छा जवाब देने लगे। लेकिन कुछ परिपाटी ऐसी है मैं उसकी तरफ इंगित कर देना चाहता हूं। माननीया मुख्यमंत्री जी [illegible] जो सरकारी मशीनरी चली आ रही है जो चारा काटने वाली मशीन है वही उस पर चल रहे हैं आपकी सरकार को भरमा रहे हैं उत्तर देते हैं, गलत, आज तीनों प्रश्नों पर मान्यवर, मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था।

जो प्रश्न गलत आ जाते हैं अधिकारियों की तरफ से आ जाते हैं और नये माननीय मंत्रियों को वह यहां देना पड़ता है। कभी आपको उन्हें स्थगित करना पड़ता है, कभी प्रश्न संदर्भ समिति को भेजना पड़ता है। पुनः जवाब दिलवाने के लिये कहना पड़ता है। आप स्वयं भी अनुपूरक प्रश्न करते हैं मैं माननीया मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारियों को सचेत करें कि वे सभी प्रश्नों के सही उत्तर तथ्यों सहित वे दे और उसके आने से सरकार चलाने में भी आपको सहुलियत होगी सरकार में क्या हो रहा है उसकी सही जानकारी मालूम होगी उससे सरकार को ही फायदा होगा। अंत में मान्यवर मैं सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं किसी में कुछ कमी रही हो उन सबको उनकी नम्रता के लिये उनकी उदारता के लिये उनके काम के लिये मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देता हूं।

और माननीय राम लखन वर्मा जी को वर्मा शब्द लगा हुआ है, लेकिन यह तो बहुत ही नम्र, व्यवहारी और अच्छे व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि यह वर्मा के नाम को और ऊंचा उठायेंगे। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि विकास कार्यों के लिए, मेरी बात लोगों को कड़वी लगती है, यह मेरी व्यक्तिगत राय है, विधान सभा और विधान परिषद् में बिना कोई भेदभाव करते हुए, माननीया मुख्य मंत्री जी विचार कर लें, क्योंकि भारत सरकार के संसद सदस्य चाहे वह लोक सभा के हो या राज्य सभा के हों मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बिना भेदभाव के एक करोड़ रुपया विकास के लिये सबको उन्होंने दिया और दिल्ली की सरकार ने भी अपने विधायकों को दिया। क्योंकि दोनों संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती है और दोनों की मान्यताएं एक हैं, कर्तव्य एक हैं और अधिकार भी एक है, इसलिए यदि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो तो न एक करोड़ तो कम से कम 50 लाख रुपया [illegible] सदस्य को विधान परिषद् और यहां के सदस्य को दे दीजिये।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप आज ही घोषणा करें आप विचार कर लें। अंत में मैं पुनः आपके यहां जो स्टाफ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, मार्शल हैं और जो सुरक्षा स्टाफ है उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन रात-रात भर बैठकर 12 बजे तक बैठकर किया और उम्मीद करता हूं कि आगे भी

जब विधान सभा चलेगी तो यह लोग इसी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे । बम्बई में रात-रात भर विधान सभा चली लोक सभा भी रात-रात भर चलती है और हमारी विधान सभा भी रात के 11 और 12 बजे तक चली जो हमारे प्रेस के भाई हैं, मुख्य विरोधी दल नहीं था लेकिन फिर भी सरकार की भावनाओं को और हमारे लोगों की बातों को इन्होंने प्रकाशित किया । मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में प्रजातंत्र के चार खम्भे हैं ।

जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस, पिछले 16 महीनों में न्यायपालिका के ऊपर हमला हुआ, विधायिका, प्रेस और कार्यपालिका के ऊपर भी हमला हुआ । मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को डुबोने के लिये यह कार्यवाही की जा रही थी । इधर अब लोकतंत्र की रक्षा में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और प्रेस ठीक से चल रहा है, थोड़ी बहुत कमी हो सकती है । लोकतंत्र के सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं इसके लिये मैं माननीया मुख्यमंत्री जी को कोटिशः बधाई देता हूं और चाहता हूं कि इसी तरह से सदन को और सरकार को संचालित करें ताकि प्रजातंत्र के जो 4 प्रहरी हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस, उन चारों की रक्षा हो सके और प्रजातंत्र फले-फूले, आगे बढ़े, देश व प्रदेश की एकता अखण्डता कायम रहे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, माननीया मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों को, बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों, को, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को, खासकर द्विवेदी जी और विकल जी को, पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं । मैं त्रिपाठी जी के दीर्घायु होने की भी कामना करता हूं ।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस 48 साल के लोकतांत्रिक परम्पराओं में जो देश में परिपाटी बनी है, जिसका बहुत विकास होना चाहिए था, उतना विकास हमारे देश में, प्रदेश में नहीं हुआ । आज जिस तरह की भावनायें और विचार देश और प्रदेश में पनप रहे हैं वह लोकतंत्र के लिये शुभ-संकेत नहीं है । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि सच कठोर और कड़ुवा होता है । यह आप जानते हैं, कि मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, जिन्होंने थोड़े समय में जो प्रयास अपने कर्तव्यपालन का दिया है, उसके लिये बधाई देता हूं । अधिकतर मंत्रिमंडल के सदस्य नये थे और उन्होंने इतनी जल्दी जो भी जवाब देने का प्रयास किया वह ईमानदारी और कर्तव्य का पूरा-पूरा पालन है । मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं । माननीय दीक्षित जी को विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने इस सदन के अन्दर अपनी विद्वता का पूरा-पूरा लाभ उठाया है और सत्ता पक्ष को बचाने में कोई कोताही नहीं बरती है, उल्टी बातें भी की है, न्याय को भी नहीं बख्शा है । तीसरी बात जो समय और परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से सभी कर्मचारियों, सचिव जी को बधाई देता हूं और माननीया मुख्यमंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्हें प्राथमिक सनद बिजनौर जिले में दी थी । बिजनौर जिला पश्चिम के जिलों में सबसे पिछड़ा है । आप गांव-गांव पहुंची हैं, हर गली मोहल्लों में गयी हैं, गरीबों में गयी हैं, उन गरीबों को आप भुलायें नहीं, उनसे प्यार हो, उस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करें तो मैं समझूंगा कि उन्होंने अपनी परम्परायें, अपनी उस गरीबी और भाग-दौड़ का अहसास है । अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं समझूंगा कि उनको अहसास नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भूल गयी हैं। मैं ज्यादा बोलने का शौकीन नहीं हूं केवल चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं।

दल-बदल में अपनी पार्टी के पक्ष में सही निर्णय नहीं दिया। मुझे विश्वास है कि आप उस परिपार्टी को बदलेंगे और दल बदल के मामले में ईमानदारी से न्याय करेंगे। नहीं तो आने वाला इतिहास किसी को माफ नहीं करता। अगर आप इतिहास में वर्मा शब्द से कलंक हटाना चाहते हैं तो आप इन चीजों पर ध्यान देंगे। सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही पत्रकार बन्धुओं को भी धन्यवाद देता हूं। [x x x] अन्त में मैं सबको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज इस मौके पर नेता सदन, माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय किरन पाल जी, माननीय श्री ऊदल जी माननीय श्री राम स्वरूप सिंह जी तथा इस आदरणीय सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस विधान सभा के सचिव सहित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, पत्रकार बन्धुओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस समय मुझे इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला था, वह ऐसी कठिन परिस्थितियों में मिला था, मैं उस समय यह सोच भी नहीं सकता था कि इस सदन की कार्यवाही को मैं चला भी पाऊंगा कि नहीं। मेरे पास अल्पज्ञान था, अनुभवहीनता थी परन्तु अगर मैं कुछ कर पाया तो वह आप लोगों के सहयोग का जो सम्बल था, सहयोग की जो ताकत थी, उसी के बल पर मैं इस सदन की कार्यवाही को संचालित कर पाया। हो सकता है कि मेरे किसी माननीय सदस्य को ठेस पहुंची हो, हो सकता है कहीं पर मेरी वाणी से किसी माननीय सदस्य का दिल दुखा हो, हो सकता है कभी मेरे व्यवहार में माननीय सदस्यों को कठोरता नजर आयी हो, इसलिए मैं उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं और हृदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को भुला देंगे।

यदि कहीं पर व्यवहार, वाणी व कृत्य में कठोरता आयी हो तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरी नीयत में कदापि भी खोट नहीं रहा। मैं स्वयं चाहता था कि सदन के महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण विषय पर काफी डिबेट्स हों, चर्चायें हों, जनता की ज्वलन्त समस्याओं पर तर्क-वितर्क हो, सदन का समय व्यर्थ में हो-हल्ले में खर्च न हो। मैंने हमेशा सहयोग करने की कोशिश की है। हो सकता है, उसमें कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो परन्तु मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं रहा है। यदि किसी माननीय सदस्य को कहीं पर अप्रिय लगा हो तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इसे भुला देंगे। आज और अच्छा रहता, यदि इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष व उनके दल के माननीय सदस्यों को भी इस सदन के चलते सहभागिता रही होती। पहले तो लगता था कि मुख्य विपक्ष दल नहीं है इसलिये विपक्ष शून्य सा रहेगा। परन्तु जिस संसदीय ज्ञान का, जिस कार्यक्षमता का जिस लम्बे अनुभव का प्रतिपक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्यों ने चाहे वह माननीय किरनपाल सिंह जी हों, चाहे वह माननीय प्रमोद तिवारी जी हों, चाहे वह नरेश जी हो, चाहे वह माननीय जगदम्बिका पाल जी हों, चाहे माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी हों या और भी प्रतिपक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्य हों भले

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ही उनकी संख्या बल कम रहा हो परन्तु सभी ने प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को जिस दृढ़ता, जिस तारकिकता जिस संजीदगी से उठाया है उसके लिये मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि यहां पर मुख्य प्रतिपक्षी दल नही है और सदन में हमेशा अपनी बात को दृढ़ता के साथ, अपनी तार्किक शक्तियों के साथ सभी प्रतिपक्ष के नेताओं ने प्रदेश की समस्याओं को उजागर किया यह उनकी वाकपटुता, उनकी तार्किक शक्ति और ज्ञान की ही देन थी। और भी अच्छा हुआ होता, सदन जीवंत हुआ होता यदि माननीय मुलायम सिंह यादव और उनके दल के जो सदस्य हैं वह भी यहां उपस्थित रहते और जो महान जिम्मेदारी जनता द्वारा उन्हें सौंपी गयी थी उसका वह निर्वहन करते और उनके ज्ञान के द्वारा लोगों की समस्यायें इस सदन के माध्यम से उठायी गयी होती उससे जनता को लाभ ही मिलता। वह समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते और उस पर सरकार कार्यवाही करती तो थोड़ा सा अभाव जरूर सदन में रहा है।

मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करता चाहता हूं सभी आदरणीय सदस्यों का खासतौर से नये आदरणीय सदस्यों का जिन्होंने जिस दृढ़ता के साथ, जिस विद्वत्ता के साथ, जिस क्षमता और योग्यता के साथ अपने पक्ष को सदन में रखा है वह भी अपने में एक यादगार है। नये सदस्यों ने जिस तरह से प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों या अन्य माध्यमों से अपनी बात को विद्वत्ता के साथ रखा उससे नहीं लगता है कि वह पहली बार विधान सभा में आये हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रिपरिषद् के सभी माननीय सदस्यों का जिन्हें पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला था परन्तु जिस तरह से शुरू से आखिरी दिन तक संवर्धन उनकी क्वालिटी में हुआ, प्रश्नों के उत्तर देने में जो गुणात्मक सुधार हुआ है वह आगे सदन के लिये, संसदीय लोकतंत्र के लिये काफी अच्छा संकेत है। मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में जब अगला सत्र होगा मंत्रिपरिषद् के सदस्य और अधिक कुशलता के साथ अपने अन्दर और अधिक क्षमता पैदा कर प्रश्नों का या दूसरे मामलों में जो यहां पर प्रदेश की समस्यायें उठाई जाती हैं उसका उत्तर देने में सक्षम हो पायेंगे। इस कामना के साथ मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

(समय 6 बजे)

मैं एक बात कहे बिना अपनी बात को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मा० संसदीय कार्य मंत्री ने एक कीर्ति स्तम्भ अपने संसदीय ज्ञान से, अपनी मधुर मुस्कान और मधुर आवाज से मा० सदस्यों के दिल को मोहने का, उनको संतुष्ट करने का हर सम्भव जो प्रयास किया है वह अपने आप में एक यादगार सदन में रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ उन सभी अधिकारी कर्मचारी और सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने रात के 12 बजे से लेकर एक-दो बजे तक लगन और निष्ठा से काम करके इस सदन की कार्यवाही को सुचारुरूप से संचालित कराने में अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया। हमारे सुरक्षाकर्मी का जो स्टाफ है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी ही शालीनता के साथ, तल्लीनता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है।

पत्रकार जगत से जो जुड़े पत्रकार हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सदन की गरिमा को बढ़ाने में और सदन की मर्यादता को बनाये रखने में उनका हमें पूरा सहयोग मिला है।

एक बार मैं पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि सभी आदरणीय सदस्यों का भविष्य में हमें इसी तरह पूरा-पूरा सहयोग मिलता रहेगा ताकि इस आदरणीय सदन की जो गरिमा और गौरव है एवं संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादायें हैं उन्हें और आगे बढ़ायेंगे और मा० सदस्यों का, मंत्रि-परिषद् के सभी सदस्यों का, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सभी आदरणीय नेताओं का, निर्दलीय सदस्यों का एवं विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुये मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री–(श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, सभी नेताओं, नेता सदन, आदरणीय मुख्य मंत्री जी के धन्यवाद ज्ञापन और आपके धन्यवाद ज्ञापन के बाद श्रीमन्, इस आदरणीय सदन के स्थगन का प्रस्ताव करना चाहिए था लेकिन तमाम विद्वान नेताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, तो अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित होने से पहले मैं आपकी आज्ञा से दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, आपके इस आसन पर आसीन होने के पूर्व पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के जनमानस में उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रति ऐसा संदेश जा रहा था कि यह आदरणीय सदन लोकतंत्र और संविधान की संस्था न होकर कोई हो-हल्ला, मारपीट और कलह की जगह हो गयी हो। हम इस आदरणीय सदन के सदस्य जब अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाते थे तो जनता यह समझती थी कि यह लोग उत्तर प्रदेश की जनसमस्याओं को हल करने के लिए नहीं हैं बल्कि कलह के लिए चुनकर यहां आते हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं, इस तरह का संदेश उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जा रहा था और उत्तर प्रदेश के विधायकों को देखकर लोग यह समझते थे कि यह वही लोग हैं जो विधान सभा में मारपीट करते हैं। लेकिन श्रीमन्, आपके इस आसन पर आते ही और इस आदरणीय सदन में उपस्थित विद्वान सदस्यों के सहयोग से पूरे 19 दिन इस आदरणीय सदन की कार्यवाही चली और देर रात तक चली। इस कार्यवाही से पूरे प्रदेश को और देश की जनता में यह सन्देश गया है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जनहितकारी समस्याओं पर और खासकर कमजोर वर्गों-शोषितों और दलितों तथा उपेक्षित जनों के बारे में गम्भीरतापूर्वक चिन्तन होता है और वहां पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच कोई नोंक-झोंक और किसी प्रकार का दुराव नहीं है। सभी अपने-अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करते हैं।

श्रीमन्, आप अवगत हैं कि आप उस आदरणीय पीठ पर जब से विराजमान हुए और सुश्री मायावती की सरकार गठित हुई है जनता में ऐसा संदेश गया है कि इस विधान सभा में वर्तमान मंत्रीगण जनप्रतिनिधियों के जनता से सम्बन्धित तमाम समस्याओं, प्रश्नों और उठाये गये विषयों का समुचित उत्तर देने से कदापि कतराते नहीं हैं। सरकार पूरी तरह विधान सभा को अपना संरक्षक मानती है और वहां पर जनहितकारी प्रश्न और प्रतिप्रश्न किये जाते हैं। और सरकार उनका उत्तर देना अपना उत्तरदायित्व मानती है और यह जानकर कि विधान सभा हमारी संरक्षक और उत्तरदायी है ...(व्यवधान) व्यंग्य में तिवारी जी ने कहा था कि संसदीय कार्यमंत्री जी को कोई तीर्थ घुमा दिया जाय। तो इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं हो सकता है। आज जो यह मन्दिर है उसके श्रीमन्, आप महन्त हैं और महन्त शब्द अच्छा न लगे तो मैं कहना चाहता हूं कि उस मन्दिर के सबसे बड़े पुजारी आप हैं और हम सब लोग उसके सेवक

हैं। तो हम लोग जो यहां बैठे हैं आदरणीय प्रदेश की आदरणीय जनता की समस्याओं और कठिनाइयों पर आदरणीय सदन में गहन विचार-विमर्श करते हैं और जन-जन को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का प्रयास करते हैं तो हमें और किसी तीर्थ में जाने की कदाचित् आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। विपक्ष ने भी कहा है और सही कहा है लाटरी जैसे गम्भीर विषय पर एक अच्छा निर्णय लेकर जो परिवारों को तबाह कर रही थी, बहुत अच्छा काम किया है। मुख्य मंत्री जी ने उसे समाप्त करने की घोषणा की थी। यहां मुझे उम्मीद थी कि प्रतिपक्ष के नेता अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो सुश्री मायावती ने ऐसा विधेयक वापस लिया जो पहले के मुख्य मंत्री ने, मुख्य मंत्री अपने पद से हट जायेगा तो उसके लिए और उसके परिवार के लिए विशेष बल की सुरक्षा व्यवस्था होगी, नेता सदन और हमारी मुख्य मंत्री जी ने उसको वापस लेने की, उस विशेष सुरक्षा बल विधेयक को वापस लेने की घोषणा की है, उसकी ओर कदाचित् उनका ध्यान नहीं गया।

बार-बार यह विषय यहां उठाया गया कि वह यहां कम बैठती हैं। उनका अपनी टीम पर पूरा-पूरा विश्वास है–राजेन्द्र कुमार, अकबर अली, राम लखन वर्मा जी और निषाद जी जैसे कुशल मंत्री यहां बैठे हैं। जिसको अपनी टीम पर पूरा विश्वास होता है वह इस ओर कम ध्यान दे पाता है और उन पर पूरे प्रदेश का इतना बड़ा भार भी है। (व्यवधान) श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा कि हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने आदत खराब कर दी तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जो सम्मानित मंत्रीगण हैं उनमें किसी में यदि विपक्ष के नेता को लेशमात्र भी कोई अहंकार दिखाई पड़ा हो। उधर की कुर्सी पर हम लोग बैठा करते थे, बहुत दिन उधर बैठा हूं और देखा है कि उधर से इधर आते ही विधायक की चाल, दृष्टि, दिशा और मुस्कान बदल जाती है। कपड़े और बाल बदल जाते हैं लेकिन हम लोगों में से किसी की कोई चाल या अदा बदली हो तो वह मुझे बता सकते थे। माननीय विपक्ष के नेताओं ने उसे कभी नहीं कहां। मैं उसके लिए हृदय से आभारी भी हूं और मैं विपक्ष के मानवीय नेताओं को यह अधिकार भी देता हूं कि हम लोगों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन आया हो तो वह हमारा मार्गदर्शन समय-समय पर करते रहेंगे, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। यह हमारी उनसे अपील है। पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर लास्की ने प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में कहा है कि ...तो श्रीमन्, वह हमारा मार्ग दर्शन समय-समय पर करते रहेंगे। प्रति पक्ष के नेताओं को बहुत हृदय से आभारी हूं लांसकी ने कहा है कि "टू प्रपोज दि गवर्नमेंट, टू अपोज दि गवर्नमेंट टू डिपोज दि गवर्नमेंट" गर्वनमेंट को सलाह देनी चाहिए और विरोध भी करना चाहिए और जरूरत पड़े तो सरकार को हटाने के लिये भी तैयार रहना चाहिए। विपक्ष का सरकार की तरफ से ऋणी हूं कि विपक्ष ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया।

मेरे सामने नाम पट्टी लगी है श्री मुलायम सिंह यादव की। वहां पर उन्हें होना चाहिए था जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि उन्हें यहां होना चाहिए था। जिस क्षेत्र से उनके विधायक चुनकर आते हैं वहां की जनता उनसे नाराज है कि हम उन्हें चुनकर भेजते हैं। अगर वह यहां होते तो हमको और उनको भी मार्ग दर्शन मिलता और हम भी उनके तर्कों का ठीक से जवाब देते।

माननीय ऊदल जी, किरनपाल जी प्रमोद तिवारी जी श्री ब्रमदत्त द्विवेदी जी और आपने भी कृपापूर्वक हमारी सरकार के मंत्रियों की प्रशंसा की जिसके लिये मैं अनुग्रहीत हूं। जहां पर संरक्षक की तरह ऊदल जी मां बाप की तरह हैं, कल्याण सिंह जी हैं, राजेन्द्र गुप्त जी हैं, केसरी नाथ त्रिपाठी जी हैं। ऐसे लोगों का जहां संरक्षण होगा तो हम कम उम्र के लोग गलती कैसे कर सकते हैं ? आपको अधिकार है कि चाहे हम यहां से बाहर हों और कोई गलती करते हैं तो उसके लिये आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। सचिवालय के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रतिवेदकों, गाईस मार्शल, सचिव और अन्य अधिकारियों का हृदय से कृतज्ञ हूं।

श्री किरन पाल सिंह–

आपने रिकार्ड बनाये हैं, वहां एक आश्वासन और दे दें विधायकों को विकास कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत किये जाने का।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मैं हृदय से आभारी हूं उत्तर प्रदेश शासन के उन वरिष्ठ अधिकारियों का जिन्होंने बहुत कम समय में अल्प सूचना में जब सबेरे सूचना आयी नियम–56, 300 की शून्य प्रहर में उठाये गये पैने प्रश्नों का उत्तर मेरे सचिवालय और मुझको उपलब्ध कराया। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सचिवालय के छोटे-बड़े अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समय-समय पर आवश्यक और अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराईं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रेस को भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। विपक्ष द्वारा उठाये गये प्रश्नों का हम लोगों ने जिस विनम्रता से उत्तर दिया प्रदेश के सभी समाचार पत्रो ने उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस सदन के निर्णयों और कार्यवाहियों को प्रकाशित किया। मान्यवर, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप बड़े उदार रहे हैं। विपक्ष की सूचनाओं के प्रति। 301 में कुल 587 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 230 सूचनाओं पर आपने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया। 51 में 466 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से 140 सूचनाओं पर कार्यवाही चली और हमको निर्देश दिया। कुछ कार्य स्थगन के माध्यम से 375 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से कई को तो हमने यहीं पर समाधान करने का प्रयास किया लेकिन 69 पर आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। 300 के माध्यम से पूछे गये प्रश्नों पर भी हमने सरकार का पक्ष रखा। अल्पसूचित प्रश्न 1317 प्राप्त हुए और तारांकित 3934 प्राप्त हुए। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1.655 थे तारांकित प्रश्न 6.906 प्राप्त हुए। अल्पसूचित प्रश्न 30 दिये गये। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में 279 के उत्तर दिये गये, तारांकित 2.493 प्रश्नों के उत्तर दिये गये कुल 2.810 प्रश्नों के उत्तर दिये गये। यह पहला उपवेशन है और लम्बे समय तक चला। एक प्रश्न को आपने प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द किया। नियम–49 में 18 सूचनायें प्राप्त हुईं।आठ पर चर्चा की गयी और भी कई मौके ऐसे आये। हमारी सरकार की विद्वान मित्रों द्वारा प्रशंसा की गयी उससे मैं अभिभूत हूं। मैं सभी सदस्यों का विपक्ष के नेताओं का आभारी हूं कि उन्होंने सरकार का मार्गदर्शन किया। आगे भी, सदन के बाहर भी, सदन के माननीय सदस्यों का सरकार को समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं आपकी अनुज्ञा से अलग से आभार व्यक्त करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अलग से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने मार्गदर्शन देते समय सलाह देते समय विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से कोई कसर नहीं

छोड़ी और पैने सवाल उठाये वोट देने पर बोलते समय जोर से हां कहा। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं आपने अवसर दिया। इस सदन की कार्यवाही चलाने का।

सदन को अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रीय गान गायेंगे।

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय, जय, जय जय हे ॥

(सभी सदस्यों ने खड़े होकर राष्ट्र गान गाया)

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

इसके बाद सदन 6 बजकर 20 मिनट पर 23-8-1995 को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

दिनांक 23 अगस्त, 1995

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट "क"

(देखिये अता० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 95 के 4 थे बुद्ध के लिए निर्धारित श्री इन्द्रभद्र सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के उत्तर का संलग्नक।

क्रम०सं०	माह मार्च, 1988 से अप्रैल, 89 में कार्यरत वर्कचार्ज/मस्टर रोल में कार्यरत कर्मचारियोंके नाम
1	2
	सर्वश्री
1	रमेश चन्द्र
2	नन्द किशोर
3	सदानन्द
4	राम पाल
5	राम लाल
6	मंगल प्रसाद
7	राम विकास
8	विनोद कुमार
9	राजेश्वर प्रसाद
10	राम शंकर
11	दिनेश चन्द्र मौर्या
12	जितेन्द्र कुमार
13	लल्लन
14	गयादीन
15	रघुनाथ चौधरी
16	राम बालक
17	राकेश कुमार
18	दीनानाथ
19	राम सेवक
20	फूल चन्द्र सिंह
21	राधेश्याम
22	जुगल किशोर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
23	राम स्वरूप
24	लक्ष्मी
25	अशोक कुमार
26	जमीदार
27	दिनेश चन्द्र
28	राम नारायण
29	राकेश कुमार
30	श्याम बाबू
31	प्रेम कुमार
32	राज कुमार
33	ठाकुर प्रसाद
34	सुरेश कुमार
35	बाल किशन
36	सीता राम
37	राम लखन
38	राजेन्द्र प्रसाद
39	देवी प्रसाद
40	रवीन्द्र तिवारी
41	नासीर [illegible]
42	रलेश कुमार
43	राम आसरे
44	चन्द्र प्रकाश तिवारी
45	सुरेन्द्र कुमार तिवारी
46	श्रवण कुमार
47	अमर नाथ
48	सत्यपाल सिंह
49	श्री मदन मोहन
50	श्री चन्द्र
51	संजय कुमार
52	मनोहर कुमार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
53	उमाकान्त गुप्ता
54	हरीश चन्द्र
55	सुदर्शन
56	विनोद कुमार
57	बच्चा तिवारी
58	गिरीश चन्द्र
59	मुन्ना कुमार
60	राम सरन
61	अयोध्या
62	बनवारी लाल
63	हीरा लाल
64	भोला
65	मुरली
66	गिरीश
67	राम अवध
68	श्याम प्रकाश
69	रवी प्रकाश
70	बाबू लाल
71	सलीम
72	नवीन चन्द्र जोशी
73	रज्जन लाल
74	राजा राम
75	सत्गुरू
76	श्री किशन
77	प्रसाद
78	अर्जुन
79	राम दयाल
80	बुद्धयी
81	साधू
82	मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
83	सुरेन्द्र कुमार
84	शिव प्रकाश
85	हरीश कुमार
86	राम प्रसाद
87	जगदीश प्रसाद
88	श्री चन्द्र
89	राम दुलारे
90	अब्दुल हामिद
91	शिव नारायन
92	बृज लाल
93	राम प्रकाश
94	पंचम लाल
95	राम चन्दर
96	केशन
97	नन्हकऊ
98	गया प्रसाद
99	दया राम
100	शहाब्दीन
101	श्रीराम
102	मनोहर
103	खेलावन
104	कल्लू
105	काशी
106	सुभाष हंसराज
107	राम औतार
108	महादेव
109	सुभाष चन्द्र गुप्ता
110	अब्बास अली
111	विनोद कुमार अग्निहोत्री
112	रमेश चन्द्र यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
113	सुशील दीक्षित
114	खुबी लाल
115	शिव प्रसाद
116	राम प्ररमेश कुमार
117	मुन्ना लाल
118	सचेन्द्र
119	प्रेम कुमार
120	हीरा लाल
121	सुनील कुमार दीक्षित
122	गिरधारी लाल
123	कैलाश
124	जितेन्द्र कुमार
125	विजय सिंह
126	राम खेलावन
127	गयादीन
128	बृजलाल
129	श्री सुन्दर
130	राकेश श्रीवास्तव
131	राजेन्द्र प्रसाद
132	राज कुमार
133	विकास चन्द्र
134	रमेश कुमार श्रीवास्तव
135	अजय पालीवाल
136	रघुनन्दन
137	दयाराम
138	श्री प्रकाश
139	राम नारायन
140	हरी श्याम
141	श्री राम
142	बुलकी राम
143	श्रीमती शारदा देवी
144	श्री मनोहर लाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

प्रेषक,

जिला विकास अधिकारी,

गोरखपुर ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (परियोजना)

गोरखपुर ।

पत्रांक–मेमो/जांच/95–96 दिनांक 11 अप्रैल, 95

महोदय,

मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत हरिहरपुर, विकास खण्ड खजनी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यो की जांच/सत्यापन तथा खण्ड विकास अधिकारी, खजनी द्वारा इस संदर्भ में प्रेषित जांचआख्या उनके पत्रांक–224/95–96 दिनांक 5-8-95 के सत्यापन के क्रम में आज दिनांक 11-8-95 को ग्राम पंचायत के अन्दर जांच किया । सत्यापन के समय खण्ड विकास अधिकारी, खजनी अवर अभियन्ता श्री जे०पी० मिश्र, जिला ग्राम० वि० अभिकरण एवं अवर अभियन्ता आर० ई० एस० विकास खण्ड, खजनी तथा ग्राम प्रधान श्री शिवा जी सिंह उपस्थिति रहे । जांच आख्या/सत्यापन के बारे में रिपोर्ट निम्नवत् प्रेषित है :–

प्रधान, ग्राम सभा/ग्राम पंचायत हरिहरपुर ने वर्ष 89–90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि रु० 2,24,037.97 तथा हरिजन बाहुल्य बस्ती में खड़ंजा हेतु धन राशि रु० 94,700.00, वर्ष 90–91 में कुल रु० 1,70,963.70, 91–92 में 43,229.13, 92–93 में रु० 2,07,577.00 और 93-94 में रु० 1,81,125.00 कुल योग अब तक रु० 9,21,632.80 की धनराशि प्राप्त हुई थी ।

मदवार कार्यों का सत्यापन निम्नवत् है :–

1–<u>हैण्ड पम्प</u> :–वर्ष 89-90 में 25 हैण्ड पम्प रु० 25,785.00, 90-91 में 27 हैण्ड पम्प पर रु० 34,020.00 वर्ष 92-93 में 25 हैण्ड पम्प पर 34,236.00 वर्ष 93-94 में 10 हैण्ड पम्प पर 18,960.00 कुल 1,13,001.00 व्यय करके 87 हैण्ड पम्प परि सम्पत्ति रजिस्टर के आधार पर अधिष्ठापित दिखाया गया है । हैण्ड पम्पों का सत्यापन विभिन्न पूरवों में किया गया है जिसमें कुल 49 हैण्ड पम्प लगे मिले । 38 हैण्ड पम्प नहीं मिल पाये और इसके संबंध में प्रधान ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया । 38 हैण्ड पम्पों के सापेक्ष धनराशि रु० 49,333.50 का दुरुपयोग किया गया है । पहले लगे प्रति हैण्ड पम्प रु० 1,298.85 औसत व्यय के आधार पर कुल मु० 49,33.50 का दुरुपयोग हुआ है ।

2–<u>खड़ण्जा निर्माण</u> :–वर्ष 89-90 में खड़ण्जा निर्माण में मुख्य सड़क से लोहरान टोला होते हुए हरिजन बस्ती तक खड़ण्जा निर्माण में कुल व्यय धनराशि मु० 89,664.00 के सापेक्ष

कुल 40.000.00 व्यय करके मिट्टी कार्य तथा 335x3.5 मीटर खड़ण्जा कराया गया है । इस प्रकार खड़ण्जा निर्माण पर 49.664.00 का स्पष्ट दुरुपयोग हुआ है । खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस मार्ग पर कुल 600 मीटर खड़ण्जा कार्य दिखाया गया जब कि वास्तव में 335 मीटर ही खड़ण्जा लगा है ।

3–<u>तालाब खुदाई और सफाई</u> :–ग्राम सभा में वर्ष 90-91 में नाऊपुरा में तालाब में जलकुम्भी की सफाई पर मु० 7.380.00 रुपया व्यय किया गया है । मौके पर पूछतांछ पर पता चला कि जलकुम्भी की सफाई हेतु यह व्यय गलत दिखाया गया है ।

वर्ष 93-94 में ईंट क्रय मद पर 20 हजार रुपया ईंट भट्ठा को वर्ष 94-95 में कुल 45.000.00 रुपया भारत ईंट भट्ठा, हरनही को अग्रिम दिया गया है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इस प्रकार मु० 65.000.00 ईंट भट्ठे को अग्रिम दिया गया है, परन्तु उसके विरुद्ध ईंट की आपूर्ति आज तक नहीं की गयी है । प्रधान ने अवगत कराया कि वर्ष 89-90 में हरिजन बाहुल्य बस्ती में खड़ण्जा मद में भी ईंट भट्ठे को अग्रिम दिया गया था जिसकी भी आपूर्ति न होने के कारण वह कार्य नहीं हो पाया ।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सम्पर्क मार्ग, मिट्टी कार्य, ह्यूम पाइप और पुलिया निर्माण किया गया है । पी०डब्लू० डी० रोड से पाण्डेय पार सम्पर्क मार्ग पर एक आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य सभी पुलियों पर ह्यूम पाइप डालकर छोड़ दिया गया है । सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य पर कितना व्यय हुआ इसका आंकलन बरसात के कारण होना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्त जांच/सत्यापन के परीक्षणोपरान्त यह सिद्ध है कि ग्राम प्रधान श्री शिवा जी सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महन्ध सिंह द्वारा कुल मु० 1.71.377.50 की धनराशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है । जवाहर रोजगार योजना से संबंधित खाता गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोला गया है । जिसमें जुलाई माह का अवशेष 551.00 है । वर्तमान समय में श्री शिवा सिंह प्रधान की धर्म पत्नी ने अभी तक कोई कार्य नहीं कराया है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में मु० 1.71.377.50 की धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना आवश्यक है ।

भवदीय,

ह० :–

जिला विकास अधिकारी,

गोरखपुर ।

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित श्री बलराम यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–44 के उत्तर का संलग्नक

क्र०सं०	अभियन्ता का नाम	गृह जनपद	प्रखण्ड में योगदान की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री :–		
1	मो० उस्मान	बलिया	16-2-90
2	अब्दुल मसरूफ खां	बहराइच	16-2-90
3	सुखपाल यादव	रायबरेली	15-6-90
4	आर० पी० चौधरी	बस्ती	3-1-91
5	योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला	गोरखपुर	30-10-91
6	देवेन्द्र सिंह	बस्ती	3-12-91
7	राम अवध यादव	बलिया	16-12-91
8	हरिहर प्रसाद शर्मा	गोरखपुर	26-6-91
9	सदानन्द श्रीवास्तव	बस्ती	3-9-92
10	मुख्तार अंसारी	बलिया	16-2-90
11	राम इकबाल सिंह	बलिया	16-2-90
12	जवाहर प्रसाद चौधरी	बस्ती (वर्तमान सिद्धार्थनगर)	[illegible]
13	जगदीश प्रसाद शर्मा	गोण्डा	10-8-94
14	रामानन्द प्रसाद सिन्हा	नवादा बिहार	23-6-94
15	एस० बी० श्रीवास्तव	गोरखपुर	19-7-94
16	अली आलम सिद्दीकी	सेवा पुस्तिका प्रखण्ड बस्ती से अप्राप्त है।	5-6-95
17	अरशद अली सिद्दीकी	देवरिया	16-2-90
18	शिव जी तिवारी	बलिया	7-6-90

1	2	3	4
19	सूर्यभान सिंह	आजमगढ़	6-7-90
20	संजय सिंह	देवरिया	20-8-92
21	एजाजुल हक खां	गोरखपुर	16-2-90
22	लल्लन सिंह	बलिया	6-6-90
23	अब्दुल मजीद	महराजगंज	11-12-90
24	अबुल रहमान कुरैशी	देवरिया	28-7-90
25	राम मोहन उपाध्याय (निलम्बित)	गोण्डा	12-2-90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 54 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	वर्ष	क्रय किये गये उपकरणों का नाम			एयर कण्डीशनर/कूलर/अन्य उपकरणों के स्थापित किये जाने का स्थान	प्रयोजन
			एयर कण्डीशन मशीनों की सं०	कूलरों की सं०	अन्य उपकरणों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला अस्पताल	1990-91	–	–	3	डेन्टल विभाग एवं जी०ओ०टी०	संबंधित विभाग
		1991-92	–	–	3	एक्सरे एवं नेत्र विभाग	के प्रयोजन हेतु
		1992-93	–	–	61	डेन्टल विभाग एवं जी०ओ०टी० तथा आर्थो०ओ०टी०	—तदैव—
		1993-94	6	–	252	जी० ओ०टी०, आर्थो० ओ०टी०, अल्ट्रासाउण्ड कक्ष, इमरजेंसी, आई०ई०एन०टी०, महिला, आर्थो० मेडिकल, बच्चा, पेइंग, स्टोर, सेप्टिक, आई०सी०सी० एस०एम०ओ० वार्ड्स	—तदैव—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
		1994-95	–	13	188	ओ०पी०डी०, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय अपर निदेशक, कार्यालय आर्थो०ओ०टी०, वी०आई०पी० पैथालाजी, आई०सी०सी०, स्टोर, इमरजेंसी, ओ०पी०डी० मेडिकल वार्ड, आर्थो वार्ड, कार्यालय रिजर्व स्टोर, रिकार्ड रूम, जी०ओ०टी० वार्ड्स	–तदैव–
2	महिला चिकित्सालय	1990-91	–	–	–		
		1991-92	–	–	–		
		1992-93	–	–	–		
		1993-94	4	–	19	गायनिक ओ०टी०, मेडिसिन स्टोर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, पैथालाजी, रिकार्ड रूम तथा मैट्रन कार्यालय।	–तदैव–
		1994-95	–	4	79	क्लीन सर्जिकल मेडिकल वार्ड, ए०डी०कार्यालय, सेप्टिक वार्ड, ई०एम०ओ० रूम, जी० ओ०टी०, बच्चा वार्ड, ओ०पी०डी०, मैटर्निटी वार्ड हेतु।	–तदैव–

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

सूची 'ख'

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	निष्प्रयोज्य उपकरणों का नाम	संख्या
1	जिला चिकित्सालय, फैजाबाद	1–एक्स-रे मशीन 200 एम०ए०	1 नग
		2–ड्रेसिंग सीजर	10 नग
		3–आरट्री फारसेप	4 नग
2	महिला चिकित्सालय, फैजाबाद ।	शून्य	शून्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं०-68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित श्री राजेश कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०-68 के उत्तर का संलग्नक

1-सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० के पत्र सं०-2350/38-1-94-4/पी०/92, दिनांक 17 मार्च, 1994 द्वारा कर्मियों की सेवा शर्तों हेतु मार्ग निर्देश जारी हुए थे उसी के क्रम में हमें कहना है कि परियोजना निदेशक के पद पर 50 प्रतिशत तथा सहायक परियोजना अधिकारी/अपर परियोजना निदेशक, सहायक अभिन्ता, परियोजना अर्थशास्त्री, सहायक संख्याधिकारी/अन्वेषक (साख्यिकी) पदों पर शतप्रतिशत डी०आर०डी०ए० के सीधी भर्ती वाले कर्मियों की पदोन्नति की जाय।

2-प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) से तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस भेज दिया जाय तथा अभिकरण में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की पदोन्नति की जायं। अभिकरण में प्रतिनियुक्ति नीति समाप्त की जाय।

3-सहायक संख्याधिकारी/अन्वेषक (सांख्यिकी)/अवर अभियन्ता/अन्वेषक (तकनीकी), आशुलिपिक, सहायक लेखाकार आदि का वेतन समता समिति के अनुरूप संशोधित वेतनमान, समयमान वेतनमान दिया जाय। विकास विभाग में प्रधान लिपिक का वेतनमान रु० 1400-2600 है जबकि अभिकरण में मुख्य लिपिक को रु० 1200-2040 दिया जा रहा है। कृपया अभिकरण हेतु संशोधित वेतनमान के आदेश प्रदान किये जायें।

4-भारत सरकार के निर्देश पर डी०आर०डी०ए० कर्मियों को अर्जित ब्याज की धनराशि से भवन निर्माण हेतु ऋण दिया जाता था जिसकी कर्मियों से मासिक किस्तों में कटौती होती थी परन्तु ग्राम्य विकास विभाग ने कर्मियों को ऋण दिये जाने पर रोक लगा दी है। कृपया भवन निर्माण अग्रिम दिये जाने के पुनः आदेश जारी किये जायें।

5-अभिकरणों में अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त कम्प्यूटर प्रोग्रामर को रु० 1400-2600 का वेतनमान स्वीकृत किया जाये।

6-अभिकरण में लेखाधिकारी का पद सृजित किया जाय।

7-अभिकरण कर्मियों को राज्यकर्मियों की भांति पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सुविधायें प्रदान की जायें तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाय।

परची 'च'

(देखिये अता० प्र० सं०-101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

अता० प्र० सं०–101 का संलग्नक

अर्द्ध०शा०प०सं०–82मं०/अट्ठावन–1-94-1081/90

राम सजीवन,

संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 1994

प्रिय महोदय,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै० क्षे०) के तकनीकी अधिकारी प्रदर्शनी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रचार-प्रसार प्राविधिक कार्यों को कराने में व्यापक भ्रष्टाचार तथा अधिकारों का दुरुपयोग करने विषयक शासन के पत्र संख्या–1221/अट्ठावन–1–94–1081/90, दिनांक 16-3-94 का कृपया अवलोकन करें जिसके द्वारा श्री राम नाथ वर्मा, सहजातपुर, अकबरपुर, फैजाबाद, का दिनांक रहित पत्र आख्या/आद्यावधिक स्थिति उपलब्ध कराने हेतु भेजा गया ।

2– इस संबंध में मुझसे यह कहने का अपेक्षा की गयी है कि श्री राम नाथ वर्मा के पत्र तथा श्री वी० पी० गुप्ता, अध्यक्ष चन्द्र भानु गुप्ता नगर वार्ड कैण्ट क्षेत्र लखनऊ, कांग्रेस कैडर कार्यक्रम लखनऊ के पत्र दिनांक 10-1-94 को आपको भी भेजा गया है, मे उल्लिखित मामले की जांच कराकर आख्या शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह०/-

राम सजीवन

श्री राजीव कपूर,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै० क्षे०),

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं० 102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

अतारांकित प्रश्न सं०–102 का संलग्नक

अ० शा०प्र०स०–5158/अठठावन–1-94-वि०स०–24/92

राजीव चन्द्र
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1
लखनऊ, दिनांक 12 जनवरी, 1994

प्रिय महोदय

कृपया उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै० क्षे०) के प्रचार-प्रसार के कार्यों में आर्थिक घपले की जांच विषयक आश्वासन संख्या–662/92 विषयक अपने अर्ध०शा० पत्रांक–1161, दिनांक 14-12-92 का संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

2. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री अब्दुल रईस ने कतिपय अनियमितताओं के संबंध में पत्र माननीय अध्यक्ष विधान सभा को दिये हैं जिनकी छाया प्रतियां आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आश्वासन को पूरा करने में उक्त पत्रों में अंकित तथ्यों को भी दृष्टिगत रखा जाय और आश्वासन को पूर्ण करने के संबंध में अपेक्षित समस्त कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराकर शासन को सूचित करें ।

भवदीय,
(राजीव चन्द्र)

श्री राम वचन वर्मा,
निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै० क्षे०),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अतारांकित प्रश्न सं०–102 का संलग्नक

नरेन्द्र सिंह वर्मा
विधायक
महमूदाबाद, सीतापुर बी 140 विधायक निवास–2 नया

माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, आश्वासन समिति,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

विषय :–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै० क्षे०) के प्रचार-प्रसार कार्यों से संबंधित निर्धारित आश्वासन सं०–662/92. के संबंध में ।

मान्यवर,

कृपया उक्त निर्धारित आश्वासन के मूल बिन्दु, गठित जांच समिति का निष्कर्ष दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तक के वित्तीय वर्षों के विभागीय आयोजनेत्तर की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मेला प्रदर्शनी, प्रकाशन. माल सम्पत्ति आदि मदों से प्र० प्र० के तकनीकी कार्यों स्वीकृति धनराशि का आवंटन, प्रदर्शनी, गोष्ठी प्रदर्शनी, सेमिनार का आयोजन, साहित्यों की इकाई, प्र० प्र० के उपकरणों का क्रय, प्रचार वाहन की मरम्मत, रिपेयरिंग आदि समस्त प्र० प्र० तकनीकी कार्यों सहित उक्त बिन्दुओं का ब्यौरा यदि आप स्वयं देख लें तो स्पष्ट उदाहरण मिल जायेगा कि निदेशक उद्यान (मै० क्षे०) समस्त वरिष्ठ उद्यान एवं अन्य सम्वर्ग के अधिकारियों को दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण आश्वासन समिति को प्रस्तुत निदेशालय के पत्रांक 71/प्र० प्र०/प्र० द्र०, दिनांक 30 अप्रैल, 1992 में उल्लखित प्र० प्र० के तकनीकी कर्मचारियों के निर्धारित कार्य दायित्वों के अनुरूप प्र० प्र० का बनाये गये नियमों के विरुद्ध अन्य सम्वर्ग के संबंधित अधिकारियों ने प्रचार-प्रसार के पदानुसार तकनीकी कर्मचारियों को प्र० प्र० कार्यों का अनुमोदन, सहमति सत्यापन नहीं करवा कर फर्जी प्र० प्र० का कार्य दिखा कर अन्य कर्मचारी से कार्य का सत्यापन करवा कर अवैध बिलों का भुगतान किया गया, जिसके फलस्वरूप इसका कोई लाभ प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पा रहा है और निदेशक,उद्यान के कथनी व करनी में अन्तर है तथा प्र० प्र० के कार्यों में हुए या हो रहे भ्रष्टाचार, अनियमितताये, अवैध बिलों का भुगतान होने का आश्वासन समिति से छिपाया गया है इस संबंध में रामनाथ वर्मा के शिकायती पत्र में संलग्न क्रम सं० 1 से क्र० सं० 11 तक की फोटो प्रति का ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत है ।

कृपया, उपरोक्त प्रकरण में पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने व बिना प्राविधिक कर्मचारी के सत्यापन करवाये फर्जी कार्य दिखा कर भुगतान किये गये अवैध बिलों बाउचरों का वसूली करने का आदेश सचिव, उद्यान, उ० प्र० शासन को देखें तभी आश्वासन की पूर्ति मानने की कृपा करें । कृते कार्यवाही से मुझे भी अवगत करायें ।

सधन्यवाद । सादर

भवदीय,
(नरेन्द्र सिंह वर्मा),
महमूदाबाद, सीतापुर ।

दिनांक 6-9-94

अतारांकित प्रश्न सं०–102 का संलग्नक

अब्दुल रईस
विधायक,
जयसिंहपुर, सुल्तानपुर ।

बी०–139
दारुलशफा,
लखनऊ ।

माननीय अध्यक्ष,

विधान सभा, उ० प्र० शासन लखनऊ ।

विषय –उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ० प्र० का निर्धारित आश्वासन संख्या 663/92 के संबंध में ।

मान्यवर,

कृपया उद्यान विभाग मै० क्षे० के प्र० प्र० के कार्यों में भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, फर्जी कार्य दिखाकर अवैध बिलों के भुगतान करने से संबंधित निर्धारित आश्वासन सं० 662/92 के मूल बिन्दु गठित जांच समिति का निष्कर्ष, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही, आयोजनागत, आयोजनेत्तर के समस्त योजनाओं में प्र० प्र० कार्यों का धन का आवंटन प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनारों का आयोजन प्रचार साहित्यों की छपाई प्रचार वाहन, प्र० प्र० के उपकरणों का क्रय, मरम्मत आदि समस्त प्र० प्र० कार्यों का गत पांच वर्षों का ब्यौरा क्या है ।

उपरोक्त बिन्दुओं का ब्यौरा यदिआप स्वयं देख लें तो स्पष्ट उदाहरण मिल जायेगा की व० आ० प्रदर्शनी के पद पर अवैध रूप से उद्यान संवर्ग के अधिकारियों को तैनात करके निदेशक के प० से 71/प्र० प्र०/ल० वि० 30 अप्रैल, 1992 का आदेश सं० 1168/प्र० प्र० 15 दिसम्बर, 92 में उल्लिखित प्र० प्र० के पदानुसार तकनीकी कर्मचारियों के निर्धारित कार्यदायित्वों के अनुरूप बनाये गये प्र० प्र० नियमों के विरुद्ध धन का आवंटन प्राप्त कर फर्मों संबंधित अधिकारियों ने फर्जी कार्य दिखा कर अवैध बिलों का भुगतान किया जो कि आश्वासन सं० 662/92 में प्राप्त ब्यौरे व निदेशक उद्यान के कथनी व करनी में अन्तर है और प्र० प्र० नियमों के विरुद्ध है ।

कृपया, उपरोक्त प्रकरण से संबंधित अध्यक्ष, आश्वासन समिति एवं सचिव उद्यान, उ० प्र० शासन को भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध नही कार्यवाही व फर्जी कार्य का अवैध धनों की वसूली करने के साथ तक० अधि० प्रदर्शनी के पद से उद्यान संवर्ग अधिकारी को हटाकर प्र० प्र० का समस्त प्रा० कार्य प्र० प्र० के पदानुसार कार्यरत तक० कर्मचारियों के निर्धारित कार्य दायित्वों के अनुरूप प्रा० कार्य प्र० प्र० का करने का आदेश देवें । कृते कार्यवाही से अवगत करायें ।

सादर धन्यवाद ।

(अब्दुल रईस)
विधायक ।

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

अतारांकित प्रश्न सं०–103

अ०शा०प्र०स०–8333/अठ्ठावन–1-91-681/90

एस० ए० रिजवी,
विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1
लखनऊ, दिनांक 27 दिसम्बर,, 1991

प्रिय महोदय

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै० क्षे०) के अधिकारियों द्वारा प्रचार-प्रसार कार्यों में पद व अधिकार का दुरुपयोग करने विषयक कृपया शासन के पत्रांक-277 एम०/अठ्ठावन–1–90-681/90, दिनांक 27-12-90, अ० शा० पत्र संख्या : 25 एम०/अठ्ठावन–1–91, दिनांक 25-2-91 तथा अ० शा० पत्र संख्या : 40 एम०/अठ्ठावन-1–91, दिनांक 25-3-91 का अवलोकन करें ।

2–इस संबंध में श्री राम बाबू बी०–101, दारुलशफा, लखनऊ के दिनांक रहित पत्र की छाया प्रति भेजते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि वांछित आख्या शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । कृपया उसे शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
(एस० ए० रिजवी)

संलग्नक : यथोक्त ।
डा० आर० के० पाठक,
निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै० क्षे०),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सेवा में,

माननीय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

विषय : उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै० क्षे०) में अधिकारियों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में।

मान्यवर,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 21-11-90 को माननीय विधायक श्री राम लखन वर्मा और दिनांक 24-1-91 को पूर्व विधायक श्री अकबर हुसैन बाबर के द्वारा निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै० क्षेत्र) में विभागीय सामान मण्डीय प्रदेशीक, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों, गोष्ठियों एवं प्रचार-प्रसार का सम्यक् कार्य के लिये बजट का आवटनों, बिलों बाउचरों का भुगतान, प्रचार-प्रसार का सम्मत कार्यों को कराने के लिये विभागीय प्रचार-प्रसार में नियुक्ति संबंधी तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों से सहमत आख्या एवं कार्य उद्यान विभाग के अन्य भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा न लिये जाने और सीधे उक्त कार्यों को कराने के लिये बजट का आवंटन कराकर प्रचार प्रसार तथा फर्जी कार्यों को दिखा कर अवैध रूप से लाखों रुपये का बिल बाउचरों का भुगतान वित्तीय अनियमिततायें घपला और प्रचार-प्रसार के नियमों के विरुद्ध व्यापक भ्रष्टाचार करने की शिकायत सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण से लिखित देकर की थी । परन्तु माननीय विधायकों द्वारा शिकायत करने के उपरान्त भी शासन स्तर से अन्य दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी जिसके कारण अन्य विभागीय भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भी उक्त कार्यों के कराने में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रह है । यदि आप दो वर्ष का ब्यौरा स्वयं देख लें तो स्पष्ट हो जायेगा कि विभागीय अन्य अधिकारियों के द्वारा अपने भ्रष्टाचार को छिपाने व अवैध रूप से फर्जी बिलों-बाउचरों का भुगतान करने के लिये जानबूझकर प्रचार-प्रसार अनु० में नियुक्ति संबंधित तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों से उक्त सम्पत प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं लिया जाता है । जो कि प्रदेश की बगावती किसानों के जनहित एवं प्रचार-प्रसार के नियमों के विरुद्ध है ।

कृपया, उक्त प्रकरण का जांच गम्भीरता पूर्वक शासन स्तर से कराने का आदेश देवें और शासन द्वारा स्वीकृत प्रचार-प्रसार अनु० में नियुक्ति व कार्यरत संबंधी तकनीकी पदों के अधिकारी व कर्मचारी के सहमत से ही विभागीय उक्त कार्यों का प्रचार-प्रसार का समस्त कार्यों को करने का आदेश शासन स्तर से देवें । कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करावें ।

भवदीय,

(रामनाथ)

बी–101, दारुलशफा, लखनऊ ।

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को सूचनार्थ प्रेषित ।

नत्थी 'म'

(देखिये अता० प्र० सं० 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

विधान सभा, उ० प्र० के तीसरे सत्र, 1995 के चौथे बुधवार के लिये श्री अब्दुल रईस, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 105 का संलग्नक

कार्यालय ज्ञाप

प्रचार-प्रसार अनुभाग के कार्यों को सूचारु रूप से सम्पादित करने एवं भविष्य में किसी प्रकार की शिकायतें न प्राप्त होने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है इसका परिपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय ।

(1) भविष्य में निदेशालय के अतिरिक्त समस्त जनपदों, मण्डलों एवं शोध केन्द्रों पर आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनी/गोष्ठी जिनमें रु० 2000.00 तथा प्रकाशन में रु० 5000.00 से ऊपर का व्यय निहित हो, का समस्त कार्य निदेशालय के प्रचार-प्रसार अनुभाग द्वारा ही सम्पादित कराया जाय ।

(2) प्रस्तर–1 में निर्धारित सीमा के ऊपर विभागीय प्रदर्शनी/गोष्ठी में प्रचार-प्रसार अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की परामर्श से आरक्षित स्थान पर ही अपने से सम्बन्धित स्टाल लगायें तथा प्रदर्शनियों/गोष्ठियों को सुचारु रूप से आयोजित करने में तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

निदेशालय के प्रचार-प्रसार अनुभाग से सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पदानुसार निम्नलिखित कार्य आवंटित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य न होगी ।

पद	कार्य विवरण
1. तकनीकी अधिकारी (प्रदर्शनी)	विभागीय प्रचार-प्रसार का समस्त कार्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने नियंत्रण में करवाना एवं विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा बताये गये अन्य कार्य ।
2. सीनियर अर्टिस्ट	डिजाइन एवं चित्र लेखन संबंधी समस्त कार्य ।
3. सीनियर फोटोग्राफर	फोटोग्राफी सम्बन्धित समस्त कार्य ।
4. तकनीकी सहायक	रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस, प्रेस विज्ञप्ति/निजी वार्तायें, प्रशिक्षण, महामहिम राष्ट्रपति तथा राज्यपाल महोदय को भेजी जाने वाली सूचनायें तथा मौसम विज्ञान को भेजी जाने वाली सूचनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य ।
5. डार्क रूम सहायक	डार्क रूम सम्बन्धित समस्त कार्य ।
6. प्रदर्शनी सहायक	(1) प्रदर्शनी, गोष्ठी, प्रदर्शन, प्रकाशनों आदि का आयोजन एवं व्यवस्था का कार्य । (2) प्रदर्शनी, प्रदर्शनी प्रचार वाहन के रख-रखाव रिपेयरिंग, नये सामानें का क्रय एवं भण्डार सम्बन्धित समस्त कार्य । (3) विभागीय प्रचार-प्रसार के बिलों बाउचरों का अंकन एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने का कार्य ।

7.	प्रोजेक्ट आपरेटर	प्रोजेक्टर, वी० सी० आर० पर विभागीय तकनीकी फिल्म दिखाने का कार्य ।
8.	वाहन चालक	प्रचार वाहन चलाने का कार्य तथा प्रदर्शनी सहायक के कार्य में सहयोग ।
9.	क्लीनर	प्रदर्शनी सहायक व वाहन चालक के कार्यों में सहयोग के साथ-साथ प्रचार वाहन साफ करने का कार्य ।

उपरोक्त कार्य विवरण सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदानुसार आवंटित किया जाता है। डार्क रूम का पद रिक्त होने के कारण डार्क रूम सम्बन्धित समस्त कार्य रीजनिंग फोटोग्राफर, तकनीकी अधिकारी (प्रदर्शनी) के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा और प्रदर्शनी सहायक वाहन की मरम्मत आदि का कार्य निदेशालय के वाहन अधिकारी के माध्यम से सम्पादित करायें । इसके अतिरिक्त विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का उक्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पालन किया जायेगा ।

राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक ।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै० क्षे०), उ० प्र०
2-सप्रू मार्ग, लखनऊ ।
पत्रांक 1168/प्रचार-प्रसार/लखनऊ, दिनांक 18 दिसम्बर, 1992

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) उपनिदेशक, उद्यान-कम-प्रभारी अधिकारी, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती/सहारनपुर ।
(2) समस्त उपनिदेशक, उद्यान (मै०क्षे०), उ० प्र० ।
(3) आम निदेशक, मलिहाबाद, लखनऊ, आंवला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़, अमरूद विकास अधिकारी, इलाहाबाद, पान विकास अधिकारी, महोबा (हमीरपुर) सिट्रस विशेषज्ञ, बरुआसागर झांसी ।
(4) बायोकेमिस्ट, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान अशोक मार्ग, लखनऊ।
(5) निदेशालय के समस्त श्रेणी-1 व श्रेणी–2 के अधिकारीगण ।
(6) समस्त जिला उद्यान अधिकारी (मै०क्षे०), उ० प्र० ।
(7) समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान (मै० क्षे०), उ० प्र० ।
(8) समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी (मै० क्षे०), उ० प्र० ।
(9) समस्त प्रधानाचार्य, खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, (मै०क्षे०), उ० प्र० ।
(10) प्रभारी स्थापना–1, 2, 3 एवं 4 निदेशालय लखनऊ ।
(11) समस्त अनुभाग प्रभारी निदेशालय, लखनऊ ।
(12) वाहन अधिकारी निदेशालय लखनऊ ।
(13) प्रचार-प्रसार अनुभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि उन्होंने अभी तक अपने से सम्बन्धित चार्ज नहीं लिया है तो तीन दिन के अन्दर प्राप्त करके तकनीकी अधिकारी (प्रदर्शनी) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव,
निदेशक ।

नत्थी 'अ'

(देखिये अता० प्र० सं० 131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

शासी निकाय के सदस्यों की सूची

अध्यक्ष,

1–जिलाधिकारी ।

उपाध्यक्ष,

2–मुख्य विकास अधिकारी ।

सदस्य

3–जिले के सभी संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य तथा विधान परिषद् के सदस्य ।

4–केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष ।

5–अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ।

6–जिला परिषद् का अध्यक्ष या उसका प्रतिनिधि ।

7–अग्रणी बैंक अधिकारी ।

8–जिला स्तर पर नाबार्ड का प्रतिनिधि ।

9–महाप्रबन्धक जिला औद्योगिक केन्द्र ।

10–खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रतिनिधि ।

11–परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रभारी जिलाधिकारी ।

12–जिला रोजगार अधिकारी ।

13–परियोजना अधिकारी, समन्वित जनजाति विकास योजना ।

14–क्षेत्रीय/जिला अधिकारी, अनुसूचित जाति वित्त निगम ।

15–ए० पी० ए० (महिला विकास) ।

16–ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के वास्तविक अनुभव वाली एक महिला कामगार/आयोजक ।

17–जिला दुग्ध संघ का प्रतिनिधि ।

18–कमजोर वर्ग के दो प्रतिनिधि जिसमें से एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति से लिया जाये । ये प्रतिनिधि कार्यक्रम के हिताधिकारी भी हो सकते हैं ।

19–ग्रामीण महिलाओं की एक प्रतिनिधि जो अधिमानत एक हिताधिकारी हो ।

20–अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक एवं उनके प्रतिनिधि ।

सदस्य सचिव

21–परियोजना अधिकारी/निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ।

पी०एस० यू० पी०–एल० 249 विधान सभा (740)–1995–572 (डी० टी० पी०) ।